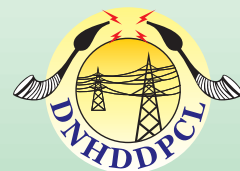




Two Mobile Veterinary Ambulance under CSR Initiative



डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(सरकार का उपक्रम)

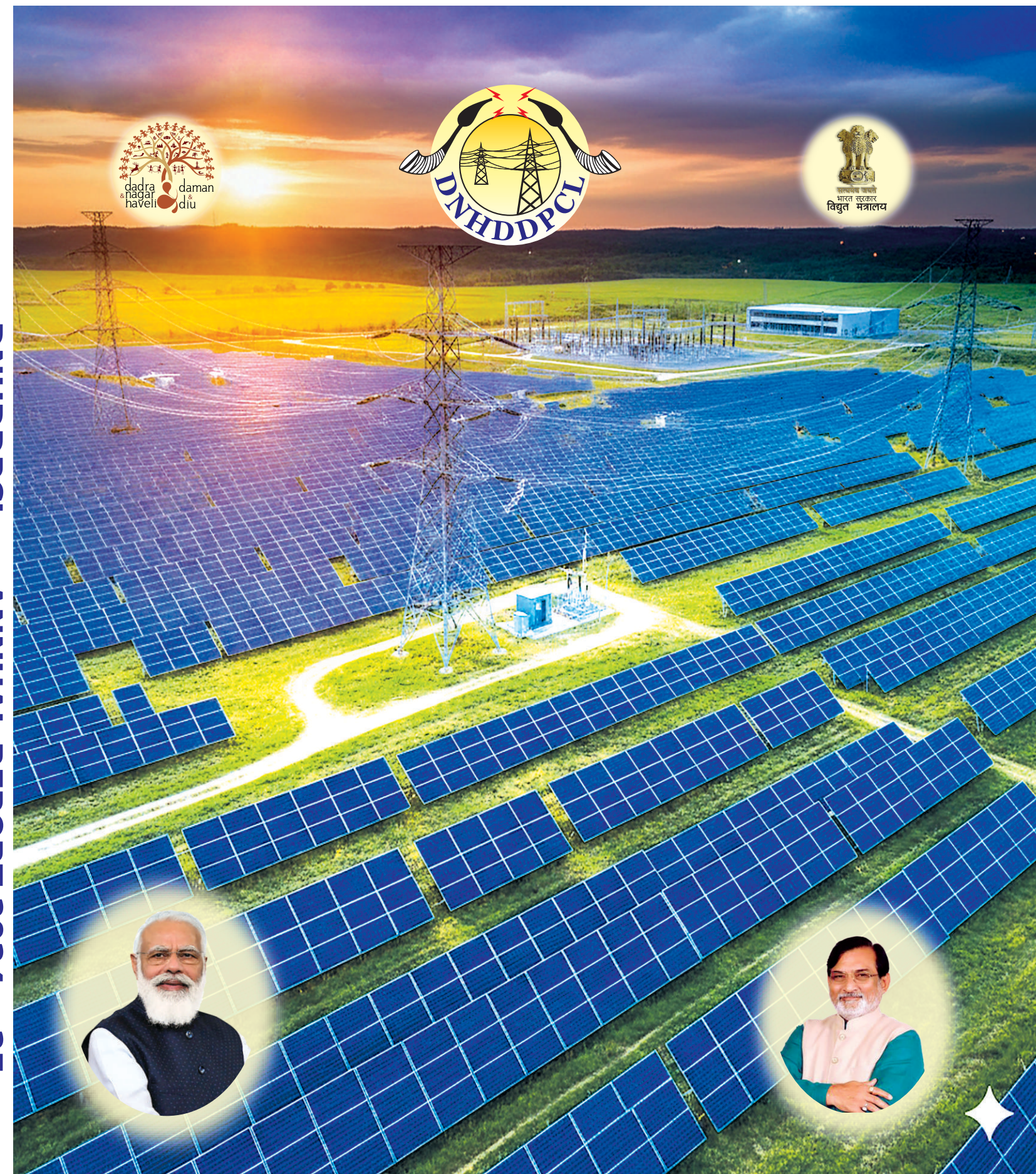
विद्युत भवन, सचिवालय के पास, 66 KVA रोड, आमली
सिलवासा 396 230 दानह एवं डीडी

DNH and DD Power Corporation Limited
(A Govt. Undertaking)

Vidyut Bahvan, Next to Secretariat, 66 KVA Road, Amli,
Silvassa 396 230 DNH & DD

Imaging POINT, Vapi

DNHDDPCL ANNUAL REPORT 2024 – 25



डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
तेरहवीं वार्षिक रिपोर्ट 2024 – 25
ऊर्जा जीवन है इसे संरक्षित रखें

DNH and DD Power Corporation Limited
THIRTEENTH ANNUAL REPORT 2024 – 25
Energy is life..... Conserve it



डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

CIN: U40100DN2012GOI000405 (सरकार का उपक्रम)

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

निदेशक मंडल

2024-25 Annual Report

DNH and DD Power Corporation Limited

(A Govt. Undertaking) CIN: U40100DN2012GOI000405



अनुक्रम / Index

1. निदेशक मंडल	2
2. अध्यक्ष का संदेश	4
3. निदेशकों की रुपरेखा	6
4. वित्तीय आलेख	8
5. निदेशकों का प्रतिवेदन	10
– अनुलग्नक – अ – वित्तीय विवरण और अनुपात – एक नज़र	40
– अनुलग्नक – 1 – समिति बैठकों की उपस्थिति	42
– अनुलग्नक – 2 – समाप्त वित्तीय वर्ष 31.03.2025 पर वार्षिक रिटर्न की जानकारी	44
– अनुलग्नक – 3 – वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सचिविय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट	52
– अनुलग्नक – 4 – वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निगमित सामाजिक दायित्व (CSR) की गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	58
– अनुलग्नक – 5 – ऊर्जा, संरक्षण तकनीकि समावेश तथा विदेशी मुद्रा की कमाई और खर्च	70
6. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	74
7. स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट	76
– अनुलग्नक – अ – स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक	84
– अनुलग्नक – ब – स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक	88
– अनुलग्नक – क – स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक	96
8. 31 मार्च, 2025 तक का तुलन पत्रक	100
9. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा का विवरण	104
10. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	108
11. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण	110
12. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बननेवाली महत्वपूर्ण लेखा नीति की जानकारी	114
13. 31 मार्च, 2025 तक वित्तीय विवरणों का हिस्सा बननेवाली टिप्पणियाँ	146
14. 13 वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना	202
15. प्रतिनिधि प्रपत्र	214
1. Board of Directors	3
2. Chairman's speech	5
3. Directors – Profile	7
4. Financial Graph	9
5. Director's Report	11
– Annexure – A Financial Analysis and at a Glance	41
– Annexure – 1 Attendance of Committee Meetings	43
– Annexure – 2 Information of Annual Return as on Financial Year ended 31.03.2025	45
– Annexure – 3 Secretarial Audit Report for FY 2024-25	53
– Annexure – 4 Annual Report on Corporate Social Responsibility (CSR) Activities for FY 2024-25	59
– Annexure – 5 Conservation of Energy, Technology Absorption & Foreign Exchange Earning and Outgo	71
6. Comment of the Comptroller and Auditor General of India	75
7. Independent Auditors Report	77
– Annexure – A to the Independent Auditors Report	85
– Annexure – B to the Independent Auditors Report	89
– Annexure – C to the Independent Auditors Report	97
8. Balance Sheet as at 31st March 2025	101
9. Statement of Profit and Loss as at 31st March 2025	105
10. Statement of Change in Equity as at 31st March 2025	109
11. Cash Flow Statement as at 31st March 2025	111
12. The Material Accounting Policy Information Forming Part of Financial Statements for the Year ended on 31 March, 2025	115
13. Notes Forming Part of Financial Statements as at 31 March, 2025	147
14. Notice of the 13th Annual General Meeting	203
15. Proxy Form	215

अनुक्रम / INDEX 2024-25



निदेशक मंडल 2024-25

BOARD OF DIRECTORS 2024-25

अध्यक्ष

श्री प्रफुल पटेल

(30.12.2016 से कार्यान्वित)

प्रबंध निदेशक

डॉ. अरुण टी., भा.प्र.से.

(10.03.2023 से कार्यान्वित)

निदेशकगण

श्री अमीत सिंगला, भा. प्र. से.

(29.06.2023 से कार्यान्वित)

श्री गौरव सिंह राजावत, भा.प्र.से.

(16.02.2021 से 27.02.2024 तक कार्यान्वित)

श्री प्रियांक किशोर, भा. प्र. से.

(27.02.2024 से कार्यान्वित)

श्रीमती आरती अग्रवाल, दानिक्स

(27.03.2025 से कार्यान्वित)

श्रीमती चार्मी पारेख, दानिक्स

(25.10.2023 से 26.12.2024 तक कार्यान्वित)

व्यावसायिक निदेशक

श्री हेमांशु कापडिया

(27.12.2024 से कार्यान्वित)

श्री पेन्टैया पोलागनी

(27.12.2024 से कार्यान्वित)

स्वतंत्र निदेशक

श्री अतुल मेहता

(27.12.2024 से कार्यान्वित)

श्री मुकेश गढ़वी

(27.03.2025 से कार्यान्वित)

मुख्य प्रबंधकिय कार्मिक एवं अन्य वरीष्ठ प्रबंधक

श्री सी. ए. परमार,

मुख्य अभियंता

श्री हेमंत कुमार शाह,

मुख्य वित्त अधिकारी

(29.06.2023 से कार्यान्वित)

श्रीमती अंजु एम. चौधरी

कंपनी सचिव

बैंकर्स

बैंक ऑफ बडौदा, सिलवासा

सांविधिक लेखा - परीक्षक

मेसर्स अग्रवाल एण्ड धंधानिया

सनदी लेखाकार, सुरत

Chairman

Shri Praful Patel

(w.e.f. 30.12.2016)

Managing Director

Dr. Arun T. , IAS

(w.e.f. 10.03.2023)

Directors

Shri Amit Singla, IAS

(w.e.f. 29.06.2023)

Shri Gaurav Singh Rajawat, IAS

(w.e.f. 16.02.2021 till 27.06.2025)

Shri Priyank Kishore, IAS

(w.e.f. 27.02.2024)

Smt Aarti Agarwal, DANICS

(w.e.f. 27.03.2025)

Smt. Charmie Parekh, DANICS

(w.e.f. 25.10.2023 till 26.12.2024)

Professional Directors

Shri Hemanshu Kapadia

(w.e.f. 27.12.2024)

Shri Pentayya Polagani

(w.e.f. 27.12.2024)

Independent Directors

Shri Atul Mehta

(w.e.f. 27.12.2024)

Shri Mukesh Gadhavi

(w.e.f. 27.03.2025)

Key Managerial Personnel & other Senior Officers

Shri C. A. Parmar,

Chief Engineer

Shri Hemant Kumar Shah,

Chief Financial Officer

(w.e.f. 29.06.2023)

Smt. Anju M. Chaudhary,

Company Secretary

Bankers

Bank of Baroda, Silvassa

Statutory Auditors

M/s Agrawal & Dhandhania

Chartered Accountants, Surat



दिनांक 30.09.2025 को आयोजित 13वीं वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों को अध्यक्ष श्री का संदेश



प्रिय शेयरधारकों,

हमारे व्यवसायों में उल्लेखनीय वृद्धि के एक वर्ष के बाद, जिसमें हमारे मजबूत वित्तीय स्थिति और परिचालन उत्कृष्टता पर प्रकाश डाला गया है, आपको यह लिखते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ग्राहकों और सभी हितधारकों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता निरंतर विकास और स्थायी मूल्य की हमारी खोज में परिलक्षित होती है। पिछले वर्ष पर विचार करते हुए, मुझे हितधारकों को मूल्य प्रदान करने में निगम द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति को साझा करते हुए खुशी हो रही है। यह उपलब्धि निरंतर सुधार और अथक परिश्रम के माध्यम से संभव हुई है।

मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि वर्ष के लिए आपके निगम की कुल आय ₹ 9,478 लाख तक पहुँच गई, जिसके परिणामस्वरूप कर के बाद लाभ (PAT) ₹ 3,488 लाख रहा।

ग्लासगो में COP26 जलवायु सम्मेलन में माननीय प्रधान मंत्री की प्रतिज्ञा के मद्देनजर कि भारत वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करेगा। माननीय प्रधान मंत्री ने वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) लक्ष्य को 500 गीगावॉट तक बढ़ा दिया है। डीएनएच और डीडी के यूटी प्रशासन ने डीएनएच के विभिन्न सरकारी भवनों में छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करके अपने नवीकरणीय ऊर्जा (RE) विकास को बढ़ाने का अवसर मांगा है। छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए 256 इमारतें संभव पाई गई हैं और इन संभव 256 इमारतों में से 249 सरकारी भवनों पर 3.717 मेगावॉट की स्थापित क्षमता के साथ स्थापना की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निगम ने 6.47 MU's सौर ऊर्जा उत्पन्न की है। जमीन पर स्थापित सौर बिजली संयंत्र की स्थापित क्षमता 4.3 MW मेगावॉट है। निगम की सौर ऊर्जा संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता 8.502 मेगावॉट है।

सुरक्षित ऊर्जा संक्रमण के लिए उच्च संचरण प्रणाली की उपलब्धता आवश्यक है। पिछले वर्ष, हमने 98.80% की संचरण प्रणाली उपलब्धता हासिल की, जो देश में सर्वाधिक है, और हमारी ट्रिपिंग दरें अन्य पड़ोसी उपयोगिताओं की तुलना में सबसे कम है। हमारे तकनीकी विशेषज्ञ क्षेत्र में बिजली संचरण प्रणाली की उपलब्धता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। निगम की प्रतिबद्धता इस विशाल नेटवर्क के कुशल रखरखाव और संचालन में निहित है। यह संचरण के दौरान ऊर्जा हानि को न्यूनतम करके कुशल विद्युत वितरण सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त, हम विद्युत प्रवाह का प्रबंधन करके और बिजली कटौती को रोककर ग्रिड स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह मजबूत नेटवर्क "एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक आवृत्ति" पहल का आधार है, जो क्षेत्रों के बीच निर्बाध विद्युत विनिमय को सुगम बनाता है और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देता है।

निगम अपनी स्थापना के समय से ही निगम को दृढ़ विश्वासों से प्रेरित रहा है। ग्राहकों को सर्वोपरि रखने में विश्वास, लोगों में निवेश करने और उन्हें शसक्त बनाने में विश्वास और सभी हितधारक समुदायों के लिए सही काम करने में विश्वास। निगम सतत विकास सुनिश्चित करने और प्रदर्शन के और भी बेहतर शिखर हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। निदेशक मंडल और निगम की पूरी टीम की ओर से, मैं आपके निरंतर विश्वास और समर्थन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। हम आपके, हमारे मूल्यवान शेयरधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन के लिए समर्पित हैं, और मैं विकास एवं उत्कृष्टता की इस यात्रा में आपकी निरंतर भागीदारी की आशा करता हूँ।

निगम में आपके विश्वास के लिए धन्यवाद !

दमण,
सितंबर 30, 2025

हस्ताक्षरित
(**प्रफुल पटेल**)
अध्यक्ष



ऊर्जा जीवन है इसे संरक्षित रखें



CHAIRMAN'S MESSAGE TO THE SHAREHOLDERS AT THE 13TH ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON 30.09.2025



Dear Shareholders,

It is my great pleasure to write to you following a remarkable year of growth across our businesses, highlighting our strong financial health and operational excellence. Our commitment to customer and all the stakeholders is reflected in our pursuit of ongoing growth and enduring value, as we reflect on the past year, I am pleased to share the significant strides the Corporation has made in delivering value to stakeholders. This achievement has been made possible through continuous improvement and tireless work.

I am proud to report that the total income of your Corporation for the year reached ₹ 9,478 Lakh, resulting in a Profit After Tax (PAT) of ₹ 3,488 Lakh.

In view of Honorable Prime Minister pledge at COP26 Climate Conference in Glasgow that India will achieve net zero carbon emission by 2070. Honorable Prime Minister has also raised the Nationally Determined Contribution (NDC) target of non-fossil energy capacity to 500 GW by 2030. UT Administration of DNH & DD have sought opportunity to increase its RE development by installing rooftop solar power plant at various Government buildings of DNH. There are 256 buildings are found feasible for installation of Rooftop Solar Power Plant and out of these feasible 256 buildings, installation on 249 Government buildings have been carried out with installed capacity of 3.717 MW. During the FY 2024-25 the Corporation has generated 6.47 MU's of Solar Energy. Installed capacity of 4 number of ground mounted solar power plant is 4.3 MW. Solarised installed capacity of roof-top solar power plant is 4.202 MW. Total installed capacity of solar power plant of the Corporation is 8.502 MW.

High transmission system availability is essential for enabling secure energy transition. Last year, we achieved a transmission system availability of 98.80%, one of the highest in the country, and our tripping rates are lowest as compared to other neighbouring utilities. Our technical experts work tirelessly to ensure the availability and reliability of power transmission system in the territory. The Corporation's commitment lies in efficiently maintaining and operating this huge network. It ensures efficient power delivery by minimizing energy loss during transmission. Additionally, we play a crucial role in maintaining grid stability by managing power flows and preventing outages. This robust network underpins the "One Nation, One Grid, One Frequency" initiative, facilitating seamless power exchange between regions and promoting national energy security.

The Corporation has been guided by a set of strong beliefs, right from the time it was founded. Belief in putting the customer above all, belief in investing in people and empowering them and belief in doing right for all the stakeholder communities. The Corporation will make all efforts to ensure sustainable growth and further to attain better heights of performance. On behalf of the Board of Directors and the entire team at the Corporation, I extend my sincere appreciation for your continued trust and support. We are dedicated to creating long-term value for you, our valued shareholders, and I look forward to your continued partnership as we embark on this journey of growth and excellence.

Thank you for your confidence in the Corporation

Daman,
September 30, 2025

Sd/-
(**Praful Patel**)
Chairman



Energy is life..... Conserve it



डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

CIN: U40100DN2012GOI000405 (सरकार का उपक्रम)

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

निदेशकों की रूपरेखा

दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण, दीव के अध्यक्ष और लक्षद्वीप के कार्य प्रभारित प्रशासक है।



श्री प्रफुल खोडीदास पटेल
अध्यक्ष

उन्होंने गुजरात राज्य के गृह राज्य मंत्री के रूप में कार्य भार संभाला है। वह दिनांक 30.12.2016 से निगम के अध्यक्षपद पर कार्यरत हैं।

श्री अरुण टी., भा.प्र.से.
प्रबंध निदेशक



AGMUT संवर्ग प्रबंधन 2013 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी है। उन्हें दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव के सचिव (बिजली एवं गैर-पारंपारिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत) के रूप में नियुक्त किया गया है।

उन्हें दिनांक 10.03.2023 से निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री प्रियांक किशोर, भा.प्र.से.
नामित निदेशक



AGMUT संवर्ग प्रबंधन 2020 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी है। उन्हें दादरा एवं नगर हवेली के समाहर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है।

उन्हें दिनांक 27.02.2024 से निगम के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री हिमांशु कापडिया
व्यावसायिक निदेशक



मुंबई में कार्यरत कंपनी सचिव एवं इनसोल्वन्सी प्रोफेशनल है। कॉर्पोरेट कानूनों, सचिवीय, वित्त एवं कानूनी मामलों के क्षेत्र में उन्हें 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वे प्रतिष्ठित व्यावसायिक घरों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं जिसमें सूचीबद्ध, असूचीबद्ध, सार्वजनिक और निजी कंपनियाँ शामिल हैं। वे एक कानूनी स्नातक भी हैं। वे 1992 से कंपनी कानूनी सलाहकार के रूप में संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव से जुड़े हुए हैं।

उन्होंने दिनांक 27.12.2024 से कंपनी के व्यावसायिक निदेशक के रूप में कार्य ग्रहण किया।

श्री अतुल मेहता
स्वतंत्र निदेशक



मेहता एण्ड मेहता कंपनी, मुंबई के 32 वर्षों से संस्थापक भागीदार। वे FCS और ICSI के सदस्य हैं, मुंबई महाविद्यालय से B.Com, BGL (General Law), IP; प्रतिष्ठित व्यावसायिक घरानों को सेवाएँ प्रदान करना: बजाज हिंदुस्तान शुगर लि.; आर्ट हाउस फाइनेंसिंग (I) लि.; आइसेनमैन इंडिया प्रा. लि.। कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियाँ : 2009 में ICSI के WIRC के अध्यक्ष और ICSI के मानक बोर्ड के सदस्य-सचिव, RBI 2015-16 की स्वतंत्र मूल्यांकन समिति के पूर्व सदस्य, संस्थागत सेमिनारों में उद्बोधक सदस्य।

उन्होंने दिनांक 27.12.2024 से कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यग्रहण किया।



श्री अमित सिंगला, भा.प्र.से.
नामित निदेशक

AGMUT संवर्ग प्रबंधन 2003 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी है। उन्हें दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव के प्रशासक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

उन्हें दिनांक 29.06.2023 से निगम के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।



श्रीमती आरती अग्रवाल, दानिक्स.
नामित महिला निदेशक

दानिक्स अधिकारी है, उन्हें दमण के उप-समाहर्ता एवं वरीष्ठ जिला अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

उन्हें दिनांक 27.03.2025 से निगम के महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।



श्री पेन्टैया पोलागनी
व्यावसायिक निदेशक

आंध्र विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में पावर सिस्टम ऑपरेशन में उनके पास 33 साल का अनुभव है। वे फरवरी 2010 से फरवरी 2014 तक दो क्षेत्रिय भार प्रेषण केन्द्र - ERLDC और WRLDC के प्रधान शासक थे और वर्तमान में सेवा से निवृत्त हैं। उनके पास बिजली प्रणाली संचालन, बिजली प्रणाली अध्ययन, सुरक्षा, वाणिज्यिक और बाजार संचालन, SCADA और EMS, साइबर सुरक्षा में व्यापक अनुभव है।

उन्होंने दिनांक 27.12.2024 से कंपनी के व्यावसायिक निदेशक के रूप में कार्यग्रहण किया।



श्री मुकेश गढ़वी
स्वतंत्र निदेशक

वर्तमान में 11.12.2023 से पश्चिम बंगाल नियामक आयोग में नियामक मामलों के सलाहकार हैं, वह सरदार वल्लभभाई क्षेत्रीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, सूरत BE(Electronics) है, बड़ौदा महाविद्यालय से MBA (मानव संसाधन) स्वर्ण पदक विजेता, भरुच में अतिरिक्त मुख्य अभियंता (दक्षिण क्षेत्र) में कुछ पदों पर रहे, SE(SLDC),GETCO-2019-23, EE-(परीक्षण) 2015-19, EE-(होटलाइन) 2013-15 और GEB में उप अभियंता और JE, 1989-2013। कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियाँ और भागीदारी : घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र प्रस्तुत किए, ERDA में अनुसंधान सलाहकार समिति के सदस्य।

उन्होंने दिनांक 27.03.2025 से कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यग्रहण किया।

2024-25 Annual Report

DNH and DD Power Corporation Limited

(A Govt. Undertaking) CIN: U40100DN2012GOI000405

Diredtors' Profile

He is an Administrator of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu and in charge Administrator of Lakshadweep.



Shri Praful Khodidas Patel
Chairman

He has served as Minister of State – Home Gujarat. He is **Chairman** of the Corporation w.e.f. 30.12.2016.

Shri Arun T., IAS
Managing Director



is an IAS officer of AGMUT Cadre 2013 Batch. He has been appointed as the Secretary (Power and Non-Conventional Renewable Source of Energy), Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu.

He has been appointed as a **Managing Director** in the Corporation w.e.f. 10.03.2023.

Shri Priyank Kishore, IAS
Nominee Director



is an IAS officer of AGMUT Cadre 2020 Batch. He has been appointed as the Collector, Dadra & Nagar Haveli.

He has been appointed as a **Director** in the Corporation w.e.f. 27.02.2024.

Shri Hemanshu Kapadia
Professional Director



is Practicing Company Secretary & Insolvency Professional at Mumbai. He is having more than 30 years' experience in the area of corporate laws, secretarial, finance and legal matters. He is rendering his services to reputed business houses which includes listed, unlisted, public & private companies. He is also a law graduate. He is associated with UT of Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli as Company Law Advisor since 1992.

He is **Professional Director** in the Corporation w.e.f. 27.12.2024

Shri Atul Mehta
Independent Director



Founder Partner of MEHTA & MEHTA, Company Secretaries, Mumbai since 32 years. He is FCS and member of ICSI, Graduate from Mumbai University B.Com; BGL (General Law); IP. Rendering Services to reputed Business Houses : Bajaj Hindustan Sugar Ltd.; Art House Financing (I) Ltd.; Eisenmann India Pvt. Ltd. Some Notable Achievements : Chairman, WIRC of ICSI in 2009 and Member-Secretarial Standards Board, ICSI; Past Member of Independent Evaluation Committee, RBI-2015-16; Faculty at Institutional Seminars

He has been appointed as an **Independent Director** in the Corporation w.e.f. 27.12.2024



Shri Amit Singla, IAS
Nominee Director

is an IAS officer of AGMUT Cadre 2003 Batch. He has been appointed as Advisor to the Hon'ble Administrator, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu (DNH&DD).

He has been appointed as a **Director** in the Corporation w.e.f. 29.06.2023.



Smt. Aarti Agarwal, DANICS
Nominee Director

is a DANICS officer and Deputy Collector (General)-cum SDM Daman.

She has been appointed as a **Women Director** in the Corporation w.e.f. 27.03.2025.



Shri Pentayya Polagani
Professional Director

is post-graduate in Electrical Engineering from Andhra University. He has 33 years of experience in Power System operation in Central Electricity Authority, Power Grid Corporation of India Ltd and Power System Operation Corporation Ltd. He was head of two Regional Load Dispatch Centers - ERLDC and WRLDC from Feb'10 to Feb'14 and presently retired from service. He has vast experience in Power System Operation, Power System studies, protection, commercial & market operations, SCADA & EMS and Cyber Security.

He joined the Company as **Professional Director** w.e.f. 27.12.2024



Shri Mukesh Gadhi
Independent Director

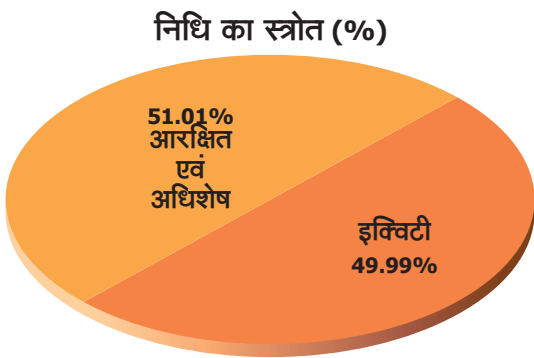
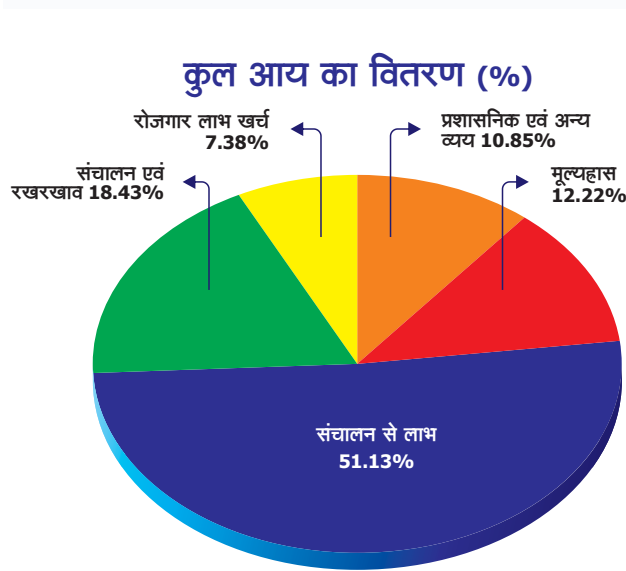
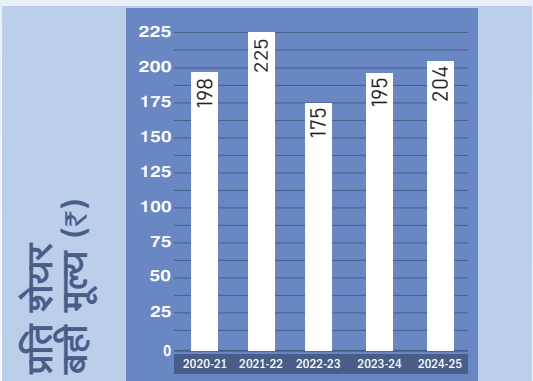
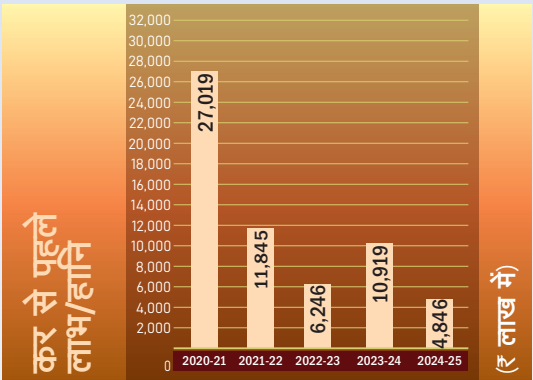
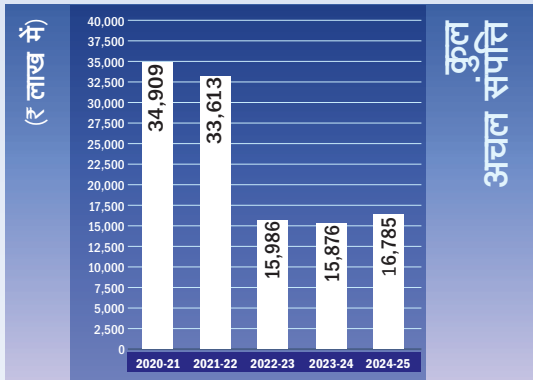
is currently Consultant Regulatory affairs at West Bengal Regulatory Commission since 11.12.2023; He is BE (Electronics) from Sardar Vallabhbhai Regional College of Engineering and Technology, Surat; MBA (HR) Gold Medalist University of Baroda; Some position held Additional Chief Engineer (South Zone) Bharuch; SE (SLDC), GETCO, 2019-23; EE (Testing) Detco, 2015-19; EE (Hotline) GETCO, 2013-15; Dy Engineer and JE at GETCO and GEB, 1989-2013; Some Notable Achievements and Participations : Presented papers in Domestic & International Conferences; Member of Research Advisory Committee at ERDA.

He has been appointed as an **Independent Director** w.e.f. 27.03.2025

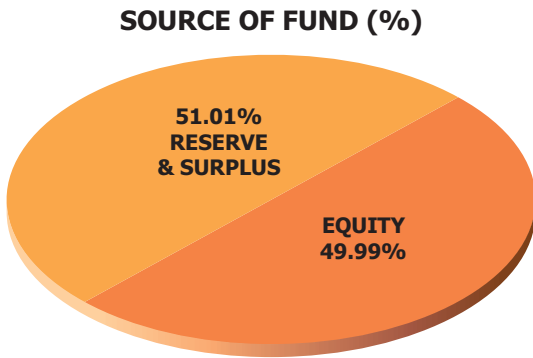
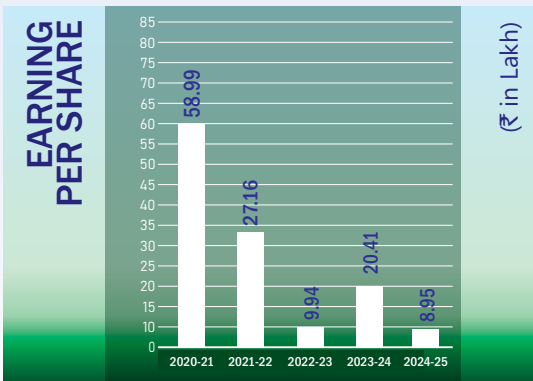
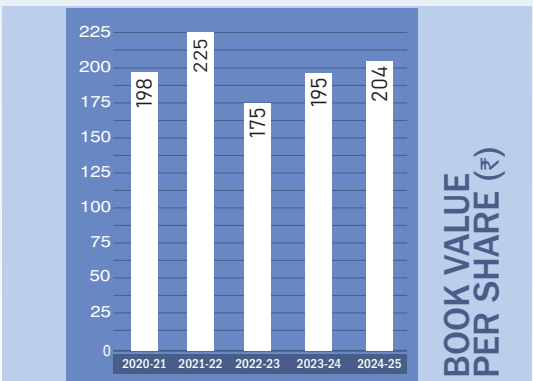
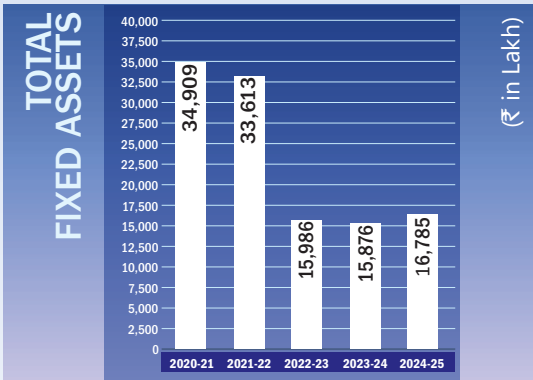
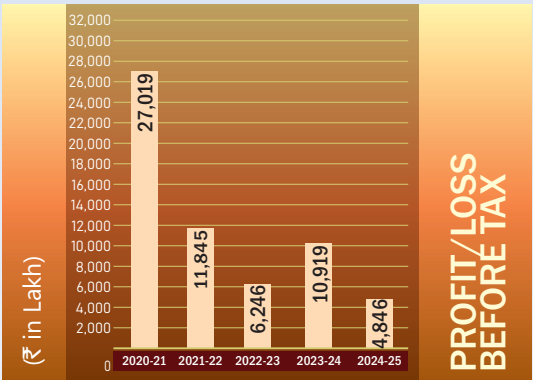


निदेशावकों की रूपरेखा 2024-25

DIRECTOR'S PROFILE 2024-25



ऊर्जा जीवन है इसे संरक्षित रखें



Energy is life..... Conserve it



डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

CIN: U40100DN2012GOI000405 (सरकार का उपक्रम)

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में,

सदस्यगण,

निदेशक मंडल को डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन निगम लिमिटेड (DNHDDPCL / the Corporation) के प्रदर्शन पर 13 वीं वार्षिक रिपोर्ट, 31 मार्च, 2025 को (FY) समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ प्रस्तुत करने में अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है।

1. महत्वपूर्ण प्रमुखताएं :

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मुख्य प्रदर्शन पर प्रकाश डाला गया है :

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल आय ₹ 9,478 लाख रही है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में निगम ने कर पूर्व लाभ ₹ 4,846 लाख की राशि प्राप्त की है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में निगम की निवल संपत्ति ₹ 79,557 लाख रही है।

अन्य चिन्हित शिलाएं :

अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता यानी निगम की सौर ऊर्जा क्षमता पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 6.47 मिलियन मेगावॉट के मुकाबले 6.09 मिलियन मेगावॉट रही, इस प्रकार 0.38 मिलियन मेगावॉट (6.24%) की वृद्धि देखी गई।

निगम ने सरकारी भवनों पर 218 नए रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित किए हैं। इससे सरकारी भवनों पर रूफटॉप और संयंत्रों की संख्या 97.44% हो गई है। निगम ने मई, 2025 तक अपनी स्थापना का 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने पूरक लेखापरीक्षा की है और निगम के वित्तीय टिप्पणियों पर लगातार छठी बार शून्य पैरा प्रमाणपत्र जारी किया है।

2. वित्तीय प्रदर्शन विशेषताएं :

31 मार्च 2025 समाप्त वर्ष के लिए निगम का वित्तीय प्रदर्शन यहाँ संक्षेप में दिया गया है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि निजीकरण के बाद निगम (DNHDDPCL) वर्तमान में बिजली उत्पादन (सौर) और बिजली पारेषण (दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव के यूटी प्रशासन के दिनांक 09.03.2022 के आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित स्थानांतरण योजना की अनुसूची 'सी' के अनुसार) से संबंधित कार्यों से जुड़ा हुआ है।

विवरण	(₹ लाख में)	
	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
संचालन से राजस्व	4,539	12,903
अन्य आय	4,939	4,605
कुल आय	9,478	17,508
अन्य प्रत्यक्ष व्यय (बिजली की खरीद)	—	1,648
परिचालन एवं रखरखाव व्यय	1,747	1,357
कर्मचारी लाभ व्यय	699	550
प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	1,028	1,692
वित्त लागत	—	16
मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	1,158	1,326
कुल व्यय	4,632	6,589
दर विनियमित गतिविधियाँ मूल्यांकन से पहले लाभ / (हानि)	4,846	10,919
दर विनियमित आय/(व्यय) मूल्यांकन	—	—
कर से पहले लाभ /(हानि)	4,846	10,919
कर व्यय	1,358	2,963
सतत संचालन से लाभ /(हानि)	3,488	7,956

2024-25 Annual Report

DNH and DD Power Corporation Limited

(A Govt. Undertaking) CIN: U40100DN2012GOI000405

Directors' Report

To,

The Members,

The Board of Directors has immense pleasure to present the 13th Annual Report on the performance of the **DNH and DD Power Corporation Limited** (i.e. DNHDDPCL / the Corporation) together with the Audited Financial Statements for the Financial Year (FY) ended 31st March 2025.

1. KEY HIGHLIGHTS:

The key performance highlights for the Financial Year 2024-25 are as under:

Total income in FY 2024-25 stood at ₹ 9,478 Lakh.

The Corporation has achieved a profit before tax of ₹ 4,846 Lakh for FY 2024-25.

The net worth of the Corporation for FY 2024-25 stood at ₹ 79,557 Lakh.

Other Milestones

The renewable power generation capacity i.e. the capacity of Solar Power Generation of the Corporation stood at 6.47 Million KWh as against 6.09 Million KWh during previous FY 2023-24, thus showing an increase of 0.38 Million KWh (6.24%).

The Corporation has installed 218 nos. of new rooftop solar plants on government buildings. This brings the milestone of government buildings with rooftop solar plants to 97.44%. The Corporation achieved 100% of its installation by May 2025.

CAG has conducted the supplementary audit and has issued the consequently sixth time NIL para certificate on the Financial Statements of the Corporation.

2. FINANCIAL PERFORMANCE HIGHLIGHTS:

The financial performance of the Corporation for the year ended March 31, 2025 is summarized hereunder. It may be noted that the Corporation (DNHDDPCL) currently remains associated with functions related to generation of electricity (solar) and transmission of electricity (as per the Schedule C of the Transfer Scheme notified in official gazette of UT Administration of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu on 09/03/2022) after the privatisation.

Particulars	(₹ in Lakh)	
	FY 2024-25	FY 2023-24
Revenue from Operations	4,539	12,903
Other Income	4,939	4,605
Total Income	9,478	17,508
Other Direct Expenses (Purchase of Power)	—	1,648
Operation and Maintenance Expenses	1,747	1,357
Employee Benefit Expenses	699	550
Administration and Other Expenses	1,028	1,692
Finance Costs	—	16
Depreciation and Amortization Expenses	1,158	1,326
Total Expenditure	4,632	6,589
Profit / (Loss) before Rate Regulated Activities	4,846	10,919
Rate Regulated Income / (Expenses)	—	—
Profit / (Loss) Before Tax	4,846	10,919
Tax Expenses	1,358	2,963
Profit / (Loss) from Continuing Operation	3,488	7,956



निदेशकों का प्रतिवेदन

(₹ लाख में)		
विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
अन्य व्यापक आय (निवल आय)	-	-
साल के लिए कुल व्यापक आय	3,488	7,956
जोड़े : पिछले वर्ष से आगे लायी गयी शेष	-	-
विनियोग के लिए उपलब्ध शेष राशि	3,488	7,956
अ) पिछले वर्ष के अंतिम लाभांश और कर चुकाया गया	-	-
ब) वर्तमान वर्ष के लिए अन्तरिम लाभांश और कर भुगतान किया गया	-	-
क) CSR निधि से स्थानांतरण	-	-
इ) CSR निधि को स्थानांतरण	-	-
तुलन पत्रक में शेष ले जाया गया	3,488	7,956
प्रति शेयर आय `में (इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य `100/- प्रत्येक)	8.95	20.41

भारतीय कंपनी वित्तीय मानक 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (Ind AS)के आधार पर इस वित्तीय प्रदर्शन का सारांश दिया गया है।

3. कार्यात्मक प्रदर्शन :

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, सौर संयंत्रों से बिजली का स्वयं का उत्पादन 6.47 मिलियन KWh था, जबकि पिछले वर्ष 2023-24 के दौरान यह 6.09 मिलियन KWh था। इसलिए, बिक्री के लिए उपलब्ध कुल बिजली 6.47 मिलियन KWh थी, इस प्रकार 0.38 मिलियन Kwh (6.24%) की वृद्धि देखी गई। उत्पादन में यह वृद्धि सरकारी भवनों पर स्थापित 218 नए रूफ-टॉप सौर संयंत्रों के पूर्ण होने और ग्रिड के साथ चालू होने के कारण हुई है।

4. परिचालन परिणाम :

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान परिचालन से कुल राजस्व ₹ 4,539 लाख (वित्त वर्ष 2023-24 में ₹ 12,903 लाख) था। निगम दो व्यवसायों में लगा हुआ है यानी बिजली का संचरण और बिजली की बिक्री (यानी सौर ऊर्जा) और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बिजली और सौर ऊर्जा के संचरण से राजस्व ₹ 6,197 लाख (वित्त वर्ष 2023-24 में ₹ 11,413 लाख) था।

तदनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर (यानी कर के बाद लाभ) के प्रावधान के बाद कुल व्यापक आय ₹ 3,488 लाख (वित्त वर्ष 2023-24 में ₹ 7,956 लाख) थी।

वित्तीय समीक्षा / विश्लेषण :

परिचालन के परिणाम (लाभ और हानि विश्लेषण का विवरण)

कंपनी के परिचालन के परिणामों का एक विस्तृत वित्तीय विश्लेषण नीचे प्रस्तुत किया गया है। निम्नलिखित पैराग्राफ में नोट का संदर्भ इस वार्षिक रिपोर्ट में शामिल वित्तीय वर्ष 2024-25 के वित्तीय विवरणों के नोट्स को संदर्भित करता है। जहां भी आवश्यक हो, पिछले वित्तीय वर्ष के आँकड़े पुनः समूहित / पुनः गठित किये गये हैं।

कुल आय (लाभ और हानि का विवरण)

कुल आय में मुख्य रूप से दो व्यवसायों अर्थात विद्युत पारेषण और विद्युत बिक्री (यानी सौर ऊर्जा) से प्राप्त आय और अन्य विविध आय शामिल हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान परिचालन से कुल राजस्व ₹ 4,539 लाख रहा, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह ₹ 12,903 लाख था। उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए टैरिफ याचिका में जेईआरसी द्वारा अनुमोदित पारेषण शुल्क में कमी के कारण चालू वर्ष का लाभ पिछले वर्ष की तुलना में कम रहा।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल आय ₹ 9,478 लाख थी (अर्थात परिचालन से राजस्व ₹ 4,539 लाख + अन्य आय ₹ 4,939 लाख)। वित्त वर्ष 2024-25 में, पारेषण और पारेषण संबंधी गतिविधियों से हमारी कुल आय का 60.77% हिस्सा प्राप्त हुआ, शेष राशि सौर ऊर्जा व्यवसाय की बिक्री और अन्य आय से प्राप्त हुई है। निगम की व्यावसायिक गतिविधियों में मुख्य रूप से विद्युत पारेषण और सौर ऊर्जा की बिक्री शामिल है, जिससे वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कुल मिलाकर ₹ 6,197 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ।

Directors' Report

(₹ in Lakh)		
Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
Other Comprehensive Income (Net of Tax)	-	-
Total Comprehensive Income for the year	3,488	7,956
Add: Balance brought forward from previous year	-	-
Balance available for Appropriations	3,488	7,956
a) Final Dividend and tax paid for previous year	-	-
b) Interim Dividend and tax paid for current year	-	-
c) Transfer from CSR Fund	-	-
d) Transfer to CSR Fund	-	-
Balance carried to Balance Sheet	3,488	7,956
Earnings per Share in ₹		
(Equity share having face value of ₹100/- each)	8.95	20.41

These financial performances have been summarized on the basis of Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under 'Companies Indian Accounting Standard Rules 2015'.

3. OPERATIONAL PERFORMANCE:

During FY 2024-25, the own generation of electricity from solar plants was 6.47 Million KWh as against 6.09 Million KWh during previous FY 2023-24. Hence, the total electricity available for sale was 6.47 Million kWh, thus showing an increase of 0.38 Million kWh (6.24%). The increase in generation due to 218 nos. of new roof-top solar plants completed on government buildings and commissioned with the grid.

4. OPERATIONAL RESULTS:

The total revenue from operations during FY 2024-25 was ₹4,539 Lakh (FY 2023-24 was ₹12,903 Lakh). The Corporation has engaged in two business i.e. Transmission of Power and Sale of Power (i.e. Solar Power) and the revenue from transmission of power and solar power during FY 2024-25 was ₹6,197 Lakh (FY 2023-24 was ₹11,413 Lakh).

Accordingly, the total comprehensive income after the provision of income tax (i.e. profit after tax) for FY 2024-25 was ₹3,488 Lakh (FY 2023-24 was ₹7,956 Lakh).

FINANCIAL REVIEW / ANALYSIS:

Results of Operations (Statement of Profit and Loss Analysis)

A detailed financial analysis of results of operations of the Corporation is furnished below. Reference to the Note in the following paragraphs refers to the Notes to the Financial Statements of FY 2024-25 included in this Annual Report. Figures of previous FY have been regrouped / rearranged, wherever necessary.

Total Income (Statement of Profit & Loss)

The total income mainly comprises of income from two business i.e. Transmission of Power and Sale of Power (i.e. Solar Power) and other miscellaneous income. The total revenue from operations during FY 2024-25 amounted to ₹ 4,539 Lakh, compared to ₹12,903 Lakh in FY 2023-24. It is noted that the profit for the current year was reduced compared to the previous year due to a reduction in the transmission tariff, as approved by JERC in the Tariff petition for FY 2024-25.

The total income for FY 2024-25 was ₹ 9,478 Lakh (i.e. Revenue from Operations ₹ 4,539 Lakh + Other Income ₹ 4,939 Lakh). In FY 2024-25, transmission and transmission-related activities constituted 60.77% of our total income, with the balance coming from sale of solar power business and other income. The Corporation's business activities primarily comprise of Transmission of Power and Sale of Solar Power, which gross collectively generated ₹ 6,197 Lakh in revenue during FY 2024-25.



परिचालन से राजस्व (टिप्पणी – 21)

संचालन से राजस्व का विवरण निम्नानुसार है : (₹ लाख में)

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
बिजली पारेषण से राजस्व	5,760	10,998
सौर ऊर्जा से राजस्व	437	415
कुल राजस्व	6,197	11,413
कम करें : ग्राहक को छूट की अनुमति	(79)	(168)
जोड़े : अन्य परिचालन आय	68	10
जोड़े : अन्य परिचालन आय	(1,648)	1,648
सतत संचालन से कुल राजस्व	4,539	12,903

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बिजली पारेषण से राजस्व ₹ 5,760 लाख (वित्त वर्ष 2023-24 ₹ 10,998 लाख) था। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पारेषण व्यावसाय के टैरिफ निर्धारण के लिए ARR याचिका में JERC द्वारा आंतरराज्यीय पारेषण शुल्क का मासिक टैरिफ ₹ 480 लाख स्वीकृत किया गया था।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा की बिक्री से राजस्व ₹ 437 लाख (वित्त वर्ष 2023-24 में ₹ 415 लाख) था। मासिक शुल्क, जमीन पर लगे सौर संयंत्रों और छत पर लगे सौर संयंत्रों से प्राप्त बिजली के लिए JERC द्वारा अनुमोदित स्तरीय टैरिफ के आधार पर निर्धारित किया गया था। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए उपभोक्ता को बेची गई कुल युनिट 6.47 मिलियन kWh (वित्त वर्ष 2023-24 में 6.09 मिलियन kWh) थी। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान जमीन पर लगे सौर संयंत्रों का औसत विक्रय मूल्य ₹ 6.44 प्रति यूनिट और छत पर लगे सौर संयंत्रों का ₹ 7.86 प्रति यूनिट था।

इस नियामक व्यवस्था के परिणामस्वरूप बिक्री बिलिंग योग्य राजस्व से कम हो सकती है, उक्त परिस्थितियों में, 'बिजली के संचरण से राजस्व मान्यता' पर लेखांकन नीति बिना बिल प्राप्तियाँ (अनुबंध परिसंपत्तियों) की मान्यता को अनिवार्य करती है। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, मेसर्स जीएमआर वरोरा एनर्जी लिमिटेड (GWEL) द्वारा 'कानून के दावों में बदलाव' के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 20.04.2023 के निर्णय के कारण निगम को बिजली खरीद लागत का सामना करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप बिक्री बिलिंग/ अनुमोदित टैरिफ दर (यानी बिजली खरीद लागत की वसूली न होने) के माध्यम से ₹ 1,648.00 लाख का कम राजस्व की प्राप्ति हुई, जिसे 'उपभोक्ता के लिए अनुबंध परिसंपत्ति' के स्वरूप में दर्ज किया गया था।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, संबंधित नियमों और बिजली खरीद समझौते (PPA) की सहमत शर्तों के अनुसार, उपभोक्ता (अर्थात डिस्कॉम) को पारेषण बिलों और सौर बिल की राशि ₹ 79 लाख (पिछले वित्त वर्ष 2023-24 ₹ 168 लाख) के तुरंत भुगतान पर त्वरित भुगतान छूट दी गई।

अन्य आय (टिप्पणी – 22)

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अन्य आय वित्त वर्ष 2023-24 ₹ 4,605 लाख से बढ़कर ₹ 4,939 लाख हो गई, जो ₹ 334 लाख की वृद्धि दर्शाती है। इस वृद्धि में योगदान देने वाले मुख्य घटक हैं :

ब्याज आय में ₹ 585 लाख की वृद्धि (अर्थात वित्त वर्ष 2024-25 में ₹ 4,682 लाख बनाम वित्त वर्ष 2023-24 में ₹ 4,097 लाख), जो बेहतर निधि उपलब्धता और ब्याज दरों में वृद्धि के कारण है।

स्कैप की बिक्री से ₹ 60 लाख की वृद्धि, जहाँ परिसंपत्तियों को पहले बिक्री के लिए रखा गया था।

कुल व्यय (लाभ एवं हानि का विवरण)

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल व्यय पिछले वित्त वर्ष ₹ 4,632 लाख की तुलना में ₹ 6,589 लाख था। व्यय का मुख्य घटक संचालन एवं रखरखाव, कर्मचारी लागत, मूल्यहास और प्रशासनिक एवं अन्य व्यय हैं। कुल व्यय का विवरण इस प्रकार है :

REVENUE FROM OPERATIONS (NOTE – 21)

The details of revenue from operations as under; (₹ in Lakh)

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
Revenue from Transmission of Power	5,760	10,998
Revenue from Solar Power	437	415
Gross Revenue	6,197	11,413
Less: Rebate allowed to Consumer	(79)	(168)
Add: Other Operating Income	68	10
Add: Contract Asset towards consumers	(1,648)	1,648
Total Revenue from Operations	4,539	12,903

The revenue from transmission of power during FY 2024-25 was ₹5,760 Lakh (FY 2023-24: ₹10,998 Lakh). The monthly tariff of intra-state transmission charges ₹480 Lakh was approved by the JERC in the ARR petition for the tariff determination of the transmission business for the FY 2024-25.

The revenue from sale of Renewable Power during FY 2024-25 was ₹437 Lakh (FY 2023-24: ₹415 Lakh). The monthly tariff was derived on the basis of JERC approved levelised tariff for power from ground mounted solar plants and roof-top solar plants. The total unit sold to consumers for FY 2024-25 was 6.47 Million kWh (FY 2023-24 was 6.09 Million kWh). The average selling price during FY 2024-25 for ground mounted solar plants was ₹6.44 per unit and for roof-top solar plants was ₹7.86 per unit.

This regulatory framework can result in sales billing being less than the eligible revenue. In such circumstances, the accounting policy on 'Revenue recognition from transmission of power' mandates the recognition of unbilled receivables (Contract Assets). During the previous FY 2023-24, the Corporation incurred Power Purchase Cost due to the Hon'ble Supreme Court's judgement dated 20.04.2023 regarding "change in law claims" by M/s GMR Warora Energy Limited (GWEL). This resulted in a realization of ₹1,648.00 Lakh less revenue through sales billing/approved tariff rate (i.e., non-recovery of power purchase cost), which was recorded as a 'Contract Asset towards consumer'. This amount has been reversed and adjusted in the current financial year through sales billing.

During the FY 2024-25, the prompt payment rebate was given to the consumer (i.e. Discom) on promptly payment of transmission bills and solar bills amount to ₹79 Lakh (FY 2023-24: ₹168 Lakh), in accordance with respective regulations and agreed terms of the Power Purchase Agreement (PPA).

Other Income (Note – 22)

Other Income for FY 2024-25 increased to ₹ 4,939 Lakh from ₹4,605 Lakh in FY 2023-24, representing an increase of ₹ 334 Lakh. The primary components contributing to this increase are:

An increase in interest income of ₹ 585 Lakh (i.e., ₹ 4,682 Lakh in FY 2024-25 vs. ₹ 4,097 Lakh in FY 2023-24), attributable to improved fund availability and an increase in interest rates.

An increase of ₹ 60 Lakh from the sale of scrap, where the assets were previously classified as held for sale.

Total Expenditure (Statement of Profit & Loss)

The total expenditure for FY 2024-25 was ₹ 4,632 Lakh as compare to previous FY was ₹ 6,589. The main component of the expenditure is Operation & Maintenance, Employee Cost, Depreciation and Administrative & Other Expenses. The details of the total expenditure as under;



निदेशकों का प्रतिवेदन

(₹ लाख में)		
विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
कुल व्यय :		
अन्य प्रत्यक्ष व्यय (बिजली खरीद की टिप्पणी)	–	1,648
संचालन और रखरखाव व्यय	1,747	1,357
कर्मचारी लाभ व्यय	699	550
प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	1,028	1,692
वित्त लागत	–	16
मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	1,158	1,326
कुल व्यय	4,632	6,589

अन्य प्रत्यक्ष व्यय (बिजली की खरीद) (टिप्पणी – 23)

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, निगम के वितरण व्यवसाय से पारेषण व्यवसाय में परिवर्तन के कारण किसी भी जनरेटर से कोई वास्तविक बिजली की खरीद नहीं हुई है। हालांकि, लाभ और हानि विवरण में दिखायी गयी ₹1,648 लाख की बिजली की खरीद राशि, मेसर्स GMR वरोरा एनर्जी लिमिटेड (GWEL) द्वारा कानून में बदलाव के दावों के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20/04/2023 को पारित निर्णय के कारण किए गए व्यय का प्रतिनिधित्व करती है। जबकि, वित्त वर्ष 2019-20 में, निगम ने मेसर्स GWEL द्वारा कानून में बदलाव के दावों के कारण बिजली खरीद व्यय से संबंधित आकस्मिक देयता को JERC टैरिफ के माध्यम से बिजली की खरीद लागत के रूप में उपभोक्ताओं से वसूली योग्य बताया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में, यह देयता वित्त वर्ष 2023-24 में स्पष्ट हो गई और इसका निपटान कर दिया गया तथा इसे वर्तमान वित्तीय विवरणों में 'अन्य प्रत्यक्ष व्यय (बिजली की खरीद)' के रूप में लेखांकित किया गया, जो निगम की उपार्जन-आधारित सामग्री लेखांकन नीति और प्रासंगिक भारतीय लेखांकन मानकों के प्रावधानों का पालन करता है।

संचालन एवं रखरखाव व्यय (टिप्पणी – 24)

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संचालन और रखरखाव व्यय ₹ 1,747 लाख (पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में ₹ 1,357 लाख) था। उक्त खर्चों के प्राथमिक घटक इस प्रकार हैं :

- सभी स्टेशनों के O&M की राशि ₹ 470 लाख,
- ट्रांसफार्मर, लाइनेस नेटवर्क और अन्य विद्युत उपकरण रखरखाव व्यय राशि ₹ 596 लाख,
- O&M और सुरक्षा के लिए मैन पावर की लागत ₹ 299 लाख,
- O&M और कार्यालय के लिए वाहन की लागत ₹ 74 लाख है,
- भंडार और पूंजों की लागत ₹ 87 लाख है,
- कार्यालय रखरखाव व्यय यानी लिफ्ट सेवाएँ, AC सेवाएँ, विद्युत शुल्क, कंप्यूटर और प्रिंटर सेवाएँ और CCTV की राशि ₹ 108 लाख और
- JERC याचिका शुल्क ₹ 113 लाख।

कर्मचारी लाभ व्यय (टिप्पणी – 25)

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी लाभ व्यय ₹ 699 लाख था, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए यह ₹ 550 लाख की तुलना में ₹ 149 लाख की वृद्धि है। यह वृद्धि मुख्य रूप से कर्मचारी लाभ योजनाओं के प्रावधान पर भारतीय लेखा मानक - 19 की आवश्यकताओं के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के कारण हुई है।

वित्त लागत (टिप्पणी – 26)

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वित्त लागत ₹ शून्य थी, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में आयकार विभाग को भुगतान किए गए स्व-मूल्यांकन के कारण ₹ 16 लाख थी।

प्रशासन और अन्य व्यय (टिप्पणी – 27)

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रशासन व्यय और अन्य व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 के ₹ 1,692 लाख की तुलना में ₹ 1,028 लाख था, यानी इस प्रकार ₹ 664 लाख की कमी देखी गई। उक्त कमी मुख्यतः निम्नलिखित के कारण थी :

वैधानिक CSR (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व) खर्च के कारण ₹ 107 लाख (वित्त वर्ष 2024-25 के ₹ 193 लाख के सामने वित्त वर्ष 2023-24 के ₹ 300 लाख) की कमी।

Directors' Report

(₹ in Lakh)		
Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
Total Expenses:		
Other Director Expenses (Purchase of Power)	–	1,648
Operation & Maintenance Expenses	1,747	1,357
Employee Benefits Expenses	699	550
Administrative & Other Expenses	1,028	1,692
Finance Costs	–	16
Depreciation & Amortization	1,158	1,326
Total Expenditure	4,632	6,589

Other Direct Expenses (Purchase of Power) (Note – 23)

During FY 2023-24, there is no actual power purchase from any generators due to the change in business of the Corporation from distribution business to transmission business. However, the Purchase of Power amount of ₹ 1,648 Lakh shown in the profit & loss statement represents the expense incurred on account of the judgement dated 20/04/2023 passed by the Hon'ble Supreme Court of India in the matter of change in law claims by M/s GMR Warora Energy Limited (GWEL). Whereas, in FY 2019-20, the Corporation recognized a contingent liability related to power purchase expenses on account of change-in-law claims by M/s GWEL. This contingent liability was disclosed further as to be recoverable from consumers as Purchase of Power cost through JERC tariff. Following the judgment of Hon'ble Supreme Court, this liability crystallized in FY 2023-24 and was settled and accounted for as a 'Other Direct Expenses (Purchase of Power)' in the previous year financial statements, complying with the Corporation's accrual-based Material Accounting Policy and provisions of relevant Indian Accounting Standards.

Operation & Maintenance Expenses (Note – 24)

The Operation and Maintenance Expenses for FY 2024-25 amounted to ₹1,747 Lakh (Previous FY 2023-24: ₹1,357 Lakh). The primary components of these expenses are:

- O&M of all sub-stations ₹ 470 Lakh,
- Transformer, Lines Network and other electrical equipment maintenance expenses ₹ 596 Lakh,
- Man Power cost for O&M and security works ₹ 299 Lakh,
- Vehicle cost for O&M and office works ₹ 74 Lakh,
- Stores and spares cost ₹ 87 Lakh,
- Office Maintenance expenses i.e. Lift services, AC services, Electricity Charges, Computers & Printer services and CCTV ₹ 108 Lakh and
- JERC petition Fees ₹ 113 Lakh.

Employee Benefits Expenses (Note – 25)

The Employee Benefits Expenses for FY 2024-25 were ₹ 699 Lakh, an increase of ₹149 Lakh compared to ₹ 550 Lakh in the previous FY 2023-24. This increase is primarily due to actuarial valuation, as per the requirements of Ind AS-19 on the provisioning of employee benefit plans.

Finance Costs (Note – 26)

The finance costs for FY 2024-25 was ₹ NIL as compared to previous FY 2023-24 was ₹ 16 Lakh on account for self-assessment tax paid to Income Tax Authorities.

Administration and Other Expenses (Note – 27)

The Administration and Other Expenses for FY 2024-25 was ₹ 1,028 Lakh as compared to ₹ 1,692 Lakh for previous FY 2023-24 i.e. thus showing an decrease of ₹ 664 Lakh. This reduction is mainly attributed to ;

A decrease of ₹ 107 Lakh (₹ 193 Lakh in FY 2024-25 vs. ₹ 300 Lakh in FY 2023-24) in statutory Corporate Social Responsibility (CSR) expenses.



अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए वैधानिक आरक्षित निधि के अनुसार अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान में ₹ 364 लाख (वित्त वर्ष 2024-25 के ₹ 179 लाख के सामने वित्त वर्ष 2023-24 के ₹ 543 लाख) की कमी पाई गई।

मूल्यहास (टिप्पणी – 1 & 3)

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मूल्यहास ₹ 1,158 लाख था, पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के ₹ 1,326 लाख की तुलना में ₹ 168 लाख की मामूली कमा है। यह कमी निम्नलिखित कारणों से है : 1) नए CERC MYT विनियमन, 2024 में मूल्यहास की दरें कम कर दी गई हैं और 2) चूंकि कुछ संपत्तियाँ अपने अवशिष्ट मूल्य तक पहुँच गई हैं, इसलिए उन संपत्तियों के लिए आगे मूल्यहास कटौती की आवश्यकता नहीं है।

इसके अलावा, निगम ने वित्त वर्ष 2024-25 में कुल ₹ 2,106 लाख की नई परिसंपत्तियाँ को सफलतापूर्वक चालू किया। ये नई परिसंपत्तियाँ मुख्य रूप से रूफ-टॉप सौर परियोजनाओं से संबंधित हैं, जिनमें ₹ 1,828 लाख की कुल लागत से 218 नई साइटें पूरी होकर ग्रिड से जुड़ गई हैं।

कर एवं अन्य व्यापक आय से पहले लाभ / हानि (लाभ और हानि का विवरण)

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए निगम का कर पूर्व लाभ ₹ 4,846 लाख रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह ₹ 10,919 लाख था। यह लगातार तीसरा वर्ष है जब निगम ने ₹ 4,500 लाख से अधिक का कर-पूर्व लाभ अर्जित किया है, जो वितरण व्यवसाय से पारेषण व्यवसाय में परिवर्तन के बाद एक मज़बूत वित्तीय स्थिति को दर्शाता है।

कर व्यय (टिप्पणी – 20)

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पिछले वित्त वर्ष ₹ 2,963 लाख की तुलना में ₹ 1,358 लाख का आयकर प्रावधान है।

कर के बाद लाभ / हानि और कुल व्यापक आय (लाभ और हानि का विवरण)

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर के प्रावधान के बाद कुल व्यापक आय (यानी कर के बाद लाभ) ₹ 3,488 लाख है। (पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹ 7,956 लाख) था।

वित्तीय स्थिति (तुलन पत्रक विश्लेषण)

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद वार्षिक रिपोर्ट की तिथि तक कोई भी भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ नहीं हुई हैं, जो निगम की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती है। निगम की वित्तीय स्थिति का वित्तीय विश्लेषण नीचे दिया गया है। निम्नलिखित पैराग्राफ में नोट्स का संदर्भ इस वार्षिक रिपोर्ट में शामिल वित्त वर्ष 2024-25 के वित्तीय विवरणों के नोट्स को संदर्भित करता है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (PPE) एवं अवास्तविक परिसंपत्तियाँ (टिप्पणी – 1 एवं 3)

मूल्यहास एवं ऋण परिशोधन की PPE एवं अवास्तविक परिसंपत्तियाँ 31 मार्च, 2025 को ₹ 41,820 लाख की तुलना में 31 मार्च, 2024 को ₹ 39,714 लाख थी, जिसके फलस्वरूप ₹ 2,106 लाख की वृद्धि दर्शाती है। उक्त वृद्धि मुख्य रूप से नई अचल परिसंपत्तियों के पूंजीकरण कारण हुई, जिनमें मुख्य रूप से रूफ-टॉप सौर परियोजना शामिल हैं।

प्रगति पर पूंजीगत कार्य (CWIP) (टिप्पणी - 2)

31 मार्च, 2025 तक प्रगति पर पूंजीगत कार्य ₹ 511 लाख था, (वित्त वर्ष 2023-24 में ₹ 550 लाख था) जिसमें निर्माणाधीन परिसंपत्तियों पर व्यय की जा रही राशि शामिल है, अर्थात् DNH में विभिन्न स्थायी स्थानों पर ₹ 261.27 लाख का सौर संयंत्र और ₹ 249.33 लाख का भवन निर्माण (दादरा सब-स्टेशन)।

कुल वर्तमान परिसंपत्तियाँ (टिप्पणी – 5 से टिप्पणी – 9)

वर्तमान परिसंपत्तियाँ जिसके अंतर्गत मुख्यतः O&M वस्तु-सूचि, व्यापार प्राप्तियाँ, नकद एवं बैंक शेष, ऋण एवं अग्रिम, अन्य वसूलीय एवं पूर्व प्रदत्त व्यय 31 मार्च 2025 के ₹ 67,869 लाख की तुलना में 31 मार्च 2024 तक ₹ 64,690 लाख था। इस प्रकार ₹ 3,179 लाख की वृद्धि परिलक्षित हुई। यह वृद्धि मुख्य रूप से नकदी और बैंक शेष के कारण हुई।

बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर-वर्तमान आस्तियाँ (टिप्पणी – 10)

बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियों को वर्गीकृत किया गया है, जिसमें अधिशेष बुनियादी ढांचा शामिल है जिसे नष्ट कर दिया गया है। निगम ने सिलवासा नगर परिषद क्षेत्र में झंडा चौक, सिलवासा में नये 66/11 KV GIS सब-स्टेशन के निर्माण के साथ-साथ भूमिगत केबल बिछाने का काम पूरा कर लिया है। उक्त परियोजना वित्त वर्ष 2020-21 में पूर्ण और चालू हो गयी है। उक्त परियोजना के पूरा करने के लिए औवरहेड लाइनों, वितरण ट्रांसफार्मर और अन्य संबंधित उपकरणों के अधिशेष ढांचे के निपटान की आवश्यकता थी। चूंकि उक्त भूमिगत केबल परियोजना को GIS सब-स्टेशन और 66/11 सघन सब-स्टेशन (CSS) जैसे बिजली वितरण में नयी तकनीक



A decrease in the provision for bad and doubtful debts of ₹ 364 Lakh (₹ 179 Lakh in FY 2024-25 vs. ₹ 543 Lakh in FY 2023-24), in accordance with the statutory reserve policy for bad and doubtful debts.

Depreciation (Note – 1 & 3)

Depreciation for FY 2024-25 was ₹1,158 Lakh, a marginal decrease of ₹168 Lakh compared to ₹1,326 Lakh in the previous FY 2023-24. This decrease is due to the 1) rates of depreciation is decreased in the new CERC MYT Regulation, 2024 and 2) as some assets reached their residual value, thus no further depreciation deduction was required for those assets.

Further, the Corporation successfully commissioned new assets totaling ₹2,106 Lakh in FY 2024-25. These new assets primarily relate to Roof-Top Solar Projects, with 218 new sites completed and commissioned with the grid, at a total cost of ₹1,828 Lakh.

Profit / Loss before Tax and Other Comprehensive Income (Statement of Profit & Loss)

The profit before tax of the Corporation for FY 2024-25 was ₹4,846 Lakh as compared to previous FY was ₹10,919 Lakh. This marks the third consecutive year where the Corporation has achieved a profit before tax exceeding ₹4,500 Lakh, demonstrating a robust financial standing following the transition from a distribution business to a transmission business.

Tax Expenses (Note – 20)

The provision for income tax for FY 2024-25 was ₹ 1,358 Lakh as compare to previous FY was ₹ 2,963 Lakh..

Profit / Loss after Tax and Total Comprehensive Income (Statement of Profit & Loss)

The total comprehensive income after the provision of income tax (i.e. profit after tax) for FY 2024-25 was ₹ 3,488 Lakh (Previous FY 2023-24 was ₹ 7,956 Lakh) .

FINANCIAL POSITION (BALANCE SHEET ANALYSIS)

No material changes and commitments have occurred after the close of the financial year till the date of the Annual Report, which affect the financial position of the Corporation. Financial Analysis of financial position of the Corporation is furnished below. Reference to the Note in the following paragraphs refers to the Notes to the Financial Statements of FY 2024-25 included in this Annual Report.

Property, Plant & Equipments (PPE) and Intangible Assets (Note – 1 and 3)

The PPE and Intangible Assets net of depreciation and amortization as on 31st March 2025 was ₹ 41,820 Lakh as compared to ₹ 39,714 Lakh as on 31st March 2024, thereby registering an increase of ₹ 2,106 Lakh. The said increase was mainly on account of capitalization of new fixed assets mainly Roof-Top Solar Projects.

Capital Work in Progress (CWIP) (Note – 2)

Capital Work in Progress as on 31st March 2025 was ₹ 511 Lakh (FY 2023-24 was ₹ 550 Lakh) includes the amount being incurred on assets under construction i.e. Solar Plant at various location in DNH of ₹ 261.27 Lakh and Construction of Building (Dadra Sub-Station) of ₹ 249.33 Lakh.

Total Current Assets (Note – 5 to Note – 9)

The current assets comprising of mainly O&M inventories, trade receivables, cash and bank balances, loans and advances, other recoverable and prepaid expenses was ₹ 67,869 Lakh as on 31st March, 2025 in comparison to ₹ 64,690 Lakh as on 31st March, 2024, thus showing an increase of ₹ 3,179 Lakh. The increase was mainly on account of cash and bank balances.

Non-Current Assets classified as held for sale (Note – 10)

The non-current assets classified as held for sale comprising of surplus infrastructure which is dismantled. The Corporation has completed and commissioned underground cabling works in Silvassa Municipal Council area along with construction of new 66/11 KV GIS substation at Zanda Chowk, Silvassa. The said project has completed and commissioned in FY 2020-21. The completion of said project necessitated disposal of overhead lines, distribution transformers and other associated equipments being surplus infrastructure. As the said underground cabling project has been carried out with new technology in electricity distribution such as GIS



के साथ किया गया है, इसलिए, उक्त अधिशेष बुनियादी ढांचे को कुछ समय के लिए उपयोग में रखा गया ताकि विश्वसनीयता सुनिश्चित हो और नये बुनियादी ढांचे के साथ आपूर्ति हो। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, उक्त अधिशेष बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया गया है, और वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में ₹159 लाख में बिक्री के लिए रखी गयी गैर-वर्तमान संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ये परिसंपत्तियों अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हैं और प्रबंधन को यथोचित विश्वास है कि इसका निपटान अत्यधिक संभव है। निगम, एक सरकारी संस्था होने को नाते, ई-लीलामी के माध्यम से इन परिसंपत्तियों के निपटान के लिए MSTC लिमिटेड (मेटल स्कैप ट्रेड कोर्पोरेशन लिमिटेड) को नियुक्त किया है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में, गैर-चालू परिसंपत्तियों की बिक्री कर दी गई और वर्ष 2024-25 के अंत में बिक्री लिए रखी गऊ गैर-चालू परिसंपत्तियों का शेष ₹ शून्य रह गया।

निवल मूल्य (टिप्पणी – 11 एवं 12)

वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में कंपनी के लाभ द्वारा उत्पन्न प्रदत्त शेयर पूंजी तथा राजस्व भंडार का शुद्ध मूल्य ₹ 79,557 लाख के मुकाबले वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में ₹ 76,069 लाख जिससे ₹ 3,488 लाख की वृद्धि दर्ज की गई। उक्त वृद्धि मुख्य रूप से चालू वर्ष के मुनाफे से बनाए गए राजस्व भंडार में वृद्धि के कारण हुई।

गैर वर्तमान वित्तीय एवं अन्य देयताएँ (टिप्पणी – 13 से 16)

गैर वर्तमान वित्तीय एवं अन्य देनदारियां, जिसमें उपभोक्ताओं से सुरक्षा जमा और आस्थगित कर देनदारियां 31 मार्च 2025 को कुल ₹ 1,968 लाख शामिल थी, जबकि 31 मार्च 2024 को ₹ 2,405 लाख थीं, इस प्रकार ₹ 437 लाख की कमी देखी गई। यह कमी मुख्य रूप से प्रावधान में कमी के कारण हुई।

NSPCL बिजली खरीद के लिए प्रावधान पहले दो महिने (जनवरी 2014 और फरवरी 2014) के लिए क्षमता शुल्क के भुगतान देरी के कारण देय राशि प्रतिनिधित्व करता था, जो 57 महीने की देरी के बाद दिसंबर 18, 2018, को निपटाया गया था। पावर परचेज एग्रीमेंट की सहमत शर्तों के अनुसार, विलंबित भुगतान अधिभार केवल क्षमता शुल्क और ऊर्जा शुल्क के देर से भुगतान पर लागू था। तदनुसार, अंतिम देय राशि, कुल ₹ 536.95 लाख, का निपटारा कर दिया गया है और इस मामले में पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में NSPCL को भुगतान कर दिया गया है। नतीजतन, बकाया प्रावधान राशि अब ₹ शून्य है। इसके अलावा निगम ने निपटान की सहमत शर्तों के अनुसार विद्युत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण से संबंधित मामला वापस ले लिया है।

वर्तमान वित्तीय एवं अन्य देयताएँ (टिप्पणी – 17 से 20)

वर्तमान वित्तीय और अन्य जेनदारियों में मुख्यतः वर्तमान उधारी, व्यापार और अन्य देय, जमा कार्यों के लिए देय, उपभोक्ताओं के प्रति देयता, प्रावधान, वर्तमान कर देयता और अन्य देनदारियां 31 मार्च 2025 के ₹ 3,148 लाख की तुलना में 31 मार्च 2024 को ₹ 2,269 लाख थी। इस प्रकार ₹ 879 लाख की कमी दर्शाता है। उक्त वृद्धि मुख्यतः व्यापार एवं अन्य देय में कमी के कारण थी।

वित्तीय एक नज़र में:

प्रमुख वित्तीय अनुपातों के साथ पिछले चार वर्षों के लिए DNHDDPCL के वित्तीय प्रदर्शन को “वित्तीय एक नज़र में” के रूप में संक्षेपित किया गया है तथा अनुबंध – ए के रूप में संलग्न किया गया है।

बैलेंस शीट की तिथि के बाद घटित घटनाएँ (नोट – 42)

2020 में दादरा और नगर हवेली (DNH) और दमण और दीव (DD) केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के विलय के बाद विद्युत विभाग DNH और विद्युत विभाग DD, विद्युत पारेषण के संबंध में स्वतंत्र रूप से कार्य करते रहे। इसके परिणामस्वरूप, संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (JERC) के पास अलग-अलग टैरिफ दाखिल किए गए और परिणामस्वरूप, एकीकृत केंद्र शासित प्रदेश में तीन अलग-अलग टैरिफ (ED-DNH, ED-DD और DNH और DD पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए एक-एक) निर्धारित किए गए। इस अव्यवस्था को दूर करने, संचालन को सुव्यवस्थित करने, संसाधनों के उपयोग में सुधार लाने और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में एक समान सेवा वितरण और टैरिफ सुनिश्चित करने के लिए, विद्युत पारेषण व्यवसाय के निगमीकरण का प्रस्ताव रखा गया।

विद्युत अधिनियम 2003, की धारा 131, 133 और 134 के तहत प्रदत्त उपर्युक्त उद्देश्यों और शक्तियों के अनुरूप, दादरा और नगर हवेली और दमण और दीव के केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने अधिसूचना संख्या DNHDDPCL/01/2022/HR&ADMIN/135 दिनांक 01 अप्रैल, 2025, के माध्यम से “दादरा और नगर हवेली और दमण और दीव विद्युत (पुनर्गठन और सुधार) हस्तांतरण योजना, 2025” को अधिसूचित किया। यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2025 से विद्युत विभाग DNH और विद्युत विभाग DD दोनों के विद्युत पारेषण व्यवसाय का मौजूदा DNH और DD पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DNHDDPCL) में निगमीकरण करने का आदेश देती है। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य 220 KV और 66 KV सब-स्टेशनों और ट्रांसमिशन लाइनों के प्रबंधन सहित ट्रांसमिशन नेटवर्क पर नियंत्रण को केंद्रीकृत करना और JERC के समक्ष एकल टैरिफ याचिका दायर करने में सक्षम बनाना है।

substations and 66/11 KV compact sub-station (CSS), hence, the said surplus infrastructure as kept in use for some time to ensure the reliability and uninterrupted supply with new infrastructure. During the current financial year, the said surplus overhead infrastructure is dismantled and classified as Non-current assets held for sale to ₹ 159 Lakh at the end of FY 2023-24.

These assets are available for immediate sale in its present condition and the management is reasonably certain that disposal of the same is highly probable. The Corporation being the Government Entity has engaged MSTC Limited (Metal Scrap Trade Corporation Limited) for the disposal of these assets through e-auction mode. In current FY 2024-25, the non-current assets were sold and at the end of FY 2024-25 the balance of Non-current assets held for sale to ₹ NIL.

Net worth (Note – 11 & 12)

The net worth comprising of paid up share capital and revenue reserves created out of the profits of the Corporation at the end of FY 2024-25 stands to ₹ 79,557 Lakh as against ₹ 76,069 Lakh at the end of FY 2023-24, thereby registering an increase of ₹ 3,488 Lakh. The said increase was mainly on account of increase in revenue reserves created out of the current year's profits.

Non-Current Financial and Other Liabilities (Note – 13 to 16)

The non-current financial and other liabilities, which includes security deposit from consumers and deferred tax liabilities was ₹1,968 Lakh as on 31st March, 2025 in comparison to ₹2,405 Lakh as on 31st March 2024, thus showing a decrease of ₹437 Lakh. The decrease was mainly on account of decrease in provisions.

The provision for NSPCL power purchase previously represented the amount payable due to delayed payment of Capacity Charges for two months (January 2014 and February 2014), which was settled on December 18, 2018, after a delay of 57 months. As per the agreed terms of the Power Purchase Agreement, delayed payment surcharge was applicable only on late payments of capacity charges and energy charges. Accordingly, the final payable amount, totaling ₹536.95 Lakh, has since been settled and paid to NSPCL as a full and final settlement in this matter. Consequently, the outstanding provision amount is now NIL. Furthermore, the Corporation has withdrawn the related case from the Appellate Tribunal for Electricity as per the agreed terms of settlement.

Current Financial and Other Liabilities (Note – 17 to Note – 20)

The current financial and other liabilities comprising of mainly trade and other payables, payable towards deposit works, liability towards consumers, provisions, current tax liability and other liabilities was ₹ 3,148 Lakh as on 31st March 2025 in comparison to ₹ 2,269 Lakh as on 31st March 2024, thus showing a increase of ₹ 879 Lakh. The increase was mainly on account of decrease in Trade and Other Payables.

Financials at a Glance :

The financial performance of DNHDDPCL for the last three financial years along with the key financial ratios is summarized as “Financials at a Glance” and enclosed as **Annexure – A.**

Events Occurring After the Balance Sheet Date (Note - 42)

After the merger of the Union Territories (UTs) of Dadra and Nagar Haveli (DNH) and Daman and Diu (DD) in 2020, the Electricity Department-DNH and Electricity Department-DD continued to operate independently concerning electricity transmission. This led to separate tariff filings with the Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) and consequently, three distinct tariffs across the unified UT (one each for ED-DNH, ED-DD, and the DNH and DD Power Corporation Limited). To address this disorganization, streamline operations, improve resource utilization, and ensure uniform service delivery and tariffs across the entire Union Territory, a proposal for the corporatization of the electricity transmission business was put forth.

In line with the aforementioned objectives and powers conferred to it under the Section 131, 133 and 134 of the Electricity Act, 2003, the UT Administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu, via notification no. DNHDDPCL/01/2022/HR&ADMIN/135 dated April 01, 2025, notified "THE DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU ELECTRICITY (REORGANISATION AND REFORMS) TRANSFER PLAN, 2025." This notification mandates the corporatization of the electricity transmission business of both Electricity Department-DD and Electricity Department-DNH into the existing DNH and DD Power Corporation Limited (DNHDDPCL) with effect from April 01, 2025. This strategic move aims to centralize control over the transmission network, including the management of 220 KV and 66 KV substations and transmission lines, and enable the filing of a single tariff petition before JERC.



निदेशकों का प्रतिवेदन

हस्तांतरण योजना, 2025 के अनुसार, 31 मार्च, 2023 तक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर, परिसंपत्तियों और देनदारियों का वहन मूल्य ₹43,379 लाख था। ये वहन मूल्य वास्तविक स्थानांतरण तिथि, अर्थात् 01 अप्रैल, 2025 को परिवर्तन के अधीन हैं, और यह ED-DD और ED-DNH के अंतिम विलयित बैलेंस शीट की एक अलग अधिसूचना में परिलक्षित होगा। उक्त स्थानांतरण के बाद, DNHDDPCL विलयित अंतिम बैलेंस शीट की अधिसूचित अलग अधिसूचना के अनुसार परिसंपत्तियों और देनदारियों को उनके शुद्ध वहन मूल्य पर समाहित करेगा और मौजूदा शेयरधारकों को संबंधित इक्विटी शेयर पूंजी जारी करेगा।

5. लाभांश :

चालू वित्त वर्ष 2024-25 में निगम के वित्तीय प्रदर्शन में उल्लेखनीय बदलाव आया है, निगम ने कर के बाद वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹ 3,488 लाख का लाभ हासिल किया है और बेहतर वित्तीय स्थिति प्राप्त की है। हालांकि, भविष्य की परियोजनाओं के लिए धन की आवश्यकता और GMR वरोरा एनर्जी लिमिटेड के साथ चल रहे वाणिज्यिक मुकदमे को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इक्विटी शेयरधारकों को कोई लाभांश घोषित नहीं करने का प्रस्ताव है। इसलिए निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इक्विटी शेयरधारकों को किसी लाभांश की सिफारिश नहीं करने का निर्णय लिया है।

6. शेयर पूंजी :

DNHDDPCL एक सरकारी कंपनी है, जिसमें गृह मंत्रालय (MHA) के प्रशासनिक नियंत्रण के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति और नामितों द्वारा 100% शेयरधारिता है। निगम के पास शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसका मूल्य ₹ 100/- प्रत्येक को लाभांश और वोट के लिए समान अधिकार प्राप्त हैं। कुल इक्विटी चुकता शेयर पूंजी 31 मार्च, 2025 को ₹ 38,974 लाख की अधिकृत पूंजी के खिलाफ ₹ 50,000 लाख। वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में पिछले वर्ष 2023-24 के दौरान शेयर पूंजी में कोई बदलाव नहीं हुआ।

7. आरक्षण में हस्तांतरण :

आपके निदेशक द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में आरक्षित निधी में स्थानांतरण करने का प्रस्ताव नहीं है।

8. सुधार प्रणाली उपक्रम :

अ. निगम ने व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। निगम ने निम्नलिखित प्रमुख उपलब्धियाँ हासिल की और निरंतर अबाधित बिजली आपूर्ति की है।

1. तेल के ब्रेकडाउन वोल्टेज (BDV) में सुधार करके ट्रांसफार्मर के जीवन को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ड्राईंग यूनिट प्रणाली (ODUS) की स्थापना।
2. DNH के विभिन्न सरकारी भवनों में सोलर रूफ टॉप प्लांट की स्थापना।
3. विभिन्न सब-स्टेशनों पर ट्रांसफॉर्मर बे, ब्रेकर, बैटरी, लाइटिंग अरेस्टर और अन्य उपकरणों की स्थापना।
4. 24/7 निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा ट्रांसफार्मर और लाइनों का व्यवस्थित और निर्धारित संचालन और रखरखाव।

ब. ट्रांसमिशन प्रणाली उपलब्धता :

वित्त वर्ष 2024-25 में निगम ने JERC मानक मानदंड TSA 98.50% के मुकाबले 98.80% ट्रांसमिशन प्रणाली उपलब्धता (TSA) हासिल की।

1) उपभोक्ता सेवाएं :

निगम उत्कृष्ट, त्वरित सेवा के ज़रिए ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, प्रचालन एवं अनुरक्षण कर्मचारी गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए और ग्राहकों को अबाधित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के ट्रांसमिशन नेटवर्क में तकनीकी खराबी को दूर करना।

2) उठाये गये सुरक्षात्मक कदम :

निगम में काम करने वाले कर्मियों की सुरक्षा निगम की भलाई और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। निगम भारतीय बिजली नियम, 1956 (IE) के तहत अपने नेटवर्क से जीवित प्राणियों की सुरक्षा बिजली के करंट लगने से होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित कर रहा है।

3) चल रही भावी योजनाएँ :

निम्नलिखित निर्माण कार्य अगले तीन वर्षों में पूर्ण किये जाने का प्रस्ताव है ताकि प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सके और दादरा एवं नगर हवेली के उपभोक्ताओं को भरोसेमंद एवं दक्ष विद्युत आपूर्ति मुहैया कराई जा सके।

Directors' Report

The carrying values of the assets and liabilities as per the Transfer Plan, 2025, was based on the audited financial statements as of March 31, 2023 was ₹43,379 Lakh. These carrying values are subject to change on the actual transfer date i.e. April 1, 2025, and that will be reflected in a separate notification of the final merged balance sheet of the ED-DD and ED-DNH. Upon the said transfer, the DNHDDPCL will incorporate the assets and liabilities at their net carrying value as per the notified separate notification of the merged final balance sheet and issue corresponding equity share capital to the existing shareholders.

5. DIVIDEND

There was remarkable turnaround in the financial performance of the Corporation in the Current FY 2024-25, the Corporation has achieved a post-tax profit of ₹ 3,488 Lakh for FY 2024-25 and attained a better financial standing. However, keeping in view the fund requirement of future projects and ongoing commercial litigation with GMR Warora Energy Limited, it is proposed not to declare any dividend for FY 2024-25 to equity shareholders. Hence, the Board of Directors has decided not to recommend any dividend for FY 2024-25.

6. SHARE CAPITAL

DNHDDPCL is a government company with 100% shareholding by the President of India and nominees, through administrative control of Ministry of Home Affairs (MHA). The Corporation has only one class of shares having par value of ₹ 100/- each with equal rights for dividend and vote. The total equity paid-up share capital was ₹ 38,974 lakh as on 31st March, 2025 against the Authorized Capital of ₹ 50,000 lakh. There was no change in share capital during FY 2024-25 as compared to previous FY 2023-24.

7. TRANSFER TO RESERVES

In the FY 2024-25, there were no transfer of funds to any Reserves.

8. SYSTEM IMPROVEMENTS INITIATIVES:

A. The Corporation has taken up many steps for the improvement of system. The Corporation has made the following major improvements and provided continuous and un-interrupted power supply.

- (i) Installation of Online Drying Unit System (ODUS) to extend the life of transformers by improving breakdown voltage (BDV) of oil.
- (ii) Installation of Solar Roof Top Plants at various Government Buildings of DNH.
- (iii) Replacement of Transformer Bay, Breakers, Batteries, Lighting Arrester and other equipments at various Sub-Stations.
- (iv) Systematic and scheduled operation and maintenance of existing transformers and lines to ensure the uninterrupted power supply 24/7.

B. TRANSMISSION SYSTEM AVAILABILITY:

In the FY 2024-25, the Corporation achieved 98.80% Transmission System Availability (TSA) against JERC standard norms for TSA of 98.50%.

C. VARIOUS OTHER INITIATIVES

i. CONSUMER SERVICES:-

Your Corporation is committed to ensure customer satisfaction through excellent, prompt service. In this direction, the operation and maintenance staffs are extending round the clock service to ensure quality power supply and attending technical faults in transmission network to ensure uninterrupted power supply.

ii. SAFETY MEASURES TAKEN:-

The safety of personnel working in the Corporation is the utmost importance for the well being and healthiness of the Corporation. Your Corporation is ensuring adequate safety measures as per Indian Electricity (IE) Rules, 1956 for safety of living beings and to avoid any accident due to electrocution from its network.

iii. ONGOING AND FUTURE PLANS:-

The following works are proposed to be executed in the next three years for strengthening the transmission system to provide reliable and stable power to consumers of Dadra and Nagar Haveli.



निदेशकों का प्रतिवेदन

क्रमांक	कार्य का नाम
1.	गाँव सायली, दादरा और नगर हवेली में नए 220/66/11 kV सब-स्टेशन की स्थापना
2.	गाँव खड़ोली में 220/66kV सब-स्टेशन के 66kV साइड में 66kV सिंगल बस व्यवस्था को डबल बस व्यवस्था में परिवर्तित करना
3.	संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, सिलवासा में 220/66kV खड़ोली सब-स्टेशन का 3x160 MVA से 4x160 MVA तक संबंध और 220kV & 66kV के साथ विस्तारण
4.	संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, सिलवासा में 220/66kV खरड़पाड़ा सब-स्टेशन का 520 MVA से 640 MVA तक विस्तारण
5.	220/66 kV खरड़पाड़ा सब-स्टेशन और 220 kV नए खरड़पाड़ा स्विचिंग स्टेशन पर SCADA प्रदान करना
6.	ज़ेबरा से TACSR 370 वर्ग मिमी कंडक्टर (6.8km) का 220kV कला-खड़ोली D/c line तक परिवर्तन
7.	DNH और DD केंद्र शासित प्रदेश में 220/66KV वाघछीपा सब-स्टेशन का 2x160MV A से 3 x 160 MVA तक विस्तार, जिसमें 220KV bay और 66KV Bay जुड़े होंगे
8.	SLDC, सिलवासा में SCADA/EMS सिस्टम का प्रतिस्थापन/उन्नयन
9.	SLDC-DNH में वास्तविक समय में SCADA डेटा उपलब्धता के लिए 220 KV कला से खड़ोली S/s के मौजूदा अर्थ वायर के प्रतिस्थापन हेतु हार्डवेयर और सहायक उपकरण सहित OPGW 24F केबल की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग
10.	दपाड़ा में नए 66/11kV सब-स्टेशन की स्थापना
11.	220/66kV खड़ोली सब-स्टेशन से 66/11kV खड़ोली सब-स्टेशन तक 66kV ट्रांसमिशन लाइनों का सुदृढ़ीकरण
12.	66/11kV खड़ोली सब-स्टेशन पर 66kV स्वीचयार्ड और ट्रांसफार्मर के लिए पहुँच मार्ग का निर्माण
13.	6KV कला और वेलुगाम सब-स्टेशनों के ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 220KV खड़ोली कला/वेलुगाम सर्किट डायवर्जेंस प्वाइंट तक दो 66KV ट्रांसमिशन सर्किट (होटलाइन) का निर्माण
14.	66/11 kV खड़ोली सब-स्टेशन पर कंपाउंड दिवाल का निर्माण
15.	66/11 kV खानवेल सब-स्टेशन पर कंपाउंड दिवाल का निर्माण
16.	झंडा चौक, सिलवासा में 66/11kv गैस इंसुलेटेड सब-स्टेशन का 2 x 20 MVA to (2 x 20 MVA + 1 x 31.5 MVA) केंद्र शासित प्रदेश ,सिलवासा में संबंध के साथ
17.	66kv D/C मधुबन-मोटापोंडा लाइन का 66kv, 1Cx300 वर्ग मिमी में रूपांतर। LN हेली पेड पास केबल, ग्राम सायली
18.	नरोली चेक पोस्ट, सिलवासा में 2 X 20 MVA, 66/11KV GIS सब-स्टेशन की आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण, कमीशनिंग और 66KV खरड़पाड़ा – आमली लाइन से नरोली चेक पोस्ट पर LILO point at M/S CMC, नरोली चेक पोस्ट पर बिंदु से ट्रांसमिशन लाइनका निर्माण । (लाइन की लंबाई –2 किमी, 12 के D/C टावर)
19.	66/11kV अथाल उप-स्टेशन पर नए 20 MVA 66/11kV पावर ट्रांसफार्मर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग, और पैनल सहित
20.	66/11KV मसाट उप-स्टेशन पर नियंत्रण कक्ष भवन का विस्तार
21.	कुवापाड़ा, ग्राम सिली में 2 X 20 MVA 66/11kV GIS सब-स्टेशन की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग, सिली सब-स्टेशन से नई D/C ट्रांसमिशन लाइन के साथ
22.	66/11kV पिपरिया सब-स्टेशन पर नए 20 MVA 66/11kv पावर ट्रांसफार्मर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग
23.	66/11kV वाघधरा सब-स्टेशन पर नए 20 MVA 66/11kV पावर ट्रांसफार्मर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग
24.	220/66kv वाघछीपा से 66kV खरड़पाड़ा-दादरा लाइन पर लवाछा स्थित टैपिंग पॉइंट तक नई मल्टी सर्किट टावर लाइन

Directors' Report

Sr. No.	Name of work
1.	Establishment of New 220/66/11 kV Sub-station at Village Sayli, D&NH
2.	Conversion of 66kV Single bus arrangement to Double bus arrangement at 66kV side of 220/66kV Sub-station at village Khadoli
3.	Augmentation of 220/66kV Khadoli sub-station from 3x160 MVA to 4x160 MVA with associated 220kV & 66kV bay in the UT of D&NH, Silvassa
4.	Augmentation of 220/66kV Kharadpada Sub-station from 520 MVA to 640 MVA in the UT of D&NH, Silvassa
5.	Providing SCADA at 220/66 kV Kharadpada Sub-station and 220 kV New Kharadpada switching station
6.	Conversion of 220kV Kala-Khadoli D/c line from Zebra to TACSR 370 sq.mm conductor (6.8km)
7.	Augmentation of 220/66KV Vaghchiba sub-station from 2x160MV A to 3 x 160 MVA with associated 220KV bay and 66KV Bay in the UT of DNH and DD
8.	Replacement/Upgradation of SCADA/EMS System at SLDC, Silvassa
9.	Supply installation testing and commissioning of OPGW 24F cable along with hard ware & accessories for replacement existing earth wire of 220 KV Kala to Khadoli S/s for real time SCADA data availability at SLDC-DNH
10.	Establishment of new 66/11kV Sub-station at Dapada
11.	Strengthening of 66kV Transmission Lines from 220/66kV Khadoli Substation to 66/11kV Khadoli Sub-station
12.	Erection of approach road for 66kV Switchyard & Transformers at 66/11kV khadoli Sub-station
13.	Erection of two 66KV Transmission circuits (Hotline) from 220KV Khadoli S/s to 66KV Kala/Velugam circuit divergence point to strengthen the transmission network of 66/11KV Kala and Velugam Substations
14.	Erection of compound wall at 66/11 kV Khadoli Substation
15.	Erection of Compound wall at 66/11 kV Khanvel Substation
16.	Augmentation of 66/11kv Gas insulated Substation at Zanda Chowk, Silvassa from 2 x 20 MVA to (2 x 20 MVA + 1 x 31.5 MVA) with associated 66kV GIS bays in the UT of D& NH, Silvassa
17.	Conversion of 66kv D/C Madhuban- Motaponda line by 66KV, 1Cx300 sqmm. Cable near LN Helipad, village Sayli
18.	Supply, Erection, Testing, commissioning of 2 X 20 MVA, 66/11KV GIS Sub - Station at Naroli Checkpost, Silvassa and Erection of 66KV D/C Transmission Line from LILO point at M/S CMC, Naroli Checkpost on 66KV Kharadpada - Amli Line to Naroli check Post. (Line length - 2 Km, 12 Nos of D/C Tower)
19.	Supply, Erection, Testing and commissioning of new 20 MVA 66/11kV Power Transformer along with bay and panels at 66/11kV Athal Sub - Station
20.	Extension of Control Room Building at 66/11KV Masat Sub - Station
21.	Supply, Erection, Testing and commissioning of 2 X 20 MVA 66/11kV GIS Sub - Station at Kuvapada, Village Silli with new D/C Transmission Line from Silli Sub - Station.
22.	Supply, Erection, Testing and commissioning of new 20 MVA 66/11kv Power Transformer at 66/11kV Piparia Sub Station
23.	Supply, Erection, Testing and commissioning of new 20 MVA 66/11kV Power Transformer at 66/11kV Waghdhara Sub - Station
24.	New 66kV Multi Circuit Tower Line from 220/66kv Sub - Station, Vaghchhipa to Tapping point at





निदेशकों का प्रतिवेदन

क्रमांक	कार्य का नाम
25.	66/11KV सिली सब-स्टेशन पर नियंत्रण कक्ष भवन का विस्तार
26.	66/11KV वाघधरा सब-स्टेशन पर नियंत्रण कक्ष भवन का विस्तार
27.	66/11KV मसाट सब-स्टेशन पर फीडर पैनल और बस कपलर सहित 11 kV इनकमिंग पैनल का प्रतिस्थापन और सुदृढ़ीकरण
28.	31.5 MVA की खरीद पावर ट्रांसफार्मर
29.	31.5 MVA पावर ट्रांसफार्मर की स्थापना और कमीशनिंग के लिए बे और अन्य उपकरणों का निर्माण
30.	दादरा में नए 66/11 kV सब-स्टेशन का निर्माण और उपकरणों का स्थानांतरण
31.	मौजूदा कंडक्टर को उच्च एम्पैहिटी कंडक्टर से बदलना और मौजूदा 66KV खरड़पाड़ा-दादरा-वागधारा लाइन के कंडक्टर के कम ग्राउंड क्लीयरेंस के कारण 66KV टावर का निर्माण
32.	66KV कला सब-स्टेशन पर बे और पैनल सहित 66/11.55 KV 20MVA पावर ट्रांसफार्मर की आपूर्ति, स्थापना, परक्षण और कमीशनिंग
33.	सिली सब-स्टेशन से 66KV GIS कुवापाड़ा, सिली सिली तक ट्रांसमिशन लाइन, साथ ही सिली सब-स्टेशन में 66kV D/C आउटगोइंग फीडर थे ।

4) टैरिफ :

गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए JERC (संयुक्त विद्युत नियामक आयोग) केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली उपयोगिताओं के कामकाज के लिए नियामक प्राधिकरण है और इसे राज्य में पारेषण लाइसेंस धारियों के लिए टैरिफ के निर्धारण सहित गोवा और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, चंदीगढ़, दादरा मगर हवेली और दमण दीव और पुदुचेरी में विभिन्नकार्य सौंपे गये हैं ।

दमण और दीव (ED-DD) और दादरा और नगर हवेली (ED-DNH) के विद्युत विभागों का विलय कर सरकारी निगम, डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DNHDDPCL) का गठन किया गया । इस विलय को आधिकारिक रूप से अनुमोदित और राजपत्रित किया गया, साथ ही को एक संबंधित सरकारी नीति निर्देश भी जारी किया गया । परिणामस्वरूप, 01 अप्रैल, 2025 से प्रभावी DNHDDPCL दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव केंद्र शासित प्रदेश के लिए एकमात्र पारेषण इकाई और नामित राज्य पारेषण उपयोगिता बन गई ।

अपनी नई स्थिति के अनुसार, निगम ने वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30 तक की बहु-वर्षीय टैरिफ (MYT) नियंत्रक अवधि के लिए अपनी वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) और व्यावसायिक योजना के अनुमोदन हेतु एक व्यापक याचिका दायर की । 146/2025 और 147/2025 क्रमांक वाली दोनों याचिकाओं को JERC ने 8 मई, 2025 को स्वीकार कर लिया । इसके अलावा, JERC ने वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30 तक की MYT अवधि के लिए 08/08/2025 को व्यवसाय योजना का आदेश दिया है और वित्त वर्ष FY 2025-26 से वित्त वर्ष FY 2029-30 तक की MYT अवधि के लिए 17/09/2025 को ARR MYT का आदेश भी पारित किया ।

इसके अतिरिक्त, निगम ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ के अनुमोदन हेतु एक अलग याचिका दायर की थी । प्रारंभिक जांच के बाद, आयोग ने 11 जून, 2024 को एक आदेश जारी किया । आदेश में कुछ त्रुटियाँ पए जाने पर, निगम ने 8 नवंबर, 2024 को एक समीक्षा याचिका दायर की । JERC ने बाद में त्रुटियों को स्वीकार किया और 10 दिसंबर, 2024 को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एक संशोधित टैरिफ आदेश जारी किया ।

5) ई – निविदा :

निगम ने माल और सेवाओं की खरीद में पारदर्शिता वाली सभी निविदाओं जिसकी अनुमानित लागत ₹ 5.00 लाख से अधिक हो, के लिए ई – निविदा प्रक्रिया लागू की है ।

6) ट्रांसमिशन नुकसान कम करने के उपाय :

निगम जहां भी अवश्यक हो, जोरदार इंस्टॉलेशन जाँच, विद्युत नेटवर्क को लगातार मजबूत कर रहा है । पुराने विद्युत नेटवर्क को बदला जा रहा है । निगम ने लाईनों का नियोजित रखरखाव, ट्रांसफार्मर और सभी 66 KV उप-स्टेशनों का प्रतिस्थापन शुरू कर दिया है ।

Directors' Report

Sr. No.	Name of work
	Lavachha on 66kV Kharadpada - Dadra Line
25.	Extension of Control Room Building at 66/11KV Silli Sub - Station
26.	Extension of Control Room Building at 66/11KV Waghdhara Sub - Station
27.	Replacement and Strengthening of 11 kV Incomer Panel along with Feeder Panel and Bus Coupler at 66/11 kV Masat Sub-Station
28.	Procurement of 31.5 MVA Power Transformer
29.	Erection of Bays and other equipment for installation commissioning of 31.5 MVA Power Transformer
30.	New 66/11 kV Sub-Station building at Dadra and shifting of equipment
31.	Replacement of existing conductor with high ampacity conductor and erection of 66KV tower due to low ground clearance of conductor of existing 66KV Kharadpada-Dadra-Wagdhara line
32.	Supply, Erection, Testing and Commissioning of 66/11.55 KV 20MVA Power Transformer along with Bay and Panels at 66/11 KV Kala Sub-station
33.	66kV D/C Transmission line from Silli s/s to 66KV GIS Kuvapada, Silli along with 66KV outgoing feeder bay at Silli S/s.

iv. **TARIFF:-**

The Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) for the State of Goa and Union Territories serves as the regulatory authority for electricity utilities. The Commission is responsible for various functions, including the determination of transmission tariffs for licensees operating in Goa and the Union Territories of Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, and Puducherry.

The Electricity Departments of Daman and Diu (ED-DD) and Dadra and Nagar Haveli (ED-DNH) were merged to form the Government Corporation, DNH and DD Power Corporation Limited (DNHDDPCL). This merger was officially approved and gazetted, with a corresponding Government Policy Direction issued to the JERC. As a result, effective from April 1, 2025, DNHDDPCL became the sole transmission entity and the designated State Transmission Utility for the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.

In accordance with its new status, the Corporation filed a comprehensive petition for the approval of its Annual Revenue Requirement (ARR) and Business Plan for the Multi-Year Tariff (MYT) Control Period from FY 2025-26 to FY 2029-30. Both petitions, numbered 146/2025 and 147/2025, were admitted by the JERC on May 8, 2025. Further, JERC has order of business plan 08/08/2025 for the MYT period FY 2025-26 to FY 2029-30 and also passed order of ARR MYT Dated 17/09/2025 for the MYT period FY 2025-26 to FY 2029-30.

Additionally, the Corporation had filed a separate petition for the approval of its Transmission Tariff for FY 2024-25. Following its initial scrutiny, the Commission issued an order on June 11, 2024. Upon identifying certain errors in the order, the Corporation filed a review petition on November 8, 2024. The JERC subsequently acknowledged the errors and issued a revised tariff order for FY 2024-25 on December 10, 2024.

v. **E-TENDERING:-**

The Corporation has implemented e-tendering process for all tenders having estimated cost of more than ₹ 5.00 lakh, which has significantly improved the transparency in procurement of goods and services.

vi. **MEASURE TAKEN TO REDUCE TRANSMISSION LOSSES:-**

The Corporation has started vigorous installation checking, re-strengthening electrical network wherever required. The old electrical network is being replaced. The Corporation has started planned maintenance of lines, transformers, 66KV sub-stations.





निदेशकों का प्रतिवेदन

9. सावधी जमा :

निगम ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V के प्रावधानों के तहत कोई सावधि जमा स्वीकार नहीं किया है।

10. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक :

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निदेशक मंडल और आपकी कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं।

निदेशक मंडल :

नाम	DIN / PAN	पदनाम	नियुक्ति / समाप्ति पदनाम की तिथि	परिवर्तन की प्रकृति
श्री हिमांशु ललितभाई कापडिया	06482858	स्वतंत्र निदेशक	30.09.2024	समाप्ति
श्री पेन्टैया पोलागनी	06943298	स्वतंत्र निदेशक	30.09.2024	समाप्ति
श्रीमती आरती अग्रवाल	10913921	महिला निदेशक	27.03.2025	नियुक्ति
श्रीमती चार्मि पारेख	07592325	महिला निदेशक	26.12.2024	समाप्ति
श्री अतुल मेहता	00112451	स्वतंत्र निदेशक	27.12.2024	नियुक्ति
श्री मुकेश गढ़वी	10909307	स्वतंत्र निदेशक	27.03.2025	नियुक्ति
श्री हिमांशु ललितभाई कापडिया	06482858	व्यसायिक निदेशक	27.12.2024	नियुक्ति
श्री पेन्टैया पोलागनी	06943298	व्यसायिक निदेशक	27.12.2024	नियुक्ति

निदेशक मंडल ने अपने अभिलेख में श्रीमती चार्मि पारेख, दानिक्स,द्वारा निगम को प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं की सराहना की।

11. स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा :

श्री हिमांशु कापडिया और श्री पी. पेन्टैया, स्वतंत्र निदेशक, दोनों का पाँच वर्ष का दूसरा कार्यकाल 12वीं वार्षिक आम बैठक में समाप्त हो गया है। अतः 30.09.2024 को आयोजित 12 वीं वार्षिक आम बैठक से दोनों निगम के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नहीं रहेंगे।

तदनुसार, श्री अतुल मेहता और श्री मुकेश गढ़वी को क्रमशः 27/12/2024 और 27/03/2025 को आयोजित 48 वीं और 49 वीं बोर्ड बैठक में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है।

कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने यह पुष्टि करते हुए आवश्यक घोषणाएं प्रस्तुत की हैं कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के तहत प्रदान किये गये स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करना जारी रखते हैं और अधिनियम, अनुसूची IV के तहत निर्दिष्ट स्वतंत्र निदेशकों के लिए संहिता के अनुपालन में हैं। स्वतंत्र निदेशकों ने यह भी पुष्टि की है कि उन्होंने कंपनी की आचार संहिता का अनुपालन किया है।

12. बोर्ड की बैठकें :

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बोर्ड की तीन (4) बैठकें 1) 21.06.2024, 2) 30.09.2024, 3) 27.12.2024 और 3) 27.03.2025 को हुई। निदेशकों द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या निम्नानुसार है :

निदेशकों का नाम	पदनाम	निदेशकों का कार्यकाल	वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित बैठकों में हाजिर/ कुल बैठकें
श्री प्रफुल पटेल	अध्यक्ष	—	4/ 4
श्री अमित सिंगला, भा.प्र.से.	निदेशक	—	4/ 4
श्री गौरव सिंह राजावत, भा.प्र.से.	निदेशक	—	4/ 4
श्री अरुण टी., भा.प्र.से.	निदेशक	—	4 / 4

Directors' Report

9. FIXED DEPOSIT

Your Corporation has not accepted any fixed deposit within the provisions of Chapter V of the Companies Act, 2013.

10. DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

The following changes took place in the composition of the Board of Directors and Key Managerial Personnel during FY 2024-25.

BOARD OF DIRECTORS

Name	DIN / PAN	Designation	Date of appointment/ Change in Designation / Cessation	Nature of Change
Shri Hemanshu Lalitbhai Kapadia	06482858	Independent Director	30-09-2024	Cessation
Shri Pentayya Polagani	06943298	Independent Director	30-09-2024	Cessation
Smt Aarti Agarwal	10913921	Women Director	27-03-2025	Appointment
Smt Charmie Parekh	07592325	Women Director	26-12-2024	Cessation
Shri Atul Mehta	00112451	Independent Director	27-12-2024	Appointment
Shri Mukesh Gadhvi	10909307	Independent Director	27-03-2025	Appointment
Shri Hemanshu Lalitbhai Kapadia	06482858	Professional Director	27-12-2024	Appointment
Shri Pentayya Polagani	06943298	Professional Director	27-12-2024	Appointment

The Board of Directors placed on record the appreciation on the valuable services rendered to the Corporation by Smt Charmie Parekh, DANICS.

11. DECLARATION BY INDEPENDENT DIRECTORS

Shri. Hemanshu Kapadia and Shri. P. Pentayya, Independent Directors, the second term of five years of both the Independent Director has expired in the 12th AGM. Hence, both ceases to be Independent Director on the Board of the Corporation from the 12th AGM held on 30/09/2024.

Accordingly, Shri Atul Mehta and Shri Mukesh Gadhvi, has been appointed as Independent Director in the 48th and 49th Board meeting held on 27/12/2024 and 27/03/2025 respectively.

All Independent Directors of the Company have submitted the requisite declarations confirming that they continue to meet the criteria of independence as provided under section 149 (6) of the Companies Act, 2013 and are in compliance with the Code for Independent Directors as specified under Schedule IV of the Act. The Independent Directors have also confirmed that they have complied with the Company's Code of Conduct.

12. BOARD MEETINGS

During the financial year 2024-25, four (4) meetings of the Board were held on 1) 21/06/2024, 2) 30/09/2024, 3) 27/12/2024 and 4) 27/03/2025. The number of meetings attended by the Directors is as under:-

Name of Director	Designation	Tenure of Director	Number of meetings attended/total meetings held during FY 2024-25
Shri Praful Patel,	Chairman	—	4 / 4
Shri Amit Singla, IAS,	Director	—	4 / 4
Shri Gaurav Singh Rajawat, IAS,	Director	—	4 / 4
Shri Arun T., IAS,	Director	—	4 / 4





निदेशकों का प्रतिवेदन

निदेशकों का नाम	पदनाम	निदेशकों का कार्यकाल	वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित बैठकों में हाजिर/ कुल बैठकें
श्री प्रियांक किशोर, भा.प्र.से.	निदेशक	—	4 / 4
श्रीमती आरती अग्रवाल, दानिक्स	महिला निदेशक	(27.03.2025 से कार्यान्वित)	0 / 0
श्री हिमांशु कापडिया	स्वतंत्र निदेशक	(30.09.2024 तक)	2 / 2
श्री पी. पेन्टैया	स्वतंत्र निदेशक	(30.09.2024 तक)	2 / 2
श्री हिमांशु कापडिया	व्यावसायिक निदेशक	(27.12.2024 से कार्यान्वित)	1 / 1
श्री पी. पेन्टैया	व्यावसायिक निदेशक	(27.12.2024 से कार्यान्वित)	1 / 1
श्री अतुल मेहता	स्वतंत्र निदेशक	(27.12.2024 से कार्यान्वित)	1 / 1
श्री मकेश गढ़वी	स्वतंत्र निदेशक	(27.03.2025 से कार्यान्वित)	0 / 0

बोर्ड की बैठक में स्वतंत्र निदेशक सहित सभी निदेशकों ने भाग लिया लेखा परीक्षा समिति और CSR समिति की बैठक में उपस्थिति का विवरण **अनुलग्नक -1** के रूप में संलग्न किया गया है।

13. वार्षिक वापसी :

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 और धारा 134 (3) (ए) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 के अनुसार, वार्षिक रिटर्न की प्रतिलिपि कंपनी की वेबसाइट पर देखी जा सकती है :

<https://www.dnhddpcl.in/content/annual-report>

वार्षिक वापसी की जानकारी के उद्घरण को इस रिपोर्ट का हिस्सा **अनुलग्नक – 2** के रूप में बनाया गया है।

14. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता :

कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जो व्यवसाय की प्रकृति और आकार के अनुरूप है जो कुशल उपयोग और संसाधनों की सुरक्षा, विधियों के अनुपालन, नीतियाँ और प्रक्रियाओं के अनुपालन और लेनदेन के अभिलेख की सटीकता को बनाए रखने और तुरंत इसकी रिपोर्ट करने के उद्देश्यों का पूरा करती है। आंतरिक लेखापरीक्षा के दायरे में आंतरिक लेखांकन, प्रणाली और प्रक्रियाओं और अन्य परिचालन क्षेत्रों की प्रणाली की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की परीक्षा और मूल्यांकन शामिल है। सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्मों को आंतरिक लेखा-परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है। लेखा-परीक्षा में उठाये गये बिंदु लेखा-परीक्षा समिति द्वारा आवधिक समीक्षा और अनुपालन निगरानी के अधीन हैं।

15. लेखा-परीक्षक :

क) वैधानिक लेखा-परीक्षकों और लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट :

मैसर्स अग्रवाल एवं धंधानिया, सनदी लेखाकार, सुरत को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वैधानिक लेखा-परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था। बोर्ड ने खातों पर वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की विधिवत समीक्षा की है। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई भी अवलोकन और टिप्पणियाँ नहीं हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत बोर्ड द्वारा कोई और व्याख्या / स्पष्टीकरण अपेक्षित नहीं हैं। लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट सहित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न है।

ख) लागत लेखा-परीक्षा :

कंपनी (लागत अभिलेख एवं लेखा-परीक्षा) संशोधन नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के अनुसरण में लागत खातों को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए निगम द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। कंपनी के अनुसार (लागत रिकॉर्ड और लेखा-परीक्षा) नियम, 2014, कंपनी को लागत लेखा-परीक्षक द्वारा रिकॉर्ड का लेखा-परीक्षा करवाना आवश्यक है। निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागत लेखा-परीक्षक के रूप में मेसर्स बी. एफ. मोदी एण्ड कंपनी, वापी को नियुक्त किया। लागत लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में कोई अवलोकन और टिप्पणियाँ का उल्लेख नहीं है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत बोर्ड द्वारा किसी भी व्याख्या / स्पष्टीकरण के लिए कहा गया हो। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट (CAR) केन्द्रीय सरकार/ MCA के साथ 17.10.2024 को दायर की गई है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट (CAR) केन्द्रीय सरकार/ MCA के साथ दायर की जायगी।

Directors' Report

Name of Director		Tenure of Director	Number of meetings attended/total meetings held during FY 2023-24
Shri Priyank Kishore, IAS,	Director	—	4 / 4
Smt. Aarti Agarwal, DANICS	Women Director	w.e.f. 27.03.2025	0 / 0
Shri Hemanshu Kapadia,	Independent Director	til 30.09.2024	2 / 2
Shri P. Pentayya,	Independent Director	til 30.09.2024	2 / 2
Shri Hemanshu Kapadia,	Professional Director	w.e.f. 27.12.2024	1 / 1
Shri P. Pentayya,	Professional Director	w.e.f. 27.12.2024	1 / 1
Shri Atul Mehta,	Independent Director	w.e.f. 27.12.2024	1 / 1
Shri Mukesh Gadhvi,	Independent Director	w.e.f. 27.03.2025	0 / 0

The details of Board meetings attended by the all Directors including Independent Directors and attendance of Audit Committee and CSR Committee meetings is enclosed as **Annexure-1**.

13. ANNUAL RETURN

Pursuant to Section 92 of the Companies Act, 2013 read with Rule 12 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Section 134(3)(a), the copy of Annual Return can be accessed on the website of the Company at <https://www.dnhddpcl.in/content/annual-report>

The extract of information of Annual return has been made part of this Annual Report as **Annexure-2**.

14. INTERNAL CONTROL SYSTEM AND THEIR ADEQUACY:

The Corporation has adequate internal control system commensurate with the nature and size of business which meets the objectives of efficient use and safeguarding of resources, compliance with statutes, policies and procedures and maintaining accuracy of recording of transaction and reporting the same promptly. The scope of internal audit involves examination and evaluation of the adequacy and effectiveness of the system of internal accounting, system and procedures and other operational areas. Independent firm of Chartered Accountants has been appointed to carry out the internal audit. The observations raised out of the auditor are subject to periodic review and compliance monitoring by the Audit Committee.

15. AUDITORS

i) STATUTORY AUDITORS AND AUDITORS' REPORT:

M/s. Agarwal and Dhandhanias, Chartered Accountants, Surat was appointed by the Comptroller & Auditor General of India as Statutory Auditors for the Financial Year 2024-25. The Board has duly reviewed the Statutory Auditors' Report on the Financial Statements. There is no observations and comments in the Statutory Auditors' Report, which call for any further explanation / clarification by the Board under the Companies Act, 2013. The Auditors' report is attached with the financial statements included in this Annual Report.

ii) COST AUDIT:

Pursuant to the provisions of Section 148(3) of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014, and amendments thereof, the cost accounts are maintained by the Corporation for FY 2024-25. In accordance with the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014, the company is required to get its cost records audited by a Cost Auditor. The Board of Directors has appointed M/s B. F. Modi & Co., Vapi as Cost Auditors for Financial Year 2024-25. There is no observations and comments in the Cost Auditors' Report, which call for any further explanation/ clarification by the Board under the Companies Act, 2013. The Cost Auditors' Report (CAR) for financial year ended 31st March, 2024 has been filed with the Central Government/ MCA on 17.10.2024. The Cost Auditors' Report (CAR) for financial year ended 31st March, 2025 would be filed with the Central Government/ MCA within the stipulated time.





- ग) **आंतरिक लेखा-परीक्षक :**
सेसर्स नितिन नकुल एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार, सूरत को 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के लिए कंपनी के आंतरिक लेखा-परीक्षा के संचालन के लिए निदेशक मंडल द्वारा आंतरिक लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।
- घ) **सचिवीय लेखा-परीक्षा :**
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए सालाना सचिवीय लेखा-परीक्षा आयोजित करने के लिए निगम ने मेसर्स गायत्री भीड़े एण्ड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव, वापी को नियुक्त किया है। मेसर्स गायत्री भीड़े एण्ड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव, वापी ने वर्ष 2024-25 के लिए सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट (प्रपत्र MR-3) जारी किया है जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है और **अनुलग्नक - 3** के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

16. बोर्ड द्वारा गठित विभिन्न समितियाँ :

- क) **लेखा-परीक्षा समिति :**
लेखा-परीक्षा समिति कंपनीयों के नियम, 6 (बोर्ड की बैठकें एवं इसकी सत्ता) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के तहत निर्धारित संदर्भ की शर्तों के अनुसार गठित की गई थी। 31 मार्च, 2025 को लेखा-परीक्षा समिति की संरचना निम्नानुसार थी :

1.	श्री गौरव सिंह राजावत, भा.प्र.से.,	निदेशक		अध्यक्ष
2.	श्री हिमांशु कापड़िया,	स्वतंत्र निदेशक	30.09.2024 तक	सदस्य
3.	श्री पी. पेन्टैया,	स्वतंत्र निदेशक	30.09.2024 तक	सदस्य
4.	श्री अतुल मेहता	स्वतंत्र निदेशक	27.12.2024 से कार्यान्वित	सदस्य

निरीक्षण वर्ष के दौरान, लेखा-परीक्षा समिति की 3 बैठकें दिनांक 12.06.2024, 10.09.2024 एवं 28.02.2025 को आयोजित की गई।

- ख) **निगमित सामाजिक दायित्व (CSR) समिति**
निगम की निगमित सामाजिक दायित्व (CSR) समिति की पहल उन कार्यक्रमों पर केन्द्रित है जो संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली के समुदायों को लाभ देती हैं और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय जनसंख्या की आर्थिक भलाई करती हैं। अपनायी गयी CSR परियोजनाएं कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची VII के अनुसार हैं। बोर्ड ने निम्नलिखित संरचना के साथ CSR समिति 31 मार्च, 2025 को गठित की है :

1.	श्री अमित सिंगला, भा.प्र.से.	निदेशक		— अध्यक्ष
2.	श्री गौरव सिंह राजावत, भा.प्र.से.,	निदेशक		— सदस्य
3.	श्री अरुण टी., भा.प्र.से.	प्रबंध निदेशक		— सदस्य
4.	श्री हिमांशु कापड़िया,	स्वतंत्र निदेशक		— सदस्य
5.	श्री पी. पेन्टैया,	स्वतंत्र निदेशक		— सदस्य
6.	श्री अतुल मेहता	स्वतंत्र निदेशक	27.12.2024 से कार्यान्वित	— सदस्य

निगम की CSR नीति वेबसाइट पर उपलब्ध है।

निरीक्षण वर्ष के दौरान, CSR समिति की 2 बैठकें दिनांक 10.12.2024, एवं 25.02.2025 को आयोजित की गई। कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम - 9 के अनुसरण में, CSR गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट **अनुलग्नक - 4** के रूप में संलग्न है।

- ग) **नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति :**
दिनांक 31.03.2024 को निगम की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना निम्नवत है :

1.	श्री गौरव सिंह राजावत, भा.प्र.से.,	निदेशक	— अध्यक्ष	
2.	श्री प्रियांक कीशोर, भा.प्र.से.	निदेशक	— सदस्य	
3.	श्री हिमांशु कापड़िया,	स्वतंत्र निदेशक	— सदस्य	
4.	श्री पी. पेन्टैया,	स्वतंत्र निदेशक	— सदस्य	

एक सरकारी कंपनी होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(e) के प्रावधान के तहत, भारत सरकार, कॉर्पोरेट



- iii) **INTERNAL AUDITOR:**
M/s Nitin Nakul & Co., Chartered Accountants, Surat was appointed as Internal Auditor by Board of Directors for conducting Internal Audit of the Company for the period from 1st April, 2024 to 31st March, 2025.
- iv) **SECRETARIAL AUDIT:**
Your Corporation has engaged M/s Gaytri Bhide & Associates, Practising Company Secretary, Vapi for conducting annual Secretarial Audit for the year 2024-25 pursuant to the provisions of Section 204 of the Companies Act, 2013. M/s Gaytri Bhide & Associates, Practising Company Secretary, Vapi has issued Secretarial Audit Report (Form MR-3) for the year 2024-25 which forms part of this Report and is furnished as **Annexure-3**.

16. VARIOUS COMMITTEES CONSTITUTED BY THE BOARD

- a) **Audit Committee**
The Audit Committee was constituted as per the terms of reference as prescribed under Section 177 of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Companies (Meetings of the Board and its powers) Rules, 2014. The Composition of the Audit Committee as on 31st March, 2025 was as under:

1.	Shri. Gaurav Singh Rajawat, IAS,	Director		Chairman
2.	Shri. Hemanshu Kapadia,	Independent Director	till 30.09.2024	Member
3.	Shri. P. Pentayya,	Independent Director	till 30.09.2024	Member
4.	Shri Atul Mehta,	Independent Director	w.e.f. 27.12.2024	Member

During the year under review, the Audit Committee held 3 meetings on 12-06-2024, 10-09-2024 and 28-02-2025.

- b) **Corporate Social Responsibility (CSR) Committee**
Your Corporation's Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives focus on the programs that benefit the communities in the Union Territory of Dadra & Nagar Haveli and enhancing the quality of life, empowering women and economic wellbeing of the local population. The CSR projects adopted are in accordance with Schedule VII of the Companies Act, 2013. The Composition of the CSR Committee as on 31st March, 2025 was as under:

1.	Shri Amit Singla, IAS,	Director		Chairman
2.	Shri Gaurav Singh Rajawat, IAS,	Director		Member
3.	Shri Arun T., IAS,	Managing Director		Member
4.	Shri Hemanshu Kapadia,	Independent Director		Member
5.	Shri P. Pentayya,	Independent Director		Member
6.	Shri Atul Mehta,	Independent Director	(w.e.f 27.12.2024)	Member

The CSR policy of the Corporation is available on website.

During the year under review, the CSR Committee held four (2) meetings on 10-12-2024, 25-02-2025, Pursuant to Rule 9 of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, the Annual Report on CSR activities is annexed herewith as **Annexure-4**.

- c) **Nomination & Remuneration Committee**
The composition of the Nomination and Remuneration Committee of the Corporation as on 31st March, 2025 was as under:

1.	Shri Gaurav Singh Rajawat, IAS,	Director		Chairman
2.	Shri Priyank Kishore, IAS,	Director		Member
3.	Shri Hemanshu Kapadia,	Independent Director		Member
4.	Shri P. Pentayya,	Independent Director		Member

The Corporation being a Government Company, the provisions of section 134(3)(e) of the Companies Act, 2013 shall not apply in view of the Gazette notification dated 05-06-2015 issued by Government



निदेशकों का प्रतिवेदन

मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 की राजपत्र अधिसूचना के आलोक में लागू नहीं होंगे। कंपनी सरकारी कंपनी है जिसमें बोर्ड के सभी सदस्यों को संस्थाकीय धारा के अनुसरण में प्रशासक, डीएनएच और डीडी द्वारा नियुक्त किया जाता है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित भरती नियम / नीतियों के अनुसार अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक दी जाती है।

17. वार्षिक सामान्य बैठक :

निगम की 12 वीं वार्षिक आम बैठक 30 सितंबर, 2024 को आयोजित की गई थी।

18. निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण :

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास और प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (c) के संदर्भ में निम्नलिखित निवेदन करते हैं।

- क) वार्षिक खाते तैयार करते समय, द्रव्य प्रस्थान के विषय में उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानक का पालन किया गया है ;
- ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन करते हुए उन्हें लगातार लागू किया है और उचित एवं अर्थपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाए ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति तथा उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके ;
- ग) निदेशकों ने कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पहचान ने के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देख-रेख की है ;
- घ) निदेशकों ने वार्षिक खातों को एक प्रगामी के आधार पर तैयार किया हैं ;
- च) निदेशकों ने कंपनी के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किये हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से परिचालन कर रहे हैं तथा
- छ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और इस तरह के प्रणाली पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से परिचालन कर रही हैं।

19. निगमित प्रशासन :

निगम सभी हितधारकों के हित में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के उच्च मानकों का पालन करके निगमित शासन में सर्वोत्तम कार्य के लिए प्रतिबद्ध है। आरंभ में, आपके निगम ने विभिन्न क्षेत्रों से स्वतंत्र व्यावसायिक निदेशकों एवं गठित लेखा-परीक्षा समिति, CSR समिति एवं नामांकन और पारिक्षमिक समिति की नियुक्ति की है।

20. अनुबंधित / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण :

निगम के पास सहायक, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियां नहीं हैं।

21. कर्मचारियों का विवरण :

निगम का कोई भी कर्मचारी कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के तहत निर्धारित सीमा से अधिक पारिक्षमिक प्राप्त नहीं कर रहा था।

22. संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध और व्यवस्था का विवरण :

DNHDDPCL भारत के राष्ट्रपति द्वारा 100% शेयरधारिता के साथ एक सरकारी कंपनी होने के नाते और गृह मंत्रालय (MHA) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के दौरान दर्ज किये गये प्रत्येक लेनदेन के लिए सख्त नियमों और मानदंडों का विषय है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बड़े पैमाने पर निगम के हितों के साथ संभावित टकराव वाले कोई महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं थे। फिर भी, संबंधित पार्टी प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियों में शामिल हैं।

23. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी या निवेश :

दिये गये ऋण और किये गये निवेश का विवरण निगम के वित्तीय विवरण (अर्थात टिप्पणी क्रम 4 'गैर-वर्तमान वित्तीय संपत्ति - ऋण', टिप्पणी क्रम - 4 'गैर-वर्तमान वित्तीय संपत्ति - अन्य') कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 की आवश्यकता अनुसार है।

Directors' Report

of The Corporation being a Government Company, the provisions of section 134(3)(e) of the Companies Act, 2013 shall not apply in view of the Gazette notification dated 05-06-2015 issued by Government of India, Ministry of Corporate Affair. The Company being a Government Company in which all members of the Board are appointed by the Administrator, DD & DNH in pursuance of the Articles of Association. The appointment and remuneration of other employees of the Corporation are done as per Recruitment Rules/Policies approved by the Board.

17. ANNUAL GENERAL MEETING

The 12th Annual General Meeting of the Corporation was held on 30th September, 2024.

18. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

To the best of knowledge and belief and according to the information and explanations received, Directors make the following statement in terms of Section 134(3)(c) of the Companies Act, 2013 for the Financial Year 2024-25.

- a) In the preparation of the Annual Accounts, the applicable Accounting Standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
- b) The Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of the affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;
- c) The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of the adequate accounting records for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- d) The Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis;
- e) The Directors have laid down internal financial controls to be followed by the Company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively; and
- f) The Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

19. CORPORATE GOVERNANCE:

Your Corporation is committed to best practices in Corporate Governance by adhering to high standards of transparency and accountability in the interest of all the stakeholder. To begin with, your Corporation has appointed Independent Professional Directors from diverse fields and constituted Audit Committee, CSR Committee and Nomination & Remuneration Committee.

20. STATEMENT CONTAINING SALIENT FEATURES OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF SUBSIDIARIES / ASSOCIATE COMPANIES / JOINT VENTURES

The Corporation does not have subsidiaries, joint ventures and associate companies.

21. PARTICULARS OF EMPLOYEES

None of the employees of the Corporation were in receipt of remuneration in excess of limits prescribed under Rule 5(2) of Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

22. PARTICULARS OF CONTRACTS AND ARRANGEMENT WITH RELATED PARTIES

DNHDDPCL being a government company with 100% shareholding by the President of India and under the administrative control of Ministry of Home Affairs (MHA) is subject matter of strict rules and norms for every transaction entered into during normal course of business. There were no materially significant related party transactions having potential conflict with the interests of the Corporation at large during FY 2024-25. Nevertheless, Related Party Disclosures are included in the notes forming part of the Financial Statements.

23. LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENT U/S 186 OF COMPANIES ACT, 2013

The particulars of loans given and investment made are included in the notes forming part of the Financial Statements of the Corporation (i.e. Note no. 4 'Non-current Financial Assets - Others') in terms of requirement of Section 186 of the Companies Act, 2013.





24. निदेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अदावी लाभांश का स्थानांतरण :

चूंकि दिनांक 31.03.2025 को लाभांश का कोई अवैतनिक / दावा नहीं था। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

25. संसाधन जुटाना, ऊर्जा का संरक्षण, अनुसंधान और विकास, प्रौद्योगिकी अंगीकरण, विदेशी मुद्रा कमाई और व्यय :

वर्तमान में, कंपनी ने किसी भी दीर्घकालिक संसाधन (यानी दीर्घकालिक उधार) व्यावसायिक आवश्यकताओं को तैनात / उपयोग नहीं किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी द्वारा कोई लेन-देन नहीं किया गया, जिसमें विदेशी मुद्रा में भुगतान / कमाई शामिल थी। इसके अलावा, व्यापार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान एवं विकास / प्रौद्योगिकी विकास पर किसी भी व्यय होने की कोई गुंजाइश नहीं है।

कंपनी अधिनियम (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (m) के अनुसरण में ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अंगीकरण और विदेशी मुद्रा आय तथा व्यय के संबंध में खुलासा करने के लिए आवश्यक जानकारी **अनुलग्नक - 5** में प्रस्तुत की गई है जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

26. जोखिम प्रबंधन नीति के विकास एवं कार्यान्वयन के सांकेतिक विवरण :

प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान और समयबद्ध तरीके से सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा जोखिम कम करने की योजना करने के लिए उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की गई है। बोर्ड ने प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में जोखिम प्रबंधन समिति भी गठित की है और इसमें स्वतंत्र निदेशक, मुख्य अभियंता, मुख्य वित्तीय अधिकारी, महाप्रबंधक (HR एवं व्यवस्थापक) और अधिकृत अभियंता शामिल हैं।

27. निदेशकों और कर्मचारियों के लिए जागरूकता नीति :

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 की आवश्यकताओं के अनुसार एक सतर्क तंत्र / जागरूकता नीति अपनाई है। कंपनी के बोर्ड में निगम और निदेशकों के सभी कर्मचारी इस तंत्र के तहत आते हैं। यह तंत्र कर्मचारियों के लिए अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या आचरण संहिता का उल्लंघन करने संबंधी मामलों की रिपोर्ट करने के लिए स्थापित किया गया है। यह उन कर्मचारियों के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है जो तंत्र का लाभ उठाते हैं और असाधारण मामलों में लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधे पहुँच की अनुमति देते हैं।

www.dnhddpcl.in लिंक पर कंपनी की वेबसाइट पर सतर्क तंत्र / जागरूकता नीति का उपयोग किया जा सकता है।

28. समग्र रूप से बोर्ड का वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन, उसकी समिति और व्यक्तिगत निदेशकों :

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में, निगम ने स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए नीति तैयार की है। स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन पूरे निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें मूल्यांकन किए जाने वाले निदेशक को शामिल नहीं किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते समय, निम्नलिखित मापदंडों पर विचार किया जाता है।

- क) मीटिंग और समितियों में उपस्थिति ;
- ख) बोर्ड मीटिंग और समितियों में भाग लेना ;
- ग) महत्वपूर्ण निर्णय लेने में योगदान ;
- घ) जोखिम मूल्यांकन और जोखिम शमन की समीक्षा ;
- च) वित्तीय विवरण और व्यावसायिक प्रदर्शन की समीक्षा में योगदान और
- छ) निगम की ब्रांड छवि के विकास में योगदान।

यदि निदेशकों का मूल्यांकन केन्द्र सरकार के मंत्रालय या विभाग जो प्रशासनिक रूप से प्रभारी है कंपनी या जैसा भी मामला हो, राज्य द्वारा सरकार अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है, जो निगमित मामलों के मंत्रालय ने 5 जून 2015 को अपने GSR 463 (E) के माध्यम से धारा 134(3)(p) के प्रावधानों को सरकारी कंपनियों को छूट दी है। कंपनी अधिनियम, 2013 की चतुर्थ अनुसूची स्वतंत्र निदेशकों के आचरण संहिता से संबंधित है, बशर्ते कि स्वतंत्र निदेशक अपनी अलग बैठक में गैर-स्वतंत्र निदेशकों, बोर्ड अध्यक्ष के कार्यों की पूरी तरह से समीक्षा करेंगे। इस प्रकार, स्वतंत्र निदेशकों ने अपनी अलग बैठक में गैर-स्वतंत्र निदेशकों, समग्र रूप से बोर्ड, समितियों और अध्यक्ष के कार्यों की समीक्षा की। निदेशक मंडल स्वतंत्र निदेशकों के कार्यों की समीक्षा करता है।

24. TRANSFER OF UNCLAIMED DIVIDEND TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND

Since there was no unpaid/unclaimed Dividend as on 31/03/2025, the provisions of Section 125 of the Companies Act, 2013 does not apply to the Company.

25. RESOURCE MOBILISATION, CONSERVATION OF ENERGY, RESEARCH AND DEVELOPMENT, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

Presently, the Corporation has not deployed / mobilized any long term resources (i.e. long term borrowings) for business requirements. There is no transaction undertaken by the Corporation during the FY 2024-25, which involved the payment / earning in the foreign exchange. Further, there is no scope on incurring of any expenditure on Research & Development / Technology Development keeping in view the nature and area of business.

Information required to be disclosed pursuant to Section 134(3)(m) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8 (3) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 with respect to conservation of energy, technology absorption and foreign exchange earnings & outgo are furnished in **Annexure-5** which forms part of this Report.

26. STATEMENT INDICATING DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT POLICY

Enterprise Risk Management Policy has been framed for identification of key risk areas and to formulate appropriate risk mitigation plans for taking corrective action in a time bound manner. The Board has also constituted Risk Management Committee under Chairmanship of Managing Director and comprising of Independent Directors, Chief Engineer, Chief Financial Officer/ General Manager (HR & Admin.) and Superintending Engineer.

27. WHISTLE BLOWER POLICY FOR DIRECTORS AND EMPLOYEES

The Corporation has adopted a Vigil Mechanism/ Whistle Blower Policy as per the requirements of Section 177 of the Companies Act, 2013. All employees of the Corporation and Directors on the Board of the Company are covered under the mechanism. This mechanism has been established for employees to report concerns about unethical behavior, actual or suspected fraud or violation of Code of Conduct. It also provides for adequate safeguards against the victimization of employees who avail of the Mechanism and allows direct access to the Chairman of the Audit Committee in exceptional cases.

The Vigil Mechanism/Whistle Blower Policy may be accessed on the Company's website at the link www.dnhddpcl.in.

28. ANNUAL PERFORMANCE EVALUATION OF THE BOARD AS A WHOLE, ITS COMMITTEES AND INDIVIDUAL DIRECTORS

In pursuance of the provisions of the Companies Act, 2013, your Corporation has devised a policy for performance evaluation of Independent Director. The evaluation of performance of Independent Directors is carried out by entire Board of Directors excluding the Director being evaluated. While evaluating the performance of the Independent Directors, the following parameters are considered:

- a) Attendance at Board meetings and Committees thereof;
- b) Participation in Board meetings or Committee meetings;
- c) Contribution towards strategic decision making;
- d) Contribution towards review of risk assessment and risk mitigation;
- e) Contribution towards review of Financial Statements and Business Performance; and
- f) Contribution towards development of brand image of the Corporation.

Ministry of Corporate Affairs vide its GSR 463 (E) dated 5th June 2015 exempted the provisions of Section 134(3)(p) to Government Companies in case the directors are evaluated by the Ministry or Department of the Central Government which is administratively in charge of the Company or as the case may be, the State Government as per its own evaluation methodology. Schedule IV of the Companies Act, 2013 deals with Code of Conduct for Independent Directors inter-alia provides that Independent Directors in their separate meeting shall review the performance of non-independent directors, the Board as whole and the Chairman. Thus, the Independent Directors in their separate meeting reviewed the performance of the Non-Independent Directors, Board as whole, Committees and the Chairman. The Board of Directors reviews the performance of the Independent Director.



29. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के तहत प्रकटीकरण (रोकथाम, निषेध और निवारण), अधिनियम, 2013 :

“यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 ” के प्रावधानों के मुताबिक, महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न के खिलाफ अनुपालन (ओं) के निवारण के लिए निगम में शिकायत समिति गठित की गई है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, निगम को यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं मिली।

30. सामान्य :

निदेशक मंडल का कहना है कि निम्नलिखित मदों के संबंध में कोई खुलासा या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समीक्षा के दौरान इन मदों पर कोई लेनदेन नहीं किया गया था :

- क) लाभांश, मतदान या अन्यथा विभेदक दर से इक्विटी शेयर जारी करना ;
- ख) किसी भी योजना के तहत कंपनी के कर्मचारियों को परिश्रमिक इक्विटी शेयर ;
- ग) निदेशकों या कंपनी के किसी भी कर्मचारी को स्टॉक विकल्प ;
- घ) प्रतिभूतियों की वापस खरीद और बोनस शेयर ;
- ङ) न तो प्रबंध निदेशक और न ही कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों को अपनी सहायक कंपनियों से कोई पारिश्रमिक या कमीशन प्राप्त होता है ;
- च) नियामकों या न्यायालयों या ट्रिब्यूनल द्वारा कोई महत्वपूर्ण या भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया जो भविष्य में लाभकारी संस्थान की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करता है ;
- छ) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

31. अभिस्वीकृति :

निदेशक मंडल इस अवसर पर गृह मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव के संघ प्रदेश प्रशासन, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC), संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (JERC), बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधीकरण (APTEL), बैंक और इसके सभी उपभोक्ता, आपूर्तिकर्ता उनके सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। निदेशक निगम के कारोबार के विकास की प्रतिबद्धता के लिए निगम के सभी कर्मचारियों की तहे दिल से सराहना करते हैं।

निदेशक मंडल के लिए एवं की ओर से

हस्ता. (श्री प्रियांक किशोर) निदेशक DIN-10307243	हस्ता. (श्री अरुण टी.) प्रबंध निदेशक DIN-09584076
---	--

स्थान : दमण
दिनांक : 30.09.2025

29. DISCLOSURE UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL), ACT, 2013

In line with provisions of “Sexual Harassment of Women (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013, an “Internal Complaints Committee” has been constituted in the Corporation for Redressal of compliant(s) against sexual harassment of women employees.

During the FY 2024-25, the Company did not receive any complaint of sexual harassment.

30. GENERAL

The Board of Directors state that no disclosure or reporting is required in respect of the following items as there were no transactions on these matters during the reported year:

- a) Issue of equity shares with differential rights as to dividend, voting or otherwise.
- b) Sweat equity shares to employees of the Company under any scheme.
- c) Stock Options to the Directors or any employee of the Company.
- d) Buy back of securities and Bonus shares
- e) Neither the Managing Director nor the whole-time Directors of the Company receive any remuneration or commission from any its subsidiaries.
- f) No significant or material orders were passed by the regulators or Courts or Tribunals which impact the going concern status and Company's operations in future.
- g) There was no change in the nature of business of the Company during the FY 2024-25.

31. ACKNOWLEDGMENT

The Board of Directors take this opportunity to thank the Ministry of Home Affairs, Ministry of Power, the Administration of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Central Electricity Regulatory Commission (CERC), Joint Electricity Regulatory Commission (JERC), Appellate Tribunal for Electricity (APTEL), Statutory Auditors, Secretarial Auditors and other Auditors, Bankers, Consumers and Suppliers for their co-operation and support. The Directors would also like to place on record their sincere appreciation to all employees of the Corporation for their commitment to the growth of the Corporation.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/- (Priyank Kishore) Director DIN-10307243	Sd/- (Arun T.) Managing Director DIN-09584076
---	--

Place: Daman
Date: 30.09.2025



अनुलग्नक - अ
वित्तीय विशलेषण एवं अनुपात में एक नज़र

निदेशकों का प्रतिवेदन 2024-25

(₹ in Lakhs)			
विवरण	2024-25	2023-24	2022-23
वर्ष के लिए			
संचालन से राजस्व	4,539	12,903	6,708
अन्य आय	4,939	4,605	3,518
कुल आय	9,478	17,508	10,225
बिजली की खरीद	—	1,648	—
परिचालन एवं रखरखाव	1,747	1,357	954
कर्मचारी लाभ व्यय	699	550	563
वित्त लागत (अर्थात ब्याज)	—	16	—
मूल्यहास	1,158	1,326	1,240
प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	1,028	1,692	1,223
कुल व्यय	4,632	6,589	3,979
कर पूर्व लाभ	4,846	10,919	6,246
कर व्यय	1,358	2,963	2,374
कर के बाद निवल लाभ	3,488	7,956	3,872
वर्ष के लिए लाभांश	—	—	—
वर्ष के अंत में			
PPE का सकल ब्लॉक एवं अमूर्त संपत्तियाँ	41,820	39,714	39,049
कम करें: संचयित मूल्यहास / परिशोधन	25,546	24,388	23,063
PPE का सकल संपत्ति एवं अमूर्त संपत्तियाँ	16,274	15,326	15,986
पूँजी कार्य प्रगति में (CWIP)	511	550	—
CWIP सहित कुल अचल संपत्तियाँ	16,785	15,876	15,986
गैर-वर्तमान वित्तीय एवं अन्य संपत्तियाँ	19	177	2,689
कुल गैर-वर्तमान संपत्तियाँ (अ)	16,804	16,053	18,675
वस्तु सूचि	336	219	154
व्यापार प्राप्य	66	1,262	2,203
नकद एवं बैंक शेष	67,328	61,520	52,566
वित्तीय एवं अन्य संपत्तियाँ	140	1,689	78
कुल वर्तमान संपत्तियाँ (ब)	67,869	64,690	55,000
कुल संपत्तियाँ (अ + ब)	84,674	80,743	73,675
शेयर पूंजी	38,974	38,974	38,974
आरक्षित राजस्व	40,583	37,095	29,138
कुल मूल्य (क)	79,557	76,069	68,112
गैर-वर्तमान वित्तीय एवं अन्य देयताएँ (ड)	1,968	2,405	2,408
वर्तमान वित्तीय एवं अन्य देयताएँ (ई)	3,148	2,269	3,154
कुल देयताएँ (क+ड+ई)	84,674	80,743	73,675
शेयरों की कुल संख्या (भारित औसत)	3,89,74,445	3,89,74,445	3,89,74,445
स्वयं सौर उत्पादन (MUs) (ज)	6.47	6.09	5.36

Annexure – A
Financial Analysis and Ratio at a Glance



(₹ in Lakhs)			
Particulars	2024-25	2023-24	2022-23
For the year			
Revenue from Operations	4,539	12,903	6,708
Other Income	4,939	4,605	3,518
Total Income	9,478	17,508	10,225
Purchase of Power	—	1,648	—
Operation and Maintenance	1,747	1,357	954
Employee Benefit Expenses	699	550	563
Finance Costs (i.e. Interest)	—	16	—
Depreciation	1,158	1,326	1,240
Administration and Other Expenses	1,028	1,692	1,223
Total Expenses	4,632	6,589	3,979
Profit before Tax	4,846	10,919	6,246
Tax Expenses	1,358	2,963	2,374
Net Profit after Tax (Total Comprehensive Income)	3,488	7,956	3,872
Dividend for the year	—	—	—
At the end of year			
Gross Block of PPE and Intangible Assets	41,820	39,714	39,049
Less: Accumulated Depreciation / Amortisation	25,546	24,388	23,063
Net Block of PPE and Intangible Assets	16,274	15,326	15,986
Capital Work-in-Progress (CWIP)	511	550	—
Total Fixed Assets including CWIP	16,785	15,876	15,986
Non Current Financial & Other Assets	19	177	2,689
Total Non Current Assets (a)	16,804	16,053	18,675
Inventories	336	219	154
Trade Receivables	66	1,262	2,203
Cash & Bank Balances	67,328	61,520	52,566
Other Financial and Other Assets	140	1,689	78
Total Current Assets (b)	67,869	64,690	55,000
Total Assets (a+b)	84,674	80,743	73,675
Share Capital	38,974	38,974	38,974
Revenue Reserves	40,583	37,095	29,138
Net Worth (c)	79,557	76,069	68,112
Non Current Financial & Other Liabilities (d)	1,968	2,405	2,408
Current Financial & Other Liabilities (e)	3,148	2,269	3,154
Total Liabilities (c+d+e)	84,674	80,743	73,675
Total Nos. of Shares (Weighted Average)	3,89,74,445	3,89,74,445	3,89,74,445
Own Solar Generation (MUs) (g)	6.47	6.09	5.36

DIRECTORS' REPORT 2024-25



डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

CIN: U40100DN2012GOI000405 (सरकार का उपक्रम)

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

अनुलग्नक - 1

लेखा परीक्षा, बोर्ड निदेशकों एवं निगमित सामाजिक दायित्व समिति की बैठकों में उपस्थिति

निदेशकों का प्रतिवेदन 2024-25

	2024-25 के दौरान कुल तीन (3) लेखा परीक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गई :		2024-25 के दौरान कुल चार (4) बोर्ड निदेशकों की बैठकें आयोजित की गई :		2024-25 के दौरान कुल दो (2) निगमित सामाजिक दायित्व (CSR) समिति की बैठक आयोजित की गई :	
	निदेशक के कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	बैठक में उपस्थिति	निदेशक के कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	बैठक में उपस्थिति	निदेशक के कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	बैठक में उपस्थिति
निदेशक का नाम	12.06.2024 10.09.2024 28.02.2025		21.06.2024 30.09.2024 27.12.2024 27.03.2025		10.12.2024 25.02.2025	
श्री प्रफुल पटेल अध्यक्ष	—	—	4	4	—	—
श्री गौरव सिंह राजावत, भा. प्र. से. निदेशक, (अध्यक्ष,लेखा परीक्षा समिति) (सदस्य,CSR समिति)	3	3	4	4	2	2
श्री अरुण टी., भा. प्र. से. प्रबंध निदेशक, (अध्यक्ष, CSR समिति 25.10.2023 तक) (सदस्य,CSR समिति)	—	—	4	4	2	2
श्री अमित सिंगला, भा. प्र. से. निदेशक (29.06.2023 से कार्यान्वित) (अध्यक्ष, CSR समिति)	—	—	4	4	2	2
श्री प्रियांक किशोर, भा. प्र. से. (27.02.2024 से कार्यान्वित)	—	—	4	4	—	—
श्रीमति आरती अग्रवाल, दानिक्स निदेशक, (27.03.2025 से कार्यान्वित)	—	—	0	0	—	—
श्री हिमांशु कापडिया स्वतंत्र निदेशक (30.09.2024 तक) व्यावसायिक निदेशक (27.12.2024 से कार्यान्वित) (सदस्य, लेखा परीक्षा, निदेशक मंडल, CSR समिति,)	2 —	2 —	2 1	2 1	1 —	1 —
श्री पी. पेन्टैया स्वतंत्र निदेशक (30.09.2024 तक) व्यावसायिक निदेशक (27.12.2024 से कार्यान्वित) (सदस्य, लेखा परीक्षा, निदेशक मंडल, CSR समिति,)	2 —	2 —	2 1	2 1	1 —	1 —
श्री अतुल मेहता स्वतंत्र निदेशक (सदस्य, CSR, लेखा परीक्षा समिति (27.12.2024 से कार्यान्वित)	1	1	1	1	1	1
श्री मुकेश गढवी स्वतंत्र निदेशक, (सदस्य, CSR, लेखा परीक्षा समिति (27.03.2025 से कार्यान्वित)	—	—	0	0	0	0

2024-25 Annual Report

DNH and DD Power Corporation Limited

(A Govt. Undertaking) CIN: U40100DN2012GOI000405

Annexure – 1

Attendance of Audit Committee, Board Meetings and CSR Committee



DIRECTORS' REPORT 2024-25

	During 2024-25 Total Three (3) Meeting of Audit Committee Meetings were held :		During 2024-25 Total Four (4) Meetings of Board of Director Meetings were held :		During 2024-25 Total two (2) Meetings of CSR Committee Meetings were held :	
	Meeting held during Tenure of the Director	Meeting Attended	Meeting held during Tenure of the Director	Meeting attended	Meeting held during Tenure of the Director	Meeting attended
Name of Director	12.06.2024 10.09.2024 28.02.2025		21.06.2024 30.09.2024 27.12.2024 27.03.2025		10.12.2024 25.02.2025	
Shri Praful Patel Chairman	—	—	4	4	—	—
Shri Amit Singla, IAS Director (w.e.f. 29.06.2023) (Chairman, CSR Committee)	—	—	4	4	2	2
Shri Gaurav Singh Rajawat, IAS Director, (Chaiman, Audit Committee) (Member, CSR Committee)	3	3	4	4	2	2
Shri Arun T., IAS Managing Director (Member CSR Committee)	—	—	4	4	2	2
Shri Priyank Kishore, IAS Director (w.e.f. 27.02.2024)	—	—	4	4	—	—
Smt. Aarti Agarwal, DANICS Women Director (w.e.f. 27.03.2025)	—	—	0	0	—	—
Shri Hemanshu Kapadia Independent Director (till 30.09.2024) Professional Director (w.e.f. 27.12.2024) (Member Audit, Board of Director CSR Committee)	2	2	2 1	2 1	1	1
Shri P. Pentayya Independent Director (till 30.09.2024) Professional Director (w.e.f. 27.12.2024) (Member Audit, Board of Director CSR Committee)	2	2	2 1	2 1	1	1
Shri Atul Mehta Independent Director (Member CSR, Audit Committee (w.e.f. 27.12.2024)	1	1	1	1	1	1
Shri Mukesh Gadhvi Independent Director (Member CSR, Audit Committee (w.e.f. 27.03.2025)	—	—	0	0	0	0



डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

CIN: U40100DN2012GOI000405 (सरकार का उपक्रम)

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

अनुलग्नक - 2

समाप्त वित्तीय वर्ष 31.03.2025 पर वार्षिक रिटर्न की जानकारी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी नियम 12(1)
(प्रबंधन एवं प्रशासन) कंपनी नियम, 2014 के अनुसरण में

I. पंजीकरण और अन्य विवरण :

I)	सी.आई.एन	: U40100 DN 2012 GOI 000405
ii)	पंजीकरण की तारीख	: 13 . 07. 2012
iii)	कंपनी का नाम	: डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
iv)	कंपनी की श्रेणी	: सरकारी कंपनी
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण	: विद्युत भवन, सचिवालय के पास, 66 केवी रोड, आमली, सिलवासा 396 230
	टेलि./फैक्स	: 0260 240 6500
	ई-मेल	: cs.dnhpdcl@gov.in
	वेबसाइट	: https/ /www.dnhddpcl.in
vi)	कंपनी सूचिबद्ध है या नहीं	: नहीं

II. कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियाँ :

क्रमांक	मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों के नाम और विवरण	कंपनी कुल कारोबार करने के प्रतिशत
1	बिजली शक्ति उत्पादन एवं संचरण	100%

कक्षा की संख्या 1

अ) इक्विटी शेयर पूंजी :

विवरण	अधिकृत पूंजी	जारी पूंजी	सदस्यता पूंजी	चुक्ता पूंजी
Total numbers of Equity Shares	5,00,00,000	3,89,74,445	3,89,74,445	3,89,74,445
Nominal value per share (in ₹)	100	100	100	100
Total amount of Equity Shares (in ₹)	5,00,00,00,000	3,89,74,44,500	3,89,74,44,500	3,89,74,44,500

ब) चुक्ता शेयर पूंजी का ब्योरा :

विवरण	शेयर की संख्या			कुल सामान्य राशि	कुल चुक्ता राशि
	भौतिक	डीमेट	कुल		
वर्ष की शुरुआत में	3,89,74,445	0	3,89,74,445	3,89,74,44,500	3,89,74,44,500
वर्ष के दौरान वृद्धि	—	—	—	—	—
वर्ष के दौरान कमी	—	—	—	—	—
वर्ष के अंत में	3,89,74,445	0	3,89,74,445	3,89,74,44,500	3,89,74,44,500

2024-25 Annual Report

DNH and DD Power Corporation Limited

(A Govt. Undertaking) CIN: U40100DN2012GOI000405

Annexure – 2
Information of Annual Returnas on Financial Year ended on 31.03.2025

Pursuant to Section 92 (3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Company
(Management & Administration) Rules, 2014.

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

i)	CIN	: U40100DN2012GOI000405
ii)	Registration Date	: 13 July 2012
iii)	Name of the Company	: DNH & DD Power Corporation Limited
iv)	Category/Sub Category of the Company	: Government Company
v)	Address of the Registered Office & Contact Details	: Vidyut Bhavan, 66 KV Road, Near Secretariat, Amli, SILVASSA 396 230, DNH
	Tel/Fax	: 0260-2406500
	E-mail	: cs.dnhpdcl@gov.in
	Website	: https/ /www.dnhddpcl.in
vi)	Whether listed Company	: No

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

Sr. No.	Name and Description of main Business Activity	% to total turnover of the company
1.	Electricity Power Generation, and Transmission	100%

III. SHARE CAPITAL

Number of Class 1

a) Equity Share Capital

Particulars	Authorised Capital	Issued Capital	Subscribed Capital	Paid up Capital
Total numbers of Equity Shares	5,00,00,000	3,89,74,445	3,89,74,445	3,89,74,445
Nominal value per share (in ₹)	100	100	100	100
Total amount of Equity Shares (in ₹)	5,00,00,00,000	3,89,74,44,500	3,89,74,44,500	3,89,74,44,500

b) Break up of paid-up Share Capital

Class of Shares	Number of Shares			Total Nominal Amount	Total Paid up Amount
Equity Shares	Physical	Demat	Total		
At the beginning of the Year	3,89,74,445	0	3,89,74,445	3,89,74,44,500	3,89,74,44,500
Increase during the Year—	—	—	—	—	—
Decrease during the Year—	—	—	—	—	—
At the end of the Year	3,89,74,445	0	3,89,74,445	3,89,74,44,500	3,89,74,44,500



III. शेयर पूंजी

पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति तारीख के बाद से शेयर हस्तांतर का विवरण :

हस्तांतरण के पंजीकरण की तारीख	अंतरणकर्ता के नाम
हस्तांतरण के प्रकार	अंतरणकर्ता के खाता-बही पन्ना
शेयर की संख्या	हस्तांतरी के नाम
प्रति शेयरों की राशि	हस्तांतरी के खाता-बही पन्ना

IV. कंपनी का कारोबार एवं निवल मूल्य

कारोबार	94,77,86,382
निवल मूल्य	7,95,56,52,871

V. शेयरधारिता प्रतिरूप - प्रवर्तक

क्रमांक	श्रेणी	इक्विटी शेयरों की संख्या	वरियता प्रतिशत	शेयरों की संख्या शेयरों की संख्या	प्रतिशत
1.	सरकार :				
	केन्द्रीय सरकार	3,89,74,445	100	0	0
	कुल	3,89,74,445	100	0	0
	शेयर धारकों की संख्या - प्रवर्तक श्रेणी में				8
	शेयर धारकों की संख्या - सार्वजनिक श्रेणी में				0
	शेयर धारकों की संख्या - प्रवर्तक + सार्वजनिक श्रेणी में				8

क्रमांक	प्रवर्तक श्रेणी में मनोनीत शेयरधारकों की सूची	शेयरों का अंकित मूल्य(₹ में)	इक्विटी शेयरों की संख्या
1.	भारत के राष्ट्रपति	100/-	79,94,994
	भारत के राष्ट्रपति - संघ प्रदेश प्रशासन, दानह एवं दमण दीव के माध्यम से कार्य करना	100/-	3,09,74,445
2.	श्री प्रफुल पटेल, माननीय प्रशासक, दादरा नगर हवेली एवं दमण दीव भारत के राष्ट्रपति के मनोनीत के रूप में शेयरधारित	100/-	5,000
3.	श्री अमित सिंगला, भा.प्र.से. भारत के राष्ट्रपति के मनोनीत के रूप में शेयरधारित	100/-	1
4.	श्री गौरव सिंह राजावत, भा.प्र.से. भारत के राष्ट्रपति के मनोनीत के रूप में शेयरधारित	100/-	1
5.	श्री अरुण टी., भा.प्र.से. भारत के राष्ट्रपति के मनोनीत के रूप में शेयरधारित	100/-	1
6.	श्री प्रियांक किशोर., भा.प्र.से. भारत के राष्ट्रपति के मनोनीत के रूप में शेयरधारित	100/-	1
7.	श्री जतिन गोयल, दानिक्स भारत के राष्ट्रपति के मनोनीत के रूप में शेयरधारित	100/-	1
8.	श्री सी. ए.परमार भारत के राष्ट्रपति के मनोनीत के रूप में शेयरधारित	100/-	1
	Total	100/-	3,89,74,445



III. SHARE CAPITAL

Details of Share Transfers since closure date of last Financial Year : NIL

Date of Registration of Transfer	Name of Transferor
Type of Transfer	Ledger folio of Transferor
Number of Share	Name of Transferee
Amount per Share	Ledger folio of Transferee

IV. TURNOVER AND NET WORTH OF THE COMPANY

Turnover	94,77,86,382
Net Worth	7,95,56,52,871

V. SHARE HOLDING PATTERN – Promoters

Sr. No.	Category	Equity Number of Shares	Percentage	Preference Number of Shares	Percentage
1.	Government :				
	Central Government	3,89,74,445	100	0	0
	Total	3,89,74,445	100	0	0
	Total number of Shareholders – In Promoter Category				8
	Total number of Shareholders – In Public Category				0
	Total number of Shareholders – In Promoter + Public Category				8

Sr. No.	List of Nominee Shareholders in Promoter Category	Face Value of Shares (in ₹)	No. of Equity Shares
1.	President of India	100/-	79,94,994
	President of India – acting through UT Administration of DNH & DD	100/-	3,09,74,445
2.	Shri Praful Patel Hon'ble Administrator, DNH & DD, as a nominee of President of India	100/-	5,000
3.	Shri Amit Singla, IAS as a nominee of President of India	100/-	1
4.	Shri Gaurav Singh Rajawat, IAS as a nominee of President of India	100/-	1
5.	Shri Arun T., IAS as a nominee of President of India	100/-	1
6.	Shri Priyank Kishore, IAS as a nominee of President of India	100/-	1
7.	Shri Jatin Goyal, Danics as a nominee of President of India	100/-	1
8.	Shri C. A. Parmar as a nominee of President of India	100/-	1
	Total	100/-	3,89,74,445



डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

CIN: U40100DN2012GOI000405 (सरकार का उपक्रम)

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

अनुलग्नक - 2
समाप्त वित्तीय वर्ष 31.03.2025 पर वार्षिक रिटर्न की जानकारी

VI. प्रवर्तकों की संख्या, सदस्यों (प्रवर्तक के अलावा) डिबेंचर धारक :

क्रमांक	विवरण	वर्ष की शुरुआत में	वर्ष के अंत में
1.	प्रवर्तक	8	8
2.	सदस्यों (प्रवर्तक के अलावा)	0	0
3.	डिबेंचर धारक	0	0

VII. निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का विवरण :

वित्तीय वर्ष के बंद होने पर निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का विवरण :

क्रमांक	नाम	DIN/PAN	पदनाम	धारित शेयरों की संख्या	कार्यकारी अधिकारी गैर-कार्यकारी
1.	श्री प्रफुलभाई खोडीदास पटेल,	07652308	मनोनीत निदेशक अध्यक्ष	5,000	गैर-कार्यकारी
2.	श्री अमित सिंगला	08747032	मनोनीत निदेशक	1	गैर-कार्यकारी
3.	श्री गौरव सिंह राजावत	07112508	मनोनीत निदेशक	1	गैर-कार्यकारी
4.	श्री अरुण टी.	09584076	प्रबंध निदेशक	1	कार्यकारी
5.	श्री प्रियांक किशोर	10307243	मनोनीत निदेशक	1	गैर-कार्यकारी
6.	श्रीमती आरती अग्रवाल	10913921	महिला निदेशक		गैर-कार्यकारी
7.	श्री हिमांशु ललितभाई कापडिया	06482858	स्वतंत्र निदेशक	0	गैर-कार्यकारी
8.	श्री पेन्टैया पोलागनी	06943298	स्वतंत्र निदेशक	0	गैर-कार्यकारी
9.	श्री अतुल मेहता	00112451	स्वतंत्र निदेशक	0	गैर-कार्यकारी
10.	श्री मुकेश गढ़वी	10909307	स्वतंत्र निदेशक	0	गैर-कार्यकारी
11.	श्री हेमंत कुमार शाह	AFBPS0697D	मुख्य वित्त अधिकारी	0	कार्यकारी
12.	सु श्री अंजु एम. चौधरी	AMDPC5441J	कंपनी सचिव	0	कार्यकारी

वर्ष के दौरान निदेशक(कों) और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों में परिवर्तन के विवरण : 8

क्रमांक	नाम	DIN/PAN	पदनाम	नियुक्ति/समाप्ति पदनाम में परिवर्तन की तारीख	परिवर्तन की प्रकृति (नियुक्ति/समाप्ति / पदनाम में परिवर्तन)
1.	हिमांशु ललीतभाई कापडिया	06482858	स्वतंत्र निदेशक	30.09.2024	समाप्ति
2.	पेन्टैया पोलागनी	06943298	स्वतंत्र निदेशक	30.09.2024	समाप्ति
3.	आरती अग्रवाल	10913921	महिला निदेशक	27.03.2025	नियुक्ति
4.	चार्मी पारेख	07592325	महिला निदेशक	26.12.2024	समाप्ति
5.	अतुल मेहता	00112451	मनोनीत निदेशक	27.12.2024	नियुक्ति
6.	मुकेश गढ़वी	10909307	स्वतंत्र निदेशक	27.03.2025	नियुक्ति
7.	हिमांशु ललीतभाई कापडिया	06482858	व्यवसायिक निदेशक	27.12.2024	नियुक्ति
8.	पेन्टैया पोलागनी	06943298	व्यवसायिक निदेशक	27.12.2024	नियुक्ति

2024-25 Annual Report

DNH and DD Power Corporation Limited

(A Govt. Undertaking) CIN: U40100DN2012GOI000405

Annexure – 2
Information of Annual Returnas on Financial Year ended on 31.03.2025

VI. NUMBER OF PROMOTERS, MEMBERS (other than promoters) DEBENTURE HOLDERS

Sr. No.	Details	At the beginning of the Year	At the end of the Year
1.	Promoters	8	8
2.	Members (other than promoters)	0	0
3.	Debenture Holders	0	0

VII. DETAILS OF DIRECTOR AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

Details of Director and Key Managerial Personnel as on the closure of Financial Year :

Sr. No.	Name	DIN/PAN	Designation	Number of Shares held	Executive/ Non-Executive
1.	Prafulbhai Khodidas Patel	07652308	Nominee Director Chairman	5,000	Non-Executive
2.	Amit Singla	08747032	Nominee Director	1	Non-Executive
3.	Gaurav Singh Rajawat	07112508	Nominee Director	1	Non-Executive
4.	Arun T.	09584076	Managing Director	1	Executive
5.	Priyank Kishore	10307243	Nominee Director	1	Non-Executive
6.	Aarti Agarwal	10913921	Women Director		Non-Executive
7.	Hemanshu Lalitbhai Kapadia	06482858	Professional Director	0	Non-Executive
8.	Pentayya Polagani	06943298	Professional Director	0	Non-Executive
9.	Atul Mehta	00112451	Independent Director	0	Non-Executive
10.	Mukesh Gadhvi	10909307	Independent Director	0	Non-Executive
11.	Hemant Kumar Shah	AFBPS0697D	Chief Financial Officer	0	Executive
12.	Anju M. Chaudhary	AMDPC5441J	Company Secretary	0	Executive

Particulars of change in Director(s) and Key Managerial Personnel during the Year : 8

Sr. No.	Name	DIN/PAN	Designation	Date of Appointment /Change in Designation Cessation	Nature of Change (Appointment /Cessation/ change in Designation
1.	Hemanshu Lalitbhai Kapadia	06482858	Independent Director	30.09.2024	Cessation
2.	Pentayya Polagani	06943298	Independent Director	30.09.2024	Cessation
3.	Aarti Agarwal	10913921	Women Director	27.03.2025	Appointment
4.	Charmie Parekh	07592325	Women Director	26.12.2024	Cessation
5.	Atul Mehta	00112451	Independent Director	27.12.2024	Appointment
6.	Mukesh Gadhvi	10909307	Independent Director	27.03.2025	Appointment
7.	Hemanshu Lalitbhai Kapadia	06482858	Professional Director	27.12.2024	Appointment
8.	Pentayya Polagani	06943298	Professional Director	27.12.2024	Appointment



VIII. सदस्यों की बैठक :

क्रमांक	बैठक के प्रकार	बैठक की तारीख	बैठकों में उपस्थित होने वाले सदस्यों की कुल संख्या	उपस्थिति	
				बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या	शेयरधारिता के कुल प्रतिशत
1.	12th Annual General Meeting	30.09.2024	8	8	100 %

IX. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को पारिश्रमिक :

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्त अधिकारी तथा कंपनी सचिव जिनके पारिश्रमिक विवरण दर्ज किये गये हैं : 2

क्रमांक	नाम	पदनाम	सकल वेतन
1.	हेमंत कुमार शाह	मुख्य वित्त अधिकारी	26,63,478
2.	अंजु मदनलाल चौधरी	कंपनी सचिव	8,73,600
कुल			35,37,078

अन्य निदेशकों की संख्या जिनके पारिश्रमिक विवरण दर्ज किये गये हैं : 4

क्रमांक	नाम	पदनाम	बैठक वेतन
1.	हिमांशु ललितभाई कापडिया	व्यवसायिक निदेशक	1,05,000
2.	पेन्टैया पोलागनी	व्यवसायिक निदेशक	1,20,000
3.	अतुल मेहता	स्वतंत्र निदेशक	45,000
4.	मुकेश गढ़वी	स्वतंत्र निदेशक	15,000
कुल			2,85,000



VIII. MEETINGS OF MEMBERS

Sr. No.	Type of Meeting	Date of Meeting	Total Number of Members entitled to attend Meeting	Attendance	
				Number of Members attended	% of total Shareholding
1.	12th Annual General Meeting	30.09.2024	8	8	100 %

IX. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

Number of CEO, CFO and Company Secretary whose remuneration details to be entered : 2

Sr.	Name	Designation	Gross Salary
1.	Hemant Kumar Shah	Chief Financial Officer	26,63,478
2.	Anju Madanlal Chaudhary	Company Secretary	8,73,600
Total			35,37,078

Number of other Directors whose remuneration details to be entered : 4

Sr.	Name	Designation	Sitting Fee
1.	Hemanshu Lalitbhai Kapadia	Professional Director	1,05,000
2.	Pentayya Polagani	Professional Director	1,20,000
3.	Atul Mehta	Independent Director	45,000
4.	Mukesh Gadhvi	Independent Director	15,000
Total			2,85,000



अनुलग्नक - 3
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

प्रपत्र क्रमांक एम.आर. - 3
सचिवीय लेखा - परीक्षा रिपोर्ट

दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

[कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में]

सेवा में,
सदस्यगण,
डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
CIN: U40100DN2012GOI000405
विद्युत भवन, 66 KV पथ, सचिवालय के बाजु में,
आमली, सिलवासा 396 230,
दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव

मैंने लागू होने वाले संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन तथा डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (जिसे अब कंपनी के नाम से जाना जाएगा) के अच्छे कोर्पोरेट कार्यों के अनुसरण में सचिवीय लेखा-परीक्षा की है। सचिवीय लेखा-परीक्षा को इस प्रकार किया गया है जिसके तहत मुझे कोर्पोरेट आचरण/संवैधानिक अनुपालन के मूल्यांकन का उचित आधार मिला और उस पर मैं अपने विचार प्रस्तुत किये हैं।

सचिवीय लेखा-परीक्षा के दौरान मेरे द्वारा कंपनी के बही, दस्तावेज, बैठक बही, प्रपत्रों और रिटर्न तथा कंपनी के द्वारा बनाये गये अन्य दस्तावेजों की जाँच एवं कंपनी के अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के द्वारा दी गई जानकारीयों के आधार पर, मैं यह सूचित करता हूँ कि मेरे विचार में, कंपनी ने, लेखा परीक्षा अवधि जो कि दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अधीन है, निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन करती है और यह भी कि कंपनी के पास एक उचित जगह में हद तक बोर्ड-प्रक्रिया और अनुपालन-प्रणाली के अनुरूप है, जो कि बाद में दर्शाये गये रिपोर्ट के तरीके एवं विषय पर आधारित है :

मैंने निम्नलिखित प्रावधानों के तहत दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के बही, दस्तावेजों, बैठक बही, प्रपत्रों एवं फाइल रिटर्नों तथा अन्य दस्तावेजों की पड़ताल की है :

- 1) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके तहत बनाये गये नियम;
- 2) प्रतिभूति निविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (एस.सी.आर.ए.) और इसके तहत बनाये गये नियम; (यह खंड कंपनी को लागू नहीं होता है)
- 3) निक्षेपण अधिनियम, 1996 इसके तहत बनायी गई उप-विधि एवं विनियम; (यह खंड कंपनी को लागू नहीं होता है)
- 4) विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और सीधा विदेशी निवेश, सीधा ओवरसीज निवेश और बाह्य वाणिज्यक आदाता के लिए इसके तहत बनाये गये विनियम एवं उप-विधि ; (यह खंड कंपनी को लागू नहीं होता है)
- 5) प्रतिभूति एवं विनिमय भारतीय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत वर्णित विनियम एवं दिशा-निर्देश (यह खंड कंपनी को लागू नहीं होता है)
- 6) अन्य कानूनों विशेष रूप से कंपनी को लागू यानी :
 - क) भारत के कंपनी सचिवों द्वारा जारी किये गये वित्तीय मानकों को 1 जुलाई 2015 से प्रभावी बनाया गया ;
 - ख) विद्युत अधिनियम, 2003 ;
 - ग) भारतीय विद्युत नियम, 1956 ;
 - घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 ;
 - ङ) संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (JERC)नियमों एवं विनियमों, 2010 ;
 - च) कारखानों अधिनियम, 1948 ;
 - छ) भविष्य निधि अधिनियम, 1952 ;
 - ज) क्षम कानून और मज़दूरी, उपदान, भविष्य अग्र इधिस फेशेवर कर, ESIC मुआवजे इत्यादि से संबंधित अनुबंध के आधार पर कंपनी द्वारा नियुक्त श्रम और कर्मचारियों से संबंधित अन्य आकस्मिक कानून ;

Annexure – 3
Secretarial Audit Report for FY 2024-25

Form No. MR - 3
SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
DNH and DD Power Corporation Limited
CIN: U40100DN2012GOI000405
Vidyut Bhawan, 66 KV Road, Near Secreteriat, Amli, Silvassa - 396 230.
Dadar & Nagar Haveli and Daman & Diu

I have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by DNH and DD Power Corporation Limited (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided to us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/ statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on my verification of Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives of each department during the conduct of secretarial audit, I hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended March 31, 2025, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

I have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the financial year ended on March 31st 2025, according to the provisions of:

1. The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under;
2. The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made there under; (This clause is not applicable to the Company)
3. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and bye-laws framed there under; (This clause is not applicable to the Company)
4. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made there under to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowing; (This clause is not applicable to the Company)
5. The Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'); (This clause is not applicable to the Company)
6. Other laws applicable specifically to the company namely:
 - a) Secretarial Standards issued by Institute of Company Secretaries of India made effective from 1st July, 2015
 - b) The Electricity Act, 2003;
 - c) Indian Electricity Rules, 1956;
 - d) Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010;
 - e) JERC Rules and Regulations, 2010
 - f) Factories Act, 1948;
 - g) Provident Fund Act 1952;
 - h) Labor Laws and other incidental laws related to labor and employees appointed by the Company either on its payroll or on contractual basis as related to wages, gratuity, provident fund, professional tax, ESIC, compensation etc.;
 - i) Labor Welfare Act of respective State;
 - j) Maternity Benefit Act, 1961



अनुलग्नक - 3
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

- ट) संबंधित राज्यका श्रम कल्याण अधिनियम ;
ठ) मातृत्व लाभ अधिनियम अधिनियम, 1961;
ड) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948;
ढ) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965;
ण) उपदान भुगतान अधिनियम, 1972;
त) मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936;
थ) कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम, 1923.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर वर्णित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, हमें कंपनी के संबंधित विभाग से आंतरिक अनुपालन प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि :

- कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया है। वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशक की पुनः नियुक्ति संकलित होती है और आवश्यक ई-फाइलिंग कंपनी द्वारा पूरी की गई है।
- श्री पेंटाया पोलागीनी (DIN 06943298) और श्री हिमांशु कापडिया (DIN 069482858) 12 वीं वार्षिक आम बैठक में अपने कार्यकाल की समाप्ति पर कंपनी के स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे। इस रिक्ति को भरने के लिए, श्री अतुल हसमुखराय मेहता (DIN 00112451) और श्री मुकेश गुलाबसिंह गढ़वी (DIN 10909307) को क्रमशः 27 दिसंबर, 2025 और 27 मार्च, 2025 से स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया। इस रिक्ति के कारण, कंपनी 27 मार्च, 2025 तक लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन नहीं कर पाई और इसलिए समीक्षाधीन अवधि के दौरान लेखा परीक्षा समिति की केवल तीन बैठकें ही रिकॉर्ड की गई थीं।
- पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी होने के कारण, अनुमोदित लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सौंपे जाने आवश्यक हैं। हालांकि, निर्धारित समय के दौरान बोर्ड मीटिंग आयोजित करने से पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों का इंतजार किया गया। इस प्रकार, कंपनी समीक्षाधीन वर्ष के दौरान केवल तीन बोर्ड मीटिंग आयोजित करने में सक्षम थी और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 173(1) के प्रावधान का पालन करने में असमर्थ हैं।
- निदेशक मंडल का बैठकों के कार्यवृत्त और उसकी समिति के अध्यक्ष द्वारा विधिवत रिकॉर्ड और हस्तातारित के अनुसार बोर्ड या बोर्ड समिति का निर्णय सर्वसम्मति से था और कोई असहमतिपूर्ण विचार दर्ज नहीं किया गया है।
- मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं।

मुझे पुनः यह भी बताना है कि लेखा प्रक्रिया के दौरान कोई महत्वपूर्ण घटना घटी नहीं है :

- अ) सार्वजनिक / अधिकार / शेयर / डिबेंचर / उद्यम इक्विटी का अधिमानी मुद्दा।
ब) प्रतिभूतियों की छूट / खरीद वापसी।
क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 के अनुसरण में सदस्यों द्वारा लिया गया प्रमुख निर्णय।
ड) विलय / समामेलन / पुनः निर्माण आदि।
ई) विदेशी तकनीकी सहयोग।

जी. एस. भीड़े एवं एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव
हस्ता.
गायत्री वी. पाठक
स्वत्वधारी
सी. पी. क्रमांक 11816
एम. क्रमांक 31886

स्थान : वापी
दिनांक : 19.08.2025
UDIN : A031886G001030611

Annexure – 3
Secretarial Audit Report for FY 2024-25

- k) Minimum Wages Act, 1948
l) Payment of Bonus Act, 1965
m) Payment of Gratuity Act, 1972
n) Payment of Wages Act, 1936
o) Workman's Compensation Act, 1923

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. as mentioned above,

During the period under review, we have received the internal compliance certificates from Company's respective departments.

I further report that

- The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non- Executive Directors and Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review are carried out in compliance with the provisions of the Act. During the year necessary appointment of Independent Director was complied and required e-filing is fulfilled by the Company.
- Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda are sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.
- Mr. Pentayya Polagani (DIN:06943298) and Mr. Hemanshu Kapadia (DIN: 06482858) ceased to be an Independent Directors of the Company on 12th Annual General Meeting on expiry of their term. To fulfill such vacancy, Mr. Atul Hasmukhrai Mehta (DIN: 00112451) and Mr. Mukesh Gulabsinh Gadhvi. (DIN: 10909307) was appointed as an Independent Director w.e.f. 27th December, 2024 and 27th March, 2025 respectively. Due to such vacancy, the Company was not able to re-constitute the audit committee till 27th March, 2025 and hence only three meetings of audit committee were conducted during the period under review. On this background further we report that, as there was a gap between fulfillment of vacancy of Independent Directors, separate meeting of Independent Directors was not held during the period under review.
- As per the Minutes of the meetings of the Board of Directors & the committee thereof duly recorded and signed by the Chairman the decision of the Board or Committee was unanimous and no dissenting views have been recorded.
- I further report that there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

I further report that during the audit period, there are no instances of:

- a) Public / Rights / Preferential issue of shares / debentures / sweat equity.
b) Redemption / buy-back of securities.
c) Major decisions taken by the members in pursuance to Section 180 of the Companies Act, 2013.
d) Merger / amalgamation / reconstruction etc.
e) Foreign technical collaborations.

For G. S. Bhide & Associates
Company Secretaries

Sd/-
Gayatri V. Phatak
Proprietor
C.P.No. 11816
M.No. 31886

Place : Vapi
Date : 19.08.2025
UDIN: A031886G001030611





डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

CIN: U40100DN2012GOI000405 (सरकार का उपक्रम)

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

अनुलग्नक - 3
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

"अनुलग्नक - अ"

प्रपत्र क्रमांक एम.आर. - 3

सचिवीय लेखा - परीक्षा रिपोर्ट

दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

सेवा में,
सदस्यगण,
डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
(पहले दानह ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड से जाना जाता था)
CIN: U40100DN2012GOI000405
विद्युत भवन, 66 KV पथ, सचिवालय के बाजु में,
आमली, सिलवासा 396 230,
दादरा नगर हवेली

इस पत्र के साथ हमारे सम दिनांक वाले रिपोर्ट को पढ़ा जाए।

- सचिवीय अभिलेखों के देखरेख की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन ने की है। हमारा दायित्व लेखा-परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर विचार प्रस्तुत करना है।
- मैंने सचिवीय अभिलेखों के विषय की सत्यता को सुनिश्चित करने हेतु लेखा-परीक्षा पद्धति और प्रक्रिया को अपनाया है। सचिवीय अभिलेखों में दर्शाये गये सही तथ्यों को सुनिश्चित करने के लिए जाँच आधार पर मूल्यांकन किया गया है। मेरा मानना है कि मेरे द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और अभ्यास, हमारी राय का एक उचित आधार प्रदान करते हैं।
- मैंने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों, लेखा बहियों, कंपनी के संबंधित विभाग से अनुपालन प्रमाणपत्र की सत्यता एवं वास्तविकता को नहीं जाँचा है।
- जब भी आवश्यक हो, मैं ने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के आयोजन आदि के बारे में प्रबंधन प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
- कोर्पोरेट एवं लागू होने वाले अन्य कानून, नियम, विनियम, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरे मूल्यांकन की सीमा परिक्षण आधार पर प्रक्रिया जाँच की है।
- सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट न तो भविष्य की व्यवहार्यता को सुनिश्चित करता है और न ही कंपनी मामलों में प्रबंधन के प्रभावी या प्रभावोत्पादक आचरण को।

जी. एस. भीड़े एवं एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव

हस्ता.

गायत्री वी. पाठक

स्वत्वधारी

सी. पी. क्रमांक 11816

एम. क्रमांक 31886

स्थान : वापी
दिनांक : 19.08.2025
UDIN : A031886G001030611



2024-25 Annual Report

DNH and DD Power Corporation Limited

(A Govt. Undertaking) CIN: U40100DN2012GOI000405

Annexure – 3
Secretarial Audit Report for FY 2024-25

"Annexure – A"

Form No. MR - 3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025

To,
The Members,
DNH and DD Power Corporation Limited
(Formerly known as DNH Power Distribution Corporation Limited)
CIN: U40100DN2012GOI000405
Vidyut Bhawan, 66 KV Road, Near Secreteriat,
Amli, Silvassa - 396 230.
Dadar Nagar Haveli.

Our Report of even date is to be read along with this letter.

- Maintenance of Secretarial record is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
- I have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the Secretarial records. The verification was done on test check basis to ensure that correct facts are reflected in Secretarial records. I believe that the processes and practices followed by me, provide a reasonable basis for our opinion.
- I have not verified the correctness and appropriateness of financial records, Books of Accounts, Compliance Certificates received from respective departments of the Company.
- Where ever required, I have obtained the Management representation about the Compliance of Laws, Rules and Regulations and happening of events etc.
- The Compliance of the Provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. My examination was limited to the verification of procedures on test check basis.
- The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For G. S. Bhide & Associates

Company Secretaries

Sd/-

Gayatri V. Phatak

Proprietor

C.P.No. 11816

M.No. 31886

Place : Vapi
Date : 19.08.2025
UDIN : A031886G001030611



वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निगमित सामाजिक दायित्व (CSR) की गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3)(0) के खंड (ओ) और कंपनी
(निगमित सामाजिक दायित्व) नियम, 2021 धारा 8(1) के अनुसरण में)

1. कंपनी की CSR नीति पर एक संक्षिप्त रूपरेखा :

आपकी कंपनी की निगमित सामाजिक दायित्व (CSR) पहल उन कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करती है जो दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव में समुदायों को लाभान्वित करते हैं और स्थानीय आबादी के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक भलाई को बढ़ाते हैं ।

निगम ने कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व पॉलिसी नीति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप निगमित सामाजिक दायित्व (CSR) नीति तैयार की है । निगम की निगमित सामाजिक दायित्व (CSR) नीति निगम के वेबसाइट www.dnhddpcl.in पर उपलब्ध है ।

कंपनी अपनी CSR नीति के तहत, निम्नलिखित गतिविधियों/पहलों को अपनाकर बाज़ार, कार्यस्थल, पर्यावरण और सामुदायिक परिचालनों के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है, जो इसके सामान्य व्यावसायिक क्रम में नहीं की जाती है और/या केवल कर्मचारियों और उनके रिस्तेदारों तक ही सीमित है और जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूचि VII और समय-समय पर संशोधित नियमों के तहत निर्धारित गतिविधियों, क्षेत्रों या विषयों की व्यापक सूची के अनुरूप है ।

- भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना ;
- विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के बीच विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल और आजीविका संवर्धन परियोजनाओं सहित शिक्षा को बढ़ावा देना ;
- लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलों को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए गृह और छात्रावास स्थापित करना ; वृद्धाश्रम, दिन देखभाल केंद्र, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी अन्य सुविधाएँ स्थापित करना और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली और असमानताओं को कम करने के उपाय करना ;
- पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, वायु और जल की गुणवत्ता बनाए रखना सुनिश्चित करना ।
- अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास और राहत एवं कल्याण के केंद्र सरकार द्वारा स्थापित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन स्थिति राहत कोष (PM CARES Fund) या किसी अन्य कोष में योगदान देना ;
- निवारक स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता तथा आपदा प्रबंधन सहित स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने से संबंधित अनुसूचि VII की मद संख्या (i) और (xii) के अंतर्गत कोविड -19 से संबंधित विभिन्न गतिविधियों पर CSR निधियों का व्यय करना ।
- कंपनी अधिनियम, 2013, की अनुसूचि VII के तहत निर्धारित क्षेत्रों या विषयों में CSR समिति/बोर्ड द्वारा उपर्युक्त समझे जाने वाले ऐसे पहल/परियोजनाओं को शुरू करना या किसी भी कार्यक्रम में भाग लेना, कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 (CSR Rules), कंपनी (Amendment) अधिनियम, 2019, कंपनी (Amendment) अधिनियम, 2020, द्वारा संशोधित किया गया है, इसके तहत बनाए गए ऐसे अन्य लागू नियम समय-समय पर संशोधित किए गए हैं और विभिन्न CSR परिपत्रों, दिशानिर्देशों, स्पष्टीकरणों और FAQs के अनुसार हैं जो समय-समय पर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए जा सकते हैं ।

निदेशक मंडल ने CSR समिति ता गढ़न किया है और CSR समिति के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं : एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तैयार करना और बोर्ड को सिफारिश करना, जो कंपनी अधिनियम, 2013, की अनुसूचि VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषय में कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को इंगित करेगी, ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों के निष्पादन के तौर-तरीकों को निर्दिष्ट करेगी जो प्रकृति में वार्षिक या चल रहे हो सकते हैं और इसके लिए कार्यान्वयन अनुसूची और ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों की प्रक्रिया की निगरानी करना, कंपनी अधिनियम, 2013, की अनुसूची VII और CSR नीति के अनुसरण में की जाने वाली CSR गतिविधियों की वार्षिक कार्य योजना बोर्ड को सिफारिश करना और एक वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमोदित कार्य योजना में किसी भी संशोधन की सिफारिश करना ; CSR गतिविधियों पर किए जाने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करना ; कंपनी अधिनियम, 2013 और समय-समय पर संशोधित नियमों के प्रावधानों के अनुसार CSR गतिविधियों से उत्पन्न CSR निधियों के अपर्युक्त/अतिरिक्त व्यय और अधिशेष के उपचार की समीक्षा करना और बोर्ड को सिफारिश करना ; कंपनी द्वारा शुरू की गई CSR परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों के कार्यान्वयन और रिपोर्टिंग के लिए



ANNUAL REPORT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
ACTIVITIES FOR F. Y. 2024-25

(Pursuant to Section 134(3)(0) of the Companies Act, 2013 and Rule 8(1) of the Companies
(Corporate Social Responsibility) Amendment Rules, 2021.

1. Brief outline on CSR policy of the Company :

Your Company's Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives focus on the programs that benefit the communities in the UT of DNH and DD and enhancing the quality of life and economic well being of the local populace.

The Corporation has framed Corporate Social Responsibility (CSR) Policy is in line with the provisions of the Companies Act, 2013 read with Company (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014. The Corporate Social Responsibility (CSR) policy of the Corporation is available at www.dnhddpcl.in

The Company under its CSR policy, affirms its commitment of seamless integration of marketplace, workplace, environment and community concerns with business operations by undertaking following activities / initiatives that are not taken in its normal course of business and/or confined to only the employees and their relatives and which are in line with the broad-based list of activities, areas or subjects that are set out under schedule VII of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder as amended from time to time.

- To eradicate hunger, poverty and malnutrition, promote health care including preventive health care and sanitation and to make available safe drinking water;
- To promote education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children, women, elderly, and the differently abled and livelihood enhancement projects;
- To promote gender equality, empowering women, setting up homes and hostels for women and orphans; setting up old age homes, day care centres and such other facilities for senior citizens and measures for reducing inequalities faced by socially and economically backward groups;
- To ensure environmental sustainability, ecological balance, protection of flora and fauna, animal welfare, agroforestry, conservation of natural resources and maintaining quality of soil, air and water.
- To contribute to the Prime Minister's National Relief Fund or Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund (PM CARES Fund) or any other fund set up by the Central Government for socio-economic development and relief and welfare of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, minorities and women;
- To spend CSR funds on various activities related to COVID 19 under item nos. (i) and (xii) of Schedule VII relating to promotion of health care including preventive healthcare and sanitation and disaster management.
- To undertake such initiatives/projects or participate in any events as the CSR Committee / Board may consider appropriate in areas or subjects that are set out under Schedule VII of the Companies Act, 2013, by adhering to the provisions of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 as amended by the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2021 (CSR Rules), Companies (Amendment) Act, 2019, Companies (Amendment) Act, 2020, such other applicable Rules made thereunder as amended from time to time and in accordance with the various CSR circulars, guidelines, clarifications and FAQs as may be issued by the Ministry of Corporate Affairs from time to time.

The Board of Directors has constituted the CSR Committee and the scope of the CSR Committee includes: to formulate and recommend to the Board, a Corporate Social Responsibility Policy which shall indicate activities to be undertaken by the Company in areas or subject, specified in Schedule VII of the Companies Act, 2013, specifying modalities of execution of such projects or programs which may be annual or ongoing in nature and implementation schedule for the same and monitoring the process of such projects or programs; to recommend to the Board an Annual Action Plan of CSR activities to be undertaken in pursuance of Schedule VII of the Companies Act, 2013 and the CSR Policy and recommending any amendment to the approved Action Plan during a financial year; to recommend the amount of expenditure to be incurred on the CSR activities ; to review and recommend to the Board, the treatment of unspent / excess spent of CSR funds and surplus arising out of CSR activities, if any in accordance with the provisions of the Companies Act 2013 and Rules made thereunder as amended from time to time; to monitor the activities undertaken pursuant to Corporate Social Responsibility Policy of the Company from time to time by instituting a transparent monitoring mechanism for implementation



अनुलग्नक – 4
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निगमित सामाजिक दायित्व (CSR) गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

एक पारदर्शी निगरानी तंत्र की स्थापना करके समय-समय पर कंपनी की निगमित सामाजिक जिम्मेदारी नीति के अनुसार किए गए कार्यों की निगरानी करना ; कंपनी द्वारा शुरू की गई CSR परियोजनाओं के प्रभाव आकलन और प्रभाव आकलन रिपोर्ट, यदि कोई हो, के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी की नियुक्ति की समीक्षा करना और बोर्ड को सिफारिश करना ; मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत निधि उपयोग प्रमाण पत्र की समीक्षा करना और बोर्ड को सिफारिश करना और एसी अन्य गतिविधियाँ जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित की जा सकती हैं या कंपनी अधिनियम, 2013 और समय-समय पर संशोधित नियमों के तहत आवश्यक हैं।

2. सी.एस.आर. समिति की संरचना :

क्र.मां.क	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशन की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित (CSR) समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान आयोजित (CSR) समिति की बैठकों में भाग लिया
1.	श्री अमित सिंगला, भा.प्र.से.	निदेशक, अध्यक्ष, (CSR) समिति	2	2
2.	श्री अरुण टी..भा.प्र.से.	प्रबंध निदेशक/ सदस्य (CSR) समिति	2	2
3.	श्री गौरव सिंह राजावत, भा.प्र.से.	निदेशक/ सदस्य (CSR) समिति 27.06.2025 तक	2	2
4.	श्री हिमांशु कापडिया	सदस्य (CSR) समिति स्वतंत्र निदेशक, 30.09.2024 तक व्यवसायिक निदेशक, 27.12.2024 से कार्यान्वित	1	1
5.	श्री पी. पेन्टैया,	सदस्य (CSR) समिति स्वतंत्र निदेशक, 30.09.2024 तक व्यवसायिक निदेशक, 27.12.2024 से कार्यान्वित	1	1
6.	श्री अतुल मेहता,	सदस्य (CSR) समिति स्वतंत्र निदेशक, 27.12.2024 से कार्यान्वित	1	1
6.	श्री मुकेश गढ़वी	सदस्य (CSR) समिति स्वतंत्र निदेशक, 27.03.2025 से कार्यान्वित	0	0

3. कंपनी का वेब साइट पर वेब-लिंक प्रदान करें जहां (CSR) समिति की संरचना, (CSR) नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित (CSR) परियोजनाओं का खुलासा किया गया हो।

<https://www.dnhddpcl.in/includes/pdf/DNHDDPCL-CSR-POLICY.pdf>

4. यदि लागू हो तो, नियम 8 के, उप-नियम (3) के अनुसरण में किये गये (CSR) परियोजनाओं के प्रभाव आकलन के वेब-लिंक के साथ कार्यकारी सारांश प्रदान करें :

औसत निगमित सामाजिक दायित्व निर्धारित सीमा से कम होने के कारण, लागू नहीं

5. अ) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ :

(₹ लाख में)

क्रम	विवरण	कर पूर्व लाभ
1.	FY 2021-22 के लिए कर पूर्व लाभ /हानि	₹ 1,18,44,85,713.37
2.	FY 2022-23 के लिए कर पूर्व लाभ /हानि	₹ 62,46,13,341.79
3.	FY 2023-24 के लिए कर पूर्व लाभ /हानि	₹ 1,09,19,36,390.00
	कुल लाभ /हानि	₹ 2,90,10,35,445.16
4.	पिछले तीन वर्षों का औसत शुद्ध लाभ	₹ 96,70,11,815.00
5.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए CSR गतिविधियों पर खर्च किये जाने वाले औसत शुद्ध लाभ का 2 %	: ₹ 1,93,40,236.00
ब)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2 %	: 193.40
क)	पिछले वित्तीय वर्षों की CSR परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष	: शून्य
ड)	वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो :	: शून्य
इ)	वित्तीय वर्ष के लिए कुल CSR दायित्व (ब) + (क) – (ड)	: 193.40

Annexure – 4
Annual Report on Corporate Social Responsibility (CSR) for FY 2024-25

and reporting of the CSR projects or programs or activities undertaken by the Company; to review and recommend to the Board the appointment of an independent agency for carrying out impact assessment and impact assessment reports, if any, of the CSR Projects undertaken by the Company; to review and recommend to the Board the funds utilisation certificate submitted by the Chief Financial Officer or the person responsible for financial management and such other activities as may be delegated by the Board from time to time or as required under the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder as amended from time to time.

2. Composition of CSR Committee :

Sr. No.	Name of Director	Designation / Nature of Directorship	Number of meetings of CSR Committee held during the year	Number of meetings of CSR Committee attended during the year
1.	Shri Amit Singla, IAS	Director, Chairman, CSR Committee	2	2
2.	Shri Arun T., IAS	Managing Director/ Member	2	2
3.	Shri Gaurav Singh Rajawat, IAS	Director/ Member, CSR Committee till 27.06.2025	2	2
4.	Shri Himanshu Kapadia	Member, CSR Committee Independent Director till 30.09.2024 Professional Director w.e.f. 27.12.2024	1	1
5.	Shri P. Pentayya	Member, CSR Committee Independent Director till 30.09.2024 Professional Director w.e.f. 27.12.2024	1	1
6.	Shri Atul Mehta	Member, CSR Committee Independent Director w.e.f.27.12.2024	1	1
7.	Shri Mukesh Gadhvi	Member, CSR Committee Independent Director w.e.f.27.03.2025	0	0

3. Provide the web-link where Composition of CSR Committee, CSR Policy and CSR Projects approved by the board are disclosed on the website of the Company.

<https://www.dnhddpcl.in/includes/pdf/DNHDDPCL-CSR-POLICY.pdf>

4. Provide the executive summary along with web-link(s) of Impact Assessment of CSR projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of the rule 8, if applicable :

Not Applicable, being the average CSR obligation less than the prescribed limit.

5. a) Average net profit of the Company as per Section 135(5) :

(₹ in lakhs)

Sr. No.	Particulars	Profit before Tax
1.	Profit/(Loss) before tax: FY 2021-22	₹ 1,18,44,85,713.37
2.	Profit/(Loss) before tax: FY 2022-23	₹ 62,46,13,341.79
3.	Profit/(Loss) before tax: FY 2023-24	₹ 1,09,19,36,390.00
	Total Profit/(Loss)	₹ 2,90,10,35,445.16
4.	Average net Profit for last three years	₹ 96,70,11,815.00
5.	2 % of average net profit to be spent on CSR activities for FY 2024-25 as per section 135 of the Companies Act, 2013	: ₹ 1,93,40,236.00
b)	2 % of average net profit of the Company as per section 135(5)	: 193.40
c)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial year	: Nil
d)	Amount required to be set off for the financial year, if any	: Nil
e)	Total CSR obligation for the financial year (b + c – d)	: 193.40



(₹ लाख में)										
6. अ) CSR परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि : कुल रही परियोजनाओं										
क्र.मां.क	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	परियोजना का नाम	अनुसूचि VII में स्थानीय क्षेत्र (हा/ना)	परियोजना का स्थान (राज्य/जिला)	परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए अर्जित ब्याज सहित आवंटित राशि (₹ लाख में)	चालू वित्त वर्ष में खर्च की गई अर्जित ब्याज सहित राशि (₹ लाख में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित CSR खाते में हस्तांतरित राशि (₹ लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हा / ना)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का प्रत्यक्ष तरीका	CSR पंजीकरण क्रमांक
1.	वित्त वर्ष 2021-22 : परियोजना को छोड़ दिया गया और शेष धनराशि का उपयोग CSR गतिविधि के लिए किया जाएगा	(iv) पशु कल्याण	हा	संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	1+3 साल (तीसरे और अंतिम वर्ष में)	₹ 46.80 लाख	₹ 46.80 लाख	-	हा	-
	परियोजना - अ : डॉक्टर, वाहन, स्टाफ, उपकरण और उपभोग्य सामग्रियों आदि के साथ मोबाइल पशु चिकित्सा वैन की खरीद, निर्माण और सेवाएँ प्रदान करना । सभी वाहन GPS सक्षम होने चाहिए ।	(ii) शिक्षा को बढ़ावा	हा	संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	1+3 साल (तीसरे और अंतिम वर्ष में)	₹ 38.71 लाख	₹ 38.71 लाख	-	हा	-
2.	वित्त वर्ष 2022-23 : नमो अस्पताल, सिलवासा में मरीजों/परिवारकों के लिए निःशुल्क भोजन हेतु ₹ 1.00 करोड़ तक के आवंटन में से कुल शेष धनराशि ₹ 585.74 लाख है ।	(i) भूख, गरीबी और कुपोषण उन्मूलन	हा	संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	3 महिनें (अप्रैल 2025 से जून 2025)	₹ 282.74 लाख	-	-	हा	-

(₹ in lakhs)										
6. a) Amount spent on CSR Projects : Ongoing Project										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sr. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	Local area (Yes/No)	Location of the Project (State & Dist.)	Project duration	Amount allocated for the Project (in ₹) including earned interest	Amount spent in the current financial year (in ₹) including earned interest	Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) (in ₹)	Mode of Implementation Direct (Yes/No)	Mode of Implementation through Implementing Agency Name & CSR Registration Number
1.	FY 2021-22 : Project abandoned and remaining fund to be used for the CSR Activity of PROJECT A : Purchase, fabrication & providing services of Mobile Veterinary Vans with Doctors, Vehicles, staff, equipment & Consumables etc. all the vehicles should be GPS enabled	(iv) Animal welfare	Yes	UT of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu	1 plus 3 Year (Third & last year)	₹ 46.80 Lakh	₹ 46.80 Lakh	-	Yes	-
	PROJECT B : Providing smart classroom (flat panel) in the Government Schools	(11) Promoting education	Yes	UT of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu	1 plus 3 years (Third & last year)	₹ 38.71 Lakh	₹ 38.71 Lakh	-	Yes	-
2.	FY 2022-23 : Total remaining fund ₹ 585.74 Lakh allocation out of up to ₹ 1.00 Crore for free of cost food for patients/attendees in Namo Hospital, Silvassa	(i) Eradicating hunger, poverty and malnutrition	Yes	Ut of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu	3 months (April, 2025 to June, 2025)	282.74 Lakh	-	-	Yes	-



6. अ) CSR परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि : चल रही परियोजनाओं											(₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
क्र. मां. क	परियोजना का नाम	अनुसूचि VII में अधिनियम की गतिविधियों की सूचि से आयटम	स्थानीय क्षेत्र (हा/ना)	परियोजना का स्थान राज्य जिला	परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए अर्जित ब्याज सहित आवंटित राशि (₹ लाख में)	चालू वित्त वर्ष में खर्च की गई अर्जित ब्याज सहित राशि (₹ लाख में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित CSR खाते में हस्तांतरित राशि (₹ लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका (हा / ना)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का प्रत्यक्ष तरीका नाम CSR पंजीकरण क्रमांक	
3.	वित्त वर्ष 2023-24 : डॉक्टर, वाहन, स्टाफ, उपकरण और उपभोग्य सामग्रियों आदि के साथ मोबाइल पशु चिकित्सा वैन की खरीद, निर्माण और सेवाएँ प्रदान करना । सभी वाहन GPS संक्षम होने चाहिए ।	(iv) पशु कल्याण	हा	संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	1+3 साल	₹ 309.09 लाख	₹ 0.73 लाख	₹ 308.36 लाख	हा	- - -	
4.	वित्त वर्ष 2024-25 : सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम (फ्लैट पैनल) उपलब्ध कराना ।	(ii) शिक्षा को बढ़ावा	हा	संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	1+3 साल	₹ 193.40 लाख	₹ 0.39 लाख	₹ 193.01 लाख	हा	- - -	
CSR परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि : चल रही परियोजनाओं के अलावा											
1	2	3	4	5	6	7	8				
क्रमांक	परियोजना का नाम	अनुसूचि VII में अधिनियम की गतिविधियों की सूचि से आयटम	स्थानीय क्षेत्र हा / ना	परियोजना का स्थान राज्य जिला	परियोजना पर खर्च की गई राशि (₹ में) (₹ लाखों में)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष हा / ना	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका नाम पंजीकरण क्रमांक				
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
कुल											
ब) प्रशासनिक उपख्यय में खर्च की गई राशि : शून्य											
क) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो : शून्य											
ड) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि,(अ+ब+क) : ₹ 39,247.64											

6. a) Amount spent on CSR Projects : <u>Ongoing Project</u>											(` in lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Sr. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	Local area (Yes /No)	Location of the Project State Dist.	Project duration	Amount allocated for the Project (in `) including interest	Amount spent in the current financial year (in `) including earned interest	Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) (in `)	Mode of Implementation Direct (Yes/No)	Mode of Implementation through Implementing Agency Name CSR Registration Number	
3.	FY 2023-24 : The Mobile Veterinary Vans with Doctors, Vehicles, staff, equipment & Consumables etc. and all the vehicles should be GPS enabled	(iv) Animal welfare	Yes	UT of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu	1 plus 3 Years	₹ 309.09 Lakh	₹ 0.73 Lakh	₹ 308.36 Lakh	Yes	- -	
4.	FY 2024-25 : The CSR Activity of smart classroom (flat panel) in all the Government Schools	(ii) Promoting education	Yes	Ut of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu	1 plus 3 Years	₹ 193.40 Lakh	₹ 0.39 Lakh	₹ 193.01 Lakh	Yes	- -	
Amount spent on CSR Projects : <u>other than Ongoing Projects</u>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Sr. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	Local area (Yes/ No)	Location of the Project State Dist.	Amount spent for the project (in `)(₹ in Lakh)	Mode of Implementation Direct (Yes/No)	Mode of Implementation through Implementing Agency Name CSR Regd No.				
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total											
b) Amount spent in Administrative Overheads : Nil											
c) Amount spent on Impact Assessment, if applicable : Nil											
d) Total amount spent for the Financial Year [(a)+(b)+©] : ₹ 39,247.64											

अनुलग्नक – 4

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निगमित सामाजिक दायित्व (CSR) गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

इ) वित्तीय वर्ष के लिए CSR राशि खर्च या अव्ययित :

वित्तीयवर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (₹ में) (₹ लाख में)		धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित CSR खाते में स्थानांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अंतर्गत अनुसूचि VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि को स्थानांतरित राशि		राशि (₹ में)	
₹ 0.39 लाख		राशि	स्थानांतरण तारीख	निधि का नाम	राशि	स्थानांतरण तारीख	₹ -
फ) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो							
क्रमांक	विवरण						रकम(₹ में)
1)	धारा 135(5) के तहत कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2 % के अनुसार						
2)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि						लागू नहीं
3)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(1)-(2)]						
4)	CSR परियोजनाओं या कार्यक्रमों से उत्पन्न अधिशेष या पिछले वित्तीय वर्षों की गतिविधियों, यदि कोई हो						
5)	अगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(3)-(4)]						
7 अ)	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित CSR राशि का विवरण :						(₹ लाख में)
क्रमांक	पिछले वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के तहत अव्ययित CSR खाते में अर्जित ब्याज सहित स्थानांतरित राशि (₹ में)	धारा 135 की उप-धारा के तहत अव्ययित CSR खाते में अर्जित ब्याज शेष राशि (₹ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई अर्जित ब्याज सहित राशि (₹ में)	धारा 135(5) के अनुसार अनुसूचि VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में स्थानांतरित राशि, यदि कोई हो	अगामी वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली अर्जित ब्याज सहित शेष राशि (₹ में)	अपूर्णता, यदि कोई हो
1.	2021-22	₹ 137.43 लाख	₹ 76.76 लाख (01.04.2024 को लागू नहीं)	₹ 85.51 लाख	₹ शून्य	₹ शून्य	-
2.	2022-23	₹ 258.86 लाख	लागू नहीं	-	₹ शून्य	₹ 282.74 लाख (₹ 258.86 लाख प्लस अर्जित ब्याज सहित)	-
3.	2023-24	₹ 300.73 लाख	लागू नहीं	₹ 0.73लाख	लागू नहीं	₹ 308.36 लाख (₹ 300.73 लाख प्लस अर्जित ब्याज सहित)	-
कुल						₹ 591.10 लाख	-

Annexure – 4

Annual Report on Corporate Social Responsibility (CSR) for FY 2024-25

e) CSR amount spent or unspent for the Financial year :

Total Amount Spent for the Financial Year (in ₹)(₹ in Lakh)	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per section 135(6)		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second provision to section 135(5)	
	Amount	Date of Transfer	Name of the Fund	Amount
₹ 0.39 akh	₹ 193.01 Lakh (FY 2024-25)	25.04.2025	-	-

f) Excess amount for set off, if any

Sr.No.	Particular	Amount (in ₹)(₹ In Lakh)	
i)	Two percent of average net profit of the company as per section 135(5)		
ii)	Total amount spent for the Financial Year		
iii)	Excess amount spent for the financial year [(ii)-(i)]	Not Applicable	
iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years, if any		
v)	Amount available for set off in succeeding financial years [(iii)-(iv)]		

7. a) Details of Unspent CSR amount for the preceding Three Financial Years :

Sr. No.	Preceding Financial Year	Amount transferred to Unspent CSR Account under Section 135(6) (in ₹)	Balance Amount in Unspent CSR Account under sub-section (6) of section 135 (in ₹)	Amount spent in the reporting Financial Year (in ₹) including earned interest	Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second provision to sub-section (5) of Section 135, if any	Amount remaining to be spent in succeeding financial year (in ₹) including earned interest	Deficiency if any
1.	2021-22	₹ 137.43 Lakh	₹ 76.76 (as on 01.04.2024)	₹ 85.51 Lakh including earned interest	Nil	-	-
2.	2022-23	₹ 258.86 lakh	NA	-	Nil	₹ 282.74 lakh (₹ 258.86 lakh plus earned interest)	-
3.	2023-24	₹ 300.73 lakh	NA	₹ 0.73 lakh	Nil	₹ 308.36 lakh (₹ 300.73 lakh plus earned interest)	-
Total						₹ 591.10 lakh	-



अनुलग्नक – 4
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निगमित सामाजिक दायित्व (CSR) गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

8.	क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व अंतर्गत कोई पूँजीगत संपत्ति सृजित या अर्जित की गई है ?	: हाँ
	यदि हाँ, तो सृजित/अर्जित पूँजीगत संपत्तियों की संख्या दर्ज करें	: 2
	वित्तीय वर्ष में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत सृजित या अर्जित की गई ऐसी संपत्ति(ओं) से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें :	
	पशु कल्याण की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधि के लिए (EMRI) और DNHDDPCL के बीच हुए समझौता ज्ञापन (MoU) के आधार पर सेसर्स EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज (EMRI) को 2 (दो) GPS युक्त मोबाइल पशु चिकित्सा वैन (1 डीएनएच में सेवाओं के लिए और 1 दमण में सेवाओं के लिए) की खरीद, निर्माण और सेवाएँ प्रदान करना । इसका उद्देश्य पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग (AHVS) के साथ केंद्रीकृत कॉल सेंटर और 1962 टोल फ्री नंबर के माध्यम से परिचालन समन्वय और परामर्श से पशुधन उत्पादकता और कल्याण में सुधार करना है ।	
9.	यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएँ	: लागू नहीं

हस्तां./-
अध्यक्ष, CSR समिति /
प्रबंध निदेशक
डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

Annexure – 4
Annual Report on Corporate Social Responsibility (CSR) for FY 2024-25

8.	Whether any capital assets have been created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year	: YES
	If Yes, enter the number of Capital assets created/ acquired	: 2
	Furnish the details relating to such asset(s) so created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year :	
	Purchase, fabrication & providing services of 2 (two) GPS enabled Mobile Veterinary Vans (1 for services in DNH and 1 for services in Daman) to M/s EMRI Green Health Services (EMRI) on the basis of Memorandum of Understanding (MoU) entered into between EMRI and DNHDDPCL for undertaking CSR activity of Animal Welfare and it aims to provide veterinary healthcare services to the farmers and livestock owners in remote and rural areas of DNH & Daman thereby improving livestock productivity and welfare in operational coordination and consultation with Department of Animal Husbandry & Veterinary Services (AHVS) through centralized call centre and 1962 toll-free number.	
9.	Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per section 135(5)	: Not Applicable

Sd/-
Chairman, CSR Committee /
Managing Director
DNH and DD Power Corporation Limited



ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी अवशोषण
एवं विदेशी मुद्रा आय और व्यय

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के साथ
पठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3)]

अ) ऊर्जा का संरक्षण:

1) ऊर्जा संरक्षण के लिए उठाये गये कदम और उसका प्रभाव:

निगम के वितरण व्यवसाय का निजीकरण हो गया है और निजीकरण के बाद निगम (DNHDDPCL) (दिनांक 09/03/2022 को यूटी के दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव के आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित स्थानांतरण योजना की अनुसूचि 'सी' के अनुसार) वर्तमान में बिजली उत्पादन (सौर) और बिजली के पारेषण से संबंधित कार्यों से जुड़ा हुआ है। तदनुसार, निगम 66 KV ट्रांसमिशन व्यवसाय और नवीकरणीय ऊर्जा विकास यानी सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करके सौर उत्पादन की गतिविधियाँ कर रहा है अर्थात सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करके सौर ऊर्जा उत्पादन। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निगम ने 64,70,516 KWh यूनिट सौर ऊर्जा इकाइयां उत्पन्न की हैं और इसके लिए ₹ 4,36,56,828 का बिल DNHDDPDCL से यानी नई DISCOM से बढ़ाया है।

निगम दादरा नगर हवेली में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी यानी राज्य नामित एजेंसी (SDA)। BEE (ऊर्जा दक्षता ब्यूरो) ने पहले 13 संख्या में 66 KV उपभोक्ताओं को PAT (प्रदर्शन, हासिल, व्यापार करना) योजना के तहत नामित किया है। उपरोक्त नामित उपभोक्ताओं को ऊर्जा परीक्षक और ऊर्जा प्रबंधक नियुक्त करना होगा और उपभोक्ता प्रदर्शन की निगरानी SDA के परामर्श से BEE द्वारा की जायेगी।

निगम ने ऊर्जा संरक्षण के संबंध में उपभोक्ताओं की जागरूकता बढ़ाने के लिए SDA के परामर्श से BEE द्वारा नियुक्त सलाहकार के माध्यम से होर्डिंग स्थापित कर कार्यशालाओं का भी आयोजन किया है।

2) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करने के लिए उठाए गए कदम :

निगम द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता जमीन पर स्थापना के लिए 4.3 मेगावॉट और छत के लिए 4.996 मेगावॉट है। निगम ने जमा आधार पर 0.711 मेगावॉट का छत पर लगे सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किया है।

3) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूँजीगत निवेश :

ऊर्जा के संरक्षण के लिए सभी प्रयास और निवेश निगम की सामान्य विकासात्मक गतिविधियों के भीतर किये जाते हैं।

ब) प्रौद्योगिकी अवशोषण :

1) तकनीकी अवशोषण की दिशा में किये गये प्रयास :

निगम ने विभिन्न उन्नत प्रौद्योगिकी अनकूलित किया है :-

क) भंडार प्रबंधन के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का उपयोग

ख) सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा नीति को डीएनएच के यूटी प्रशासन द्वारा अधिसूचित किया गया है। जमीन पर लगे सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए 4.3 मेगावॉट और छत पर लगे सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए 5.707 मेगावॉट की स्थापना हासिल की गई।

CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND
FOREIGN EXCHANGE EARNING AND OUTGO

(Section 134(3)(m) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8(3) of the
Companies (Accounts) Rules, 2014)

(A) CONSERVATION OF ENERGY :

i) Steps taken or impact on conservation of energy :

As the Distribution business of the Corporation is privatized and after privatisation the Corporation (DNHDDPCL) currently remains associated with functions related to generation of electricity (solar) and transmission of electricity (as per the Schedule C of the Transfer Scheme notified in official gazette of UT Administration of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu on 09/03/2022). Accordingly, the Corporation is performing the activities of 66 KV transmission business and renewable energy development i.e., solar energy generation by installing solar power plants. During the FY 2024-25 the Corporation has generated 64,70,516 KWh units of Solar Energy and also raised bill for ₹ 4,36,56,828 from DNHDDPDCL i.e. new DISCOM.

The Corporation is the nodal agency for implementing Energy Conservation Act, 2001 in DNH, i.e., State Designated Agency (SDA). The BEE (Bureau of Energy Efficiency) has earlier designated 13 nos. of 66 KV consumers under PAT (Perform, Achieve, Trade) scheme of BEE. The above designated consumers shall have to appoint energy auditor and energy manager and the performance of the consumer will be monitored by BEE in consultation with SDA.

The Corporation has also installed hoardings and organised workshops through the consultant appointed by BEE in consultation with SDA for increasing awareness of the consumers in respect of energy conservation and energy efficiency.

ii) The Steps taken by the Company for utilising alternate sources of energy;

The installed capacity of solar power plant by the corporation is 4.3 MW for Ground Mounted and 4.996 MW for rooftop. The Corporation has also installed Solar Rooftop Power Plant of 0.711 MW on deposit basis.

iii) The Capital investment on energy conservation equipment;

All the efforts and investment for conservation of energy are made within the normal developmental activities of the Corporation.

(B) TECHNOLOGY ABSORPTION: -

i) The efforts made towards technology absorption;

The Corporation has adopted various advanced technology like: -

a) Use of online software for stores management.

b) Renewable Power Policy for promotion of solar energy has been notified by UT Administration of DNH. Achieved installation of 4.3 MW for Ground Mounted Solar Power Plants and 5.707 MW for Rooftop Solar Power Plants.



अनुलग्नक – 5
ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी अवशोषण एवं विदेशी मुद्रा आय और व्यय

- 2) उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन की तरह प्रति लाभ : शून्य
- 3) आयातित प्रौद्योगिकी के मामलों में (वित्त वर्ष की शुरुआत से माना की पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित) :

अ) आयातित प्रौद्योगिक का विवरण- शून्य

ब) आयात वर्ष- लागू नहीं

क) अगर प्रौद्योगिकी पुरी तरह से अवशोषित- लागू नहीं

ड) क्षेत्रों, जहाँ पुरी तरह से अवशोषित नहीं है, इसके कारण- लागू नहीं
- 4) अनुसंधान और विकास पर खर्च व्यय- शून्य
- (क) विदेशी मुद्रा आय और व्यय

वर्ष के दौरान वास्तविक अंतर्वाह के रूप में अर्जित विदेशी मुद्रा और वर्ष के दौरान वास्तविक बहिर्वाह के रूप में विदेशी मुद्रा बहिर्गमन ।- शून्य

Annexure – 5
Conservation of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earning and Outgo

- ii) The benefits derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitution: -NIL
- iii) In case of imported technology (imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year);

a) Details of technology imported-NIL

b) Year of import-N. A.

c) Whether technology been fully absorbedN. A.

d) If not fully absorbed, areas where this has not taken place, reasons thereforeN. A.
- iv) Expenditure incurred on Research and Development: -NIL
- (C) FOREIGN EXCHANGE EARNINGS & OUTGO: -

The Foreign Exchange earned in terms of actual inflows during the year and the Foreign Exchange outgo during the year in terms of actual outflows.NIL



भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(ब) के तहत डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सिलवासा के वित्तीय विवरणों के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की टिप्पणी :

दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सिलवासा के वित्तीय विवरण को कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुरूप तैयार किया गया है जो कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के तहत सांविधिक लेखा-परीक्षक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक द्वारा नियुक्त लेखा-परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरण के प्रति उचित विचार प्रस्तुत किये गये हैं जो कि अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विहित लेखा-परीक्षा मानकों के अनुरूप है। ऐसा कहा गया है कि यह कार्य उनके द्वारा दिनांक 04 अगस्त 2025 की संशोधित लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है, जो दिनांक 27 जून 2025 की पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्टका स्थान लेती है।

मैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सिलवासा के वित्तीय विवरणों का एक पूरक लेखा परीक्षा आयोजित किया है। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्यरत कागजात तक के आकलन के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखांकन अभिलेखों की चुनिंदा परीक्षा तक सीमित है।

मेरे पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143(6)(ब) के तहत वैधानिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पर किसी भी टिप्पणी या पूरक को जन्म दे।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक
की ओर से
हस्ता.

(अमन दीप चथा)
लेखा परीक्षक के महानिदेशक,
(केन्द्रीय व्यय)
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.08.2025

Comments of the Comptroller and Auditor General of India

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT ON THE ACCOUNTS OF DNH and DD POWER CORPORATION LIMITED, SILVASSA FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2025.

The preparation of financial statements of **DNH & DD Power Corporation Limited, Silvassa** for the year ended 31st March 2025 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the Company. The Statutory Auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Revised Audit Report dated 04th August 2025 which supersedes their earlier Audit Report dated 27th June 2025.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of **DNH & DD Power Corporation Limited, Silvassa** for the year ended 31st March 2025 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit, nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditor's report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of
The Comptroller and Auditor General of India,

Sd/-

Place : New Delhi
Date : 27.08.2025

(Aman Deep Chatha)
DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
(Central Expenditure), NEW DELHI



प्रति सदस्यों,

डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड,

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर संशोधित रिपोर्ट

यह रिपोर्ट हमारी दिनांक 27.06.2025 की रिपोर्ट का स्थान लेती है

हमने कंपनी के शेयरधारकों को वित्तीय विवरणों पर दिनांक 04/08/2025 की एक अलग लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी की है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अनुपूरक लेखा परीक्षा और टिप्पणियों के परिणामस्वरूप, हमारी रिपोर्ट में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं। निम्नलिखित बिंदु हमारी दिनांक 27/06/2025 की रिपोर्ट का स्थान ले रहे हैं:

- I स्वतंत्र रिपोर्ट का अनुलग्नक अ - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों पर रिपोर्ट का बिंदु संख्या.1.
- ‘रिकॉर्डों की हमारी जाँच और प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर, कंपनी ने रिपोर्टिंग तिथि तक कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति-पश्चात लाभों के लिए LIC में सीधे ₹ 12.92 लाख का निवेश किया है। मूल्यांकन भारतीय लेखा मानक Ind AS 19 और अन्य प्रासंगिक विनियमों में निर्धारित मान्यता और मापन सिद्धांतों के अनुपालन में है और वर्तमान में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पुस्तकों में प्रावधानों के माध्यम से पूरा किया जाता है। हमारे विचार में, कंपनी का मूल्यांकन दृष्टिकोण भौतिक गलतबयानी से मुक्त है। संबंधित प्रकटीकरण, नोट संख्या 3 (xix) में भौतिक लेखांकन नीतियों में विशिष्ट नीति के साथ उल्लिखित हैं।”
- ii. स्वतंत्र रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ए'- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों पर रिपोर्ट का बिंदु संख्या.3.
- “जाँच किए गए अभिलेखों और हमने दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर, कंपनी द्वारा न तो कोई धनराशि प्राप्त की गई है और न ही केंद्र/राज्य सरकार या उनकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत कंपनी को कोई धनराशि प्राप्त होने वाली है।”

राय

हमने मैसर्स डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ('कंपनी') के संलग्नित स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण रिपोर्ट की लेखा-परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक का तुलन पत्रक, लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) के साथ इक्विटी और वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण में परिवर्तन और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल हैं (बाद में इसे 'स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित किया गया है)।

हमारी राय में एवं हमें दी गई अधिकतम जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी को भारतीय लेखा मानक के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 (संशोधित Ind AS) और अन्य लेखा सिद्धांतों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप निष्पक्ष दृष्टिकोण, आमतौर पर भारत में स्वीकार किये जाते हैं, 31 मार्च, 2025 तक कंपनी के मामलों की स्थिति और लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन और यह उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नकदी प्रवाह है।

अभिमत के आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखा-परीक्षा (SAs) के मानकों के अनुसार अपना लेखा-परीक्षण किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारे लेखा-परीक्षा के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अनुभाग के लेखा-परीक्षण में वर्णित किया गया है। हम भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, जो नैतिक आवश्यकताओं के साथ-साथ अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा-परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा प्रमाण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपर्युक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले यह मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और उस पर अपनी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने निर्धारित किया है कि हमारी रिपोर्ट में संश्लेषित करने के लिए कोई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले नहीं हैं।

To the Members of

DNH and DD Power Corporation Limited

Revised Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

This Report supersedes our Report dated 27.06.2025

We issued a separate auditor's report dated 04/08/2025 on the financial statements to the shareholders of the Company. Consequent to the Supplementary Audit and observation of the Comptroller and Auditor General of India, the following changes have been made to our report. The following points are superseding our Report dated 27/06/2025:

- I Annexure A to the Independent Report - Point No. 1 of Report on directions and sub-directions issued by Comptroller and Auditor General of India under Section 143 (5) of the Companies Act, 2013.
- "Based on our examination of the records and the explanations provided by management, the Company has invested directly to LIC amounting to ₹ 12.92 Lakh towards post-retirement benefits of employees as at the reporting date. The valuation is in compliance with the recognition and measurement principles stipulated in Ind AS 19 and other relevant regulations and are currently met through provisions in the books, based on actuarial valuation. In our view, the Company's valuation approach is free from material misstatement. The related disclosures, with the specific policy outlined in material accounting policies in Note no. 3 (xix)".
- ii. Annexure A to the Independent Report - Point No. 3 of Report on directions and sub-directions issued by Comptroller and Auditor General of India under Section 143 (5) of the Companies Act, 2013"
- "Based on records examined and explanations given to us, neither any fund received by the Company nor any fund receivable to the Company under specific schemes from the Central / State Government or their agencies."

Opinion

We have audited the accompanying the standalone financial statements of M/s DNH and DD POWER CORPORATION LIMITED ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2025, the Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to the standalone financial statements, including a summary of material & significant accounting policy information and other explanatory information (hereinafter referred as to the 'standalone financial statements').

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended, ("Ind AS") and the accounting principles generally accepted in India, of the State of Affairs of the Company as at 31st March, 2025, and its Profit (including other Comprehensive Income), Changes in Equity and its Cash Flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143 (10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone Financial Statements under the provisions of the Act and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence obtained by us sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the standalone financial statements.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements for the financial year ended 31 March 2025. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined that there are no key audit matters to communicate in our report.



स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर संशोधित रिपोर्ट

वित्तीय विवरण एवं उस पर लेखापरीक्षा की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। समावित अन्य जानकारी वित्तीय रिपोर्ट में शामिल है, किन्तु इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारे लेखापरीक्षा की रिपोर्ट शामिल नहीं हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और उस पर हम किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को बयां नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा दायित्व अन्य निवेदनों को पढ़ने की है और ऐसा करने में, इस बात पर गौर करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से प्रतीत होती है, गलत बताया गया हो। यदि, हमारे द्वारा किये गये कार्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकलते हैं कि अन्य जानकारी को एक महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी के निदेशक मंडल, धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में हैं जो मामलों की स्थिति (वित्तीय स्थिति), लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन), कंपनी के लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन, आम तौर पर भारत में स्वीकार किये जाते हैं, जिसमें भारतीय लेखा मानक (Ind AS) अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है, लेखांकन नीतियों के उचित कार्यान्वयन और रखरखाव का चयन और आवेदन, निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं, और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो कि लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कि स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री से धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गलत विवरण मुक्त होते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों को तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की क्षमता के लिए जिम्मेदार है कि वह कंपनी की क्षमता को जारी रखने, खुलासा करने, लागू होने, चिंता से संबंधित मामलों और लेखांकन के चलते चिंता के आधार का उपयोग करनेके लिए जब तक प्रबंधन या तो कंपनी के समाप्त करने का इरादा रखता है या संचालन को रोकने, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के लिए लेखा-परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण एक संपूर्ण रूप में भौतिक गलतफहमी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय भी शामिल है। यथोचित आश्वासन उच्च स्तर के आश्वासन के रूप है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि SAs के अनुसार किया गया लेखा-परीक्षण हमेशा मौजूद होने पर किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा। गलतफहमी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और माना जाता है कि सामग्री, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे उचित रूप से इन स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद कर सकते हैं।

SAs के अनुसार एक लेखा-परीक्षण के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा-परीक्षण में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम भी :

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करें, और लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणाम स्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणाम स्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझ कर चूक, गलत बयानी, या यांत्रिक नियंत्रण को प्रत्यादिष्ट करना शामिल हो सकता है।

लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए लेखा-परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपर्युक्त हो। अधिनियम की धारा 143(3)(इ) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावशीलता है।

Revised Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Information other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Company's annual report, obtained at the date of this auditor's report, but does not include the standalone financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Management's Responsibility for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors are responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation and presentation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the state of affairs (financial position), profit & loss (financial performance including other comprehensive income), changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards (Ind AS) specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, management and Board of Directors are responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls with reference to financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.





स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर संशोधित रिपोर्ट

इस्तेमाल की गई लेखांकन नीतियों की उपर्युक्तता और प्रबंधन तथा निदेशक मंडल द्वारा किये गये लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशिलता का मूल्यांकन करें।

लेखा के प्राप्त होने वाले चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपर्युक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखा-परीक्षण साक्ष्यों के आधार पर, क्या कोई ऐसी घटना या परिस्थितियों से संबंधित सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है जो एक चिंता का विषय है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों में संबंधित खुलासे के लिए अपने लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त है, तो हमारी राय को संशोधित करें। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा-परीक्षण साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी को चिंता का विषय जारी रखना कंपनी को बंद रखने का कारण हो सकता है।

खुलासे सहित स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और अगर वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

हम अन्य मामलों में, लेखा-परीक्षण की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय और महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षण निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित, यदि कोई हो, जिसे हम अपने लेखा-परीक्षण के दौरान पहचानते हैं, जिसके बारे में शासन के साथ संवाद करते हैं।

हम उन लोगों को भी एक बयान के साथ शासन प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिस्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट करें

1. कंपनी को विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों तथा उसके साथ पठित उसके अंतर्गत जारी नियमों और विनियमों के साथ भी संचालित किया जाता है। उक्त अधिनियम के प्रावधान अभी भी विद्यमान है जहाँ कहीं भी वे कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के साथ असंगत रहें हैं।
2. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (5) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों अपेक्षानुसार तथा कंपनी की किताबों और अभिलेखों के ऐसी जाँच के आधार पर, जिसे हमने उचित माना और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम "अनुलग्नक - ए" में हमारी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।
3. उक्त अधिनियम की धारा 143(11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी की गई कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) की अपेक्षानुसार, हम "अनुलग्नक - बी" में उक्त आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान दे रहे हैं।
4. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, लागू सीमा तक हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - क) हमने ऐसी सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की मांग की है कि हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजनों के लिए हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का ऑडिट आवश्यक थे।
 - ख) हमारी राय में, कानून द्वारा अपेक्षित खाता-बही की उचित किताबें कंपनी द्वारा तब तक रखी गई हैं जैसा कि वे उन बहियों की हमारी जाँच से प्रतीत होता है।
 - ग) तुलन-पत्र, लाभ और हानि का वक्तव्य (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का वक्तव्य और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए नकदी प्रवाह विवरण उक्त बही-खातों से मेल खाते हैं।
 - घ) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण कंपनी (खाता) नियम, 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विहित भारतीय लेखा मानकों 2014 का अनुपालन करता है।
 - ङ) निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05/06/2015 की अधिसूचना संख्या GSR 463 (E) के अनुसरण नें सरकारी कंपनी होने के नाते, अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।
 - च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और ऐसे नियंत्रणों की क्रियात्मक प्रभावशीलता की पर्याप्तता के संबंध में, "अनुलग्नक - सी" में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।
 - छ) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या GSR 463 (E) दिनांक 05/06/2015 के अनुसार सरकारी निगम होने के नाते, अधिनियम की धारा - 197 (16) के प्रावधान के साथ पठित निदेशकों के पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूचि V के अनुसार कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

Revised Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures in the standalone financial statements made by the Management and Board of Directors.

Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control, if any, that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. The Company is also governed by the provision of the Electricity Act 2003, rules and the regulations issued there under. The provisions of said Act have prevailed wherever they have been inconsistent with the provision of the Companies Act, 2013.
2. As required under the direction and sub-direction issued by Comptroller and Auditor General of India in terms of sub-section (5) of Section 143 of the Act and on the basis of such checks of the books and records of the company as we considered appropriate and according to information and explanation given to us, we are enclosing our report in the "Annexure-A".
3. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of Section 143 (11) of the Act, we give in the "Annexure B" a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the order.
4. As required by Section 143 (3) of the Act, we report, to the extent applicable, that:
 - a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit of the standalone financial statement.
 - b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.
 - c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the statement of Changes in Equity and Statement of Cash Flows dealt with by this Report are in agreement with the books of accounts.
 - d) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.
 - e) Being Government Company pursuant to Notification No. GSR 463 (E) dated 05/06/2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, the provisions of Section - 164 (2) of the Act are not applicable to the Company.
 - f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure C".
 - g) Being Government Corporation pursuant to Notification No. GSR 463 (E) dated 05/06/2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, the provisions of Section - 197 (16) read with schedule V of the companies Act, 2013 regarding remuneration to directors are not applicable to the Government Company.





स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर संशोधित रिपोर्ट

- ज) कंपनी (लेखा-परीक्षा और लेखा परीक्षकों), नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :
- 1) कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित वित्तीय विवरणों पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है - वित्तीय विवरणों की टिप्पणी - 28 देखें ।
- 2) कंपनी के पास व्युत्पन्ननी अनुबंध सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई ठोस संभावित नुकसान था ।
- 3) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरण हेतु अपेक्षित कोई राशि नहीं थी, जिसे हस्तांतरित करना आवश्यक था ।
- 4) अ) प्रबंधन ने प्रतिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए, कंपनी द्वारा या में कोई भी फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से भौतिक हैं) उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के फंड से) विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") सहित कोई अन्य व्यक्ति या संस्था, इस समझ के साथ कि चाहे वह लिखित रूप से दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देना या निवेश करना, जिनकी पहचान किसी भी तरीके से की जाये या कंपनी की ओर से (अंतिम लाभार्थी) या कोई गारंटी, सुरक्षा या किसी तरह की अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी करते हैं ।
- ब) प्रबंधन ने प्रतिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए, कंपनी द्वारा (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से भौतिक हैं) किसी भी व्यक्ति या संस्था ("फंडिंग पार्टियाँ") सहित कोई भी धन प्राप्त नहीं किया है, इस समझ के साथ, चाहे दर्ज किया गया हो लिखित या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थियों") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गये अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी या कोई गारंटी, सुरक्षा प्रदान करेगी जैसे अंतिम लाभार्थियों की ओर से ;
- क) लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपर्युक्त माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत प्रतिनिधित्व, जैसा कि ऊपर (अ) और (ब) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें किसी भी सामग्री गलतफहमी है ।
5. कंपनी ने चालू वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है, इसे देखते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 का अनुपालन लागू नहीं होगा ।
6. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच भी शामिल है, कंपनी ने अपने खाता बही को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें लेखा सत्यापन (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और चालू वित्तीय वर्ष में कंपनी द्वारा सक्षम और संचालित किया गया था ।

कुते : मेसर्स अग्रवाल एण्ड धंधानिया
सनदी लेखाकार
(फार्म पंजीकरण क्रमांक 125756W)

हस्ता.
(तुषार वेगाड)
भागीदार
एम.एन. 158758

दिनांक : 04.08.2025
स्थान : सूरत
UDIN : 25158758BMGPIJ8228

Revised Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

- h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
- i. The Company has disclosed the impact of pending Litigations on its financial positions in its financial statements - Refer Note 28 to the Standalone Financial Statements.
- ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
- iii. There was no amount, which were required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
- iv. (a) The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person or entity, including foreign entity ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
- (b) The Management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been received by the Company from any person or entity, including foreign entity ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
- (c) Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.
- v. The Company has not declared or paid any dividend during the current year, in view of this, the compliance with Section 123 of the Companies Act, 2013 would not be applicable.
- vi. Based on our examination which includes test check, the Company has used accounting software for maintaining its books of account, which have a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same was enabled and operated by the Company in the current financial year.

For M/s. AGARWAL & DHANDHANIA
Chartered Accountants
[FRN. 125756W]

Sd/-
[TUSHAR VEGAD]
Partner
M.NO. 158758

Date: 04.08.2025
Place: Surat
UDIN:25158758BMGPIJ8228



डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर
समसंख्यक तिथि की स्वतंत्र लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक द्वारा जारी निदेशों और उप-निदेशों पर रिपोर्ट

- कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति-पश्चात लाभों के लिए कंपनी द्वारा सीधे या ट्रस्टों के माध्यम से किए गए सभी निवेशों, उद्धृत और गैर-उद्धृत, दोनों के उचित मूल्यांकन के आकलन करें। इसमें मूल्यांकन पद्धतियों का सत्यापन, भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के साथ संगतता सुनिश्चित करना और सहायक दस्तावेजों की समीक्षा करना शामिल है। लेखा परीक्षक मूल्यांकन दृष्टिकोण, उसकी तर्कसंगतता और लागू विनियमों के अनुपालन पर एक संक्षिप्त नोट प्रदान करेगा, और किसी भौतिक विचलन या गलत बयानी की रिपोर्ट करेगा।।

अभिलेखों की हमारी जाँच और प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर, कंपनी ने रिपोर्टिंग तिथि तक कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति-पश्चात लाभों के लिए LIC में सीधे ₹ 12.92 लाख का निवेश किया है। यह मूल्यांकन भारतीय लेखा मानक Ind AS 19 और अन्य प्रासंगिक विनियमों में निर्धारित मान्यता और मापन सिद्धांतों के अनुरूप है और वर्तमान में बिमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पुस्तकों में प्रावधानों के माध्यम से पूरा किया जाता है। हमारे विचार में, कंपनी का मूल्यांकन दृष्टिकोण भौतिक गलत बयानी से मुक्त है। संबंधित प्रकटीकरण, नोट संख्या 3 (xix) में भौतिक लेखांकन नीतियों में विशिष्ट नीति के साथ उल्लिखित है।

- क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेन को IT प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की प्रणाली मौजूद है? यदि हाँ, तो IT प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ-साथ वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हो, का भी उल्लेख किया जाए।

जाँचे गए अभिलेखों और प्राप्त स्पष्टीकरणों के आधार पर, कंपनी सभी लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण से खाता अखंडता पर पड़ने वाले संभावित नकारात्मक प्रभाव कंपनी पर लागू नहीं होंगे।

- क्या केन्द्रीय / राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों में विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्ति योग्य धनराशि (अनुदान/सबसिडी आदि) का नियम व शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनायें।

जाँचे गए अभिलेखों और प्राप्त स्पष्टीकरणों के आधार पर, कंपनी को न तो कोई धनराशि प्राप्त हुई और न ही केंद्र/राज्य सरकार या उनकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत कंपनी को कोई धनराशि प्राप्त हुई।

- क्या कंपनी ने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है? यदि हाँ, तो क्या कंपनी ने जोखिमों को कम करने के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है? यदि हाँ, तो (क) क्या जोखिम प्रबंधन नीति वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है? (ख) क्या कंपनी ने अपनी डेटा परिसंपत्तियों की पहचान की है और क्या उनका उचित मूल्यांकन किया गया है?

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, कंपनी ने औपचारिक रूप से उन प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान नहीं की है जिनके लिए एक स्वतंत्र, व्यापक जोखिम न्यूनीकरण ढाँचे की आवश्यकता होगी। प्रबंधन का वर्तमान आकलन इस बात का संकेत देता है कि कंपनी के संचालन की प्रकृति और पैमाने से जुड़े ऐसे कोई बड़े जोखिम नहीं हैं जिनके लिए इस समय इस तरह के औपचारिक ढाँचे की आवश्यकता हो।

हालांकि, कंपनी ने विभिन्न मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) और एक व्हिसलब्लोअर नीति को सक्रिय रूप से लागू किया है। ये आंतरिक नियंत्रण और नीतियाँ प्रमुख परिचालन पहलुओं को कवर करने और व्यवसाय के दौरान उत्पन्न होने वाले संभावित जोखिमों को कम करने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप डिज़ाइन की गई हैं।

कंपनी ने अपनी महत्वपूर्ण डेटा परिसंपत्तियों की पहचान के लिए एक मजबूत प्रक्रिया स्थापित की है। इसमें स्वामित्व वाली बौद्धिक संपदा और आवश्यक परिचालन जानकारी शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। यद्यपि इन आंतरिक रूप से उत्पन्न डेटा परिसंपत्तियों का उनके रणनीतिक महत्व के लिए मान्यता प्राप्त है, फिर भी इन आंतरिक रूप से उत्पन्न डेटा परिसंपत्तियों को कोई विशिष्ट वित्तीय मूल्य नहीं दिया जाता है।

- क्या कंपनी भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (SEBI) (सूचीताबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, और सेबी, निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सर्ट-इन, इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अन्य लागू नियमों एवं विनियमों का अनुपालन कर रही है, जहाँ भी लागू हो? यदि नहीं, तो विचलन के मामलों को उजागर किया जाए।

TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE STANDALONE FINANCIAL
STATEMENTS OF DNH and DD POWER CORPORATION LIMITED

Report on directions and sub-directions issued by Comptroller and Auditor General of India under
Section 143 (5) of the Companies Act, 2013.

- Assess the fair valuation of all the investments, both quoted and unquoted, made directly by the Company or through Trusts, for Post-retirement benefits of the employees. This includes verifying valuation methodologies, ensuring consistency with Ind AS and reviewing supporting documentation. The auditor shall provide a brief note on the valuation approach, its reasonability, and compliance with applicable regulations, reporting any material deviations or misstatements.**

Based on our examination of the records and the explanations provided by management, the Company has invested directly to LIC amounting to ₹ 12.92 Lakh towards post-retirement benefits of employees as at the reporting date. The valuation is in compliance with the recognition and measurement principles stipulated in Ind AS 19 and other relevant regulations and are currently met through provisions in the books, based on actuarial valuation. In our view, the Company's valuation approach is free from material misstatement. The related disclosures, with the specific policy outlined in material accounting policies in Note no. 3 (xix).

- Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.**

Based on records examined and explanations received, the Company utilises an IT system for all accounting transactions. Accordingly, the potential negative implications for account integrity from processing transactions outside this IT system would not be applicable to the Company.

- Whether funds (grants / subsidy etc.) received/receivable for specific schemes from Central/ State Government or its agencies were properly accounted for / utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.**

Based on records examined and explanations given to us, neither any fund received by the Company nor any fund receivable to the Company under specific schemes from the Central / State Government or their agencies.

- Whether the Company has identified the key Risk areas? If yes, whether the Company has formulated any Risk Management Policy to mitigate the risks? If yes, a) Whether the Risk Management Policy has been formulated considering global best practices? b) whether the Company has identified its data assets and whether it has been valued appropriately?**

During the reporting period, the Company has not formally identified key risk areas that would necessitate a standalone, comprehensive risk mitigation framework. Management's current assessment indicates no major risks associated with the nature and scale of the Company's operations requiring such a formal framework at this time.

However, the Company has proactively implemented various Standard Operating Procedures (SOPs) and a whistle-blower policy. These internal controls and policies are designed to cover key operational aspects and align with global best practices to mitigate potential risks that may arise in the course of business.

The Company has established a robust process for identifying its critical data assets. This includes, but is not limited to, proprietary intellectual property, customer data, and essential operational information. While these internally generated data assets are recognized for their strategic importance, a specific financial value is not assigned to these internally generated data assets.

- Whether the Company is complying with the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and other applicable rules and regulations of SEBI, Department of Investment and Public Asset Management, Ministry of Corporate Affairs, Department of Public Enterprises, Reserve Bank of India, Telecom Regulatory Authority of India, CERT-IN, Ministry of Electronics and Information Technology and National Payments Corporation of India wherever applicable? If not, the cases of deviation may be highlighted.**



अनुलग्नक - 'अ'
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर संशोधित रिपोर्ट

कंपनी एक सूचीबद्ध इकाई नहीं है और इसलिए, सेबी (LODR) विनियम, DIPAM, DPE, TRAI, NPCI, और RBI विनियम के प्रावधान उस पर लागू नहीं होते हैं। कंपनी कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (कंपनी अधिनियम, 2013) के तहत सभी लागू आवश्यकताओं का अनुपालन करती है और हमें दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी अपने IT अवसंरचना पर लागू सर्ट-इन के प्रासंगिक दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करती है।

हमारी समीक्षा और प्रबंधन अभ्यावेदन के आधार पर, कंपनी ने जहां भी आवश्यक हो, लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन/प्रकटीकरण किया है और कोई विचलन नहीं देखा गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत क्षेत्र-विशिष्ट उप-निर्देश।

6. कंपनी के स्वामित्व वाली बेकार पड़ी भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए उठाए गए कदमों की पर्याप्तता की जाँच की जाए। यदि कंपनी पर अतिक्रमण चल रहा है, उपयोग में नहीं है या अधिशेष घोषित है, तो विवरण प्रदान किया जाए।

जाँचे गए अभिलेखों और प्राप्त स्पष्टीकरणों के आधार पर, कंपनी की न तो किसी भूमि पर अतिक्रमण है और न ही मुकदमा चल रहा है। इसके अलावा, कंपनी के पास कोई अपर्युक्त भूमि नहीं है या अधिशेष घोषित भूमि नहीं है।

7. परित्यक्त परियोजनाओं पर कितनी लागत आई है और इसमें से कितनी लागत बट्टे खाते में डाली गई है ?

वित्तीय वर्ष के दौरान कोई भी परित्यक्त परियोजना नहीं देखी गई, इसलिए कंपनी द्वारा परित्यक्त परियोजनाओं पर कोई लागत नहीं आई है।

8. क्या विद्युत निकासी की प्रणाली, उत्पादन कंपनी के पास संचरण के लिए उपलब्ध विद्युत के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो उत्पादन कंपनी द्वारा दावा की गई हानि, यदि कोई हो, पर टिप्पणी की जा सकती है।

कंपनी के एक अंतर-राज्यीय पारेषण उपयोगिता है और कंपनी ने उत्पादन बिंदु से विद्युत निकासी के लिए किसी भी उत्पादन कंपनी के साथ कोई समझौता नहीं किया है।

9. वर्ष के दौरान निर्धारित मानदंडों से अधिक कितनी पारेषण हानि हुई है और क्या इसका लेखा-जोखा पुस्तकों में उचित रूप किया गया है ?

जांचे गए अभिलेखों और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर, कंपनी की पारेषण हानि और पारेषण उपलब्धता मोटे तौर पर निर्धारित नियामक मानदंडों के भीतर थी। जहाँ मामूली अंतर थे, तो उनका सामान्य परिचालन के दौरान आकलन किया गया था और उन पर उचित रूप से विचार किया गया है और लेखा-जोखा पुस्तकों में उनका लेखा-जोखा किया गया है।

10. क्या अन्य एजेंसियों की ओर से निर्मित और पूर्ण की गई और उन्हें सौंपी गई परिसंपत्तियों का वित्तीय विवरणों में उचित रूप से हिसाब लगाया गया है ?

जांचे गए अभिलेखों और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर, वर्ष के दौरान अन्य एजेंसियों की ओर से निर्मित और पूर्ण की गई तथा सौंपी गई परिसंपत्तियों का वित्तीय विवरणों में उचित रूप से लेखा-जोखा किया गया है।

कृते : मेसर्स अग्रवाल एण्ड धंधानिया
सनदी लेखाकार
(फार्म पंजीकरण क्रमांक 125756W)

हस्ता.
(तुषार वेगाड)
भागीदार
एम.एन. 158758

दिनांक : 04.08.2025
स्थान : सूरत
UDIN : 25158758BMGPJ8228

Annexure 'A' to the
Revised Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

The Company, is not a listed entity, and hence, the provisions of SEBI (LODR) Regulations, DIPAM, DPE, TRAI, NPCI, and RBI regulations are not applicable. The Company complies with all applicable requirements under the Ministry of Corporate Affairs (Companies Act, 2013) and according to the information given to us, the company ensures adherence to relevant guidelines of CERT-IN, as applicable to its IT infrastructure.

Based on our review and management representations, the company has complied / disclosed wherever required the applicable rules and regulations and there are no deviations observed.

Sector specific sub-directions under section 143(5) of the companies Act.2013.

6. Adequacy of steps to prevent encroachment of idle land owned by Company may be examined. In case land of the Company is encroached, under litigation, not put to use or declared surplus, details may be provided.

Based on records examined and explanations given to us, neither any land of the Company is encroached nor under litigation. Further, Company does not have any unused land or declared as surplus land.

7. How much cost has been incurred on abandoned projects and out of this how much cost has been written off?

There are no abandoned projects noticed during the financial year hence, nil cost has been incurred by the Company on abandoned projects.

8. Is the system of evacuation of power commensurate with power available for transmission with the generating company? If not, loss, if any, claimed by the generating company may be commented.

The Company is an Intra State Transmission Utility and the company has not entered in any agreement with any generating company for evacuation of power from generating point.

9. How much transmission loss in excess of prescribed norms has been incurred during the year and whether the same been properly accounted for in the books of accounts?

Based on the records examined and the explanations provided to us, the transmission loss and transmission availability during the year were broadly within the prescribed regulatory norms. Where minor variances, if any, they were assessed in the normal course of operations and have been appropriately considered and accounted for in the books of accounts.

10. Whether the assets constructed and completed on behalf of other agencies and handed over to them has been properly accounted for in the financial statements.

Based on records examined and explanations given to us, the assets constructed and completed on behalf of other agencies and handed over to them during the year has been properly accounted in the financial statements.

For M/s. AGARWAL & DHANDHANIA
Chartered Accountants
[FRN. 125756W]

Sd/-
[TUSHAR VEGAD]
Partner
M.NO. 158758

Date: 04.08.2025
Place: Surat
UDIN: 25158758BMGPJ8228





अनुलग्नक - 'ब'
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर सशोधित रिपोर्ट

डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर
समसंख्यक तिथि की स्वतंत्र लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(11) के तहत जारी आदेश पर रिपोर्ट,

1) कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति के संबंध में :

- क) अ) कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मात्रात्मक विवरण और अचल परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकार्ड बनाए रखा हैं।
ब) कंपनी ने अमूर्त संपत्ति के पूर्ण विशेष रूप से उचित रिकार्ड बनाए रखा है।
- ख) कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (PPE) का तीन वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से भौतिक सत्यापन करने की नीति है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए उचित है।
तीन-वर्षीय चक्र के दौरान के एक बड़े हिस्से का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है। हालांकि, चालू वर्ष के दौरान अर्जित नई परिसंपत्तियों और पिछले सत्यापन कार्यक्रमों में पहले से शामिल परिसंपत्तियों के समूह को सत्यापन कार्यक्रम के अपने चरण में सत्यापन के लिए निर्धारित किया गया है। हमें दी गई जानकारी और सपिष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा किए गए सत्यापनों कोई भी भौतिक विसंतियों नहीं पाई गई।
- ग) दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, दादरा एवं नगर हवेली के विद्युत विभाग से अंतरित अचल संपत्तियों के कानूनी स्वामित्व (खिताब) अभी भी दादरा एवं नगर हवेली के विद्युत विभाग के नाम पर वो अब कंपनी के नाम पर नहीं हैं। हालांकि, निगम के नाम पर पंजीकरण और / या अंतरण की प्रक्रिया प्रगति पर है। इस तरह के सभी अचल परिसंपत्तियों का विवरण प्रस्तुत है :

वस्तु का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹ लाख में)*	स्थान	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	नाम से धारित पट्टा विलेख	क्या पट्टा विलेख धारक प्रोत्साहक, निदेशक या रिस्तेदार या कर्मचारी है	कब से संपत्ति धारक	कारण
भूमि (मुआफी जमीन)	—	पावर हाउस, झंडा चौक	0.25	विद्युत विभाग, दानह	100%	अप्रैल	निगम के
	913.90	आमली सब-स्टेशन	6.53	विद्युत विभाग, दानह	सरकारी	2013	नाम
	64.00	सीली सब-स्टेशन	1.80	विद्युत विभाग, दानह	कंपनी		पंजीकरण
	100.00	मसाट सब-स्टेशन	1.28	विद्युत विभाग, दानह	होने के नाते		और/या
	84.00	रखोली सब-स्टेशन	1.44	विद्युत विभाग, दानह	लागू नहीं		स्थानांतरण
	—	खडोली सब-स्टेशन	8.45	विद्युत विभाग, दानह			की प्रक्रिया
	55.00	खानवेल सब-स्टेशन	0.22	विद्युत विभाग, दानह			प्रक्रियाधीन
	—	कला सब-स्टेशन	2.42	विद्युत विभाग, दानह			है
	—	वेलुगाम सब-स्टेशन	5.00	विद्युत विभाग, दानह			
	—	पिपरिया सब-स्टेशन	0.34	मेसर्स त्रिवेणी डेवलपर्स			
	—	पिपरिया सब-स्टेशन	0.92	श्री राकेशसिंह मोहनसिंह चौहान			
	—	अथाल सब-स्टेशन	0.80	विद्युत विभाग, दानह			
	67.76	वाघधरा सब-स्टेशन	0.85	विद्युत विभाग, दानह			
कुल	1,364.66						

* सकल वहन मूल्य (-) भूमि के नाममात्र मूल्य अर्थात ₹ 1.00 को दर्शाता है।

Annexure 'B' to the
Revised Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE STANDALONE FINANCIAL
STATEMENTS OF DNH and DD POWER CORPORATION LIMITED

Report on the Order issued under Section 143(11) of the Companies Act, 2013

i. In respect of the Company's Property, Plant and Equipment and Intangible Assets:

- a) A) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment.
B) The Company has maintained proper records showing full particulars of intangible assets.
- b) The company has a policy of conducting physical verification of Property, Plant and Equipment (PPE) in a phased manner over a period of three years, which, in our opinion, is reasonable having regard to the size of the company and the nature of its assets.
Physical verification has been carried out for a substantial portion of the PPE during the three-year cycle. However, new assets acquired during the current year and the group of assets already covered in previous verification programs then these assets are scheduled for verification in the subsequent phase of the verification program. According to the information and explanations given to us, no material discrepancies were noticed on the verification carried out by the management.
- c) According to the information and explanations given to us and on the basis of examination of records of the Company, the Legal Ownership (titles) of Immovable Properties transferred from Electricity Department of Dadra & Nagar Haveli (DNH) are not in the name of the Company. The details of all such immovable properties are mentioned as below:

Description of Item	Gross Carrying Value (₹ in Lakh)*	Location	Area of Land (in Hecter)	Title deed held in the name	Whether title deed holder is a promoter, director or their relative or employee	Property holding since	Reason
Land (freehold)	—	Power House Zanda Chowk	0.25	Electricity Department D&NH	Not Applicable, being 100% Government Company	April, 2013	The procedure for registration and /or transfer in the name of the Corporation is in process
	913.90	Amli Sub-Station	6.53	Electricity Department D&NH			
	64.00	Sili Sub-Station	1.80	Electricity Department D&NH			
	100.00	Masat Sub-Station	1.28	Electricity Department D&NH			
	84.00	Rakholi Sub-Station	1.44	Electricity Department D&NH			
	—	Khadoli Sub-Station	8.45	Electricity Department D&NH			
	55.00	Khanvel Sub-Station	0.22	Electricity Department D&NH			
	—	Kala Sub-Station	2.42	Electricity Department D&NH			
	—	Velugam Sub-Station	5.00	Electricity Department D&NH			
	—	Pipariya Sub-Station	0.34	M/s Tirveni Developers			
	—	Pipariya Sub-Station	0.92	Mr. Rakeshsinh Mohansinh Chauhan			
	—	Athal Sub-Station	0.80	Electricity Department D&NH			
	67.76	Wagdhara Sub-Station	0.85	Electricity Department D&NH			
	80.00	Dadra Sub-Station	2.32	Electricity Department D&NH			
Total	1,364.66						

* Gross Carrying Value (-) denotes the nominal value of land i.e. ₹ 1.00.





अनुलग्नक - 'ब'
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर सशोधित रिपोर्ट



Annexure 'B' to the
Revised Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

- घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 और बनाये गये नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।
- 2 क) जैसा कि हमें समझाया गया है, प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर माल-सूचि (यानी भंडार औक पूजों) का भौतिक सत्यापन किया गया है। आवरण सहित प्रबंधन द्वारा अपनाई गई सूची के भौतिक सत्यापन की प्रक्रियाएँ उपर्युक्त थीं। वास्तविक भंडारण एवं बुक रिकॉर्ड के बीच सत्यापन पर कोई विसंगतियां नहीं देखी गई, जो माल-सूचि के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक थीं।
- ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, कंपनी को कुल मिलाकर गैर-निधि आधारित साख पत्र, चालू परसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों से सुविधा के पत्र सहित पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूँजी सीमा मंजूर नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश खण्ड 3(ii) (ख) लागू नहीं है।
- 3 हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम, कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों के लिए सुरक्षित या असुरक्षित प्रदान नहीं किया है। तदनुसार, आदेश खण्ड 3(iii) (क), (ख), (ग), (घ), (च) और (छ) लागू नहीं है।
- 4 हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया है, या निवेश नहीं किया है, या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के तहत गारंटी और सुरक्षा प्रदान नहीं की है। तदनुसार, आदेश खण्ड 3(iv) लागू नहीं होता है।
- 5 कंपनी ने कोई जमा या राशि स्वीकार नहीं की है जिसे जनता से माना जाता है। तदनुसार, आदेश खंड 3(v) लागू नहीं होता है।
- 6 हमने अधिनियम की धारा 148(1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा बनाई गई खाते की पुस्तकों की व्यापक रूप से समीक्षा की है, और हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया, निधारित खाते और रिकॉर्ड किये गये और बनाये रखे हैं।
- 7 सांविधिक देय राशि के संबंध में :
- क) हमारी राय में, कंपनी आम तौर पर उपर्युक्त प्राधिकारियों के साथ कंपनी पर लागू अतिरिक्त कर, उपकर और अन्य सांविधिक देय माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयतक, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित रही है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त बकाया राशि के संबंध में देय कोई निर्विवाद राशि 31 मार्च, 2025 को देय होने की तारीख से छह महिने से अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं थी।
- ख) हमारे द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी द्वारा जांच के आधार पर, किसी भी विवाद के कारण 31 मार्च, 2025 तक उपरोक्त उप-खंड vii (a) में संदर्भित कोई वैधानिक बकाया नहीं है, जिसे जमा नहीं किया गया है।
- 8 हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में किसी भी लेनदेन को आत्मसमर्पण या खुलासा नहीं किया है, जो पहले खाते की किताबों में दर्ज नहीं किया गया था।
- 9 क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान ऋण या अन्य उधारों के भुगतान में या किसी भी ऋणदाता को ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।
- ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या ऋणदाता द्वारा खुदराय दिवालिया घोषित नहीं किया गया है।

- d) According to the information and explanations given to us and on the basis of examination of records of the Company, the Company has not revalued any of its Property, Plant and Equipment (including right-of-use assets) or intangible assets or both during the year.
- e) According to the information and explanations given to us and on the basis of examination of records of the Company, there are no proceedings initiated or pending against the Company for holding any benami property under Prohibition of Benami Property Transaction Act, 1988 and rules made thereunder.
- ii. a) As explained to us, the physical verification of inventory (i.e. stores and spares) has been conducted at reasonable intervals by the management. The procedures of physical verification of inventory followed by the Management including the coverage were appropriate. No discrepancies were noticed on verification between the physical stocks and the book records that were 10% or more in the aggregate for each class of inventory.
- b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not been sanctioned working capital limits in excess of five crore rupees including non-fund based letter of credit facility, in aggregate, from banks on the basis of security of current assets. Accordingly, the clause 3 (ii) (b) of the order are not applicable.
- iii. According to the information and explanation given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not made any investments, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured to companies, firms, limited liability partnerships or other parties during the year. Accordingly, the clauses 3 (iii) (a), (b), (c), (d), (e) and (f) of the order are not applicable.
- iv. According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not granted any loans, or made investments, or provided guarantees and security covered under the provisions of section - 185 and 186 of the Companies Act, 2013. Accordingly, the clause 3 (iv) of the order are not applicable.
- v. The Company has not accepted any deposits or amounts which are deemed to be deposits from the public. Accordingly, clause 3 (v) of the Order is not applicable.
- vi. We have broadly reviewed the books of account maintained by the Company pursuant to the rules made by the Central Government for the maintenance of cost records under section 148 (1) of the Act, and are of the opinion that prima facie, the prescribed accounts and records have been made and maintained.
- vii. In respect of statutory dues: -
- (a) In our opinion, the Company has generally been regular in depositing undisputed statutory dues including Goods and Service Tax, Provident Fund, Employees' State Insurance, Income Tax, Sales Tax, Service Tax, Duty of customs, Duty of excise, Value Added Tax, Cess and any other statutory dues applicable to the company with the appropriate authorities. According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of the aforesaid dues were outstanding as at March 31, 2025 for a period of more than six months from the date of becoming payable.
- (b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, there are no statutory dues referred to in sub-clause vii (a) above, which have not been deposited on account of any dispute as at March 31, 2025.
- viii. According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not surrendered or disclosed any transactions, previously unrecorded in the books of account, in the tax assessments under the Income-tax Act, 1961 as income during the year.
- ix. (a) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not defaulted in repayment of loans or other borrowings or in the payment of interest thereon to any lender during the year.
- (b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not been declared a wilful defaulter by any bank or financial institution or other lender.



अनुलग्नक - 'ब'
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर सशोधित रिपोर्ट

- ग) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई सावधि ऋण प्राप्त नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खण्ड 3(ix)(सी) लागू नहीं होता है।
- घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के तुलन पत्रक की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर कोई धनराशि नहीं जुटाई गई है। तदनुसार, आदेश के खण्ड 3(ix)(डी) लागू नहीं होता है।
- च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, कंपनी की कोई सहायक सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है, तदनुसार, आदेश के खण्ड 3(ix)(ई) और (एफ) लागू नहीं है।
10. क) कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखितों सहित) के माध्यम से कोई धन राशि नहीं जुटायी है। तदनुसार, आदेश के खण्ड 3(x)(ए) लागू नहीं होता है।
- ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय ऋणपत्र (पूरी तरह से, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई आधिमान्य आवंटन या निजी स्थानन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खण्ड 3(x)(बी) लागू नहीं होता है।
11. क) कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखापरीक्षण पर मानकों में उल्लिखित भौतिकता के सिद्धांतों पर विचार करते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया या रिपोर्ट पर कंपनी या कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है।
- ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा केन्द्रीय सरकार के साथ कंपनियों (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमों 2014 के बारे में नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र ADT-4 में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।
- ग) हमने व्हिसल ब्लोअर की शिकायत पर विचार किया है और हम रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा के दौरान कोई शिकायत नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।
12. कंपनी निधि कंपनी नहीं है और तदनुसार आदेश के खण्ड 3(xii) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।
13. हमारी राय में, संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेन-देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं और विवरण का खुलासा स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में नोट संख्या 29 में किया गया है जैसा कि लागू लेखा मानकों द्वारा आवश्यक है।
14. क) हमारी राय में, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।
- ख) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में, कंपनी को जारी की गई लेखापरीक्षा के तहत वर्ष के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है।
15. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान के लिए लागू नहीं है।
16. क) हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 IA के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार, आदेश के खण्ड 3 (xvi)(ए) और (बी) लागू नहीं हैं।
- ख) कंपनी एक कोर (मूल) निवेश कंपनी नहीं है जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाये गये नियमों में परिभाषित किया गया है। तदनुसार, आदेश के खण्ड 3 (xvi)(सी) लागू नहीं होता है।
- ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह के पास कोई CIC नहीं है। तदनुसार, आदेश के खण्ड 3 (xvi)(डी) लागू नहीं हैं।
17. कंपनी ने हमारे लेखा परीक्षा द्वारा आवरित वित्तीय वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान नकद हानि नहीं उठाई है।
18. वर्ष के दौरान कंपनी ने सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है। तदनुसार, आदेश के खण्ड 3 (xviii) लागू नहीं हैं।

Annexure 'B' to the
Revised Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

- (c) According to the information and explanations given to us by the management, the Company has not obtained any term loans. Accordingly, clause 3 (ix) (c) of the Order is not applicable.
- (d) According to the information and explanations given to us and on an overall examination of the balance sheet of the Company, we report that no funds have been raised on short-term basis by the Company. Accordingly, clause 3 (ix) (d) of the Order is not applicable.
- (e) According to the information and explanations given to us and on an overall examination of the financial statements of the Company, the company has no subsidiaries, associates or joint ventures, accordingly, the clause 3 (ix) (e) and (f) of the Order is not applicable.
- x. (a) The Company has not raised any moneys by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments). Accordingly, clause 3 (x) (a) of the Order is not applicable.
- (b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully, partially or optionally convertible) during the year. Accordingly, clause 3 (x) (b) of the Order is not applicable.
- xi. (a) Based on examination of the books and records of the Company and according to the information and explanations given to us and considering the principles of materiality outlined in Standards on Auditing, we report that no fraud by the Company or on the Company has been noticed or reported during the course of the audit.
- (b) According to the information and explanations given to us, no report under sub-section (12) of Section 143 of the Companies Act, 2013 has been filed by the auditors in Form ADT-4 as prescribed under Rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government.
- (c) We have taken into consideration the whistle blower complaints and we report that no complain has been noticed for reported during the course of the audit.
- xii. The Company is not a nidhi Company and accordingly, the clause 3 (xii) of the order is not applicable to the Company.
- xiii. In our opinion, all transactions with the related parties are in compliance with Section 177 and 188 of Companies Act, 2013 and the details have been disclosed in the Standalone Financial Statements in Note No. 29 as required by the applicable accounting standards.
- xiv. (a) In our opinion, the Company has an adequate internal audit system commensurate with the size and the nature of its business.
- (b) We have considered, the internal audit reports for the year under audit, issued to the Company, in determining the nature, timing and extent of our audit procedures.
- xv. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not entered into any non-cash transactions with its directors or persons connected to its directors and hence, the provisions of Section 192 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Company.
- xvi. (a) In our opinion, the Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Accordingly, the clause 3 (xvi) (a) and (b) of the order is not applicable.
- (b) The Company is not a Core Investment Company (CIC) as defined in the regulations made by the Reserve Bank of India. Accordingly, the clause 3 (xvi) (c) of the order is not applicable.
- (c) According to the information and explanations given to us, the Group does not have any CIC. Accordingly, the clause 3 (xvi) (d) of the order is not applicable.
- xvii. The Company has not incurred cash losses during the financial year covered by our audit and the immediately preceding financial year.
- xviii. There has been no resignation of the statutory auditors of the Company during the year. Accordingly, the clause 3 (xviii) of the order is not applicable.





अनुलग्नक - 'ब'
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर सशोधित रिपोर्ट

19. वित्तीय अनुपात, उग्र बढ़ने और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के साथ अन्य जानकारी और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो जाता है कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, यह दर्शाता है कि कंपनी तुलन पत्रक की तारीख में मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जबकि, तुलन पत्रक की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हों। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक तथ्यों पर आधारित है और हम किसी भी गारंटी नहीं देते हैं और न ही किसी भी आश्वासन को शेष राशि से एक वर्ष की अवधि के भीतर गिरने वाली सभी देनदारियां, कंपनी द्वारा देय होने पर और जैसे ही समाप्त हो जाएंगी।
20. क) कही गई कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की अनुसूचि VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरण की आवश्यकता वाली चल रही परियोजनाओं के अलावा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के लिए कोई अव्ययित राशि नहीं है। तदनुसार, आदेश के खण्ड 3(xx)(ए) के तहत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं हैं।
- ख) कंपनी अधिनियम की धारा 135 (6) के प्रावधान के तहत चल रही परियोजनाओं के संबंध में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष के अंत में अव्ययित के संबंध में ₹ 193.01 लाख (पिछले वर्ष ₹ 300.73 लाख) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) राशि को वित्तीय वर्ष के अंत से 30 दिनों की अवधि के भीतर एक विशेष खाते में स्थानांतरित कर दिया जायेगा और इसका विवरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में नोट संख्या 27 (iv एवं v) में दिया गया है।
21. यह स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण होने के कारण और समेकित वित्तीय विवरण नहीं होने के कारण, आदेश के खण्ड 3 (xxi) के तहत कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।

कुते : मेसर्स अग्रवाल एण्ड धंधानिया
सनदी लेखाकार
(फार्म पंजीकरण क्रमांक 125756W)

हस्ता.
(तुषार वेगाड)
भागीदार
एम.एन. 158758

दिनांक : 04.08.2025
स्थान : सुरत
UDIN : 25158758BMGPJ8228

Annexure 'B' to the
Revised Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

- xix. On the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realisation of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements and our knowledge of the Board of Directors and Management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report indicating that Company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the Company as and when they fall due.
- xx. (a) There are no unspent amounts towards Corporate Social Responsibility (CSR) other than ongoing projects requiring a transfer to a Fund specified in Schedule VII to the Companies Act in compliance with second proviso to sub-section (5) of Section 135 of the said Act. Accordingly, reporting under clause 3 (xx) (a) of the Order is not applicable for the year.
- (b) In respect of ongoing projects, the Company has transferred Rs. 193.01 Lakh (Previous Year Rs. 300.73 Lakh) in respect of unspent Corporate Social Responsibility (CSR) amount as at the end of the financial year, to a Special account within a period of 30 days from the end of the financial year in compliance with the provision of section 135 (6) of the Act and the details have been disclosed in the Standalone Financial Statements in Note No. 27 (iv & v).
- xxi. This being the standalone financial statements and not the consolidated financial statements, the reporting under clause 3 (xxi) of the order is not applicable to the company.

For M/s. AGARWAL & DHANDHANIA
Chartered Accountants
[FRN. 125756W]

Sd/-
[TUSHAR VEGAD]
Partner
M.NO. 158758

Date: 04.08.2025
Place: Surat
UDIN: 25158758BMGPJ8228





डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

CIN: U40100DN2012GOI000405 (सरकार का उपक्रम)

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

अनुलग्नक - 'क' स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर संशोधित रिपोर्ट

डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर
समसंख्यक तिथि की स्वतंत्र लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उपधारा 3 के खण्ड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रिपोर्ट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का हमारी लेखा-परीक्षा के साथ हमने 31 मार्च, 2025 तक डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड लिमिटेड (पहले जाना जाता था दानह ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड) ('कंपनी') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा-परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए कंपनी का प्रबंधन उत्तरदायी है। इन जिम्मेदारियों पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिज़ाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं जो कंपनी के नीतियों का पालन करने, अपनी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान सहित लेखांकन अभिलेख की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षानुसार विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करने के लिए अपने व्यापार के व्यवस्थित और दक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे।

लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लेखा-परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करें। हमने वित्तीय लेखा-परीक्षा ('मार्गदर्शी टिप्पणी') पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा-परीक्षा और ICAI द्वारा जारी किये गये लेखा परीक्षा के मानकों पर मार्गदर्शी टिप्पणी के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा-परीक्षा की सीमा तक लागू, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा को लागू समझे गये एवं दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान आज जारी किये गये। हमने लेखा-परीक्षा की और कंपनी की धारा 143(10) के तहत दोनों चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किये गये एवं निर्धारित समझे गये अधिनियम, 2013, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा के लिए लागू होते हैं, और दोनों उन मानकों और मार्गदर्शी टिप्पणी की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना का पालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किये गये हैं और अनुरक्षित किये गये हैं और यदि ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखा-परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी क्रियात्मक प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा-परीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारी लेखा-परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ, महत्वपूर्ण कमजोरी के जोखिम का आकलन करने और आकलन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और क्रियात्मक प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों की ठोस गलत बयानी के जोखिमों का आकलन शामिल है।

हमारी मान्यता है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा-परीक्षा राय के आधार देने के लिए पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रिया शामिल हैं जो :

- 1) अभिलेखों के रखरखाव उचित विवरण में सही और योग्य तरीके से लेनदेन और कंपनी की संपत्ति का निपटान प्रतिबिंबित करता है ;

2024-25 Annual Report

DNH and DD Power Corporation Limited

(A Govt. Undertaking) CIN: U40100DN2012GOI000405

Annexure 'C' to the Revised Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE STANDALONE FINANCIAL
STATEMENTS OF DNH and DD POWER CORPORATION LIMITED

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of DNH and DD Power Corporation Limited (Formerly known as DNH Power Distribution Corporation Limited) ("the Company") as of March 31, 2025 in conjunction with our audit of the Standalone Financial Statements of the Company for the year ended March 31, 2025.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of standalone financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that

- 1) Pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;





- 2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेनदेन दर्ज कर रहे हैं जो आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देते हैं और प्राप्तियाँ और व्यय कंपनी के प्रावधानों के प्राधिकारों और कंपनी निदेशक के अनुसार ही किये जा रहे हैं...और
- 3) कंपनी के आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या स्वभाव की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें जो वित्तीय विवरणों पर ठोस प्रभाव डाल सकता है ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की आंतरिक सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं की वजह से, मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन नियंत्रण के अभिभाव की संभावना, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण ठोस गलत बयानी हो सकती है और इसका पता नहीं लगाया जा सकता है । साथ ही, भविष्य की अवधि में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में बदलावों के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा में हास आ सकता है ।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें गिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास, सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025, तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए किया गया है ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी राय उपरोक्त के संबंध में संशोधित नहीं है ।

कृते : मेसर्स अग्रवाल एण्ड धंधानिया

सनदी लेखाकार

(फार्म पंजीकरण क्रमांक 125756W)

हस्ता.

(तुषार वेगाड)

भागीदार

एम.एन. 158758

दिनांक : 04.08.2025

स्थान : सुरत

UDIN : 25158758BMGPIJ8228

- 2) Provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and
- 3) Provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the standalone financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, to the best of our information and according to the explanations given to us, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2025, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Our opinion on the internal financial control system over financial reporting is not modified in respect of the above.

For M/s. AGARWAL & DHANDHANIA

Chartered Accountants

[FRN. 125756W]

Sd/-

[TUSHAR VEGAD]

Partner

M.NO. 158758

Date : 04/08/2025

Place : Surat

UDIN : 25158758BMGPIJ8228





31 मार्च, 2025 तक का तुलन पत्रक

विवरण	टिप्पणि क्रमांक	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2025 तक (₹ लाख में)	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2024 तक (₹ लाख में)
परिसंपत्तियाँ			
1 अप्रचलित परिसंपत्तियाँ			
a) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (PPE)	1	16,272.84	15,316.13
b) पूँजीगत निर्माण कार्य	2	510.60	550.18
c) अवास्तविक संपत्तियाँ	3	1.22	9.87
d) वित्तीय परिसंपत्तियाँ		–	–
i) निवेश		–	–
ii) व्यापार प्राप्तियाँ		–	–
iii) ऋण		–	–
iv) अन्य	4	19.49	17.40
e) अस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (Net)		–	–
f) अन्य अप्रचलित परिसंपत्तियाँ		–	–
कुल अप्रचलित परिसंपत्तियाँ		16,804.15	15,893.58
2 वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
a) वस्तु सूचि	5	335.71	218.90
b) वित्तीय संपत्तियाँ		–	–
i) निवेश		–	–
ii) व्यापार प्राप्तियाँ	6	65.63	1,262.00
iii) नकद एवं नकद समकक्ष	7	3,597.43	3,567.84
iv) उपरोक्त (iii) के अलावा बैंक शेष	7	63,730.16	57,952.49
v) ऋण		–	–
vi) अन्य	8	–	1,648.00
c) वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (Net)		–	–
d) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	9	139.33	40.94
कुल वर्तमान परिसंपत्तियाँ		67,868.26	64,690.17
3 बिक्री के लिए आयोजित वर्गीकृत गैर-वर्तमान संपत्तियाँ	10	–	159.44
कुल परिसंपत्तियाँ (1+2+3)		84,672.41	80,743.19
इक्विटी एवं देनदारियाँ			
1 इक्विटी			
a) इक्विटी शेयर पूँजी	11	38,974.45	38,974.45
b) अन्य इक्विटी	12	40,582.08	37,094.24
कुल इक्विटी		79,556.53	76,068.69



Balance Sheet as at 31st March, 2025

Particulars	Note No.	As at 31 March, 2025 (₹ in Lakh)	As at 31 March, 2024 (₹ in Lakh)
ASSETS			
1 Non-Current Assets			
a) Property, Plant and Equipment (PPE)	1	16,272.84	15,316.13
b) Capital Work-in-Progress	2	510.60	550.18
c) Intangible Assets	3	1.22	9.87
d) Financial Assets		–	–
i) Investments		–	–
ii) Trade Receivables		–	–
iii) Loans		–	–
iv) Others	4	19.49	17.40
e) Deferred Tax Assets (Net)		–	–
f) Other Non-Current Assets		–	–
Total Non-Current Assets		16,804.15	15,893.58
2 Current Assets			
a) Inventories	5	335.71	218.90
b) Financial Assets		–	–
i) Investments		–	–
ii) Trade Receivables	6	65.63	1,262.00
iii) Cash and Cash Equivalents	7	3,597.43	3,567.84
iv) Bank Balances other than (iii) above	7	63,730.16	57,952.49
v) Loans		–	–
vi) Others	8	–	1,648.00
c) Current Tax Assets (Net)		–	–
d) Other Current Assets	9	139.33	40.94
Total Current Assets		67,868.26	64,690.17
3 Non-Current Assets classified as held for sale	10	–	159.44
TOTAL ASSETS (1+2+3)		84,672.41	80,743.19
EQUITY AND LIABILITIES			
1 Equity			
a) Equity Share Capital	11	38,974.45	38,974.45
b) Other Equity	12	40,582.08	37,094.24
Total Equity		79,556.53	76,068.69



31 मार्च, 2025 तक का तुलन पत्रक

विवरण	टिप्पणि क्रमांक	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2025 तक (₹ लाख में)	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2024 तक (₹ लाख में)
देयताएँ			
2 अप्रचलित देयताएँ			
a) वित्तीय देयताएँ			
i) उधार		-	-
iअ) पट्टा देयताएँ		-	-
ii) व्यापार एवं अन्य देय		-	-
iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	13	125.13	94.06
b) प्रावधान	14	-	536.95
c) आस्तगित कर देयताएँ (Net)	15	1,669.16	1,575.55
d) अन्य अवर्तमान देयताएँ	16	173.91	198.91
कुल अप्रचलित देयताएँ		1,968.20	2,405.47
3 वित्तीय देयताएँ			
a) वित्तीय देयताएँ			
i) उधार		-	-
iअ) पट्टा देयताएँ		-	-
ii) व्यापार एवं अन्य देय	17		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के कारण कुल राशि		736.35	464.20
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा कारण कुल राशि		207.54	144.19
iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	18	1,247.28	945.33
b) प्रावधान	19	947.11	704.97
c) वर्तमान कर देयताएँ (Net)	20(a)	(37.79)	(15.88)
d) अन्य वर्तमान देयताएँ	20(b)	47.19	26.22
कुल वर्तमान देयताएँ		3,147.68	2,269.03
कुल देयताएँ		5,115.88	4,674.50
कुल इक्विटी एवं देयताएँ (1+3)		84,672.41	80,743.19

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति की जानकारी (I) एवं टिप्पणियाँ (II) इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते: मे. अग्रवाल एण्ड धंधानिया
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन. 125756W

हस्ता.
(तुषार वेगाड)

भागीदार

एम. नंबर - 158758

स्थान : सिलवासा
दिनांक : 27.06.2025
UDIN : 25158758BMGODV9863

हस्तां.
(हेमंत कुमार शाह)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्तां.
(अरुण टी.)
प्रबंध निदेशक
(DIN-09584076)

हस्तां.
(अंजु चौधरी)
कंपनी सचिव

हस्तां.
(प्रियांक किशोर)
निदेशक
(DIN-10307243)

ऊर्जा जीवन है इसे संरक्षित रखें

Balance Sheet as at 31st March, 2025

Particulars	Note No.	As at 31 March, 2025 (₹ in Lakh)	As at 31 March, 2024 (₹ in Lakh)
Liabilities			
2 Non-Current Liabilities			
a) Financial Liabilities			
i) Borrowings		-	-
ia) Lease Liabilities		-	-
ii) Trade and Other Payables		-	-
iii) Other Financial Liabilities	13	125.13	94.06
b) Provisions	14	-	536.95
c) Deferred Tax Liabilities (Net)	15	1,669.16	1,575.55
d) Other Non-Current Liabilities	16	173.91	198.91
Total Non-Current Liabilities		1,968.20	2,405.47
3. Current Liabilities			
a) Financial Liabilities			
i) Borrowings		-	-
ia) Lease Liabilities		-	-
ii) Trade and Other Payables	17		
Total Amount due of Micro & Small Enterprises		736.35	464.20
Total Amount due other than Micro & Small Enterprises		207.54	144.19
iii) Others Financial Liabilities	18	1,247.28	945.33
b) Provisions	19	947.11	704.97
c) Current Tax Liabilities (Net)	20(a)	(37.79)	(15.88)
d) Other Current Liabilities	20(b)	47.19	26.22
Total Current Liabilities		3,147.68	2,269.03
Total Liabilities		5,115.88	4,674.50
TOTAL EQUITY AND TOTAL LIABILITIES (1+3)		84,672.41	80,743.19

This Material Accounting Policy Information (I) and Notes(II) are integral part of these Financial Statement.

In terms of our Audit Report of even date attached
For, **M/s Agrawal & Dhandhan**
Chartered Accountants
FRN. 125756W

Sd/-
(**Tushar Vegad**)
Partner
M. No. 158758

Place : Silvassa
Date : 27.06.2025
UDIN : 25158758BMGODV9863

For and On behalf of
DHN and DD Power Corporation Limited

Sd/-
(**Hemant Kumar Shah**)
Chief Financial Officer

Sd/-
(**Arun T.**)
Managing Director
(DIN-09584076)

Sd/-
(**Anju Chaudhary**)
Company Secretary

Sd/-
(**Priyank Kishore**)
Director
(DIN-10307243)

Energy is life..... Conserve it



BALANCE SHEET - 2024-25



31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि का विवरण

विवरण	टिप्पणि क्रमांक	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2025 तक (₹ लाख में)	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2024 तक (₹ लाख में)
आय / राजस्व			
I परिचालन से राजस्व	21	4,538.70	12,902.88
II अन्य आय	22	4,939.17	4,605.09
III कुल राजस्व (I+II)		9,477.87	17,507.97
IV व्यय			
बिजली की खरीद	23	–	1,648.00
संचालन एवं रखरखाव व्यय	24	1,747.16	1,357.35
कर्मचारी लाभ व्यय	25	699.05	549.29
वित्त लागत	26	–	16.35
मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	1 & 3	1,157.86	1,325.24
प्रशासन एवं अन्य व्यय	27	1,028.02	1,692.38
कुल व्यय (IV)		4,632.09	6,588.61
V असाधारण आयटम और कर पूर्व लाभ (हानि) (III – IV)		4,845.78	10,919.36
VI विशेष आयटम		–	–
VII कर पूर्व लाभ (V – VI)		4,845.78	10,919.36
VIII कर व्यय :			
वर्तमान कर	20	1,264.33	2,984.00
आस्थगित कर	15	93.61	(21.11)
कुल कर व्यय		1,357.94	2,962.89
IX निरंतर संचालन से वर्ष के लिए लाभ (हानि) (VII – VIII)		3,487.84	7,956.47
X बंद हुए संचालन से लाभ (हानि)		–	–
XI बंद हुए संचालन से कर व्यय		–	–
XII बंद हुए संचालन से लाभ(हानि) (कर के बाद) (X-XI)		–	–
XIII वर्ष के लिए लाभ(हानि) (IX+XII)		3,487.84	7,956.47
XIV अन्य व्यापक आय			
अ – ऐसी मदें जिन्हें तदपश्चात लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जायेगा		–	–
ब – ऐसी मदें जिन्हें तदपश्चात लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जायेगा		–	–
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (कर का निवल)		–	–

Statement of Profit and Loss for the Year ended 31st March, 2025

Particulars	Note No.	For the year ended on 31 March, 2025 (₹ in Lakhs)	For the year ended on 31 March, 2024 (₹ in Lakhs)
INCOME / REVENUE			
I Revenue from Operations	21	4,538.70	12,902.88
II Other Income	22	4,939.17	4,605.09
III Total Income (I+II)		9,477.87	17,507.97
IV EXPENSES			
Purchases of Power	23	–	1,648.00
Operation and Maintenance Expenses	24	1,747.16	1,357.35
Employee Benefits Expenses	25	699.05	549.29
Finance Costs	26	–	16.35
Depreciation and Amortization Expenses	1 & 3	1,157.86	1,325.24
Administration and Other Expenses	27	1,028.02	1,692.38
TOTAL EXPENSES (IV)		4,632.09	6,588.61
V Profit/ (Loss) before Exceptional Items and Tax (III-IV)		4,845.78	10,919.36
VI Exceptional items		–	–
VII Profit before Tax (V-VI)		4,845.78	10,919.36
VIII Tax Expense :			
Current Tax	20	1,264.33	2,984.00
Deferred Tax	15	93.61	(21.11)
Total Tax Expense		1,357.94	2,962.89
IX Profit/(Loss) for the year from continuing operations (VII-VIII)		3,487.84	7,956.47
X Profit /(Loss) from discontinued operations		–	–
XI Tax Expenses of discontinued operations		–	–
XII Profit/(Loss) from discontinued operations (X–XI)		–	–
XIII Profit(Loss) for the year (IX+XII)		3,487.84	7,956.47
XIV Other Comprehensive Income			
A – Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss		–	–
B – Items that will be reclassified subsequently to profit or loss		–	–
Other Comprehensive Income for the year (net of Tax)		–	–

लाभ एवं हानि – 2024-25

PROFIT & LOSS – 2024-25



31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि का विवरण

लाभ एवं हानि - 2024-25

विवरण	टिप्पणि क्रमांक	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2025 तक (₹ लाख में)	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2024 तक (₹ लाख में)
XV वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (XIII + XIV)		3,487.84	7,956.47
XVI प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹ 100/- का अंकित मूल्य) दर विनियमित गतिविधियों से पहले सतत संचालन के लिए			
सतत संचालन के लिए			
i) – आधारभूत (₹ में)		8.95	20.41
ii) – कम की हुई (₹ में)		8.95	20.41
बंद किए जा रहे संचालन के लिए			
i) – आधारभूत (₹ में)		–	–
ii) – कम की हुई (₹ में)		–	–
सतत संचालन के लिए एवं बंद किए जा रहे संचालन के लिए			
i) – आधारभूत (₹ में)		8.95	20.41
ii) – कम की हुई (₹ में)		8.95	20.41

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति की जानकारी (I) एवं टिप्पणियाँ (II) इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं ।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते: मे. अग्रवाल एण्ड धंधानिया
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन. 125756W

के लिए एवं ओर से
डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हस्ता.
(तुषार वेगाड)
भागीदार
एम. नंबर - 158758

हस्तां.
(हेमंत कुमार शाह)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्तां.
(अंजु चौधरी)
कंपनी सचिव

स्थान : सिलवासा
दिनांक : 27.06.2025
UDIN : 25158758BMGODV9863

हस्तां.
(अरुण टी.)
प्रबंध निदेशक
(DIN-09584076)

हस्तां.
(प्रियांक किशोर)
निदेशक
(DIN-10307243)



Statement of Profit and Loss for the Year ended 31st March, 2025

Particulars	Note No.	For the year ended on 31 March, 2025 (Amount in ₹)	For the year ended on 31 March, 2024 (Amount in ₹)
XV Total Comprehensive Income for the year (XIII+XIV)		3,487.84	7,956.47
XVI Earning per Equity Share (Face Value of ₹ 100/- each)			
For Continuing Operations			
i) Basic (in ₹)		8.95	20.41
ii) Diluted (in ₹)		8.95	20.41
For Discontinued Operations			
i) Basic (in ₹)		–	–
ii) Diluted (in ₹)		–	–
For Continuing Operations and Discontinued Operations			
i) Basic (in ₹)		8.95	20.41
ii) Diluted (in ₹)		8.95	20.41

This Material Accounting Policy Information (I) and Notes(II) are integral part of these Financial Statement.

In terms of our Audit Report of even date attached
For, **M/s Agrawal & Dhandhan**
Chartered Accountants
FRN. 125756W

For and On behalf of
DHN and DD Power Corporation Limited

Sd/-
(**Tushar Vegad**)
Partner
M. No. 158758

Sd/-
(**Hemant Kumar Shah**)
Chief Financial Officer

Sd/-
(**Anju Chaudhary**)
Company Secretary

Place : Silvassa
Date : 27.06.2025
UDIN : 25158758BMGODV9863

Sd/-
(**Arun T.**)
Managing Director
(DIN-09584076)

Sd/-
(**Priyank Kishore**)
Director
(DIN-10307243)

PROFIT & LOSS - 2024-25



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

अ	इक्विटी शेयर पूँजी :	(₹ लाख में)
	विवरण	रकम
	31 मार्च, 2023 तक के लिए शेष	38,974.45
	पिछले वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	—
	1 अप्रैल, 2023 तक पुनर्निर्धारित शेष राशि	38,974.45
	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	—
	31 मार्च, 2024 तक के लिए शेष	38,974.45
	पिछले वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	—
	1 अप्रैल, 2024 तक पुनर्निर्धारित शेष राशि	38,974.45
	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	—
	31 मार्च, 2025 तक के लिए शेष	38,974.45

अन्य इक्विटी :	विवरण	आरक्षित एवं अधिशेष		(₹ लाख में)
		सामान्य रिज़र्व	उपार्जन / अधिशेष बनाए रखा	
	1 अप्रैल, 2023 तक के लिए शेष	1,171.53	27,966.24	29,137.77
	लेखांकन नीतियों में परिवर्तन या अवधि संबंधी त्रुटियाँ	—	—	—
	1 अप्रैल, 2023 तक पुनर्स्थापित शेष राशि	1,171.53	27,966.24	29,137.77
	शेयर आवेदन से आय	—	—	—
	वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लाभ	—	7,956.47	7,956.47
	वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अन्य व्यापक आय	—	—	—
	वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल व्यापक आय	—	7,956.47	7,956.47
	प्रतिधारित आय / अधिशेष के लिए स्थानांतरण	—	—	—
	लाभांश पर भुगतान	—	—	—
	लाभांश पर कर का भुगतान	—	—	—
	कटौतियाँ/समायोजन	—	—	—
	31 मार्च, 2024 तक के लिए शेष	1,171.53	35,922.71	37,094.24
	लेखांकन नीतियों में परिवर्तन या अवधि संबंधी त्रुटियाँ	—	—	—
	1 अप्रैल, 2024 तक पुनर्स्थापित शेष राशि	1,171.53	35,922.71	37,094.24
	इक्विटी शेयर पूँजी जारी करना	—	—	—
	शेयर आवेदन से आय	—	—	—
	वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लाभ	—	3,487.84	3,487.84
	वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अन्य व्यापक आय	—	—	—
	वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल व्यापक आय	—	3,487.84	3,487.84
	प्रतिधारित आय / अधिशेष के लिए स्थानांतरण	—	—	—
	लाभांश पर भुगतान	—	—	—
	लाभांश पर कर का भुगतान	—	—	—
	31 मार्च, 2025 तक के लिए शेष	1,171.53	39,410.55	40,582.08

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति की जानकारी (I) एवं टिप्पणियाँ (II) इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं

हमारी संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते: **मे. अग्रवाल एण्ड धंधानिया**
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन. – 125756W

हस्ता.
(**तुषार वेगाड**)
भागीदार
एम. नंबर – 158758

स्थान : सिलवासा
दिनांक : 27.06.2025
UDIN : 25158758BMGODV9863

हस्तां.
(**हेमंत कुमार शाह**)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्तां.
(**अरुण टी.**)
प्रबंध निदेशक
(DIN-09584076)

हस्तां.
(**अंजु चौधरी**)
कंपनी सचिव

हस्तां.
(**प्रियांक किशोर**)
निदेशक
(DIN-10307243)

ऊर्जा जीवन है इसे संरक्षित रखें

Statement of Changes in Equity for the Year ended 31 March, 2025

A	Equity Share Capital :	(₹ in Lakh)
	Particulars	Amount
	Balance as at 31st March 2023	38,974.45
	Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	—
	Restarted balance as at 1st April 2023	38,974.45
	Changes in Equity Share Capital during the previous Year	—
	Balance as at 31st March 2024	38,974.45
	Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	—
	Restarted balance as at 1st April 2024	38,974.45
	Changes in Equity Share Capital during the previous Year	—
	Balance as at 31st March 2025	38,974.45

B.	Other Equity :			(₹ in Lakh)
	Particulars	Reserve & Surplus		Total
		General Reserve	Retained Earning/Surplus	
	Balance as at 1st April 2023	1,171.53	27,966.24	29,137.77
	Changes in Accounting policies due to prior period errors	—	—	—
	Restated balance as at 1st April 2023	1,171.53	27,966.24	29,137.77
	Proceeds from Share Application	—	—	—
	Profit for the FY 2023-24	—	7,956.47	7,956.47
	Other Comprehensive Income for the 2023-24	—	—	—
	Total Comprehensive Income for the FY 2023-24	—	7,956.47	7,956.47
	Transfer to Retained Earnings/ Surplus	—	—	—
	Dividend paid	—	—	—
	Tax on Dividend paid	—	—	—
	Deductions / Adjustments	—	—	—
	Balance as at 31st March 2024	1,171.53	35,922.71	37,094.24
	Changes in Accounting policies due to prior period errors	—	—	—
	Restated balance as at 1st April 2024	1,171.53	35,922.71	37,094.24
	Issue of Equity Share Capital	—	—	—
	Proceeds from Share Application	—	—	—
	Profit for the FY 2024-25	—	3,487.84	3,487.84
	Other Comprehensive Income for the 2024-25	—	—	—
	Total Comprehensive Income for the FY 2024-25	—	3,487.84	3,487.84
	Transfer to Retained Earnings/ Surplus	—	—	—
	Dividend paid	—	—	—
	Tax on Dividend paid	—	—	—
	Balance as at 31st March 2025	1,171.53	39,410.55	40,582.08

This Material Accounting Policy Information (I) and Notes(II) are integral part of these Financial Statement.

In terms of our Audit Report of even date attached
For, **M/s Agrawal & Dhandhan**
Chartered Accountants
FRN. 125756W

Sd/-
(**Tushar Vegad**)
Partner
M. No. –158758

Place : Silvassa
Date : 27.06.2025
UDIN : 25158758BMGODV9863

For and On behalf of
DHN and DD Power Corporation Limited

Sd/-
(**Hemant Kumar Shah**)
Chief Financial Officer

Sd/-
(**Arun T.**)
Managing Director
(DIN-09584076)

Sd/-
(**Anju Chaudhary**)
Company Secretary

Sd/-
(**Priyank Kishore**)
Director
(DIN-10307243)

Energy is life..... Conserve it



CHANGES IN EQUITY – 2024-25



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण – 2024-25

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25 (₹ लाखों में)		वित्त वर्ष 2023-24 (₹ लाखों में)	
अ. संचालित गतिविधियों से नकद प्रवाह :				
निरंतर संचालन से कर पूर्व लाभ		4,845.78		10,919.36
समायोजन के लिए :				
जोड़ें: क) मूल्यहास एवं परिशोधन	1,157.86		1,325.24	
ख) व्यापार प्राप्य के लिए प्रावधान	179.01		542.65	
ग) अव्ययित सी.एस.आर. निधि का प्रावधान	193.01		300.73	
घ) छुट्टी वेतन, निवृत्ति एवं अंशदान का प्रावधान	162.99		51.85	
ङ) बिल न किए गए प्राप्य प्रत्यावर्तन (संपर्क परसंपत्तियाँ)	1,648.00		–	
च) लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त वित्त लागत	–	3,340.37	16.35	2,236.82
		8,186.65		13,156.18
कम : क) छुट्टी वेतन, निवृत्ति एवं अंशदान का भुगतान	(51.85)		(41.43)	
ख) बिल न किए गए प्राप्य (संपर्क परसंपत्तियाँ)	–		(1,648.00)	
ग) लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त ब्याज आय	(4,682.26)	(4,734.11)	(4,097.39)	(5,786.82)
कार्यशील पूँजी परिवर्तन से पहले संचालित लाभ :		3,452.54		7,369.36
समायोजन के लिए कमी/(वृद्धि) :				
व्यापार प्राप्य में	1,017.36		398.06	
वस्तु सूचि में	(116.82)		(65.07)	
वित्तीय संपत्ति – अन्य में	(2.09)		2,434.81	
अन्य संपत्ति में	(98.38)		(27.26)	
व्यापार एवं देयताएँ में	335.49		(261.46)	
प्रावधान में	(598.95)		(10.94)	
अन्य वित्त देयताएँ में	20.07		(788.08)	
अन्य वर्तमान देयताओं में	(4.03)	552.65	(38.39)	1,641.67
संचालन में नकद उत्पन्न/(प्रयुक्त)		4,005.19		9,011.03
कम करें : कर चूकाया गया (धनवापसी का निवल)		(1,286.25)		(3,229.13)
संचालित गतिविधियों से शुद्ध नकद की उपज		2,718.94		5,781.90
ब. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह :				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के अतिरिक्त	(1,792.96)		(665.55)	
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की बिक्री	159.44		–	
(अमूर्त संपत्ति) में निवेश	(5,777.67)		(57,952.49)	
निवेश एवं ऋण पर ब्याज प्राप्य	4,682.26		4,239.11	
पूँजी कार्य प्रगति पर अतिरिक्त	39.58		(400.94)	
निवेश गतिविधियों से (उपयोग की गई) शुद्ध नकदी		(2,689.35)		(54,779.87)

Cash Flow Statement for the Year ended 31 March, 2025



CASH FLOW STATEMENT – 2024-25

Particulars	FY 2024-25 (₹ in Lakh)		FY 2023-24 (₹ in Lakh)	
A CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES				
Profit before tax from continuing operations		4,845.78		10,919.36
Adjustments for :				
Add: a) Depreciation and Amortization	1,157.86		1,325.24	
b) Provision for Trade Receivables	179.01		542.65	
c) Provision for Unspent CSR Fund	193.01		300.73	
d) Provision for Leave Salary, Pension & Gratuity	162.99		51.85	
e) Unbilled Receivables Reversal (Contract Assets)	1,648.00		–	
f) Finance cost recognised in Statement of Profit & Loss	–	3,340.87	16.35	2,236.82
		8,186.65		13,156.18
Less: a) Leave Salary, Pension & Gratuity Paid	(51.85)		(41.43)	
b) Unbilled Receivable (Contract Assets)	–		(1,648.00)	
c) Interest income recognised in Statement of Profit & Loss	(4,682.26)	(4,734.11)	(4,097.39)	(5,786.82)
Operating Profit before working capital changes		3,452.54		7,369.36
Adjustments for Decrease/(Increase) in :				
Trade Receivables	1,017.36		398.06	
Inventories	(116.82)		(65.07)	
Financial assets – other	(2.09)		2,434.81	
Other Assets	(98.38)		(27.26)	
Trade and other payables	335.49		(261.46)	
Provision	(598.95)		(10.94)	
Other financial liabilities	20.07		(788.08)	
Other Current liabilities	(4.03)	552.65	(38.39)	1,641.67
CASH GENERATED / (USED) IN OPERATION		4,005.19		9,011.03
less : Taxes Paid (Net of Refund)		(1,286.25)		(3,229.13)
NET CASH GENERATED BY OPERATING ACTIVITIES		2,718.94		5,781.90
B CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES				
Addition to Property Plant & Equipments and Intangible Assets	(1,792.96)		(665.55)	
Sale of Property Plant and Equipments	159.44		–	
Investment (Fixed Deposit)	(5,777.67)		(57,952.49)	
Interest received on Investments and Loans	4,682.26		4,239.11	
Addition to Capital Work in Progress	39.58		(400.94)	
NET CASH (USED IN) / FROM INVESTING ACTIVITIES		(2,689.35)		(54,779.87)



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25 (₹ लाखों में)	वित्त वर्ष 2023-24 (₹ लाखों में)
क. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह :		
बैंक से प्राप्ति	—	—
वित्तीय गतिविधियों से (उपयोग की गई) शुद्ध नकदी	—	—
नकद एवं नकद समकक्ष में शुद्ध (कमी)/वृद्धि (अ+ब+क)	29.59	(48,997.97)
वर्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद समकक्ष	3,567.84	52,565.81
वर्ष के अंत पर नकद एवं नकद समकक्ष	3,597.43	3,567.84

हमारी संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते: मे. अग्रवाल एण्ड धंधानिया
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन. 125756W

के लिए एवं ओर से
डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हस्ता.
(तुषार वेगाड)
भागीदार
एम. नंबर - 158758

हस्ता.
(हेमंत कुमार शाह)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता.
(अरुण टी.)
प्रबंध निदेशक
(DIN-09584076)

हस्ता.
(अंजु चौधरी)
कंपनी सचिव

हस्ता.
(प्रियांक किशोर)
निदेशक
(DIN-10307243)

Cash Flow Statement for the Year ended 31 March, 2025

Particulars	FY 2024-25 (₹ in Lakh)	FY 2023-24 (₹ in Lakh)
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Proceeds from Banks	—	—
NET CASH (USED IN) / FROM FINANCING ACTIVITIES	—	—
Net (Decrease)/Increase in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)	29.59	(48,997.97)
Cash & Cash Equivalents as at the Commencement of the Year	3,567.84	52,565.81
Cash & Cash Equivalents as at the Close of the Year	3,597.43	3,567.84

In terms of our Audit Report of even date attached
For, M/s Agrawal & Dhandhania
Chartered Accountants
FRN. 125756W

For and On behalf of
DHN and DD Power Corporation Limited

Sd/-
(Tushar Vegad)
Partner
M. No. 158758

Sd/-
(Hemant Kumar Shah)
Chief Financial Officer

Sd/-
(Anju Chaudhary)
Company Secretary

Place : Silvassa
Date : 27.06.2025
UDIN : 25158758BMGODV9863

Sd/-
(Arun T.)
Managing Director
(DIN-09584076)

Sd/-
(Priyank Kishore)
Director
(DIN-10307243)



1. निगम की जानकारी :

डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DNHDDPCL या निगम) (पहले के नाम से जाना जाता था डीएनएच ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड / DNHPDCL) एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जो भारत में अपने पंजीकृत कार्यालय के साथ विद्युत भवन, 66 KV केवी मार्ग, सचिवालय के बाजू में, आमली, सिलवासा 396 230 में स्थित है। निगम एक कंपनी जिसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा शेरधारिता है, 100% और गृह मंत्रालय ('MoHA'), के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत नामितों, जिसका स्वामित्व भारत सरकार ('GOI') का है। निगम के इक्विटी शेयर किसी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं हैं। इसे शुरू में जुलाई 2012 से बिजली उप-संचरण, वितरण और खुदरा आपूर्ति के कारोबार को पूरा करने के उद्देश्य से शामिल किया गया था जैसा कि अगले उपवाक्य में बताया गया है।

अधिसूचना संख्या, 1-1(594)/ELE/2013/697 दिनांक 07/03/2013 के अनुसार अधिसूचित दादरा एवं नगर हवेली (दानह) विद्युत सुधार अंतरण योजना, 2013 के अनुसरण में दानह के विद्युत विभाग को निगमित किया गया और निगम को अंतरित कर दिया गया है। उक्त योजना में समग्र आस्तियों, देयताएं, अधिकार, दायित्वों और कार्यवाही आदि का अंतरण और प्रभावी तिथि से निगम को दानह के विद्युत विभाग के संबंधित विभाग का हस्तांतरण भी शामिल है। इसके अलावा, प्रभावी तिथि 01/04/2013 के अधिसूचना सं. 1-1(656)/ELE /2013/700 दिनांक 08/03/2013 के अनुसार अधिसूचित किया गया है। उपर्युक्त योजना के अनुसार निगम को अंतरित प्रारंभिक आस्तियों और देयताओं को अधिसूचना सं. DNH/Ele/Trans/2014/108/278 दिनांक 04/06/2014 द्वारा उक्त अधिसूचना प्रशासक द्वारा अधिसूचित मूल्य पर स्थानांतरित कर दिया गया था।

बाद में, भारत सरकार ने संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मई, 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की। नियोजित प्रमुख सुधार उपायों में से एक केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण और खुदरा आपूर्ति में सुधार करना है। इस संदर्भ में, केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव (इसके बाद इसे "सरकार" के रूप में जाना जायेगा) के माननीय प्रशासक ने व्यापक जनहित में और बिजली वितरण की व्यवहार्यता को बढ़ावा देने, आर्थिक दक्षता सुनिश्चित करने, उपभोक्ताओं के हितों की सेवा करने, प्रगति एवं सुशासन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव में बिजली वितरण और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय में सुधार और पुनर्गठन का संकल्प लिया है।

इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने हेतु, सरकार ने बिजली अधिनियम की धारा 131,133 और 134 के तहत दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव बिजली (पुनर्गठन और सुधार) हस्तांतरण योजना, 2022 ("स्थानांतरण योजना") को स्थानांतरित करने के लिए संपत्तियों, देनदारियों, हितों, अधिकारों, कार्यों, दायित्वों, कार्यवाही और कर्मियों (अ) बिजली विभाग, दमण और दीव और (ब) दादरा नगर हवेली ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड (पूर्व में DNHPDCL से जाना जाता है) दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव ऊर्जा निगम लिमिटेड (नई वितरण कंपनी DNHDDPCL) के साथ मिलकर लिए अधिसूचित किया है। उक्त स्थानांतरण योजना अधिसूचना क्रमांक 1(FTS-118044) विद्युत वितरण/निजीकरण/2022/411 दिनांक 09/03/2022 और 14/03/2022 से अधिसूचना क्रमांक 1(FTS-118044) विद्युत वितरण/निजीकरण/2022/440 दिनांक 1/04/2022 को प्रभावी किया गया है। DNHDDPCL को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक सीमित देयता कंपनी के रूप में शामिल किया गया है, जो उक्त मामले में ऊपर बताये गये स्थानांतरण योजना के प्रावधानों के अनुसार संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव में बिजली के वितरण और आपूर्ति के लिए वितरण लाइसेंस (11 Kv और नीचे नेटवर्क) के साथ बिजली के वितरण और आपूर्ति का व्यवसाय शुरू करती है।

इसके अलावा, चूंकि निगम (DNHDDPCL) वर्तमान में निजीकरण के बाद बिजली उत्पादन (सौर) और बिजली संचरण (हस्तांतरण योजना की अनुसूची सी के अनुसार) से संबंधित कार्यों से जुड़ा हुआ है। इसलिए, कंपनी के शेष व्यवसाय को बिजली वितरण और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय को मौजूदा धारा से हटाकर और नये व्यवसाय को परिभाषित करने के लिए वस्तु खंडों को शामिल करके मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन (MoA) के उद्देश्य धारा में परिवर्तन / बदलाव की आवश्यकता होगी और स्थानांतरण योजना के तहत निगम का नाम भी बदलना। तदनुसार, 03/06/2022 को आयोजित 39 वीं बोर्ड बैठक में निदेशक मंडल की उचित सिफारिसों के बाद, 03/06/2022 को आयोजित असाधारण आम बैठक (EOGM) में कंपनी के शेरधारकों ने दानह ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड से डीएनएच और डीडी ऊर्जा निगम लिमिटेड के नाम बदलने और वस्तु खंड परिवर्तन में बदलाव को मंजूरी दे दी।

1. Corporate Information

DNH and DD Power Corporation Limited (DNHDDPCL or 'the Corporation') (erstwhile known as DNH Power Distribution Corporation Limited / DNHPDCL) is a Public Limited Company incorporated in India with its registered office at Vidyut Bhavan, 66 KV Road, Near Secretariat, Amli, Silvassa - 396230. The Corporation is a company with 100% shareholding by the President of India and nominees under administrative control of Ministry of Home Affairs ('MoHA'), the ultimate parent being the Government of India ('GOI'). The equity shares of the Corporation are not listed on any stock exchange. It was initially incorporated in July 2012 with the objective to carry out the business of electricity sub-transmission, distribution and retail supply as explained in the next clause.

Pursuant to 'The Dadra & Nagar Haveli (DNH) Electricity Reforms Transfer Scheme, 2013 notified vide notification no.1-1(594)/ELE/2013/697 dated 07/03/2013, the functions of distribution and its associated division (i.e. meter testing and laboratory division) of Electricity Department of DNH has been corporatized and stand transferred to the Corporation. The said scheme also includes the transfer of the entire assets, liabilities, rights, obligations and proceedings etc. of distribution and its associated division of Electricity Department of DNH to the Corporation from the effective date. Further, the effective date has been notified as 01/04/2013 vide notification no. 1-1(656)/ELE/2013/700 dated 08/03/2013. The initial assets and liabilities transferred to the Corporation in pursuant to above scheme had been transferred at the value as notified by Administrator vide notification no. DNH/Ele/Trans/2014/108/278 dated 04/06/2014.

Later-on, the Government of India has announced Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan in May, 2020 to make India self-reliant through structural reforms. One of the key reform measures planned is to reform power distribution and retail supply in Union Territories. In this context, the Hon'ble Administrator of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (hereinafter also referred as the "Government"), in the larger public interest and to promote the viability of power distribution, ensure economic efficiency, serve the interest of consumers, ensure progress and good governance has resolved to reform and restructure the power distribution and retail supply business in the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.

In furtherance of this objective, the Government, under Section 131, 133 and 134 of the Electricity Act, has notified Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Electricity (Reorganisation and Reforms) Transfer Scheme, 2022 ("Transfer Scheme") to transfer the electricity distribution and retail supply functions together with the assets, liabilities, interests, rights, functions, obligations, proceedings and personnel of (a) the Electricity Department, Daman and Diu, and (b) DNH and DD Power Corporation Limited (Formerly known as DNHPDCL) to the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Power Distribution Corporation Limited (i.e. new distribution Company / DNHDD PDCL). The said transfer Scheme is notified vide notification no. 1(FTS-118044)/Electricity Distribution/Privatisation/2022/411 dated 09/03/2022 and made effective from 01/04/2022 vide notification no. 1(FTS-118044)/Electricity Distribution/Privatisation/2022/440 dated 14/03/2022. The DNHDDPDCL has been incorporated as a limited liability company under the Companies Act, 2013 to undertake the business of distribution and retail supply of electricity having distribution license (11 kv & below network) to distribute and supply of electricity in the UT of DNH & DD as per the provisions of the transfer scheme, notified as stated above in the said matter.

Moreover, as the Corporation (DNHDDPCL) currently remains associated with functions relating to generation of electricity (solar) and transmission of electricity (as per the Schedule C of the transfer scheme) after the privatisation. Hence, the residual business of the company would also require the alteration / change in the objective clause of the Memorandum of Association (MoA) by removing the electricity distribution and retail supply business from the existing clauses and by introducing the clauses to define the new business of the Corporation and also change of name of the Corporation as per transfer scheme. Accordingly, after due recommendations of the Board of Directors in its 39th Board Meeting held on 03/06/2022, the Shareholders of the Company in Extra-Ordinary General Meeting (EOGM) held on 03/06/2022 approved the change of name from 'DNH Power Distribution Corporation Limited' to 'DNH and DD Power Corporation Limited' and alteration in object clauses of the Corporation.





2. खातों की तैयारी हेतु आधार :

ये वित्तीय विवरण लेखांकन के प्रोद्घवन आधार पर तैयार किये गये जाते हैं और इन वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी में लागू सभी प्रमुख लेखा नीतियाँ नीचे निर्धारित की गई हैं । इन नीतियों को प्रस्तुत किये गये सभी वित्तीय वर्षों पर लगातार लागू किया गया है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो ।

अ) अनुपालन का वक्तव्य :

निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 16 फरवरी, 2015 की अधिसूचना के अनुसार, निगम ने 1 अप्रैल, 2016 से कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक को अपनाया है । वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष निगम का पहला वित्तीय विवरण था जो भारतीय लेखा मानक के अनुसार तैयार किया गया था । तदनुसार, भारतीय लेखा मानक में संक्रमण की तिथि 1 अप्रैल, 2015 थी ।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 133, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक के अनुसार तैयार किये गये हैं । निगम ने वित्तीय वक्तव्य तैयार करने में सभी लागू भारतीय लेखा मानकों ('Ind AS') को अपनाया है ।

ब) मापन का आधार :

संबंधित भारतीय लेखा मानक द्वारा अपेक्षित उचित मूल्य पर मापे गये निम्नलिखित सामग्री वस्तुओं को छोड़कर कंपनी अधिनियम, 2013 और विद्युत अधिनियम, 2003 के लागू प्रावधानों पर विचार कर परंपरागत लागत के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किये गये हैं । फिर भी, परंपरागत लागत आम तौर पर माल और सेवाओं के बदले में किये गये विचार पर उचित मूल्य पर आधारित होती है ।

उचित मूल्य पर मापी गई कुछ आस्तियाँ / देयताएँ (वित्तीय उपकरणों के संबंध में लेखांकन नीति देखें) और

लेखांकन नीति में विशेष रूप से बताई गई कोई भी अन्य मद ।

वित्तीय वक्तव्य भारतीय रुपया ('INR') में प्रस्तुत किया जाता है और सभी मूल्यों को लाखों (दो दशमलव तक) में रुपये में पूर्ण अंक बनाया गया, जब तक कि अन्यथा न कहा गये हो ।

क) अनुमान और निर्णय का उपयोग :

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति को लागू करने में जो नीचे नोट (3) में वर्णित है, प्रबंधन को संपत्तियों और देनदारियों, आय और व्यय और आकस्मिक देनदारियों की ले जाने वाली राशि के बारे में निर्णय, प्राक्कलन और धारणाएं करने की आवश्यकता होती है । अकस्मिक देनदारियाँ जो अन्य स्रोतों से तुरंत स्पष्ट नहीं होती हैं । अनुमान और संबंधित धारणाएं ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है । वास्तविक परिणाम अनुमानित परिणामों से भिन्न हो सकते हैं । अनुमान और अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है । लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस अवधि में पहचाने जाते हैं, जिसमें संशोधन पुनरीक्षित किया जाता है, यदि संशोधन केवल उस अवधि को प्रभावित करता है, या पुनरीक्षित और भविष्य की अवधि की अवधि में यदि संशोधन वर्तमान और भविष्य की अवधि दोनों को प्रभावित करता है ।

लेखांकन नीतियों को लागू करने में किये गये कुछ महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (PPE), पीपीई की हानि के संकेतकों का मूल्यांकन, सुरक्षा जमा के वर्गीकरण, व्यापार प्राप्तियों की हानि और अन्य वित्तीय संपत्तियों और आकस्मिक देनदारियों का उपयोगी जीवन है । इसी तरह, प्रबंधन भविष्य के उपयोग के आकलन के आधार पर शुद्ध अचल मूल्य से अधिक मूल्यों को ले जाने के साथ सूची अशुभता, अधिशेष सूची और सूची प्रदान करता है ।

लेखांकन अनुमानों में संशोधन को वित्तीय विवरणों में उस अवधि में, जिसमें अनुमान संशोधित किए गए हैं, तथा प्रभावित होने वाली किसी भी भावी अवधि में, भावी दृष्टि से मान्यता दी जाती है ।



2. Basis for Preparation of Accounts:

These Financial Statements except the Cash Flow Statement are prepared on accrual basis of accounting and all principal accounting policies applied in the preparation of these Financial Statements are set out below. These policies have been consistently applied to all the financial years presented, unless otherwise stated.

i) Statement of Compliance

In accordance with the notification dated 16th February, 2015, issued by the Ministry of Corporate Affairs, the Corporation has adopted Ind AS notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 with effect from 1st April, 2016. The Financial Statements for the year ended 31st March, 2017 was the first Financial Statements of the Corporation which had been prepared in accordance with Ind AS. Accordingly, the date of transition to Ind AS was 1st April, 2015.

The Standalone Financial Statements have been prepared in accordance with Ind AS as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 ('the Act'), the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and other relevant provisions of the Act. The Corporation has adopted all the applicable Indian Accounting Standards ('Ind AS') in the preparation of Financial Statements.

ii) Basis of measurement

The Financial Statements have been prepared on historical cost basis considering the applicable provisions of Companies Act 2013 and Electricity Act 2003 except the following material items that have been measured at fair value as required by relevant Ind AS. Nevertheless, historical cost is generally based at the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

- Certain financial assets/liabilities measured at fair value (refer accounting policy regarding financial instruments) and
- Any other item as specifically stated in accounting policy.

The Financial Statement are presented in Indian Rupee ('INR') and all values are rounded to the Rupee in lakhs (up to two decimals), unless otherwise stated.

(iii) Use of Estimate and Judgment

In the application of material accounting policy which are described in note (3) below, the management are required to make judgment, estimates and assumptions about the carrying amount of assets and liabilities, income and expenses and contingent liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from those estimates. The estimates and underlying assumptions are reviewed on ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimates are revised if the revision affects only that period, or in the period of revision and future periods if the revision affects both current and future period.

The few critical estimations and judgments made in applying accounting policies are useful life of Property, Plant & Equipments (PPE), evaluation of indicators of impairments of PPE, revenue recognition, employee benefit plans, impairments of trade receivables and other financial assets and contingent liabilities. Similarly, the management provides for inventory obsolescence, surplus inventory and inventory with carrying values in excess of net realizable value based on assessment of the future uses.

Revision to accounting estimates are recognised prospectively in the Financial Statements in the period in which the estimates are revised and in any future periods affected.

The income or expenditure relating to previous period prior to current financial year of immaterial value is recognised in current Financial Statements. No restatement of prior period is made where the prior



वार्षिक रिपोर्ट 2023-24

डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

CIN: U40100DN2012GOI000405

(सरकार का उपक्रम)

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बननेवाली महत्वपूर्ण लेखा नीति की जानकारी

महत्वहीन मूल्य के मौजूदा वित्तीय वर्ष से पहले की पिछली अवधि से संबंधित आय या व्यय को चालू वित्तीय वक्तव्यों में मान्यता दी जाती है। जहां पूर्व अवधि की त्रुटियां सीमा से नीचे हैं, वहां पूर्व इवधि का कोई पुनर्कथन नहीं किया जाता है, अर्थात् पिछले तीन वर्षों का औसत (वित्तीय स्थिति के आकार का 0.5% + मूल्य परिसंपत्तियों के सकल ब्लॉक का 1% + परचालन से राजस्व के आकार का 2%+ कर से पहले लाभ/हानि का 5%)।

3. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश :

क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण :

IND AS में अंतरण के लिए निगम ने संपत्ति, संयंत्र व उपकरण ('PPE') के, पुराने GAAP के अनुसार दिनांक 1 अप्रैल, 2015 (अंतरण तारीख) को माने गये मूल्य को ही मान्यता देते हुए साथ रखने का चयन किया है तथा इस मानित मूल्य को अंतरण तारीख को ('PPE') की मानित लागत माना है।

PPE को अमूल्यहासित पूर्व स्वामित्व शुल्क भूमि को छोड़कर लागत हटाकर संचित मूल्यहास और संचित क्षति हानि में वर्णित किया गया है। लागत में खरीद मूल्य (व्यापार छूट / छूट की कटौती करने के बाद) या निर्माण लागत, गैर-वापसी योग्य शुल्क और कर, उधारी लागत और अन्य सीधे जिम्मेदार लागत शामिल हैं ताकि प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से क्रियात्मक होने में समर्थ बनाने हेतु आवश्यक आस्ति को स्थल एवं शर्त में लाया जा सके।

उपभोक्ताओं द्वारा किये गये योगदान के आधार पर अधिग्रहित संपत्ति, जिसके लिए उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन प्रदान करने का दायित्व है वह ₹ 1.00 के मामूली मूल्य पर स्वीकृत है। यदि निगम भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी है, तो PPE को निगम द्वारा जिम्मेदार लागत पर बताया जाता है।

परवर्ती मानदंड संतुष्ट होने पर PPE की वाहक लागत में शामिल की जाती है या उचित रूप से PPE की एक अलग वस्तु के रूप में पहचानी जाती है। PPE की किसी वस्तु की दिन-प्रतिदिन सर्विसिंग से संबंधित परवर्ती लागत PPE की वाहक लागत राशि में मान्यता प्राप्त नहीं है, बल्कि इन लागतों को लाभ और हानि के वक्तव्य में मान्यता प्राप्त है। इसी प्रकार, जब एक व्यापक निरीक्षण / मरम्मत होती है, तो इसकी लागत प्रतिस्थापन के रूप में PPE की वाहक लागत राशि में पहचानी जाती है, यदि मान्यता मानदंड पूरी होती है।

PPE की एक वस्तु को निपटान पर या जब उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाती है। संपत्ति, संयंत्र व उपकरण की किसी वस्तु की पहचान पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और लाभ और हानि के बयानों में पहचाना जाता है।

ख) अमूर्त परिसंपत्तियाँ :

IND AS में अंतरण हेतु, निगम ने दिनांक 1 अप्रैल, 2015 (अंतरण तारीख) को अमूर्त परिसंपत्तियों के पिछले GAAP के अनुसार तय किये गये मूल्य को ही मान्यता देते हुए साथ रखने का चयन किया है तथा इस मानित मूल्य को अंतरण तारीख की मानित लागत माना है।

अलग से अर्जित अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत पर प्रारंभिक पहचान पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त परिसंपत्तियों को किसी भी संचित परिशोधन और संचित हानि को घटाकर लागत पर ले जाया जाता है। प्रारंभिक संज्ञान के पश्चात यदि कोई संचित परिशोधन व संचित शत हानि रही है तो उस लागत को घटाते हुए आगे ले जाया गया है। आंतरिक उपयोग के लिए अधिग्रहित सॉफ्टवेयर (संबंधित हार्डवेयर का एक अभिन्न अंग नहीं होने के कारण) को अमूर्त संपत्ति माना जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियों की किसी वस्तु को उसके निस्तारण पर अथवा जब उसके प्रयोग या निस्तारण से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ प्रत्याशित नहीं रहा है तो उसे अमान्य किया गया है। किसी अमूर्त परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करने से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है, और लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

ग) साख के अलावा मूल और अमूर्त परिसंपत्तियों की क्षति :

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर निगम, अपने PPE व अन्य अमूर्त संपत्तियों में हो सकने वाली किसी संभावित क्षति या नुकसान के परिनिर्धारण के लिए उनकी अग्रेणित राशियों की समीक्षा करता है। यदि ऐसी कोई संभावना प्रतीत होती है तो, क्षत

2024-25 Annual Report

DNH and DD Power Corporation Limited

(A Govt. Undertaking)

CIN: U40100DN2012GOI000405

The Material Accounting Policy Information Forming Part of Financial Statements for the Year ended on 31 March, 2025

period errors are below the threshold limit i.e. the average of four elements of {average of last three years of (0.5% of the size of financial position + 1% of gross block of tangible assets + 2% of size of revenue from operations + 5% profit / loss before tax)}.

3. Summary of Material Accounting Policies Information

i) Property, Plant & Equipment

For transition to Ind AS, the Corporation has elected to continue with the carrying value of Property, Plant and Equipment ('PPE') recognised as of 1st April, 2015 (transition date) measured as per the Previous GAAP and use that carrying value as its deemed cost of the PPE as on the transition date.

All the items of PPE held for use in the production or supply of goods or services, or for administrative purposes, are stated at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses except for freehold land which is not depreciated. Cost includes purchase price (after deducting trade discount / rebate) or construction cost, non-refundable duties and taxes, borrowing costs and other directly attributable cost to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

An item of PPE acquired on the basis of contribution made by consumers, which requires an obligation to provide electricity connectivity to the consumers is recognised at nominal value of ₹ 1.00. If the Corporation is also liable to make payment, then such an item of PPE is stated at cost attributable to the Corporation.

Subsequent costs are included in the carrying amount PPE or recognised as a separate item of PPE, as appropriate, only if the recognition criteria are satisfied. Subsequent costs relating to day to day servicing of an item of PPE are not recognised in the carrying amount of PPE, rather, these costs are recognised in the Statement of Profit & Loss. Likewise, when a major inspection / repair occurs, its cost is recognised in the carrying amount of PPE as a replacement, if the recognition criteria are satisfied.

An item of PPE is derecognised on disposal or when no future economic benefits are expected from use. Any profit or loss arising on the derecognition of an item of property, plant and equipment is determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and is recognized in Statement of Profit & Loss.

ii) Intangible Assets

For transition to Ind AS, the Corporation has elected to continue with the carrying value of intangible assets recognised as of 1st April, 2015 (transition date) measured as per the Previous GAAP and use that carrying value as its deemed cost as on the transition date.

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. After initial recognition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortisation and accumulated impairment losses. Software (not being an integral part of the related hardware) acquired for internal use are treated as intangible assets.

An item of Intangible asset is derecognised on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any profit or loss arising from derecognition of an intangible asset is determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, and are recognised in the Statement of Profit & Loss.

iii) Impairment of tangible and intangible assets other than goodwill

At the end of each reporting period, the Corporation reviews the carrying amounts of its PPE and other intangible assets to determine whether there is any indication that these assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the



नुकसान (यदि कोई हो तो) की सीमा के परिनिर्धारण के लिए उस परिसंपत्ति का प्राप्ययोग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। जब किसी परिसंपत्ति विशेष की प्राप्ययोग्य राशि का अनुमान लगा पाना संभव न हो तो, निगम, वह संपत्ति जिस नकद उत्पादन इकाई (CGU) की होती है, उसकी प्राप्ययोग्य राशि का अनुमान लगाता है। जब किसी परिसंपत्ति या CGU की अग्रेणीत राशि, उसकी प्राप्ययोग्य राशि से अधिक हो जाती है तो, उस परिसंपत्ति को क्षत मान लिया जाता है और उसकी राशि को प्राप्ययोग्य राशि तक कम कर दिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप होने वाली हानि को लाभ व हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

वसूली योग्य राशि बेचने की लागत और उपयोग में आने वाले मूल्य को घटाकर उचित मूल्य से अधिक है। उपयोग में मूल्य के आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को कर-पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाता है। बेचने की लागत घटाकर उचित मूल्य निर्धारित करने में, हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी लेनदेन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो एक उपर्युक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है।

जहां एक हानि क्षति बाद में उलट जाती है, परिसंपत्ति या CGU की अग्रणीत राशि को उसकी पुनः प्राप्त योग्य राशि के संशोधित अनुमान तक बढ़ा दिया जाता है, लेकिन ताकि बढ़ी हुई वहन राशि उस वहन राशि से अधिक न हो जो निर्धारित की गई होती यदि कोई हानि क्षति मान्यता प्राप्त नहीं होती। पिछले वर्षों में परिसंपत्ति या CGU के लिए हानि क्षति का उलटा लाभ और हानि के वितरण में पहचाना जाता है।

घ) पूंजीगत कार्य प्रगति पर :

IND AS में अंतरण हेतु, निगम ने दिनांक 01 अप्रैल, 2015 (अंतरण तारीख) को चालू पूंजीगत कार्य ('CWIP') के पिछले GAAP के अनुसार तय किये गये मूल्य को ही मान्यता देते हुए साथ रखने का चयन किया है तथा इस मानित मूल्य को अंतरण तारीख की मानित लागत माना है।

निर्माणाधिन (किसी परियोजना सहित) परिसंपत्ति पर किये गये व्यय को वर्तमान पूंजीगत कार्य ('CWIP') की लागत पर अग्रणीत किया गया है। ऐसी लागतों में, इस परिसंपत्ति पर अदेय प्रशुल्कों व करों तथा इससे उसके अवस्थान पर लाने व प्रबंधन द्वारा वांछित रीति से प्रचालन योग्य बनाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से व्यय की जाने वाली अन्य लागत युक्त क्रय किमत (ट्रेड छूट/ बड़े के पश्चात) शामिल है।

CWIP में, निर्माण के उद्देश्य के लिए उपभोग की गई और साथ ही स्टॉक में उपलब्ध मालसूचियां / निर्माण आपूर्तियां भी शामिल है। स्वीकृति के लिए लंबित सामग्री के विरुद्ध भुगतान या पूंजीगत वस्तुओं के लिए आपूर्तिकर्ताओं या संविरचकों को किया गया चरणबद्ध भुगतान, यदि कोई हो, को भी CWIP के हिस्से के रूप में समूहीकृत किया जाता है। PPE का किसी वस्तु के प्रमुख नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और उन्नयन के परिणामस्वरूप जीवन और/या दक्षता में वृद्धि को CWIP माना जाता है और इसके पूरा होने पर पूंजीकृत किया जाता है

ङ) निवेश परिसंपत्तियाँ :

किराया प्राप्त करने अथवा पूंजी वृद्धि के लिए अथवा दोनों के लिए रखी गई निवेश परिसंपत्तियां प्रारंभ में उनकी लागत पर वर्णित की गई है। प्रारंभिक मान्यता के उपरांत निवेश परिसंपत्तियों के संचित अवमूल्यन व संचित क्षत हानि, यदि कोई हो तो इसे, उसकी लागत से घटाने के पश्चात अग्रेणीत किया गया है। निवेश परिसंपत्तियों के निस्तारण से होने वाले किसी लाभ या हानि का परिनिर्धारण उस संपत्ति की निस्तारण प्राप्तियों व अग्रेषण राशि के बीच के अंतर के रूप में परिनिर्धारित किया गया है और इससे लाभ व हानि के विवरण में दर्शाया गया है। निवेश परिसंपत्तियों से कोई भी अंतरण केवल और केवल जब ही किया गया है जबकि, इनके उपयोग में कोई परिवर्तन हुआ हो और इससे निवेश परिसंपत्ति की रखाव राशि के रूप में अग्रेणीत किया गया है।

च) विदेशी मुद्रा लेनदेन :

निगम के वित्तीय विवरण को भारतीय रुपये में प्रस्तुत किया गया है, जो इसकी कार्यात्मक मुद्रा भी है। वित्तीय विवरण तैयार करने के दौरान संस्था की कार्यात्मक मुद्रा से अन्य मुद्रा में हुए लेन-देन को लेन-देन की तारीख को विद्यमान विनिमय दरों पर माना गया है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्रा में आंकी गई वित्तीय मदों को उस तारीख को विद्यमान दरों पर रखा गया है। विदेशी मुद्रा में आंकी गई गैर-वित्तीय मदों को लेन-देन की तारीख को विद्यमान विनिमय दरों पर दर्ज किया गया है। वित्तीय मदों पर विनिमय अंतरों को उस अवधि में लाभ व हानि विवरण में माना गया है जिस अवधि में वे उभरे हैं।



impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Corporation estimates the recoverable amount of the cash-generating unit ('CGU') to which the asset belongs. When the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. The resulting impairment loss is recognised in the Statement of Profit & Loss.

Recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less cost to sell, recent market transactions are taken into account. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used.

Where an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset or CGU is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognised for the asset or CGU in prior years. A reversal of an impairment loss is recognised in the Statement of Profit & Loss.

(iv) Capital Work in Progress

For transition to Ind AS, the Corporation has elected to continue with the carrying value of Capital Work in Progress ('CWIP') recognised as of 1st April, 2015 (transition date) measured as per the Previous GAAP and use that carrying value as its deemed cost as on the transition date.

Expenditure incurred on tangible assets under construction, which are not yet ready for its intended use, are carried at cost under Capital work in Progress ('CWIP'). Such costs comprise purchase price (after deducting trade discount/ rebate) including non-refundable duties and taxes and other costs that are directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

CWIP also includes inventories / construction supplies consumed as well as lying in stock for the purpose of construction. Payment against material pending acceptance or stage payment made to supplier or fabricator for supply of capital goods, if any are also grouped as part of CWIP. Major Renovation, Modernization and Up-gradation of an item of PPE resulting in increased life and / or efficiency are considered as CWIP and capitalized on its completion.

(v) Investment properties

Investment properties held to earn rentals or for capital appreciation or both are initially stated at cost. Subsequent to initial recognition, investment properties are carried out at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment loss, if any. Any gain or loss on disposal of investment property is determined as the difference between net disposal proceeds and the carrying amount of the property and is recognised in the Statement of Profit & Loss. Transfer to or from investment property is made when and only when there is change in use and carried out at the carrying amount of investment property.

(vi) Foreign Currency Transactions

The Financial Statements of Corporation are presented in Indian Rupee (INR), which is also its functional currency. In preparing the Financial Statements, transactions in currencies other than the entity's functional currency are recognised at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are translated at the rates prevailing at that date. Non-monetary items denominated in foreign currency are reported at the exchange rate ruling on the date of transaction. Exchange differences on monetary items are recognised in the Statement of Profit & Loss in the period in which they arise.



छ) माल-सूची

माल-सूची में मुख्यतः प्रचालन एवं अनुरक्षण ('O&M') भंडार एवं पूर्ण शामिल हैं जिस में PPE और जो PPE के रूप में योग्य नहीं है, के प्रचालन एवं अनुरक्षण प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली अनुरक्षण आपूर्तियाँ, उपभोज्य सामान एवं अलग अलग औजार सम्मिलित है । भंडार एवं पूर्ण को चल भारित औसत पर लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य NRV जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया जाता है । माल-सूचि की लागत में क्रय लागत (व्यापारिक बड़े / छूट की कटौती के बाद) शामिल है जिसमें वापस न करने के योग्य शुल्क एवं कर, परिवर्तन लागत एवं अन्य संबंधित लागत सम्मिलित है जिसमें माल-सूचि को उनकी वर्तमान अवस्थिति व स्थिति में लाने के लिए आनुषंगिक जैसे माल भाड़ा, चूँगि इत्यादि शामिल है । NRV व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में क्रय करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत घटाकर अनुमानित विक्रय कीमत है ।

NRV में किसी माल-सूचि के बड़े खाते में डालने की राशि और माल-सूचियों की सभी अपसामान्य हानियों को उस अवधि में लाभ व हानि विवरण के व्यय के रूप में माना जाता है जिसमें ऐसे बड़े खाते में डालना या हानियाँ घटित हुई है । NRV में वृद्धि से उभर ने वाली माल-सूचियों के बड़े खाते में डालने से किसी वापस हुई राशि को, वापस होने वाली अवधि में व्यय के रूप में मानी गई माल-सूचियों की राशि से कटौती के रूप में माना जाता है ।

ज) उचित मूल्य मापन :

उचित मूल्य वह कीमत है जो मापन दिनांक को बाज़ारी भागीदारों के बीच आदेशित लेन-देन में परिसंपत्ति में विक्रय से प्राप्त होगी या देयता के अंतरण हेतु भुगतान की जायेगी, बिना इस बात के मद्देनजर की कीमत सीधे मान्य योग्य है या अन्य अंकन तकनीक की प्रयोग कर अनुमानित की गई है । परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य अनुमानन में निगम परिसंपत्ति और देयता की विशिष्टताओं को शामिल करते है यदि बाज़ारी प्रतिभागी उन पर विचार करें तो । इन वित्तीय विवरणों में मापन तथा / अथवा प्रकटीकरण उद्देश्यों हेतु उचित मूल्य को ऐसे आधार पर निर्धारित किया जाता है सिवाय उन लेन-देनों के जो भारतीय लेखा मानकों 2, 17 एवं 116 के कार्य क्षेत्र में आते हैं । सामान्यतः प्रारंभिक मान्यता में, लेन-देन की कीमत, उचित मूल्य का उत्तम प्रमाण है ।

परिसंपत्ति या देयता का उचित मूल्य ऐसे अनुमानों का प्रयोग कर मापा जाता है जो परिसंपत्ति या देयता की कीमत निकाल ने में बाज़ार के प्रतिभागी प्रयोग करेंगे, यह मानते हुए कि बाज़ार के प्रतिभागी अपने उत्तम आर्थिक हितों के अनुरूप कार्य करेंगे । गैर-वित्तीय परिसंपत्ति के उचित मूल्य मापन में, परिसंपत्ति को उसके उच्चतम एवं उत्तम प्रयोग पर इस्तेमाल करते हुए अथवा ऐसे किसी बाज़ारी प्रतिभागी को इसके विक्रय कर, जो परिसंपत्ति को उसके उच्चतम एवं उत्तम प्रयोग पर इस्तेमाल करेगा, के माध्यम से बाज़ार के प्रतिभागी की आर्थिक लाभ कमाने की योग्यता को शामिल किया जाता है ।

निगम, संबंधित प्राप्य जानकारी के प्रयोग को अधिकतम करते हए तथा गैर-प्राप्य जानकारी के प्रयोग को न्यूनतम करते हुए ऐसी मूल्यांकन तकनीकें इस्तेमाल करती है जो परिस्थिति के अनुरूप उचित हो और जिसके लिए उचित मूल्य का माप करने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हो ।

ऐसी सभी वित्तीय परिसंपत्तियाँ और वित्तीय देयताएँ जिनके लिए उचित मूल्य को मापा और वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है को न्यूनतम स्तर की जानकारी जो संपूर्ण मूल्य मापन हेतु महत्वपूर्ण है के आधार पर उचित मूल्य अनुक्रम के अंदर वर्गीकृत किया जाता है, जिसका विवरण निम्नवत है ।

स्तर 1 – समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाज़ारों में उद्धरित (गैर-समायोजित) बाज़ार कीमत ।

स्तर 2 – उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तर की जानकारी के लिए मूल्यांकन तकनीकें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्राप्य है ।

स्तर 3 – ऐसी मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए उचित मूल्य मापन हेतु महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तर की जानकारी अप्राप्य है ।

आवृति आधार पर उचित मूल्य पर मानी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के लिए निगम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण के पुनः आकलन द्वारा यह निर्धारित करती है कि क्या अंतरण पदानुक्रम में स्तरों के बीच प्रोद्वत हुए हैं ।



vii) Inventories

Inventory mainly consists of Operations & Maintenance ('O&M') stores & spares, which includes maintenance supplies, consumables and loose tools to be consumed in the operations & maintenance of PPE and those do not qualify as PPE. Inventories are valued at cost on weighted average and net realizable value ('NRV') whichever is lower. Cost of inventories include cost of purchase (after deducting trade discount / rebate) including non-refundable duties and taxes, cost of conversion and other related costs including incidentals like freight etc. incurred in bringing the inventories to their present location and condition. NRV is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs necessary to make the sale.

The amount of any write-down of inventories to NRV and all abnormal losses of inventories are recognized as expense in the Statement of Profit & Loss in the period in which such write-down or loss occurs. The amount of any reversal of the write-down of inventories arising from increase in the NRV is recognized as a reduction from the amount of inventories recognized as an expense in the period in which reversal occurs.

viii) Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date, regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique. In estimating the fair value of an asset or a liability, the Corporation takes into account the characteristics of asset and liability if market participants would take those into consideration. Fair value for measurement and / or disclosure purposes in these Financial Statements is determined in such basis except for transactions in the scope of Ind AS 2, 17 and 116. Normally at initial recognition, the transaction price is the best evidence of fair value.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest. A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Corporation uses valuation techniques those are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All financial assets and financial liabilities for which fair value is measured or disclosed in the Financial Statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement rate.

Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input (other than quoted prices included within level 1) that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.

Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

Financial assets and financial liabilities that are recognized at fair value on a recurring basis, the Corporation determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization at the end of each reporting period.



झ) वित्तीय प्रपत्र :

वित्तीय प्रपत्र एक ऐसी संविदा है जो एक निकाय की वित्तीय परिसंपत्ति तथा अन्य निकाय की वित्तीय देयता या इक्विटी प्रपत्र को बढ़ाती है । निगम किसी वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता को अपने तुलन पत्र में तभी मान्य करता है जब निकाय उस प्रपत्र के अनुबंधित प्रावधानों का हिस्सा बनता है ।

अ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ :

वित्तीय परिसंपत्ति में अन्य बातों के साथ -साथ ऐसी कोई परिसंपत्ति जो नकद हो, अन्य निकाय का इक्विटी उपकरण अथवा नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त करने अथवा निगम के लिए संभवतः अनुकूल शर्तों के अंतर्गत वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता का विनिमय करने के लिए अनुबंधित बाध्याता शामिल है ।

निगम की वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यापार प्राप्य नकद एवं नकद समतुल्य, बैंक में जमा शेष, सहायक एवं संयुक्त उपक्रमों के अलावा कंपनियों के इक्विटी शेयर में निवेश, इक्विटी शेयर के अलावा निवेश, कर्मचारियों / संबंधित पार्टियों / अन्यो के ऋण प्रतिभूति जमा, वसूली योग्य दावें इत्यादि शामिल है ।

प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन :

व्यापारिक प्राप्य के अलावा सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य पर और साथ ही, यदि वित्तीय परिसंपत्ति लाभ व हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं की गई, वित्तीय परिसंपत्ति के अर्जन पर स्रोतजन्य लेन-देन लागत पर माना अर्जित किया गया है तो उन्हें व्यापार हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । लाभ व हानि के माध्यम से अर्जित किया गया है तो उन्हें व्यापार हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । लाभ व हानि के माध्यम लाभ व हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है । जहाँ लेन-देन कीमत उचित मूल्य का मापन नहीं है और उचित मूल्य का निर्धारण ऐसी मूल्यांकन पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है जो प्राप्य बाजार से आंकड़ों का प्रयोग करती है, तो लेन-देन कीमत तथा उचित मूल्य के बीच के अंतर को लाभ व हानि विवरण में माना जाता है और अन्य मामलों में प्रभारी ब्याज के प्रयोग से वित्तीय उपकरण के जीवन में परिव्याप हो जाती है । निगम व्यापारिक प्राप्यों को उनकी लेन-देन की कीमत में मापती है यदि व्यापारिक प्राप्यों में महत्वपूर्ण वित्तीय अवयव शामिल नहीं है तो ।

तत्पश्चात मापन :

तत्पश्चात मापन के प्रयोजन हेतु वित्तीय परिसंपत्तियों को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है :

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ

OCI के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ :

यदि वित्तीय परिसंपत्ति को ऐसे व्यापारिक प्रारूप के अंदर ही रखा जाता है जिसका उद्देश्य अनुबंधित नकदी प्रवाह एकत्र करने हेतु वित्तीय परिसंपत्ति को निर्धारित करना है तो वित्तीय परिसंपत्ति को परिशोधित लागत पर मापा जाता है तथा वित्तीय परिसंपत्ति की अनुबंधित शर्तें नकदी प्रवाह को निर्धारित तारीखों पर बढ़ा देती है जो बकाया मूल राशि पर मूल और ब्याज का एकल भुगतान है । यह वित्तीय परिसंपत्तियां प्रभावी ब्याज दर ('EIR') पद्धति, न्यून हास का इस्तेमाल कर परिशोधित की जाती है । परिशोधित लागत अर्जन पर किसी छूट या प्रीमियम तथा ऐसे शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर गणित की जाती है जो EIR का अभिन्न अंग है । EIR परिशोधन को लाभ व हानि विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया जाता है । हास से होने वाली हानियों को लाभ व हानि विवरण में माना जाता है ।

OCI के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ ('FVTOCI') :

वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि वित्तीय परिसंपत्ति एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकद में निर्दिष्ट तिथियों नकद प्रवाह को बढ़ावा देती है जो



ix) Financial Instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity. The Corporation recognizes a financial asset or financial liability in its balance sheet only when the entity becomes party to the contractual provisions of the instrument.

a) Financial Assets

A financial asset inter-alia includes any asset that is cash, equity instrument of another entity or contractual obligation to receive cash or another financial asset or to exchange financial asset or financial liability under condition that are potentially favorable to the Corporation.

Financial assets of the Corporation comprise trade receivables, cash and cash equivalents, Bank balances, investment other than equity shares, loans to employee / related parties / others, security deposits, claims recoverable etc.

Initial recognition and measurement

All financial assets except trade receivable are recognized initially at fair value plus, in the case of financial assets not recorded at fair value through profit or loss, transaction costs that are attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are charged in the Statement of Profit & Loss. Where transaction price is not the measure of fair value and fair value is determined using a valuation method that uses data from observable market, the difference between transaction price and fair value is recognized in the Statement of Profit & Loss and in other cases spread over life of the financial instrument using effective interest. The Corporation measures the trade receivables at their transaction price, if the trade receivables do not contain a significant financing component.

Subsequent measurement

For purposes of subsequent measurement financial assets are classified in three categories:

Financial assets measured at amortized cost

Financial assets at fair value through OCI

Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets measured at amortized cost

Financial assets are measured at amortized cost if the financials asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. These financials assets are amortized using the effective interest rate ('EIR') method, less impairment. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in finance income in the Statement of Profit & Loss. The losses arising from impairment are recognized in the Statement of Profit & Loss.

Financial assets at fair value through OCI ('FVTOCI')

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if the financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal



केवल मूलधन और बकाया मूलधन राशि पर ब्याज का भुगतान है। प्रारंभिक मान्यता में, FVTOCI में व्यापारिक उद्देश्य के अलावा अन्य इक्विटी उपकरणों में निवेश को नामित करने के लिए एक अपरिवर्तनीय चुनाव (उपकरण दर उपकरण के आधार पर) किया जाता है। उचित मूल्य परिवर्तन अन्य व्यापक आय (OCI) में मान्यता प्राप्त हैं। हालांकि, निगम लाभ और हानि के विवरण में ब्याज आय, क्षति हानि और उलटफेर और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पहचानता है। FVTOCI के रूप में नामित इक्विटी उपकरणों के अलावा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने पर, OCI में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में पुनः वर्गीकृत किया गया है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ ('FVTPL') :

ऐसी कोई भी वित्तीय परिसंपत्ति जो अन्य समग्र आय के अलावा माध्यम से परिशोधित लागत पर या उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकरण हेतु मापदंड को पूरा नहीं करते उसे लाभ व हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, लाभ व हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यापार के लिए धारित वित्तीय परिसंपत्तियाँ और लाभ व हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय परिसंपत्तियाँ भी शामिल हैं। यदि वित्तीय परिसंपत्तियों को निकट समय में विक्रय या पुनः खरीदी के उद्देश्य हेतु अर्जित किया गया है तो उन्हें व्यापार हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लाभ व हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर लाभ व हानि विवरण में माने गये सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्यांकित किया जाता है।

वित्तीय संपत्ति की अमान्यता :

निगम वित्तीय संपत्ति को केवल तभी अमान्य करता है जब परिसंपत्ति की समाप्ति से नकद प्रवाह का अधिकार समाप्त हो जाता है, या जब यह वित्तीय संपत्ति को स्थानांतरित करता है और संपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को किसी अन्य इकाई के लिए पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करता है। यदि निगम न तो हस्तांतरण करता है और न ही स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को बरकरार रखता है और वित्तीय संपत्ति को नियंत्रित करता रहता है, तो निगम संपत्ति में अपना सतत रुचि और उसके लिए भुगतान की जाने वाली रकम के लिए एक संबद्ध देयता को मान्यता देता है।

व्यापार प्राप्य :

व्यापार प्राप्य मूल चालान राशि (लेनदेन मूल्य) पर किसी भी अपेक्षित क्रेडिट हानि को घटाकर लिए जाते हैं। जब भुगतान न किए जाने के जोखिम का सबूत होता है, जिसमें उम्र, पिछले अनुभव और सामान्य आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखा जाता है। निगम की खराब और संदिग्ध ऋण नीति के अनुसार, उन प्राप्य के लिए लेखांकन उपचार की रूपरेखा तैयार की गई है जो आम तौर पर ग्राहक दिवालियापन, व्यापार विवाद या धोखाधड़ी के कारण अप्राप्य हो जाते हैं। यह दो साल से पुराने प्राप्य के लिए 100% प्रावधान को अनिवार्य करता है। इसके अलावा, निगम ने उम्र बढ़ने की पद्धति के लिए चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक प्राप्य द्वारा अंतिम भुगतान तिथि पर विचार किया है। खराब ऋणों को निदेशक मंडल से अनुमोदन के बाद लिखा जाता है, एक गहन समीक्षा प्रक्रिया के बाद यानी खाते की उम्र, पिछले अनुभव और सामान्य आर्थिक स्थितियों के बाद सटीकता बनाए रखने के लिए वित्तीय प्रावधान के शुद्ध विविध देनदारों को दर्शाता है। पहले से लिखे गए खराब ऋणों से वसूली को आय के रूप में माना जाता है और इसे "खराब और संदिग्ध वसूली" खाते में जमा किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का हास :

निगम निम्नलिखित पर प्रत्याशित ऋण हानि ('ECL') प्रारूप पर आधारित हास का आकलन करता है :

अपरिशोधित लागत पर मापी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्तियां ; तथा

FVTOCI पर मापी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्तियां ;

ECL को निम्नलिखित आधार पर हानि भत्ते के माध्यम से मापा जाता है :

12 महीने की प्रत्याशित ऋण हानियां (प्रत्याशित ऋण हानियां जो वित्तीय उपकरण पर ऐसी चूक घटनाओं से उभरती है जो रिपोर्टिंग तारीख के बाद 12 माह के अंदर संभावित हैं)

amount outstanding. At initial recognition, an irrevocable election is made (on an instrument-by-instrument basis) to designate investments in equity instruments other than held for trading purpose at FVTOCI. Fair value changes are recognized in the other comprehensive income ('OCI'). However, the Corporation recognizes interest income, impairment losses and reversals and foreign exchange gain or loss in the Statement of Profit & Loss. On derecognition of the financial asset other than equity instruments designated as FVTOCI, cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified to the Statement of Profit & Loss.

Financial assets at fair value through profit or loss ('FVTPL')

Any financial asset that does not meet the criteria for classification as at amortized cost or as financial assets at fair value through other comprehensive income is classified as financial assets at fair value through profit or loss. Further, financial assets at fair value through profit or loss also include financial assets held for trading and financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss. Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. Financial assets at fair value through profit or loss are fair valued at each reporting date with all the changes recognized in the Statement of Profit & Loss.

Derecognition of Financial Asset

The Corporation derecognises a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Corporation neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the financial asset, the Corporation recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay.

Trade Receivables:

Trade receivables are carried at original invoice amount (Transaction Price) less any expected credit loss. Provisions are made where there is evidence of a risk of non-payment, taking into account ageing, previous experience and general economic conditions. As per Bad and Doubtful Debts Policy of the Corporation outlines the accounting treatment for receivables that become uncollectible, typically due to customer bankruptcy, trade disputes, or fraud. It mandates a 100% provision for receivables older than two years. Bad debts are written off after approval from the Board of Directors, following a thorough review procedure i.e. account ageing, previous experience and general economic conditions. The financial reflects sundry debtors net of the provision to maintain accuracy. Recoveries from previously written-off bad debts are treated as income and credited to a "Bad & Doubtful Recovery" account.

Impairment of Financial Asset

The Corporation assesses impairment based on expected credit loss ('ECL') model on the following:

Financial assets that are measured at amortised cost; and

Financial assets measured at FVTOCI.

ECL is measured through a loss allowance on a following basis: -

The 12 month expected credit losses (expected credit losses that result from those default events on the financial instruments that are possible within 12 months after the reporting date) Loss.



पूर्ण जीवन-काल प्रत्याशित ऋण हानियां (प्रत्याशित ऋण हानियां जो वित्तीय उपकरण के जीवन-काल में सभी संभव चूक वाली घटनाओं से उभरती हैं)

निगम, व्यापारिक प्राप्यों या सामान्य व्यापारिक लेन-देनों से उभरने वाली संविदा परिसंपत्तियों पर हास की मान्यता हेतु "सरलीकृत दृष्टिकोण" का अनुसरण करता है। सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुप्रयोग में निगम को ऋण जोखिम में परिवर्तन को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती। तथापि, यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर प्रारंभिक मान्यता की तारीख से आजीवन ECL पर आधारित हास हानि भत्ते की मान्यता देता है। भारतीय लेखा मानक 109 के तहत अनुमति के रूप में एक व्यावहारिक उपर्युक्तता का उपयोग कर व्यापार प्राप्तियाँ / अनुबंध संपत्तियों के लिए जीवन हानि भत्ता की उम्मीद है। अर्थात परंपरागत अवधि में अनुभव की गई प्रत्याशित क्रेडिट हानि।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर हास हानि के मान्यता हेतु निगम यह निर्धारित करता है कि प्रारंभिक मान्यता से लेकर जब तक ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है क्या। यदि ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है तो आजीवन ECL उपलब्ध कराई जाती है। ऋण जोखिम और हास हानि में वृद्धि के आकलन के लिए निगम ऋण जोखिम विशिष्टताओं का उपकरण दर उपकरण आधार पर आकलन करती है।

ECL संविदा के अनुरूप निगम को बकाया सभी अनुबंधित नकदी प्रवाह और निकाय द्वारा मूल EIR पर छूट प्राप्ति के लिए प्रत्याशित सभी नकदी प्रवाह (अर्थात सभी नकदी कमियां) के बीच का अंतर है।

अवधि के दौरान माने गये हास हानि भत्ते (या परिवर्तन) को लाभ व हानि विवरण में व्यय /आय के रूप में माना गया है।

ब) वित्तीय देयताएँ :

निगम की वित्तीय देयता में बैंक ऑवरड्राफ्ट, व्यापारिक भुगतान योग्य, प्रौद्युत व्यय एवं अन्य भुगतान योग्य इत्यादि सहित ऋण एवं उधारियां शामिल हैं।

प्रारंभिक मान्यता और मापन :

प्रारंभिक मान्यता पर सभी देयताओं को परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं अथवा लाभ व हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं, जो भी उचित हो, के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिशोधित लागत पर वर्गीकृत सभी वित्तीय देयताओं को प्रारंभिक रूप से सीधे स्रोतजन्य लेन-देन लागत के निवल के उचित मूल्य पर माना जाता है। प्रारंभिक मान्यता पर प्राप्त राशि (लेन-देन लागत का निवल) और उचित मूल्य के बीच के किसी अंतर को CWIP में लाभ व हानि के विवरण में माना जाता है, यदि अन्य मानक प्रभावी ब्याज दर ('EIR') पद्धति के प्रयोग द्वारा उधारियों की पूर्ण अवधि के दौरान किसी परिसंपत्ति की वहनीता राशि में ऐसी लागत के समावेश की अनुमति देता है तो।

तत्पश्चात मापन :

वित्तीय देयताओं का तत्पश्चात मापन निम्नवत वर्गीकरण पर आधारित होता है :

परिशोधित लागत के रूप में वर्गीकृत वित्तीय देयताएँ :

ऐसी वित्तीय देयताएं जो व्यापार हेतु धारित नहीं हैं और FVTPL पर नामित नहीं हैं, को तत्पश्चात की लेखाकरण अवधि के अंत में परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत को EIR के अभिन्न अंग वाले अर्जन पर छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर गणित किया जाता है। ब्याज व्यय जो परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत नहीं हैं, को लाभ व हानि विवरण में वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत वित्तीय देयताएँ (FVTPL) :

FVTPL के रूप में वर्गीकृत वित्तीय देयताओं में FVTPL के रूप में प्रारंभिक मान्यताओं पर प्राधिकृत ट्रेडिंग एवं वित्तीय देयताओं के लिए धारित वित्तीय देयताएं शामिल हैं। वित्तीय देयताओं को ट्रेडिंग के लिए धारित देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया



Full life time expected credit losses (expected credit losses that result from all possible default events over the life of financial instruments)

The Corporation follows 'simplified approach' for recognition of impairment on trade receivables or contract assets resulting from normal business transactions. The application of simplified approach does not require the Corporation to track changes in credit risk. However, it recognises impairment loss allowance based on lifetime ECLs at each reporting date, from the date of initial recognition. The measurement of life time expected credit loss allowance for trade receivables / contract assets by using a practical expedient as permitted under Ind AS 109 i.e. expected credit loss as experienced on the historical periodicity.

For recognition of impairment loss on other financial assets, the Corporation determines whether there has been a significant increase in the credit risk since initial recognition. If credit risk has increased significantly, lifetime ECL is provided. For assessing increase in credit risk and impairment loss, the Corporation assesses the credit risk characteristics on instrument-by-instrument basis.

ECL is the difference between all contractual cash flows that are due to the Corporation in accordance with the contract and all the cash flows that the entity expects to receive (i.e. all cash shortfalls) discounted at the original EIR.

Impairment loss allowance (or reversal) recognized during the period is recognized as expense/income in the Statement of Profit & Loss.

b) Financial Liabilities

The Corporation's financial liabilities include loans & borrowings including bank overdrafts (if any), trade payables, security deposits, accrued expenses and other payables etc.

Initial recognition and measurement

All financial liabilities at initial recognition are classified as financial liabilities at amortized cost or financial liabilities at fair value through profit or loss, as appropriate. All financial liabilities classified at amortized cost are recognized initially at fair value net of directly attributable transaction costs. Any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the fair value at initial recognition is recognised in the Statement of Profit & Loss or in the CWIP, if another standard permits inclusion of such cost in the carrying amount of an asset over the period of the borrowings using the Effective interest rate ('EIR') method.

Subsequent measurement

The subsequent measurement of financial liabilities depends upon the classification as described below: -

Financial Liabilities classified as Amortised Cost

Financial Liabilities that are not held for trading and are not designated as at FVTPL are measured at amortised cost at the end of subsequent accounting periods. Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. Interest expense that is not capitalized as part of costs of assets is included as Finance costs in the Statement of Profit & Loss.

Financial Liabilities classified as Fair value through profit & loss (FVTPL)

Financial liabilities classified as FVTPL includes financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as FVTPL. Financial liabilities are classified as held for



जाता है यदि निकटवर्ती अवधि में पुनः खरीद प्रयोजनार्थ उन्हें खर्च किया जाता है। यदि भारतीय Ind AS 109 के मापदंडों को पुरा करते हैं तो ही FVTPL की प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय देयताएं को प्राधिकृत किया जाता है।

वित्तीय देयता की अमान्यता :

जब देयता के अंतर्गत दायित्व का निर्वहन किया जाता है / उसे निरस्त किया जाता है / उसकी अवधि समाप्त हो जाती है, तब वित्तीय देयता की मान्यता वापस ले ली जाती है। जब एक वर्तमान वित्तीय देयता को समान ऋणदाता से भिन्न-भिन्न शर्तों से प्रतिस्थापित किया जाता है, वर्तमान देयता की शर्तों को संशोधित किया जाता है तो इस तरह के परिवर्तन या संशोधन का आशय मूल देयता को वापस ले लिया जाना एवं एक नई देयता को मान्यता दिया जाना होता है। संबंधित रखाव राशिओं में उल्लिखित अंतर को लाभ व हानि विवरण में चिन्हित किया जाता है।

वित्तीय लिखतों का प्रतितुलन :

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताएं का जब प्रतितुलन किया जाता है और निवल राशि को तुलन पत्र में दिखाया जाता है यदि दिखाई गई राशि के प्रतितुलन का वर्तमान में वैध कानूनी अधिकार है और निवल आधार पर उसका निपटारा करने का उद्देश्य है ताकि परिसंपत्तियों की उगाहियों की जा सके और साथ-ही-साथ देयताओं का निपटारा किया जा सके।

ज) बिक्री और बंद परिचालन के लिए धारित गैर-वर्तमान संपत्ति (या निपटान समूह)

बिक्री के लिए धारित गैर-वर्तमान संपत्ति या निपटान :

गैर-वर्तमान संपत्ति या निपटान समूहों को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि उनकी अग्रणीत राशि मुख्य रूप से निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जायेगी। ऐसी संपत्ति या निपटान समूहों को तभी वर्गीकृत किया जाता है जब (अ) बिक्री को अत्यधिक संभावित माना जाता है और (ब) संपत्ति या निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध है, केवल उन शर्तों के अधीन है जो ऐसी संपत्ति की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत हैं। वर्गीकरण पर, उन्हें उनकी वहन राशि के निचले स्तर पर और बेचने के लिए उचित मूल्य कम लागत पर मापा जाता है। गैर-वर्तमान आस्तियाँ (उनमें शामिल हैं जो एक निपटान समूह का हिस्सा हैं) मूल्यहास या परिशोधन नहीं हैं, जबकि उन्हें बिक्री के लिए धारित रूप में वर्गीकृत किया गया है। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूह की देनदारियों के कारण ब्याज और अन्य खर्चों को मान्यता दी जानी जारी है।

हानियुक्त घाटे को परिसंपत्ति (या निपटान समूह) के किसी भी प्रारंभिक या बाद के अवलेखन को उचित मूल्य कम लागत से बेचने के लिए पहचाना जाता है। किसी परिसंपत्ति (या निपटान समूह) की बिक्री लागत घटाकर उचित मूल्य में किसी भी अनुवर्ती वृद्धि के लिए लाभ को मान्यता दी जाती है, लेकिन पहले से मान्यता प्राप्त किसी भी संचयी हानियुक्त घाटे से अधिक नहीं। गैर-वर्तमान संपत्ति (या निपटान समूह) की बिक्री की तारीख से पहले मान्यता प्राप्त नहीं होने वाले लाभ या हानि को मान्यता रद्द करने की तिथि पर मान्यता दी जाती है।

बंद किये गये संचालन :

एक बंद संचालन उस इकाई का एक घटक है जिसका निपटान किया गया है या बिक्री के लिए आयोजित के रूप में वर्गीकृत किया गया है और जो व्यवसाय की एक अलग प्रमुख लाइन या संचालन के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, एक ही समन्वित योजना का हिस्सा है जो इस तरह के दृश्य को पुनर्विक्रय के लिए निपटाने के लिए है। बंद किये गये कार्यों के परिणाम लाभ और हानि के विवरण में अलग से प्रस्तुत किये जाते हैं।

ट) शेयर पूँजी और शेयर प्रीमियम :

साधारण शेयरों को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इक्विटी में नये शेयरों के निर्गम में प्रत्यक्ष रूप से होने वाली वृद्धि लागत को प्रक्रियाओं से निवल कर की कटौती के रूप में दिखाया जाता है। इक्विटी शेयर के सम मूल्य को शेयर पूँजी में दर्ज किया जाता है और सम मूल्य से अधिक प्राप्त राशि को शेयर प्रीमियम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ठ) इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश वितरण :

जब वितरण को प्राधिकृत किया जाता है और वितरण निगम के विवेक पर नहीं रह जाता है तब निगम इक्विटी धारकों को नकद वितरण के लिए देयता को चिन्हित करता है। भारत के निगमित कानून के अनुसार वितरण को तब प्राधिकृत किया जाता है जब उसे शेयर धारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तत्संबंधि राशि को प्रत्यक्ष रूप से उस पर किसी कर के साथ दूसरी इक्विटी में मान्य किया जाता है।



trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. Financial liabilities designated upon initial recognition at FVTPL only if the criteria in Ind AS 109 is satisfied.

Derecognition of Financial Liability

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged / cancelled / expired. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as the de recognition of the original liability and the recognition of a new liability. The difference in the respective carrying amounts is recognized in the Statement of Profit & Loss.

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the balance sheet if there is a currently enforceable legal right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, to realise the assets and settle the liabilities simultaneously.

x) Non-current assets (or disposal groups) held for sale and discontinued operations

Non-current assets or disposal held for sale

Non-current assets or disposal groups are classified as held for sale, if their carrying amount will be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use. Such assets or disposal groups are classified only when (a) sale is considered highly probable and (b) the asset or disposal group is available for immediate sale in its present condition subject only to terms that are usual and customary for sale of such assets. Upon classification, they are measured at the lower of their carrying amount and fair value less costs to sell. Non-current assets (including those that are part of a disposal group) are not depreciated or amortised while they are classified as held for sale. Interest and other expenses attributable to the liabilities of a disposal group classified as held for sale continue to be recognised.

An impairment loss is recognised for any initial or subsequent write-down of the asset (or disposal group) to fair value less costs to sell. A gain is recognised for any subsequent increases in fair value less costs to sell of an asset (or disposal group), but not in excess of any cumulative impairment loss previously recognised. A gain or loss not previously recognised by the date of the sale of the non-current asset (or disposal group) is recognised at the date of de-recognition.

Discontinued operation

A discontinued operation is a component of the entity that has been disposed of or is classified as held for sale and that represents a separate major line of business or geographical area of operations, is part of a single coordinated plan to dispose of such a line of business or area of operations, or is a subsidiary acquired exclusively with a view to resale. The results of discontinued operations are presented separately in the statement of profit and loss.

xi) Share capital and share premium

Ordinary shares are classified as equity. Incremental costs directly attributable to the issue of new shares are shown in equity as a deduction net of tax from the proceeds. Par value of the equity share is recorded as share capital and the amount received in excess of the par value, if any is classified as share premium.

xii) Dividend Distribution to equity shareholders

The Corporation recognizes a liability to make cash distributions to equity holders when the distribution is authorized and the distribution is no longer at the discretion of the Corporation. As per the corporate laws in India, a distribution is authorized when it is approved by the shareholders. A corresponding amount is recognized directly in other equity along with any tax thereon.



ड) सरकारी अनुदान :

सरकारी अनुदान को तभी मान्य किया जाता है जब तार्किक आश्वासन हो कि निगम उनसे और जो अनुदान लिया जायेगा उससे संबंधित शर्तों का अनुपालन करेगा।

अनुदान जो PPE (यानी गैर-मौद्रिक परिसंपत्तियाँ) की किसी वस्तु की लागत के लिए निगम को क्षतिपूर्ति करता है, प्रारंभ में उचित मूल्य पर विलंबित आय के रूप में दिया जाता है और अवधि और उसके अनुपात में व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में परिसंपत्ति के मूल्यहास व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

अन्य सरकारी अनुदान (आय से संबंधित अनुदान) को आय के रूप में माना गया है जो उन लागतों से मेल खाने के लिए आवश्यक हैं जिनके लिए वे व्यवस्थित आधार पर क्षतिपूर्ति करना चाहते हैं। सरकारी अनुदान जो पहले से किये गये व्यय या हानियों के लिए मुआवजे के रूप में प्राप्य हैं या भविष्य में संबंधित लागतों के साथ तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत होता है, जिसमें वे लिए जाने योग्य हो जाते हैं। लाभ एवं हानि के विवरण में अन्य आय के तहत छूट या मुक्ति के रूप में प्राप्त अनुदान को छोड़कर आय से जुड़े अनुदान प्रस्तुत किये जाते हैं, जिनकी कटौती संबंधित व्यय में रिपोर्ट करते समय की जाती है।

ढ) पट्टे :

कंपनी एक पट्टेदार के रूप में

कंपनी इस बात का आकलन करती है कि अनुबंध के अंत में पट्टा है या नहीं। एक अनुबंध है, एक पट्टा अगर अनुबंध विचार के बदले में समय की अवधि के लिए किसी पहचाने गये परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। यह आकलन करने के लिए कि कोई अनुबंध किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है या नहीं, कंपनी यह आकलन करती है कि : (i) अनुबंध में किसी पहचान की गई संपत्ति का उपयोग शामिल है (ii) कंपनी के पास पट्टे की अवधि के माध्यम से परिसंपत्ति के उपयोग से होनेवाले सभी आर्थिक लाभ हैं और (iii) कंपनी के पास संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है। निर्विवाद पट्टा व्यवस्था में पट्टे की अवधि समाप्त होने से पहले पट्टे का विस्तार या समाप्त करने के लिए विकल्प शामिल हैं। परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार और पट्टे की देनदारियों में ये विकल्प शामिल हैं, जब उचित रूप से निश्चित है कि उनका उपयोग किया जायेगा।

पट्टे की शुरु होने की तारीख में, कंपनी सभी पट्टा व्यवस्थाओं के लिए संपत्ति के उपयोग के अधिकार और इसी पट्टा देयता को मान्यता देती है, जिसमें यह 12 महीने या उससे कम अवधि और कम मूल्य के पट्टों (अल्पकालिक पट्टे) के साथ पट्टे के अलावा एक पट्टाधारी है। इन अल्पकालिक और कम मूल्य के पट्टों के लिए, कंपनी पट्टे के भुगतान को एक सीधी-रेखा के आधार पर परिचालन व्यय के रूप में मान्यता देती है।

पट्टे की देयता के प्रारंभिक माप की राशि, पट्टे की स्थापना की तारीख से पहले या उससे पहले किया गया भुगतान, साथ ही किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, कम किसी भी पट्टा प्रोत्साहन मिले, परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार लागत में समाविष्ट हैं। इसके बाद, परिसंपत्तियों का सही उपयोग किसी भी संचित मूल्यहास और संचित हानि के नुकसान से मापा जाता है, यदि कोई हो। परिसंपत्तियों का उपयोग को पट्टा अवधि या परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार जीवन के आरंभिक तारीख से सरल-रेखा प्रणाली का उपयोग करके मूल्यहास किया जाता है। संपत्ति के सही उपयोग का अनुमानित जीवन उसी आधार पर निर्धारित किया जाता है जैसे कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण।

कंपनी यह निर्धारित करने के लिए Ind As 36 लागू करती है कि क्या ये परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार बिगड़ा हुआ है और किसी भी पहचान की हानि के लिए जिम्मेदार है जैसा कि लेखांकन नीति 3(iii) मूल संपत्ति की हानि में वर्णित है।

पट्टे की शुरुआत में देनदारियों के लिए, कंपनी पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता को मापती है जो उस तारीख को भुगतान नहीं किया जाता है। पट्टा भुगतान को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है, अगर उस दर को आसानी से निर्धारित किया जा सकता है, यदि उस दर को आसानी से निर्धारित नहीं किया जाता है, तो पट्टे के भुगतान को उस वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो कंपनी को उधार लेने के लिए चुकानी होगी, जैसे कि परिसंपत्ति और स्थान की प्रकृति, संपाश्चिर्क, बाजार के नियम और शर्तों जैसे कारकों पर विचार करना, जैसे एक समान आर्थिक वातावरण में लागू होता है।



(xiii) Government Grants

Government grants (including subsidies) are recognized when there is reasonable assurance that the Corporation will comply with the conditions attached to them and that the grants will be received.

Grants that compensate the Corporation for the cost of an item of PPE (i.e. non-monetary assets) are recognised by deducting the grant in arriving at the carrying amount of the asset. Further, grants that may take the form of a transfer of a non-monetary asset (such as land or other resources) are recognised at a nominal amount.

Other government grants (grants related to income) are recognized as income over the periods necessary to match them with the costs for which they are intended to compensate on a systematic basis. Government grants that are receivable as compensation for expenses or losses already incurred or for the purpose of providing immediate financial support with no future related costs are recognized in the Statement of Profit & Loss in the period in which they become receivable. Grants related to income are presented under other income in the Statement of Profit & Loss except for grants received in the form of rebate or exemption which are deducted in reporting the related expense.

(xiv) Leases

The Company as a lessee

The Company assesses whether a contract contains a lease, at inception of a contract. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company assesses whether: (i) the contract involves the use of an identified asset (ii) the Company has substantially all of the economic benefits from use of the asset through the period of the lease and (iii) the Company has the right to direct the use of the asset. Certain lease arrangements include the options to extend or terminate the lease before the end of the lease term. Right of use (ROU) assets and lease liabilities includes these options, when it is reasonably certain that they will be exercised.

At the date of commencement of the lease, the Company recognizes a right-of-use (ROU) asset and a corresponding lease liability for all lease arrangements in which it is a lessee, except for leases with a term of 12 months or less (short-term leases) and low value leases. For these short-term and low-value leases, the Company recognizes the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease.

The cost of the right-of-use asset comprises the amount of the initial measurement of the lease liability, any lease payments made at or before the inception date of the lease, plus any initial direct costs, less any lease incentives received. Subsequently, the right-of-use assets are measured at cost less any accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. The right-of-use assets are depreciated using the straight-line method from the commencement date over the shorter of lease term or useful life of right-of-use asset. The estimated useful life of right-of-use assets are determined on the same basis as those of property, plant and equipment.

The Company applies Ind AS 36 to determine whether an ROU asset is impaired and accounts for any identified impairment loss as described in the accounting policy 3 (iii) impairment of tangible assets.

For lease liabilities at the commencement of the lease, the Company measures the lease liability at the present value of the lease payments that are not paid at that date. The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease, if that rate can be readily determined, if that rate is not readily determined, the lease payments are discounted using the incremental borrowing rate that the Company would have to pay to borrow funds, including the consideration of factors such as the nature of the asset and location, collateral, market terms and conditions, as applicable in a similar economic environment.

After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. The Company recognizes the amount of the re-



प्रारंभ की तारीख के बाद, पट्टा देयताओं की राशि ब्याज की अभिवृद्धि को दर्शाने के लिए बढ़ जाती है और किये गये पट्टे भुगतान के लिए कम हो जाती है। कंपनी परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार के समायोजन के रूप में पट्टा देनदारी के पुनः माप की राशि को मान्यता देती है। जहां उपयोग की गई परिसंपत्ति की वहन राशि शून्य हो जाती है और पट्टा देयता के मापन में और कमी होती है, कंपनी लाभ और हानि के विवरण में पुनः माप की किसी भी शेष राशि को पहचानती है। पट्टा देयता भुगतानों को नकदी प्रवाह के बयान में वित्तपोषण गतिविधियों में प्रयुक्त नकदी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी एक पट्टादाता के रूप में

पट्टों जिसके लिए कंपनी पट्टादाता है, को एक वित्त या परिचालन पट्टे का रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब भी पट्टे की शर्तें पट्टेदार को स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को स्थानांतरित करती हैं, तो अनुबंध को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टे संचालनशील पट्टों के रूप में वर्गीकृत हैं। जब कंपनी एक मध्यवर्ती पट्टादाता होते हैं, तो यह खातों में अपने हितों के लिए मुख्य रूप से पट्टे और उप-ठेकों में अलग से है। उप-ठेका को मुख्य रूप से उत्पन्न होने वाली संपत्ति के उपयोग के अधिकार के संदर्भ में एक वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिचालन पट्टों के लिए, किराये की आय को संबंधित पट्टे की अवधि के आधार पर एक सरल-रेखा प्रणाली पर मान्यता दी जाती है।

ग) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां :

प्रावधानों को तब चिन्हित किया जाता है जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप एक वर्तमान विधिक या रचनात्मक बाध्यता होती है और उसकी संभावना है कि आर्थिक लाभों के मूर्त रूप में संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा ताकि उस बाध्यता का निपटारा किया जा सके और बाध्यता की राशि को देखते हुए उसका विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके। ऐसे प्रावधानों का निर्धारण तुलन पत्र दिनांक में बाध्यता की राशि का निपटारा करने के लिए आवश्यक प्रबंधन अनुमान के आधार पर किया जाता है। जब निगम कुछ या सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की आशा करता है, उस प्रतिपूर्ति को एकल परिसंपत्ति के रूप में चिन्हित किया जाता है तभी जब प्रतिपूर्ति के निश्चित होने का आभास हो। यदि रुपये के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण हो तो प्रावधानी में वर्तमान पूर्व-कर दर का उपयोग करते हुए बढ़ा दिया जाता है जो देयता के जोखिम विशेष को प्रतिबिंबित करती है। जब बढ़ा दिया जाता है तो समय बढ़ने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्तीय लागत में चिन्हित किया जाता है।

आकस्मिक देयताओं का उल्लेख प्रबंधन / स्वतंत्र विशेषज्ञों की संमति के आधार पर किया जाता है। उनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र दिनांक को की जाती है और इनका समायोजन वर्तमान प्रबंधन अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए किया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को चिन्हित नहीं किया जाता है, तथापि, आर्थिक लाभों के संभावित आगमन की स्थिति में वित्तीय विवरण में उनका उल्लेख किया जाता है।

त) राजस्व मान्यता

निगम मुख्य रूप से दादरा और नगर हवेली के क्षेत्र में बिजली के पारेषण और नवीनीकरण संसाधनों (यानी सौर ऊर्जा) के उत्पादन से राजस्व कमाता है। बिजली के पारेषण और बिजली उत्पादन के लिए टैरिफ संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (JERC) यानी नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाता है। वादा किये गये उत्पाद या ग्राहक के नियंत्रण के हस्तांतरण पर राजस्व को उस राशि में मान्यता दी जाती है जो उस विचार को दर्शाती है निगम उन उत्पादों या सेवाओं के बदले में प्राप्त करने की उम्मीद करता है।

बिजली के पारेषण से राजस्व :

बिजली के पारेषण से प्राप्त राजस्व को (JERC) द्वारा दिये गये संबंधित टैरिफ आदेश यालागू अन्य विनियमन के अनुसार ऊर्जा पारेषण की क्षमता के लिए समय के आधार पर मान्यता दी जाती है। राजस्व को लेनदेन की कीमत के आधार पर मापा जाता है, जो कि विचारणीय है, छूट के लिए समायोजित, छूट, मूल्य रियायत और इसी तरह के भत्ते, यदि कोई हो। राजस्व भी करों के बाहर करता है, यदि कोई हो, ग्राहकों से एकत्र किया जाता है।

अनुबंध परिसंपत्तियों को मान्यता तब दी जाती है जब लागू विनियमों के अनुसार बिलों पर अर्जित राजस्व की अधिकता होती है। अनुबंधित परिसंपत्तियों को अनिर्धारित प्राप्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है (केवल चालान की कार्रवाई लंबित है), जब नकद प्राप्त करने के लिए बिना शर्त अधिकार है, और लागू नियमों के अनुसार केवल समय बीतने की आवश्यकता है। अवर्णित और आस्थगित राजस्व ("अनुबंध देयता") को मान्यता दी जाती है जब लागू विनियमों के अनुसार राजस्व से अधिक बिल हो।



measurement of lease liability as an adjustment to the right-of-use assets. Where the carrying amount of the right-of-use asset is reduced to zero and there is a further reduction in the measurement of the lease liability, the Company recognizes any remaining amount of the re-measurement in statement of profit and loss. Lease liability payments are classified as cash used in financing activities in the statement of cash flows.

The Company as a lessor

Leases for which the Company is a lessor is classified as a finance or operating lease. Whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee, the contract is classified as a finance lease. All other leases are classified as operating leases. When the Company is an intermediate lessor, it accounts for its interests in the head lease and the sublease separately. The sublease is classified as a finance or operating lease by reference to the ROU asset arising from the head lease. For operating leases, rental income is recognized on a straight line basis over the term of the relevant lease.

(xv) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

Provisions are recognised when there is a present legal or constructive obligation as a result of a past event and it is probable (i.e. more likely than not) that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Such provisions are determined based on management estimate of the amount required to settle the obligation at the balance sheet date. When the Corporation expects some or all of a provision to be reimbursed, the reimbursement is recognised as a standalone asset only when the reimbursement is virtually certain. If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre-tax rate that reflects, the risks specific to the liability. When discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognised as a finance costs.

Contingent liabilities are disclosed on the basis of judgment of management / independent experts. These are reviewed at each balance sheet date and are adjusted to reflect the current management estimate.

Contingent Assets are not recognized, however, disclosed in financial statement when inflow of economic benefits is probable.

(xvi) Revenue Recognition

The Corporation earns revenue primarily from transmission of power and generation of renewable resources (i.e. Solar Power) in the area of Dadra & Nagar Haveli. The tariff for the transmission of power and generation of power is determined by Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) i.e. regulatory authority. Revenue is recognised upon transfer of control of promised products or services to customers in an amount that reflects the consideration which the Corporation expects to receive in exchange for those products or services.

Revenue from Transmission of Power

Revenue from Transmission of Power is recognized on accrual basis for capacity of energy transmission in accordance with the respective tariff order awarded JERC or other regulation as applicable. Revenue is measured based on the transaction price, which is the consideration, adjusted for rebate, discount, price concession and similar allowances, if any. Revenue also excludes taxes, if any, collected from customers.

Contract assets are recognised when there is excess of revenue earned over billings as per applicable regulations. Contract assets are classified as unbilled receivables (only act of invoicing is pending), when there is unconditional right to receive cash, and only passage of time is required as per applicable regulations. Unearned and deferred revenue ("contract liability") is recognised when there are billings in excess of revenues as per applicable regulations.



सौर ऊर्जा बिक्री से राजस्व :

सौर ऊर्जा की बिजली से प्राप्त राजस्व के संबंधित (JERC) द्वारा दिये गये संबंधित टैरिफ आदेश यालागू अन्य विनियमन के अनुसार आपूर्ति की गई ऊर्जा के लिए मान्यता दी जाती है । राजस्व को लेनदेन की कीमत के आधार पर मापा जाता है, जो कि विचारणीय है, छूट के लिए समायोजित, छूट, मूल्य रियायत और इसी तरह के भत्ते, यदि कोई हो । राजस्व भी करों के बाहर करता है, यदि कोई हो, ग्राहकों से एकत्र किया जाता है ।

अनुबंध परिसंपत्तियों को मान्यता तब दी जाती है जब लागू विनियमों के अनुसार बिलों पर अर्जित राजस्व की अधिकता होती है । अनुबंधित परिसंपत्तियों को अनिर्धारित प्राप्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है (केवल चालान की कार्रवाई लंबित है), जब नकद प्राप्त करने के लिए बिना शर्त अधिकार है, और लागू नियमों के अनुसार केवल समय बीतने की आवश्यकता है । अवर्णित और आस्थगित राजस्व ("अनुबंध देयता") को मान्यता दी जाती है जब लागू विनियमों के अनुसार राजस्व से अधिक बिल हो ।

उपभोक्ताओं से अन्य विविध शुल्क / राजस्व :

अन्य विविध प्रभारों/वितरण व्यवसाय से संबंधित पिछले बकाया सहित ग्राहक से प्राप्त राजस्व को नकद आधार पर अमूर्त मूल्य के रूप में मान्यता दी जाती है ।

ब्याज आय :

वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज जब पहचाना जाता है जब यह संभव है कि आर्थिक लाभ निगम को मिलेंगे और राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है ।

अन्य आय :

- 1) उपभोक्ताओं द्वारा बिजली की बिक्री के लिए बकाया भुगतान शुल्क (DPC) के संबंध में आय का जिक्र अगले बिल में किया जाता है और वितरण व्यवसाय से संबंधित पिछले बकाया पर DPC को नकद आधार पर अमूर्त मूल्य के रूप में मान्यता दी जाती है ।
- 2) स्क्रेप की जब भी बिक्री पूरी हो जाती है और इसका संग्रह उचित रूप से निश्चित होता है तो इसका विवरण किया जाता है ।
- 3) बीमा कंपनियों और अन्य लोगों के साथ दर्ज दावों को संबंधित एजेंसियों द्वारा तय किये जाने पर मान्यता प्राप्त है ।
- 4) विशेष रूप से ऊपर बताए गए अन्य आय को संचय आधार पर मान्यता प्राप्त है, सिवाय इसके कि जब ऐसी आय का अंतिम प्राप्ति अनिश्चित है ।
- 5) ऊपर विशेष रूप से उल्लिखित आय को छोड़कर अन्य आय को उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि ऐसी आय की अंतिम प्राप्ति अनिश्चित हो ।

थ) मूल्यहास और परिशोधन :

निगम विद्युत पारेषण व्यवसाय (पिछले वर्ष वितरण व्यवसाय जैसा कि बिंदु संख्या 1 में बताया गया है) में लगा हुआ है, विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत आता है और उक्त विद्युत अधिनियम का प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान को अधिगृहित करता है ।

अ. नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों को छोड़कर मूर्त एवं अमूर्त संपत्तियां : संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन, पारेषण और वितरण बहुवर्षीय टैरिफ) विनियमन में प्रावधान है कि पारेषण लाइसेंस के लिए, मूल्यहास की गणना ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए प्रचलित CERC टैरिफ नियमों में अधिसूचित/निर्दिष्ट दरों और मानदंडों पर की जायेगी (पिछले वित्त वर्ष 2021-22 मूल्यहास दरें और वितरण प्रणालियों के लिए प्रचलित JERC टैरिफ नियमों में अधिसूचित/निर्दिष्ट मानदंड) । इसलिए, मूर्त संपत्तियों का मूल्यहास और अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन सीधे तौर पर संबंधित संयुक्त विद्युत विनियामक (उत्पादन, पारेषण एवं वितरण बहुवर्षीय टैरिफ) विनियमन (JERC) में निर्दिष्ट / अधिसूचित दरों के अनुसार परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर प्रदान किया जाता है । परिसंपत्ति का अवशिष्ट मूल्य 10% माना जाता है



Revenue from Sale of Solar Power

Revenue from Sale of Solar Power is recognized on accrual basis for energy supplied in accordance with the respective tariff order awarded JERC or other regulation as applicable. Revenue is measured based on the transaction price, which is the consideration, adjusted for rebate, discount, price concession and similar allowances, if any. Revenue also excludes taxes, if any, collected from customers.

Contract assets are recognised when there is excess of revenue earned over billings as per applicable regulations. Contract assets are classified as unbilled receivables (only act of invoicing is pending), when there is unconditional right to receive cash, and only passage of time is required as per applicable regulations. Unearned and deferred revenue ("contract liability") is recognised when there are billings in excess of revenues as per applicable regulations.

Other Miscellaneous Charges / Revenue from Consumers:

Other miscellaneous charges / revenue from consumers including past arrear dues related to distribution business are recognised on cash basis being immaterial value.

Interest Income

Interest on financial assets is recognised when it is probable that the economic benefits will flow to the Corporation and the amount can be measured reliably.

The earned interest income from investments made out of funds representing the Return on Equity (RoE) as approved by the Joint Electricity Regulatory Commission in previous tariff petitions.

Other Income

- i) Income in respect of delayed payment charges (DPC) on dues by consumers for sale of power and transmission of power are accounted on accrual basis as per relevant regulations and subject to the condition that recovery is reasonably certain.
- ii) DPC on past arrear dues related to distribution business is recognised only when the recovery becomes reasonably certain.
- iii) Sale of scrap is accounted for as and when the sale is completed and its collection is reasonably certain.
- iv) Claims lodged with insurance companies and others are accounted for as and when these are settled by the concerned agencies.
- v) Other incomes excluding specifically stated above are recognised on accrual basis except when the ultimate realization of such income is uncertain.

xvii) Depreciation & Amortization:

The Corporation, being engaged in the electricity transmission business and renewable power generation business, is covered under the Electricity Act 2003 and which are governed as per the provisions of Part B of Schedule II of the Companies Act, 2013.

A. **Tangible & Intangible Assets except Renewable Energy Plants-** The Joint Electricity Regulatory Commission (Generation, Transmission and Distribution Multi Year Tariff) Regulation provides that for Transmission Licensee, the depreciation shall be calculated at rates and norms notified / specified in the prevalent CERC Tariff Regulations for transmission system. Therefore, the depreciation of tangible assets and amortization of Intangible assets is provided on straight line method over the useful life of assets as per the rates specified / notified in respective Central Electricity Regulatory Commission (Generation, Transmission and Distribution Multi Year Tariff) Regulation (CERC). The residual value of the asset is considered as 10% and accordingly, the



31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बननेवाली महत्वपूर्ण लेखा नीति की जानकारी

और तदनुसार, मूल्यहास/परिशोधन संपत्ति की मूल लागत 90% की सीमा तक प्रदान किया जाता है, IT उपकरण और सेफ्टवेयर के लिए बचाव मूल्य को छोड़कर शून्य और 100% मूल्य माना जायेगा। परिसंपत्तियों का हिस्सा मूल्यहास/परिशोधन योग्य माना जायेगा।

ब. **नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र :** निगम के नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों के लिए मूल्यहास JERC नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ विनियमों के अनुरूप है। उक्त विनियमन में प्रावधान हैं कि मूल्यहास के लिए मूल्य आधारित परिसंपत्ति की पूंजीगत लागत है, जिसमें 10% बचाव मूल्य है, जो परिसंपत्ति की लागत के 90% पर मूल्यहास की अनुमति देता है। टैरिफ अवधि के पहले 12 वर्षों के दौरान मूल्यहास की गणना "विभिन्न मूल्यहास दृष्टिकोण" के आधार पर 5.83% की वार्षिक दर से की जाती है और 12 वर्ष की अवधि से परे या 13 वें वर्ष से आगे, मूल्यहास की गणना :सीधी रेखा विधि" का उपयोग करके की जाती है, जो शेष उपयोगी जीवन पर शेष मूल्यहास को फैलाती है। मूल्यहास तब शुरू होता है जब परिसंपत्ति चालू होती है, जिसमें बचाव मूल्य को छोड़कर पूंजीगत लागत शामिल होती है।

वर्ष के दौरान PPE या अमूर्त संपत्तियां जिन्हें जोड़ा / निपटान किया जाता है, प्रो-रेटा आधार पर मूल्य / आधार पर मूल्यहास परिशोधन प्रदान किया जाता है जिस पर संपत्ति उपयोग / निपटान के लिए उपलब्ध होती है। मूर्त संपत्तियों की मूल्यहास दर निम्नानुसार है :

परिसंपत्तियाँ श्रेणी	मार्च 31, 2024 तक के लिए पुरानी नियामक दर (%)	अप्रैल 1, 2024 से कार्यान्वित नई नियामक दर (%)
लाइन एरॉ नेटवर्क	5.28 %	4.22 %
भूमिगत केबल	5.28 %	4.22 %
ट्रांसफॉर्मर केंद्र	5.28 %	4.22 %
अन्य उपकरण	5.28 %	4.22 %
मीटर	5.28 %	4.22 %
बैटरी	9.50 %	9.50 %
इमारतें	3.34 %	3.34 %
वाहन	9.50 %	9.50 %
फर्निचर एरॉ जोड़	6.33 %	6.33 %
कार्यालयीन उपकरण	6.33 %	6.33 %
सौर ऊर्जा संयंत्र (प्रथम 12 साल के लिए)	5.83 %	4.67 %
सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर	15.00 %	15.00 %

द) **उधार लागत :**

उधार ली गई निधियों की लागत में ब्याज, प्रतिबद्धता प्रभार, दलाली, हमीदारी लागत, बट्टा / प्रीमियम, वित्त पोषण प्रभार, ब्याज लागत के कारण विनिमय अंतर तथा उधार व्यावस्था पर खर्च होने वाली सभी अनुसंगी एवं प्रासंगिक लागत शामिल है।

उधार लेने की लागत जो सीधे तौर पर विशेष परिसंपत्ति के अर्जन / निर्माण से संबंधित के कारण आवश्यक रूप से अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेती है, उन परिसंपत्तियों से संबंधित लागत के एक भाग के रूप में पूंजीकृत की जाती है। अन्य सभी दूसरी उधार ली गई निधियों की लागत को उस अवधि के लाभ व हानि विवरण में खर्च के रूप में चिन्हित किया जाता है जिस अवधि में उन्हें खर्च किया गया हो।

ध) **कर्मचारी लाभ :**

अ) **अल्पावधि कर्मचारी लाभ :**

सभी अल्पकालिक कर्मचारी हित लाभ जैसे वेतन, मजदूरी, भत्ते, निष्पादन प्रोत्साहन, कर्मचारी कल्याण लागत, अनुग्रह राशि की पहचान उस अवधि के दौरान की जाती है जिसमें कर्मचारीगण अपनी सेवाएं देते हैं और उनका मापन गैर-बट्टे की राशि पर किया जाता है जिसका भुगतान देयताओं के निपटान के बाद किया जा सकता है।

The Material Accounting Policy Information
Forming Part of Financial Statementsfor the Year ended on 31 March, 2025

depreciation / amortization is provided up to the extent of 90% of original cost of asset except the salvage value for IT equipment and software shall be considered as NIL and 100% value of the assets shall be considered depreciable / amortise.

B. **Renewable Energy Plants-** The depreciation for Renewable Energy Plants of the Corporation aligns with JERC Renewable Energy Tariff Regulations. The said regulation provides that the value base for depreciation is the capital cost of the asset, with a 10% salvage value, allowing depreciation on 90% of the asset's cost. The Depreciation during the first 12 years of the tariff period is calculated at an annual rate of 5.83% based on "Different Depreciation Approach" and beyond the 12-year period or from the 13th year onward, depreciation is calculated using the "Straight Line Method" spreading the remaining depreciation over the rest of the useful life. Depreciation starts when the asset is operational, covering capital costs excluding the salvage value.

PPE or Intangible assets or renewable energy assets which are added / disposed-off during the year, depreciation / amortization is provided on pro rata basis from / up to the date on which the asset is available for use / disposal. The relevant / major deprecation rates of tangible assets are as under;

Assets Category	Old Regulatory Rate up to March 31, 2024 (%)	New Regulatory Rate w.e.f. April 01, 2024 (%)
Lines & Networks	5.28 %	4.22 %
Underground Cables	5.28 %	4.22 %
Transformer Centres	5.28 %	4.22 %
Other Equipments	5.28 %	4.22 %
Meters	5.28 %	4.22 %
Batteries	9.50 %	9.50 %
Buildings	3.34 %	3.34 %
Vehicles	9.50 %	9.50 %
Furniture & Fixtures	6.33 %	6.33 %
Office Equipments	6.33 %	6.33 %
Solar Power Plants (For First 12 years)	5.83 %	4.67 %
Computers including Software	15.00 %	15.00 %

xviii) **Borrowing costs**

Borrowing cost includes interest, commitment charges, brokerage, underwriting costs, discounts / premiums, financing charges, exchange difference to the extent they are regarded as interest costs and all ancillary / incidental costs incurred in connection with the arrangement of borrowing.

Borrowing costs which are directly attributable to acquisition/construction on qualifying assets that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use are capitalized as a part of cost pertaining to those assets. All other borrowing costs are recognised as expense to the Statement of Profit & Loss in the period in which they are incurred.

xix) **Employee Benefits**

a) **Short-term Employees Benefits**

All short term employees' benefits such as salaries, wages, allowances, performance incentive and employee welfare costs are recognised during the period in which the employee render services and are measured at undiscounted amount expected to be paid when the liabilities are settled.





UT / GOI कर्मचारी (प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी) :

UT/GOI से प्रति नियुक्ति पर कर्मचारियों के संबंध में वेतन, पेंशन अंशदान और भविष्य निधि योगदान UT/GOI द्वारा निर्धारित मानदंडों / नियमों के अनुसार UT/GOI को भुगतान किया जाता है

ब) रोजगार के बाद लाभ :

निगम योग्य रोजगार के लिए भविष्य निधि लाभ (यानी परिभाषित योगदान योजना) जैसे भविष्य निधि और उपदान प्रदान करता है।

भविष्य निधि :

निगम के पात्र कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और (EPFO) से कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1925 के तहत गठित किया गया। दोनों, कर्मचारियों के वेतन के योग्य कर्मचारी और निगम EPFO में निर्दिष्ट प्रतिशत / निश्चित राशि के बराबर मासिक योगदान देते हैं। कथित अधिनियम के अनुसार भविष्य निधि में योगदान वर्ष के लाभ और हानि के विवरण पर लिया जाता है जब फंड में योगदान देय होता है।

उपदान :

उपदान अधिनियम, 1972 के भुगतान के तहत केन्द्र सरकार उपदान नियमों के अनुसार प्रावधान किये गये निगम के योग्य कर्मचारियों को देय उपदान की देयता होती है। निगम ने "ग्रुप उपदान योजना" अपनाया है जिसमें भारत के जीवन बीमा निगम के सभी योग्य कर्मचारियों को शामिल किया गया है (LIC)। केन्द्र सरकार उपदान नियम और उपदान अधिनियम, 1972 के भुगतान के अनुसार, ग्रुप उपदान योजना सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, मृत्यु, अक्षमता या रोजगार की समाप्ति पर संबंधित कर्मचारियों के वेतन और कार्यकाल के आधार पर राशि का एकमुश्त भुगतान प्रदान करता है। ग्रुप उपदान योजना के संबंध में वार्षिक योगदान LIC द्वारा उनके वास्तविक मूल्यांकन पद्धतियों के आधार पर निर्धारित किया जाता है और संबंधित वर्ष के लाभ और हानि के विवरण पर लगाया जाता है।

अन्य कर्मचारी लाभ दायित्व (अर्जित अवकाश)

पात्र कर्मचारियों को अर्जित अवकाश अधिकारों के लिए देयता। देयता की गणना रिपोर्टिंग तिथि तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेराओं के संबंध में किए जाने वाले अपेक्षित भावी भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर की जाती है। इस वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग किया जाता है।

अपेक्षित भावी भुगतानों को उप दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो रिपोर्टिंग तिथि पर अपेक्षित वेतन वृद्धि दर को दर्शाती है और जिसकी शारतें भुगतान की अपेक्षित शरतों के लगभग समान होती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ और हानि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

अर्जित अवकाश के लिए देयताओं को चालू देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि निगम को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार न हो। यह वर्गीकरण वास्तविक निपटान के अपेक्षित समय की परवाह किए बिना लागू होता है।

न) आयकर :

आयकर व्यय वर्तमान में देय कर और आस्थगित कर के योग को प्रदर्शित करता है। कर की पहचान, उस सीमा को छोड़कर किया जाता है जहां यह इक्विटी अथवा इन्ड्रे बड़ी आय में प्रत्यक्ष : पहचानी जाने वाली मदों से संबंधित होता है, लाभ व हानि विवरण में की जाती है। इस स्थिति में भी कर की पहचान अन्य बड़ी आय में प्रत्यक्ष : की जाती है।

वर्तमान कर :

वर्तमान कर में लागू आयकर अधिनियम के विशेष प्रावधान (न्यूनतम वैकल्पिक कर) अथवा सामान्य प्रावधान के अंतर्गत संगणित आयकर हेतु प्रावधान शामिल है। वर्तमान देय कर वर्ष के संगणित कर योग्य लाभ के आधार पर निर्धारित किया जाता है जो



UT / GOI Employees (Employees on Deputation)

Leave Salary, Pension contribution and Provident Fund contributions in respect of employees on deputation from UT/GOI are paid to UT/GOI in accordance with the norms / rules prescribed by UT/GOI.

b) Post-employment benefits

The Corporation provides the post-employment benefits (i.e. Defined Contribution Plan) such as Provident Fund and Gratuity to the eligible employees.

Provident Fund

Eligible employees of the Corporation received benefits from Employees Provident Fund Organization (EPFO) constituted under the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1925. Both, the eligible employees and the Corporation makes monthly contributions to the EPFO equal to a specified percentage / fixed amount of employees' salary. The Corporation's Contribution to Provident Fund as per the said Act are charged to the Statement of Profit & Loss of the year when the contribution to the fund are due.

Gratuity

Liability towards Gratuity payable to eligible employees of the Corporation made by making provision as per Central Government Gratuity Rules under the Payment of Gratuity Act, 1972. The Corporation has taken the "Group Gratuity Scheme" covering all eligible employees from Life Insurance Corporation of India (LIC). In accordance with Central Government Gratuity Rules and Payment of Gratuity Act, 1972, the Group Gratuity Scheme provides a lump sum payment to vested employees at retirement, death, incapacitation or termination of employment, of an amount based on the respective employee's salary and the tenure of employment. Annual Contribution with regard to the Group Gratuity Scheme is determined by LIC on the basis of their actuarial valuations methodology and are charged to the Statement of Profit & Loss of the respective year.

Other employee benefit obligation (Earned Leave)

Liability for earned leave entitlements accruing to eligible employees. The liability is measured at the present value of the expected future payments to be made in respect of services provided by employees up to the reporting date. The projected unit credit method is used to determine this present value.

The expected future payments are discounted using a rate that reflects the expected salary increase rate at the reporting date and that have terms approximating to the expected terms of payment. Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized in the Statement of Profit and Loss.

Liabilities for earned leave are classified as current liabilities unless the Corporation has an unconditional right to defer settlement for at least twelve months following the reporting period. This classification is applied regardless of the expected timing of actual settlement.

xx) Income Taxes

Income tax expense represents the sum of tax currently payable and deferred tax. Tax is recognised in the Statement of Profit & Loss, except to the extent that it relates to items recognised directly in equity or other comprehensive income. In this case the tax is also recognised directly in equity or in other comprehensive income.

Current tax

Current tax includes provision for Income Tax computed under Special provision (i.e. Minimum alternate



प्रचलित आयकर के प्रावधानों के अनुसार उन कर दरों के प्रयोग से होता है जो रिपेर्टिंग अवधि के लिए अधिनियमित अथवा उस पर किये गये किसी संशोधन के कारण होता है। और, कर योग्य लाभ, लाभ व हानि विवरण में दर्शाये गये लाभ से आय अथवा व्यय की मदों जो अन्य वर्षों में कर योग्य अथवा कटौति योग्य होता है और वे मदों जो कभी भी कर योग्य अथवा कटौति योग्य नहीं होती के कारण भिन्न होता है।

आस्थगित कर :

आस्थगित कर की पहचान, तुलन पत्र में परिसंपत्तियों व देयताओं की राशि धारण और कर योग्य लाभ को संगणित करने के लिए संपूरक कर आधार के बीच अस्थायी अंतर पर की जाती है। आस्थगित कर देयताओं की पहचान, सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए सामान्यतः की जाती है। आस्थगित कर देयताओं की पहचान, सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, अनवशोषित क्षति, अनवशोषित मूल्यहास के लिए सामान्यतः उस विस्तार किया जाता है जहां यह संभवित होता है कि भविष्य का करयोग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध वे कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, अनवशोषित क्षति, अनवशोषित मूल्यहास को उपयोग किया जाता है। उस प्रकार के आस्थगित कर और परिसंपत्तियों और देयताओं की पहचान नहीं की जाती है यदि अस्थायी अंतर किसी लेन-देन में परिसंपत्तियों और देयताओं ती प्रारंभिक पहचान से होता है जो न तो करयोग्य लाभ नहीं गणनायोग्य लाभ के प्रभावित करता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों के धारण राशि की समीक्षा प्रत्येक तुलन-पत्र दिनांक को किया जाता है और उस विस्तार तक घटाया जाता है कि अधिक समय तक यह संभव नहीं होता कि पर्याप्त करयोग्य लाभ वसूल किये जाने वाली परिसंपत्तियों के सभी अथवा कुछ हिस्सों को अनुमत करने के लिए उपलब्ध हो।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को उस कर दरों पर निर्धारित किया जाता है जिसका आवेदन की उपेक्षा उस अवधि में की जाती है जिसमें देयताओं का निपटान अथवा परिसंपत्तियों की उगाही की जाती है और यह उन कर दरों और कर कानूनों पर आधारित होता है।

जो तुलन-पत्र दिनांक द्वारा अधिनियमित अथवा स्वतंत्र रूप से अधिनियमित किया गया हो। आस्थगित कर देयताओं और परिसंपत्तियों का निर्धारण उन परिणामों को प्रदर्शित करता है जिनका अनुसरण उस पद्धति से किया जायेगा जिसकी निगम अपनी परिसंपत्तियों व देयताओं की राशि धारण वसूली अथवा निपटान का रिपोर्टिंग दिनांक पर अपेक्षा करता है।

वर्तमान कर देयताओं से वर्तमान कर परिसंपत्तियों का प्रतितुलन करने के लिए एक कानूनी तौर पर लागू अधिकार होने पर आस्थगित कर परिसंपत्तियां और देयताएं ऑफ-सेट की जाती है। और जब वे सदृश कराधान प्राधिकारी द्वारा लगाये गये आयकर लेवी से संबद्ध हो, तब निगम नेट आधार पर वर्तमान कर परिसंपत्तियों और देयताओं का निपटान करना चाहता है।

प) नकद प्रवाह और नकद एवं नकद समतुल्य विवरण :

नकदी प्रवाह का विवरण संबंधित लेखा मानक में निर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया जाता है। नकदी प्रवाह विवरण में प्रस्तुति के प्रयोजन से नकद एवं नकदी समतुल्य में हाथ पर नकद शामिल है। तीन महिने अथवा इससे कम की मूल परिपक्वताओं के साथ वित्तीय संस्थाओं, अन्य लघु-सावधि, उच्च सुलभ निवेश के साथ मांग होने पर किया गया जमा जिसे नकदी ज्ञात राशि में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है और ये मूल्य और बैंक ऑवरड्राफ्ट में नगण्य जोखिम पर निर्धारित है। तथापि, प्रस्तुतिकरण के प्रयोजन से तुलन-पत्र में चालू देयताओं में उधारियों में बैंक ऑवरड्राफ्ट में दिखाया जाता है।

फ) वर्तमान बनाम गैर-वर्तमान वर्गीकरण :

निगम मौजूदा / गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्रक में संपत्ति और देनदारियां प्रस्तुत करता है।

अ) कोई संपत्ति वर्तमान है जब यह है :

सामान्य संचालित चक्र में उगाही होने अथवा बेचे जाने के लिए आशयित अथवा उपभोग हाने की आशा ;

व्यापार के प्रयोजन हेतु प्रथमतः चयनित ;

रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महिनों के भीतर वसूली होने की आशा, या

रिपेर्टिंग अवधि के बाद बारह महिनों के लिए देयता का निपटान करने हेतु विनियमित अथवा उपयोग करने से जब तक परिबंधित नहीं करता, तब तक नकदी अथवा नकदी समतुल्य।

tax) or normal provision of applicable Income Tax Act. The tax currently payable is determined on the basis of taxable profit for the year computed in accordance with the provision of relevant Income Tax Act by using tax rates that have been enacted or by any amendment thereof for the reporting period. Further, Taxable profit differs from profit as reported in the Statement of Profit & Loss because of items of income or expense that are taxable or deductible in other years and items that are never taxable or deductible.

Deferred Tax

Deferred tax is recognised on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the balance sheet and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognised for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognised for all deductible temporary differences, unabsorbed losses and unabsorbed depreciation to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which those deductible temporary differences, unabsorbed losses and unabsorbed depreciation can be utilised. Such deferred tax assets and liabilities are not recognised if the temporary difference arises from initial recognition of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each balance sheet date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realised, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date. The measurement of deferred tax liabilities and assets reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Corporation expects, at the reporting date, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority and the Corporation intends to settle its current tax assets and liabilities on a net basis.

xxi) Statement of Cash Flows and Cash and Cash Equivalents

Statement of cash flows is prepared in accordance with the indirect method prescribed in the relevant Accounting Standard. For the purpose of presentation in the Statement of cash flows, cash and cash equivalents includes cash on hand, deposits held at call with financial institutions, other short-term, highly liquid investments with original maturities of three months or less that are readily convertible to known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value, and bank overdrafts. However, Bank overdrafts are shown within borrowings in current liabilities in the balance sheet for the purpose of presentation.

xxii) Current versus non-current classification

The Corporation presents assets and liabilities in the Balance Sheet based on current/non-current classification.

a) An asset is current when it is:

Expected to be realized or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,

Held primarily for the purpose of trading,

Expected to be realised within twelve months after the reporting period, or

Cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period.





- अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- ब)** किसी देयता को चालू तब समझा जायेगा जब वह :
- सामान्य प्रचालन चक्र में इसके निपटान की आशा ;
 - व्यापार के प्रयोदन हेतु प्रथमतः चयनित ;
 - रिपोर्टिंग अवधि के बारह महिनों के भीतर यह निपटान के लिए नियत है अथवा
 - रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महिने के लिए देयता हेतु निपटान को टालने के लिए कोई शर्त रहित अधिकार नहीं है।
- सभी अन्य देयताओं को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- क)** आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को गैर-चालू परिसंपत्तियों और देयताओं में वर्गीकृत किया गया है।
- ड)** प्रचालन चक्र प्रक्रियण हेतु परिसंपत्तियों के अर्जन और नकदी व नकदी समतुल्य में उनकी उगाही के बीच का समय है। निगम ने अपने प्रचालन चक्र को बारह महीनों में चिह्नित किया है।



- All other assets are classified as non-current.
- b)** A liability is current when:
- It is expected to be settled in the normal operating cycle,
 - It is held primarily for the purpose of trading,
 - It is due to be settled within twelve months after the reporting period, o
 - There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.
- All other liabilities are classified as non-current
- c)** Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.
- d)** The operating cycle is the time between the acquisition of assets for processing and their realization in cash and cash equivalents. The Corporation has identified twelve months as its operating cycle.

द्वितीय विवरण की टिप्पणियाँ - 2024-25

01 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (PPE) का विवरण निम्नानुसार है :-

i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (PPE) का विवरण निम्नानुसार है :											
परिसंपत्तियों का विवरण		भूमि (पूर्ण)	इमारत (पूर्ण)	लाइन एवं स्वाभित्त्व)	ट्रान्सफार्मर केन्द्र स्वाभित्त्व)	फर्निचर और जोड़	कार्यालय उपकरण	आई.टी उपकरण	अन्य उपकरण	सौर परियोजना	कुल
31मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष सकल वहनीय राशि											
प्रारंभिक सकल वहनीय राशि		1,364.66	2,996.27	21,679.31	5,542.87	158.06	35.06	282.79	3,661.87	3,085.40	38,806.29
वर्ष के दौरान अतिरिक्त जोड़े		-	-	-	627.94	-	-	-	22.25	13.98	664.17
वर्ष के दौरान कटौती / समायोजन		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतिम सकल वहनीय राशि		1,364.66	2,996.27	21,679.31	6,170.81	158.06	35.06	282.79	3,684.12	3,099.38	39,470.46
एकत्रित मूल्यहास											
प्रारंभिक एकत्रित मूल्यहास		-	887.36	14,000.80	3,727.33	65.15	15.18	230.35	2,919.29	1,016.95	22,862.41
वर्ष के दौरान मूल्यहास शुल्क		-	92.03	677.01	182.14	10.00	2.13	25.07	88.16	180.24	1,256.78
वर्ष के दौरान कटौती / समायोजन		-	-	-	-	-	-	-	-	35.13	35.13
अंतिम एकत्रित मूल्यहास		-	979.40	14,677.81	3,909.47	75.15	17.31	255.42	3,007.45	1,232.32	24,154.33
सकल वहनीय राशि		1,364.66	2,016.87	7,001.50	2,261.34	82.91	17.75	27.37	676.67	1,867.06	15,316.13
31मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष सकल वहनीय राशि											
प्रारंभिक सकल वहनीय राशि		1,364.66	2,996.27	21,679.31	6,170.81	158.06	35.06	282.79	3,684.12	3,099.38	39,470.46
वर्ष के दौरान अतिरिक्त जोड़े		-	-	-	113.78	2.74	5.08	28.73	127.19	1,828.39	2,105.91
वर्ष के दौरान कटौती / समायोजन		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतिम सकल वहनीय राशि		1,364.66	2,996.27	21,679.31	6,284.59	160.80	40.14	311.52	3,811.31	4,927.77	41,576.37
एकत्रित मूल्यहास											
प्रारंभिक एकत्रित मूल्यहास		-	979.40	14,677.81	3,909.47	75.15	17.31	255.42	3,007.45	1,232.32	24,154.33
वर्ष के दौरान मूल्यहास शुल्क		-	90.58	552.88	197.05	10.11	2.29	13.26	73.60	209.44	1,149.21
वर्ष के दौरान कटौती / समायोजन		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतिम एकत्रित मूल्यहास		-	1,069.98	15,230.69	4,106.52	85.26	19.60	268.68	3,081.05	1,441.75	25,303.53
सकल वहनीय राशि		1,364.66	1,926.29	6,448.62	2,178.07	75.54	20.54	42.84	730.26	3,486.02	16,272.84
ii) वर्ष के लिए समाधित मूल्यहास निम्नानुसार है :											
विवरण											
लाभ और हानि के विवरण पर मूल्यहास शुल्क											
जोड़े : लंबित निर्माण के दौरान व्यय के तहत मूल्यहास शामिल है											
कम करें : कटौति / समायोजन											
कुल											
2024-25											
2023-24											
1,149.21											
-											
-											
35.13											
1,149.21											
1,291.91											

* मूल्यहास पद्धति के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति की जानकारी संख्या 3 (xviii)

01 Property, Plant and Equipment

i) **Details of Property, Plant and Equipment (PPE) are as under :**

i) Details of Property, Plant and Equipment (PPE) are as under :										(₹ in Lakh)
Description of Assets	Land (Free hold)	Buildings (Free hold)	Lines & Net works	Trans former Centres	Furni ture and Fixture	Office Equip ment	IT Equip ments	Other Equip ments	Solar Projects	Total
Year ended 31st March 2024										
Gross carrying amount										
Opening Gross Carrying Amount	1,364.66	2,996.27	21,679.31	5,542.87	158.06	35.06	282.79	3,661.87	3,085.40	38,806.29
Additions during the year	-	-	-	627.94	-	-	-	22.25	13.98	664.17
Deduction/Adjustments during the year	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Closing Gross Carrying Amount	1,364.66	2,996.27	21,679.31	6,170.81	158.06	35.06	282.79	3,684.12	3,099.38	39,470.46
Accumulated Depreciation										
Opening Accumulated Depreciation	-	887.36	14,000.80	3,727.33	65.15	15.18	230.35	2,919.29	1,016.95	22,862.41
Depreciation charge during the year	-	92.03	677.01	182.14	10.00	2.13	25.07	88.16	180.24	1,256.78
Deduction Adjustments during the year	-	-	-	-	-	-	-	-	35.13	35.13
Closing Accumulated Depreciation	-	979.40	14,677.81	3,909.47	75.15	17.31	255.42	3,007.45	1,232.32	24,154.33
Net Carrying Amount	1,364.66	2,016.87	7,001.50	2,261.34	82.91	17.75	27.37	676.67	1,867.06	15,316.13
Year ended 31st March 2025										
Gross carrying amount										
Opening Gross Carrying Amount	1,364.66	2,996.27	21,679.31	6,170.81	158.06	35.06	282.79	3,684.12	3,099.38	39,470.46
Additions during the year	-	-	-	113.78	2.74	5.08	28.73	127.19	1,828.39	2,105.91
Deduction/Adjustments during the year	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Closing Gross Carrying Amount	1,364.66	2,996.27	21,679.31	6,284.59	160.80	40.14	311.52	3,811.31	4,927.77	41,576.37
Accumulated Depreciation										
Opening Accumulated Depreciation	-	979.40	14,677.81	3,909.47	75.15	17.31	255.42	3,007.45	1,232.32	24,154.33
Depreciation charge during the year	-	90.58	552.88	197.05	10.11	2.29	13.26	73.60	209.44	1,149.21
Deduction Adjustments during the year	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Closing Accumulated Depreciation	-	1,069.98	15,230.69	4,106.52	85.26	19.60	268.68	3,081.05	1,441.75	25,303.53
Net Carrying Amount	1,364.66	1,926.29	6,448.62	2,178.07	75.54	20.54	42.84	730.26	3,486.02	16,272.84
ii) Depreciation for the year is reconciled as under :										(₹ in Lakh)
Particulars										2024-25
Depreciation charged to Statement of Profit & Loss										2023-24
Add : Depreciation included under expenditure during construction pending allocation.										1,149.21
Add/Less : Adjustments										-
Total										1,149.21
										35.13
										1,291.91

* For depreciation methodology refer Material Accounting Policy Information No. 3 (xviii)



31 मार्च 2025 तक वित्तीय विवरणों का हिस्सा बननेवाली टिप्पणियाँ

01 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (क्रमशः)

iii) अधिकार विलेख अचल संपत्ति – भूमि (मुआफी जमीन) निगम के नाम पर नहीं है और संबंधित जानकारी निम्नानुसार प्रकट की जाती है –

वस्तु का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹ लाख में)	स्थान	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	नाम में धारित अधिकार विलेख	क्या अधिकार विलेख धारक प्रोत्साहक, निदेशक या प्रोत्साहक के रिस्तेदार / निदेशक या प्रोत्साहक / निदेशक के कर्मचारी हैं	कब से संपत्ति धारक	कारण
भूमि (मुआफी जमीन)	–	पावर हाउस झंडा चौक	0.25	विद्युत विभाग, दानह	100% सरकारी कंपनी होने के नाते लागू नहीं	अप्रैल 2013	निगम के नाम पंजीकरण और/या स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है
	913.90	आमली सब-स्टेशन	6.53	विद्युत विभाग दानह			
	64.00	सीली सब-स्टेशन	1.80	विद्युत विभाग दानह			
	100.00	मसाट सब-स्टेशन	1.28	विद्युत विभाग दानह			
	84.00	रखोली सब-स्टेशन	1.44	विद्युत विभाग दानह			
	–	खडोली सब-स्टेशन	8.45	विद्युत विभाग दानह			
	55.00	खानवेल सब-स्टेशन	0.22	विद्युत विभाग दानह			
	–	कला सब-स्टेशन	2.42	विद्युत विभाग दानह			
	–	वेलुगाम सब-स्टेशन	5.00	विद्युत विभाग दानह			
	–	पिपरिया सब-स्टेशन	0.34	मेसर्स त्रिवेणी डेवलपर्स			
	–	पिपरिया सब-स्टेशन	0.92	श्री राकेशसिंह मोहनसिंह चौहान			
	–	अथाल सब-स्टेशन	0.80	विद्युत विभाग दानह			
	67.76	वाघधरा सब-स्टेशन	0.85	विद्युत विभाग दानह			
	80.00	दादरा सब-स्टेशन	2.32	विद्युत विभाग दानह			
कुल	1,364.66						

* सकल वहन मूल्य (-) भूमि के नाममात्र मूल्य को दर्शाता है, जैसे ₹ 1.00



Notes Forming Part of Financial Statements as at 31 March, 2025

01 Property, Plant and Equipment (Continued)

iii) The title deeds immovable properties : Land (Freehold) are not held in the name of the Corporation and the related information is disclosed as under :

Description of Item	Gross Carrying Value (₹ in Lakh)*	Location	Area of Land (in Hecter)	Title deed held in the name	Whether title deed holder is a promoter, director or their relative or employee	Property holding since	Reason
Land (freehold)	–	Power House Zanda Chowk	0.25	Electricity Department D&NH	Not Applicable, being 100% Government Company	April, 2013	The procedure for registration and /or transfer in the name of the Corporation is in process
	913.90	Amli Sub-Station	6.53	Electricity Department D&NH			
	64.00	Sili Sub-Station	1.80	Electricity Department D&NH			
	100.00	Masat Sub-Station	1.28	Electricity Department D&NH			
	84.00	Rakholi Sub-Station	1.44	Electricity Department D&NH			
	–	Khadoli Sub-Station	8.45	Electricity Department D&NH			
	55.00	Khanvel Sub-Station	0.22	Electricity Department D&NH			
	–	Kala Sub-Station	2.42	Electricity Department D&NH			
	–	Velugam Sub-Station	5.00	Electricity Department D&NH			
	–	Pipariya Sub-Station	0.34	M/s Tirveni Developers			
	–	Pipariya Sub-Station	0.92	Mr. Rakeshsinh Mohansinh Chauhan			
	–	Athal Sub-Station	0.80	Electricity Department D&NH			
	67.76	Wagdhara Sub-Station	0.85	Electricity Department D&NH			
	80.00	Dadra Sub-Station	2.32	Electricity Department D&NH			
Total	1,364.66						

* Gross Carrying Value (-) denotes the nominal value of land i.e. ₹ 1.00.



31 मार्च 2025 तक वित्तीय विवरणों का हिस्सा बननेवाली टिप्पणियाँ

02 पूँजीगत कार्य प्रगति में

i) प्रगति में पूँजीगत कार्य का विवरण निम्नानुसार है : (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
प्रगति में पूँजीगत कार्य – विवरण नोट देखें (ii)	510.60	550.18
कुल पूँजीगत (CWIP)	510.60	550.18

ii) प्रगति रत पूँजीगत कार्यों में निर्माणाधीन परिसंपत्तियों पर व्यय की जा रही राशि शामिल है, जैसे में विभिन्न स्थानों पर सौर संयंत्र ₹ 261.27 लाख (पिछले वर्ष ₹ 481.39 लाख) ट्रांसमिशन उपकरणों की स्थापना ₹ 249.33 लाख (पिछले वर्ष ₹ शून्य) ।

iii) अ. पूँजीगत कार्यक्रम प्रगति पर हा, काल प्रभावन का कार्यक्रम इस प्रकार है :

विवरण	CWIP में राशि की अवधि के लिए				कूल
	1 साल से कम	1 से 2 साल	2 से 3 साल	3 साल से अधिक	
परियोजना प्रगति पर	510.60	–	–	–	510.60
अस्थायी रूप से परियोजना निलंबित	–	–	–	–	–
कुल पूँजीगत कार्य प्रगति पर	510.60	–	–	–	510.60

ब. चालू वित्तीय वर्ष में कोई भी पूँजीगत कार्य प्रगति पर नहीं है, जिसके पूरा होने में देरी हो रही है या इसकी लागत इसकी मूल योजना की तुलना में अधिक हो गई है ।

03 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

i) अमूर्त परिसंपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है : (₹ लाख में)

संपत्ति का विवरण	सॉफ्टवेयर	कूल
समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024		
सकल वहनीय राशि	–	–
प्रारंभिक सकल वहनीय राशि	242.32	242.32
जोड़ें - वर्ष के दौरान वृद्धि	1.38	1.38
कम करें - वर्ष के दौरान कटौती / समायोजन	–	–
अंतिम सकल वहनीय राशि	243.70	243.70
संचित परिशोधन		
प्रारंभिक संचित परिशोधन	200.50	200.50
जोड़ें - वर्ष के दौरान परिशोधन प्रभार	33.33	33.33
कम करें - वर्ष के दौरान कटौती / समायोजन	–	–
अंतिम संचित परिशोधन	233.83	233.83
निवल वहनीय राशि	9.87	9.87
समाप्त वर्ष 31 मार्च 2025		
सकल वहनीय राशि	–	–
प्रारंभिक सकल वहनीय राशि	243.70	243.70
जोड़ें - वर्ष के दौरान वृद्धि	–	–
कम करें - वर्ष के दौरान कटौती / समायोजन	–	–
अंतिम सकल वहनीय राशि	243.70	243.70

Notes Forming Part of Financial Statements as at 31 March, 2025

02 Capital Work in Progress

i) Details of Capital Work in Progress are as under: ₹ in Lakh

Particulars	As at	
	31st March 2025	31st March 2024
Capital Work in Progress See description Note (ii)	510.60	550.18
Total Capital WIP	510.60	550.18

ii) Capital Work in Progress includes the amount being incurred on assets under construction i.e. Solar Plant at various location in DNH of ₹ 261.27 Lakh (Previous Year ₹ 481.39) and Installation of transmission equipments of ₹249.33 Lakh (Previous Year ₹ NIL).

iii) a. Capital Work in Progress ageing schedule are as under :

Particulars	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in Progress	510.60	–	–	–	510.60
Projects temporarily suspended	–	–	–	–	–
Total Capital Work in Progress	510.60	–	–	–	510.60

b. There is ₹ NIL Capital Work in Progress in current financial year, whose completion is overdue or has exceeded its cost compared to its original plan.

03 Intangible Assets

i) Details of Intangible Assets are as under: ₹ in Lakh

Description of Assets	Software	Total
Year ended 31st March 2024		
Gross carrying amount	–	–
Opening Gross Carrying Amount	242.32	242.32
Add – Additions during the year	1.38	1.38
Less – Deduction / Adjustments during the year	–	–
Closing Gross Carrying Amount	243.70	243.70
Accumulated Amortisation		
Opening Accumulated Amortisation	200.50	200.50
Add – Amortisation charge during the year	33.33	33.33
Less – Deduction / Adjustments during the year	–	–
Closing Accumulated Amortisation	233.83	233.83
Net Carrying Amount	9.87	9.87
Year ended 31st March 2025		
Gross carrying amount	–	–
Opening Gross Carrying Amount	243.70	243.70
Add – Additions during the year	–	–
Less – Deduction / Adjustments during the year	–	–
Closing Gross Carrying Amount	243.70	243.70



31 मार्च 2025 तक वित्तीय विवरणों का हिस्सा बननेवाली टिप्पणियाँ

03 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

i) अमूर्त परिसंपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है : (₹ लाख में)

संपत्ति का विवरण	सोफ्टवेयर	कुल
संचित परिशोधन		
प्रारंभिक संचित परिशोधन	233.83	233.83
जोड़ें - वर्ष के दौरान परिशोधन प्रभार	8.65	8.65
कम करें - वर्ष के दौरान कटौती / समायोजन	-	-
अंतिम संचित परिशोधन	242.48	242.48
निवल वहनीय राशि	1.22	1.22

ii) वर्ष के लिए समाधित परिशोधन निम्नानुसार है : (₹ लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित परिशोधन	8.65	33.33
कम करें ; कटौति / समायोजन	-	-
कुल	8.65	33.33

04 गैर वर्तमान वित्तीय संपत्ति - ऋण

i) गैर वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों - ऋण का (परिशोधित मूल्य पर) विवरण निम्नानुसार है : (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
सुरक्षित जमा - विवरण नोट देखें (ii)	19.49	17.40
कुल	19.49	17.40

ii) सुरक्षा जमा में विभिन्न निकायों/प्राधिकारियों के पास जमा की गई राशि शामिल है : (अ)नियमित व्यवसाय संचालन के दौरान सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए या (ब) या प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देश के अनुसार। यह जमा आमतौर पर परिपक्वता की किसी निश्चित अवधि के बिना होती है।

05 वस्तु सूचि

i) वस्तु-सूचि का विवरण निम्नानुसार है : (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
भंडार एवं पूर्यों (O & M)	335.71	218.90
कम करें : अनुपयोगी के लिए प्रावधान - विवरण नोट देखें (ii)	-	-
कुल	335.71	218.90

* मूल्यांकन विधि के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सूचना संख्या 3 (vii) देखें। इसके अलावा, भंडार और पूर्यों की सूचि का मूल्यांकन भारित औसत लागत पर किया जाता है और आंतरिक संचालन एवं रखरखाव में उपयोग की जाने वाली इन वस्तुओं की प्रकृति के लिए, शुद्ध वसूली योग्य मूल्यांकन और सूचि की भारित औसत लागत के बीच कोई भौतिक अंतर नहीं है।

ii) उपर वर्णित सूचि में मार्गस्थ माल की मात्रा शामिल है :- ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)।

Notes Forming Part of Financial Statements as at 31 March, 2025

03 Intangible Assets

i) Details of Intangible Assets are as under: ₹ in Lakh

Description of Assets	Software	Total
Accumulated Amortisation		
Opening Accumulated Amortisation	233.83	233.83
Add – Amortisation charge during the year	8.65	8.65
Less – Deduction / Adjustments during the year	-	-
Closing Accumulated Amortisation	242.48	242.48
Net Carrying Amount	1.22	1.22

ii) Amortisation for the year is reconciled as under : ₹ in Lakh

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
Amortisation charged to Statement of Profit & Loss	8.65	33.33
Less : Deduction / Adjustments	-	-
Total	8.65	33.33

04 Non Current Financial Assets – Others

i) Details of Non Current Financial Assets – Others are as under ₹ in Lakh

Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
Security Deposits See description Note (ii)	19.49	17.40
Total	19.49	17.40

ii) Security Deposits includes the amount deposited with different bodies / authorities (a)for availing facilities during regular business operation or (b)as per the directions issued by the authorities. These deposits are generally without any fixed period of maturity.

05 Inventories

i) Details of Inventories are as under: ₹ in Lakh

Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
Stores and Spares (O & M)	335.71	218.90
Less: Provision for obsolescence – See description Note (ii)	-	-
Total	335.71	218.90

* For valuation method refer significant Accounting Policy information No. 3 (vii). Furthermore, The inventory of stores and spares is valued at weighted average cost and for the nature of these items used in internal O&M, there is no material difference between the Net Realizable Value and the weighted average cost of the inventory.

ii) Inventory stated above includes Goods in Transit amounting to ` NIL (Previous Year ₹ NIL).



06 वर्तमान वित्तीय संपत्ति - व्यापार प्राप्तियाँ :

I वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों का विवरण - व्यापार प्राप्य निम्नानुसार है : (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
व्यापार प्राप्तियाँ		
- सुरक्षित एवं वसूली योग्य	65.63	1,238.40
- असुरक्षित एवं वसूली योग्य	-	23.60
- संदिग्ध जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	2,412.25	2,233.24
- क्रेडिट बिगड़ा	-	-
उप कुल	2,477.88	3,495.24
कम करें : संदिग्ध और बिगड़े क्रेडिट व्यापार प्राप्तियों के लिए प्रावधान - विवरण नोट देखें (ii) & (iii)	2,412.25	2,233.24
कुल	65.63	1,262.00

ii) निगम ने ऐतिहासिक ऋणक्षति अनुभव के आधार पर जमा धन प्राप्तियाँ ध्यान में रखते हुए व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित जमा धन हानि भत्ता की गणना करने के लिए व्यवहारिक उपयुक्तता का उपयोग किया है। प्रबंधन मूल्यांकन के अनुसार, जहाँ भी आवश्यक हो प्रावधान किया गया था।

iii) संदिग्ध व्यापार प्राप्तियों के प्रावधान में संचलन निम्नानुसार है : (₹ लाख में)

विवरण	2024-25	2023-24
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	2,233.24	1,690.59
प्रत्याशित ऋण हानि भत्ता में उतार-चढ़ाव - संदिग्ध व्यापार प्राप्य	179.01	542.65
वर्ष के अंत में शेष राशि	2,412.25	2,233.24

iv) व्यापार प्राप्तियों की पुरानी अनुसूचि इस प्रकार है : (₹ लाख में)

विवरण	निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25						
निर्विवाद व्यापार प्राप्तियाँ						
i) - वसूली योग्य	65.63	-	-	-	-	65.63
ii) - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	2,412.25	2,412.25
iii) - बिगड़ा क्रेडिट	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्तियाँ						
iv) - वसूली योग्य	-	-	-	-	-	-
v) - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
vi) - बिगड़ा क्रेडिट	-	-	-	-	-	-
कुल	65.63	-	-	-	2,412.25	2,477.88

06 Current Financial Assets -Trade Receivables

i) Details of Current Financial Assets -Trade Receivables are as under : ₹ in Lakh

Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
Trade Receivables		
- Secured & Considered Good	65.63	1,238.40
- Un-Secured & Considered Good	-	23.60
- Doubtful which have significant increase in credit risk	2,412.25	2,233.24
- Credit Impaired	-	-
Sub Total	2,477.88	3,495.24
Less : Provision for Doubtful & Credit Impaired Trade Receivables See description Note (ii) & (iii)	2,412.25	2,233.24
Total	65.63	1,262.00

ii) The Corporation has used a practical expedient for computing expecting credit loss allowance for trade receivables taking into account credit loss based on historical periodicity. As per management assessment, provision was made wherever necessary.

iii) The movement in provision for doubtful trade receivables is as under: ₹ in Lakh

Particulars	2024-25	2023-24
Balance at beginning of the year	2,233.24	1,690.59
Movement in expected credit loss allowance - doubtful trade receivables	179.01	542.65
Balance at end of the year	2,412.25	2,233.24

iv) Trade Receivables ageing schedule are as under: ₹ in Lakh

Particulars	Outstanding for following periods					Total
	Less than 6 Months	6 months to 1 Year	1 to 2 Years	2 to 3 Years	More than 3 Years	
Current FY 2024-25						
Undisputed Trade Receivable						
i) - Considered Good	65.63	-	-	-	-	65.63
ii) - which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	2,412.25	2,412.25
iii) - Credit Impaired	-	-	-	-	-	-
Disputed Trade Receivable						
iv) - Considered Good	-	-	-	-	-	-
v) - which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
vi) - Credit Impaired	-	-	-	-	-	-
Total	65.63	-	-	-	2,412.25	2,477.88





06 वर्तमान वित्तीय संपत्ति - व्यापार प्राप्तियाँ : (क्रमशः)

iv) व्यापार प्राप्तियों की पुरानी अनुसूचि इस प्रकार है : (₹ लाख में)

विवरण	निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
पिछला वित्त वर्ष 2023-24						
निर्विवाद व्यापार प्राप्तियाँ						
i) - वसूली योग्य	1,031.95	39.90	190.15	-	-	1,262.00
ii) - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	833.69	1,399.55	2,223.24
iii) - बिगड़ा क्रेडिट	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्तियाँ						
iv) - वसूली योग्य	-	-	-	-	-	-
v) - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
vi) - बिगड़ा क्रेडिट	-	-	-	-	-	-
कुल	1,031.95	39.90	190.15	833.69	1,399.55	3,495.24

07 नकद एवं नकद समकक्ष और नकद एवं नकद समकक्षों के अलावा बैंक शेष :

i) नकद एवं नकद समकक्ष विवरण निम्नानुसार है : (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
बैंक में शेष		
वर्तमान खाता शेष राशि - विवरण नोट देखें (iii)	15.43	13.84
जमा खाता शेष राशि - विवरण नोट देखें (iv)	3,582.00	3,554.00
हाथ में नकद	-	-
अन्य - अग्रदाय शेष सहित	-	-
कुल	3,597.43	3,567.84

ii) नकद एवं नकद समकक्षों के अलावा बैंक शेष राशि का विवरण निम्नानुसार है : (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
बैंक जमा - परिपक्वता के साथ 3 से 12 महीने	63,730.16	57,952.49
कुल	63,730.16	57,952.49

iii) वर्तमान खाता शेष में ₹ 10.33 लाख (पिछले वर्ष ₹ 10.38 लाख) की राशि शामिल थी, चल रही वर्तमान परियोजनाओं के अव्ययित CSR शेष से संबंधित ₹ 193.01 लाख (पिछले वर्ष ₹ 300.73 लाख) और इसे एक अलग बैंक खाते में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। उक्त राशि व्यापार के सामान्य क्रम में उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है। (नोट - 19 एवं 27 देखें)

vi) जमा खाते में शेष ₹ 581.50 लाख (पिछले वर्ष ₹ 342.00 लाख) की राशि शामिल चल रही परियोजनाओं के अव्ययित CSR शेष से संबंधित है। उक्त राशि व्यवसाय के सामान्य संचालन के उपयोग में उपलब्ध नहीं है। (नोट - 19 एवं 27 देखें)



06 Current Financial Assets -Trade Receivables (Continued)

iv) Trade Receivables ageing schedule are as under: ₹ in Lakh

Particulars	Outstanding for following periods					Total
	Less than 6 Months	6 months to 1 Year	1 to 2 Years	2 to 3 Years	More than 3 Years	
Previous FY 2023-24						
Undisputed Trade Receivable						
i) - Considered Good	1,031.95	39.90	190.15	-	-	1,262.00
ii) - which have significant increase in credit risk	-	-	-	833.69	1,399.55	2,233.24
iii) - Credit Impaired	-	-	-	-	-	-
Disputed Trade Receivable						
iv) - Considered Good	-	-	-	-	-	-
v) - which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
vi) - Credit Impaired	-	-	-	-	-	-
Total	1,031.95	39.90	190.15	833.69	1,399.55	3,495.24

07 Cash & Cash Equivalents and Bank Balances other than Cash & Cash Equivalents

i) Details of Cash & Cash Equivalents are as under : (₹ in Lakh)

Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
Balances with Bank		
Current Accounts Balance See description Note (iii)	15.43	13.84
Deposit Accounts Balance See description Note (iv)	3,582.00	3,554.00
Cash on hand	-	-
Others - including Imprest Balance	-	-
Total	3,597.43	3,567.84

ii) Details of Bank Balances other than Cash and Cash Equivalents are as under: ₹ in Lakh

Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
Bank Deposits - with maturity more than 3 to 12 months	63,730.16	57,952.49
Total	63,730.16	57,952.49

iii) The Current Account balance included an amount of ₹ 10.33 Lakh (Previous Year ₹ 10.38 Lakh) related to unspent CSR balance of on-going projects and Current Year ₹ 193.01 (Previous Year ₹ 300.73 Lakh) is required to be transferred to a separate bank account. The said amount is not available for use in normal course of business (Refer Note - 19 and 27).

iv) The Deposit Account balance included an amount of ₹ 581.50 Lakh (Previous Year ₹ 342.00 Lakh) related to unspent CSR balance of on-going projects. The said amount is not available for use in normal course of business (Refer Note - 19 and 27).



31 मार्च 2025 तक वित्तीय विवरणों का हिस्सा बननेवाली टिप्पणियाँ

08 वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां – अन्य

i) वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों का विवरण - अन्य निम्नानुसार है : (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
उपभोक्ता के प्रति अनुबंध परिसंपत्ति – विवरण नोट देखें (ii)	–	1,648.00
कुल	–	1,648.00

ii) निगम एक दर-विनियमित इकाई के रूप में कार्य करता है, जहाँ विद्युत पारेषण के लिए टैरिफ संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (JERC) द्वारा बहुवर्षीय टैरिफ (MYT) विनियमों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। इस नियामक ढाँचे के परिणामस्वरूप बिक्री बिलिंग लागू विनियमों के अनुसार पात्र राजस्व से कम हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में, 'विद्युत पारेषण से राजस्व मान्यता' पर निगम की लेखा नीति, बिलित और पात्र राजस्व के बीच अंतर के लिए बिल न किए गए प्राप्य (अनुबंधित संपत्ति) की मान्यता को अनिवार्य बनाती है।

पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, निगम ने सेसर्स GMR वरोरा एनर्जी लिमिटेड (GWEL) द्वारा कानून में बदलाव के दावों से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 20 अप्रैल, 2023, के फैसले से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली खरीद लागत वहन की। परिणामस्वरूप, निगम को इस बिजली खरीद लागत की वसूली न होने के कारण बिक्री बिलिंग/अनुमोदित टैरिफ दरों के माध्यम से ₹ 1,648.00 लाख कम राजस्व प्राप्त हुआ। इस राशि को उचित रूप से 'उपभोक्ता के प्रति अनुबंध परिसंपत्ति' के रूप में मान्यता दी गई थी। JERC ने बाद में इस राशि की वसूली को मंजूरी दे दी है, जिसे चालू वित्तीय वर्ष में बिक्री बिलिंग/अनुमोदित टैरिफ के माध्यम से समायोजित किया गया है। (नोट संख्या 21 "परिचालन से राजस्व" और नोट संख्या 28(ii)(c) देखें।

09 अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ

i) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है : (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
अन्य अग्रिम		
– प्रदत्त व्यय	78.98	40.94
अन्य प्राप्य	60.35	–
कुल	139.33	40.94

10 बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर-वर्तमान आस्तियाँ

i) बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर-वर्तमान आस्तियों का विवरण : (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ		
परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण – विवरण नोट देखें (ii)	–	159.44
कुल	–	159.44

ii) बिक्री के लिए धारित उक्त गैर-चालू आशतयों का वर्ग/समूह निम्नानुसार है : (₹ लाख में)

क्रमांक	विवरण	अवधि के प्रारंभ में बिक्री के लिए धारित के रूप में वहन राशि	चालू वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों के निपटान से प्राप्त राशि	अवधि के अंत में बिक्री के लिए धारित के रूप में वहन राशि
1	ट्रांसफार्मर केन्द्र	159.44	159.44	–
	Total	159.44	159.44	–

iii) यह परिसंपत्तियाँ अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हैं और प्रबंधन को यथोचित विश्वास है कि इनका निपटान अत्यधिक संभव है। निगम, एक सरकारी संस्था होने के नाते, ई-निলামी के माध्यम से इन परिसंपत्तियों के निपटान के लिए MSTC लिमिटेड (मेटल स्कैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड) को नियुक्त किया है।

Notes Forming Part of Financial Statements as at 31 March, 2025

08 Current Financial Assets- Others

i) Details of Current Financial Assets- Others as under : (₹ in Lakh)

Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
Contract Asset towards consumer		
See description Note (ii)	–	1,648.00
Total	–	1,648.00

ii) The Corporation operates as a rate-regulated entity, with tariffs for electricity transmission determined by the Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) in accordance with the Multi-Year Tariff (MYT) Regulations. This regulatory framework may result in sales billing that is less than the eligible revenue as per applicable regulations. In such circumstances, the Corporation's accounting policy on 'Revenue recognition from transmission of power' mandates the recognition of unbilled receivables (Contract Assets) for the difference between billed and eligible revenue.

During the previous financial year 2023-24, the Corporation incurred additional Power Purchase Cost arising from the Hon'ble Supreme Court's judgment dated April 20, 2023, concerning change in law claims by M/s GMR Warora Energy Limited (GWEL). Consequently, the Corporation realized Rs. 1,648.00 Lakh less revenue through sales billing/approved tariff rates due to the non-recovery of this power purchase cost. This amount was appropriately recognized as a 'Contract Asset towards consumer'. The JERC has subsequently approved the recovery of this amount, which has been adjusted in the current financial year through sales billing/approved tariffs. (Refer to Note No. 21 'Revenue from Operations' and Note No. 28(ii)(c)).

09 Other Current Assets

i) Details of Other Current Assets as under : (₹ in Lakh)

Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
Other advances		
Prepaid Expenses	78.98	40.94
Other Receivable	60.35	–
Total	139.33	40.94

10 Non-Current Assets classified as held for sale

i) Details of Non-Current Assets classified as held for sale as under : (₹ in Lakh)

Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
Non Current Assets		
Property, Plant & Equipments See description Note (ii)	–	159.44
Total	–	159.44

ii) The class/group of said non-current assets held for sale is as under –

Sr. No.	Particular	Carrying Amount classified as held for sale at beginning of period	Amount recovered from Disposal of Assets in Current Financial Year	Carrying Amount classified as held for sale at the end of period
1	Transformer Centre	159.44	159.44	–
	Total	159.44	159.44	–

iii) These assets are available for immediate sale in its present condition and the management is reasonably certain that disposal of the same is highly probable. The Corporation being the Government Entity has engaged MSTC Limited (Metal Scrap Trade Corporation Limited) for the disposal of these assets through e-auction mode.



31 मार्च 2025 तक वित्तीय विवरणों का हिस्सा बननेवाली टिप्पणियाँ

11 इक्विटी शेयर पूँजी

i)	प्राधिकृत शेयर पूँजी का विवरण निम्नानुसार है : (₹ लाख में)		
	विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
	5,00,00,000 (31 मार्च 2024 तक : 5,00,00,000) इक्विटी शेयर ` 100/- प्रत्येक	50,000.00	50,000.00
	कुल	50,000.00	50,000.00
ii)	जारी किये गये, सदस्यता वाले एवं प्रदत्त शेयर पूँजी का विवरण निम्नानुसार है : (₹ लाख में)		
	विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
	3,89,74,445 (31 मार्च 2024 तक: 3,89,74,445) प्रत्येक इक्विटी शेयर ` 100/-	38,974.45	38,974.45
	कुल	38,974.45	38,974.45
iii)	इक्विटी शेयर की संख्या का पूनर्मूल्यांकन निम्नानुसार है :		
	विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
	वर्ष के शुरुआत में इक्विटी शेयर	3,89,74,445	3,89,74,445
	जोड़ : वर्ष के दौरान आवंटित इक्विटी शेयर	-	-
	वर्ष के अंत में इक्विटी शेयर	3,89,74,445	3,89,74,445
iv)	निगम एक सरकारी कंपनी है जो गृह नंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण माध्यम से भारत के राष्ट्रपति और नामांकित व्यक्तियों द्वारा 100% शेयरधारक है। निगम के पास केवल एक वर्ग का शेयर है जिसमें रुपये का बराबर मूल्य ₹ 100/- प्रत्येक लाभांश और वोट के लिए समान अधिकार के साथ है।		
v)	प्रमोटर द्वारा धारित इक्विटी शेयर पूँजी : निगम एक सरकारी कंपनी है जिसमें भारत के राष्ट्रपति और उनके नामित व्यक्ति की 100% शेयरधारिता है। इस प्रकार रिपोर्ट किए गए इरातीय वर्ष के अंत में 100% इक्विटी शेयर पूँजी प्रवर्तकों के पास है और शेयरधारिता के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।		

12 अन्य इक्विटी

i)	अन्य इक्विटी का विवरण निम्नानुसार है : (₹ लाख में)		
	विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
	सामान्य आरक्षित - विवरण नोट देखें (ii) & (iii)	1,171.53	1,171.53
	प्रतिधारित आय / अधिशेष - विवरण नोट देखें (ii) & (iv)	39,410.55	35,922.71
	कुल	40,582.08	37,094.24
ii)	अन्य इक्विटी में संचलन निम्नानुसार है : (₹ लाख में)		
	विवरण	2024-25	2023-24
	सामान्य आरक्षित		
	प्रारंभिक शेष	1,171.53	1,171.53
	(+) वर्ष के दौरान जोड़	-	-
	(-) अधिशेष राशि में स्थानांतरण	-	-
	अंतिम शेष	1,171.53	1,171.53
	प्रतिधारित आय/अधिशेष		
	प्रारंभिक शेष	35,922.71	27,966.24
	(+) वर्तमान वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	3,487.84	7,956.47
	(-) वर्तमान वर्ष के लिए कटौती / समायोजन	-	-
	अंतिम शेष	39,410.55	35,922.71
	कुल	40,582.08	37,094.24

Notes Forming Part of Financial Statements as at 31 March, 2025

11 Equity Share Capital

i)	Details of Authorised Share Capital as under : ₹ in Lakh		
	Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
	5,00,00,000 (As at 31st March 2024: 5,00,00,000) Equity Shares of ₹ 100/- each	50,000.00	50,000.00
	Total	50,000.00	50,000.00
ii)	Details of Issued, Subscribed and Paid-up Share Capital are as under : (₹ in Lakh)		
	Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
	3,89,74,445 (As at 31st March 2024: 3,89,74,445) Equity Shares of ₹ 100/- each fully paid up	38,974.45	38,974.45
	Total	38,974.45	38,974.45
iii)	Reconciliation of number of Equity Share is as under :		
	Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
	Equity Shares at the beginning of the year	3,89,74,445	3,89,74,445
	Add : Equity Shares allotted during the year	-	-
	Equity Shares at the end of the year	3,89,74,445	3,89,74,445
iv)	The Corporation is a Government Company with 100% shareholding by the President of India and nominees, through administrative control of Ministry of Home Affairs. The Corporation has only one class of shares having par value of ` 100/- each with equal rights for Dividend and Vote.		
v)	Equity Share Capital held by promoter : The Corporation is a Government Company with 100% share holding by the President of India and its nominee. As such, 100% of the equity share capital is held by the promoters at the end of the reported financial year and also there is no change in the pattern of the shareholding.		

12 Other Equity

i)	Details of Other Equity are as under : ₹ in Lakh		
	Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
	General Reserve See description Note (ii) & (iii)	1,171.53	1,171.53
	Retained Earnings/Surplus See description Note (ii) & (iv)	39,410.55	35,922.71
	Total	40,582.08	37,094.24
ii)	Movement in Other Equity are as under : ₹ in Lakh		
	Particulars	2024-25	2023-24
	General Reserve		
	Opening Balance	1,171.53	1,171.53
	(+) Addition during the year	-	-
	(-) Transfer during the year	-	-
	Closing Balance	1,171.53	1,171.53
	Retained Earnings / Surplus		
	Opening Balance	35,922.71	27,966.24
	(+) Net profit/(Net loss) for the Current Year	3,487.84	7,956.47
	(-) Deduction / Adjustments for the Current Year	-	-
	Closing Balance	39,410.55	35,922.71
	Total	40,582.08	37,094.24



31 मार्च 2025 तक वित्तीय विवरणों का हिस्सा बननेवाली टिप्पणियाँ

iii) सामान्य आरक्षित निधि निगम की प्रतिधारित आय से लाभ के आवधिक हस्तांतरण के माध्यम से स्थापित की जाती है। चूंकि सामान्य आरक्षित निधि का निर्माण इक्विटी के भीतर एक पुनर्वर्गीकरण (समानता के एक घटक से दूसरे घटक में हस्तांतरण) का प्रतिनिधित्व करता है और अन्य व्यापक आय का एक मद नहीं बनता है, इसलिए इसे बाद में लाभ और हानि विवरणों में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

iv) रखी गई कमाई / अधिशेष विनियोजन पर विचार करने के बाद निगम के पास बची शेष राशि का प्रतिनिधित्व करता है।

13 गैर-वर्तमान वित्तीय देयताएँ – अन्य

i) गैर-वर्तमान वित्तीय देयताएँ का विवरण – अन्य निम्ननुसार है: (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
सुरक्षा जमा (उपभोक्ता और अन्य)	125.13	94.06
कुल	125.13	94.06

ii) सुरक्षा जमा मुख्य रूप से बिजली कनेक्शन के विरुद्ध उपभोक्ताओं से एकत्र की गई राशि ₹ 125.13 लाख (पिछले वर्ष ₹ 94.06 लाख) का प्रतिनिधित्व करती है। ये जमा आम तौर पर परिपक्वता की किसी निश्चित अवधि के बिना होते हैं। तदनुसार, निगम ने इन सुरक्षा जमाओं को गैर-वर्तमान वित्तीय देनदारियों - अन्य के रूप में अपने वित्तीय विवरणों में शामिल किया है।

14 गैर-वर्तमान देयताएँ - प्रावधान

i) गैर-वर्तमान देयताएँ का विवरण – अन्य निम्ननुसार है: (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
NSPCL बिजली खरीद के लिए प्रावधान – विवरण नोट देखें (ii)	–	536.95
कुल	–	536.95

ii) NSPCL बिजली खरीद के लिए प्रावधान पहले दो महिने (जनवरी -2014 और फरवरी -2014) के लिए क्षमता शुल्क के विलंबित भुगतान के कारण देय राशि का प्रतिनिधित्व करते थे, जो 57 महिने की देरी के बाद 18/12/2018 को निपटाया गया था। बिजली खरीद समझौते की सहमत शर्तों के अनुसार, विलंबित भुगतान अधिभार केवल क्षमता शुल्क के देर से भुगतान पर लागू था। तदनुसार, अंतिम देय राशि, कुल ₹ 536.95 लाख का निपटारा कर दिया गया है और इस मामले में पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में NSPCL को भुगतान किया गया है। नतीजतन, बकाया प्रावधान राशि अब शून्य है। इसके अलावा, निगम ने निपटान की सहमत शर्तों के अनुसार बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण से संबंधित मामला वापस ले लिया है।

15 आस्थगित कर देयताएँ (Net)

i) आस्थगित कर देयताएँ (Net) का विवरण – अन्य निम्ननुसार है: (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
आस्थगित कर देयताएँ	1,669.16	1,575.55
कम करें: आस्थगित कर पुनर्प्राप्त योग्य (संपत्ति)	–	–
निवल आस्थगित कर (संपत्ति)/देयताएँ	1,669.16	1,575.55

ii) Ind AS 12 : के अनुसार आस्थगित कर देयता (नेट) के आयटम के अनुसार विवरण : (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
आस्थगित आय कर देयताएँ		
मूल्यहास और परिशोधन	1,696.77	1,575.55
आस्थगित आय कर संपत्ति		
प्रावधान वर्तमान में कर उद्देश्यों के लिए कटौती योग्य नहीं है	27.61	–
कुल	1,669.16	1,575.55



Notes Forming Part of Financial Statements as at 31 March, 2025

iii) The General Reserve is established through periodic transfers of profit from the Corporation's retained earnings. As the creation of the General Reserve represents a reclassification within equity (a transfer from one component of equity to another) and does not constitute an item of other comprehensive income, it will not be subsequently reclassified to the Statement of Profit and Loss.

iv) The Retained Earnings / Surplus represents amount remaining with the Corporation after considering appropriations.

13 Non-Current Financial Liabilities - Others

i) Details of Non-Current Financial Liabilities - Others are as under : ₹ in Lakh

Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
Security Deposits (Consumers & Others)	125.13	94.06
Total	125.13	94.06

ii) Security Deposits primarily comprise amounts collected from vendors and suppliers against services and works, totaling ₹ 125.13 Lakh (Previous Year ₹ 94.06 Lakh). These deposits typically do not have a fixed period of maturity. Consequently, the Corporation has classified these Security Deposits as Non-Current Financial Liabilities - Others in its financial statements.

14 Non-Current Liabilities - Provisions

i) Details of Non-Current Liabilities - Provisions are as under : ₹ in Lakh

Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
Provision for NSPCL Power Purchase See description Note (ii)	–	536.95
Total	–	536.95

ii) The provision for NSPCL power purchase previously represented the amount payable due to delayed payment of Capacity Charges for two months (January 2014 and February 2014), which was settled on December 18, 2018, after a delay of 57 months. As per the agreed terms of the Power Purchase Agreement, delayed payment surcharge was applicable only on late payments of capacity charges and energy charges. Accordingly, the final payable amount, totaling ₹ 536.95 Lakh, has since been settled and paid to NSPCL as a full and final settlement in this matter. Consequently, the outstanding provision amount is now NIL. Furthermore, the Corporation has withdrawn the related case from the Appellate Tribunal for Electricity as per the agreed terms of settlement.

15 Deferred Tax Liabilities (Net)

i) Details of Deferred Tax Liabilities (Net) are as under : ₹ in Lakh

Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
Deferred Tax Liabilities	1,669.16	1,575.55
Less: Deferred Tax Recoverable (Assets)	–	–
Net Deferred Tax (Assets)/Liabilities	1,669.16	1,575.55

ii) The item wise details of deferred tax liability (net) in accordance with Ind AS 12:"Income Taxes" are given below: ₹ in Lakh

Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
Deferred Income Tax Liabilities		
Depreciation and Amortization	1,696.77	1,575.55
Deferred Income Tax Assets		
Provisions not currently deductible for tax purposes	27.61	–
Total	1,669.16	1,575.55



31 मार्च 2025 तक वित्तीय विवरणों का हिस्सा बननेवाली टिप्पणियाँ

iii)	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ/देयताएँ में संचलन :			₹ लाखों में
	विवरण	मूल्यहास एवं परिशोधन	प्रावधान	कुल
	31 मार्च 2023 तक	(1,596.66)	—	(1,596.66)
	(प्रभारित)/जमा : लाभ या हानि के लिए	21.11	—	21.11
	अन्य व्यापक आय के लिए	—	—	—
	इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त	—	—	—
	इक्विटी से लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत	—	—	—
	समायोजन पर आधारित आस्थगित कर	—	—	—
	31 मार्च 2024 तक	(1,575.55)	—	(1,575.55)
	(प्रभारित)/जमा : लाभ या हानि के लिए	(121.22)	27.61	(93.61)
	अन्य व्यापक आय के लिए	—	—	—
	इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त	—	—	—
	इक्विटी से लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत	—	—	—
	आधार समायोजन पर आस्थगित कर	—	—	—
	31 मार्च 2025 तक	(1,696.77)	27.61	(1,669.16)

16 अन्य गैर-वर्तमान देयताएँ

i)	अन्य गैर-वर्तमान देयताएँ का विवरण निम्नानुसार है :			(₹ लाख में)
	विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक	
	राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि – विवरण नोट देखें (ii)	173.91	198.91	
	कुल	173.91	198.91	

केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 01/17/ED-DNH/2017-18/141 दिनांक 19-04-2018 के तहत निगम को राज्य नामित एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। उक्त अधिसूचना के अनुसार राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि का उपयोग DNH (दादरा और नगर हवेली) क्षेत्र में ऊर्जा संवर्धन और कुशल उपयोग और इसके संरक्षण के उद्देश्य से किया जायेगा।

17 वर्तमान वित्तीय देयताएँ व्यापार और अन्य भुगतान योग्य

i)	वर्तमान वित्तीय देयता – व्यापार और अन्य भुगतान योग्य का विवरण निम्नानुसार है :			(₹ लाख में)
	विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक	
	व्यापार देय			
i)	सूक्ष्म और लघु उद्यम के कारण राशि – विवरण नोट देखें (ii) & (iii)	736.35	464.20	
ii)	अन्य देनदारियों – विवरण नोट देखें (iii)	127.71	24.10	
	उप-कुल (i+ii)	864.06	488.30	
	अन्य देनदारियों			
iii)	अर्जित व्यय – विवरण नोट देखें (iii)	77.67	118.51	
iv)	अर्जित भुगतान – विवरण नोट देखें (iii)	2.16	1.58	
	सूक्ष्म और लघु उद्यम के अलावा कुल देय राशि	207.54	144.19	
	कुल (i+ii+iii+iv)	943.89	608.39	

Notes Forming Part of Financial Statements as at 31 March, 2025

iii)	Movement in deferred tax assets/liabilities :			₹ in Lakh
	Particulars	Depreciation and Amortization	Provisions	Total
	As at 31st March 2023	(1,596.66)	—	(1,596.66)
	(Charged)/ Credited:			
	To profit or loss	21.11	—	21.11
	To other comprehensive income	—	—	—
	Recognised directly in Equity	—	—	—
	Reclassified from equity to profit and loss	—	—	—
	Deferred Tax on basis adjustment	—	—	—
	As at 31st March 2024	(1,575.55)	—	(1,575.55)
	(Charged)/ Credited:			
	To profit or loss	(121.22)	27.61	(93.61)
	To other comprehensive income	—	—	—
	Recognised directly in Equity	—	—	—
	Reclassified from equity to profit and loss	—	—	—
	Deferred Tax on basis adjustment	—	—	—
	As at 31st March 2025	(1,696.77)	27.61	(1,669.16)

16 Other Non-Current Liabilities

i)	Details of Other Non-Current Liabilities are as under :			₹ in Lakh
	Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024	
	State Energy Conservation Fund See description Note (ii)	173.91	198.91	
	Total	173.91	198.91	

ii) The Corporation has been appointed as State Designated Agency vide Notification No. 01/17/ED-DNH/2017-18/141 dated 19-04-2018 issued by Union Territory Administration. As per the said notification, the State Energy Conservation Fund shall be utilized for the purpose of promotion and efficient use of energy and its conservation in the area of DNH (Dadra & Nagar Haveli).

17 Current Financial Liabilities - Trade and Other Payables

i)	Details of Current Financial Liabilities - Trade and Other Payables are as under:			₹ in Lakh
	Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024	
	Trade Payables			
–	Amount due to Micro & Small Enterprise, See description Note (ii) & (iii)	736.35	464.20	
–	Payable to Others See description Note (iii)	127.71	24.10	
	Sub Total (i & ii)	864.06	488.30	
	Other Payables			
–	Accrued Expenses See description Note (iii)	77.67	118.51	
–	Accrued Payroll See description Note (iii)	2.16	1.58	
	Total Amount due other than Micro & Small Enterprises	207.54	144.19	
	Total (i+ ii + iii + iv)	943.89	608.39	





31 मार्च 2025 तक वित्तीय विवरणों का हिस्सा बननेवाली टिप्पणियाँ

17 ii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (MSMED अधिनियम, 2006) के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रति देयताओं का विवरण, नियम के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, नीचे दिया गया है। यह देयताएँ भुगतान की संविदात्मक शर्तों के अनुसार देय नहीं हैं।

MSME उद्यम की देनदारियाँ	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
1क. लेखा वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अप्रदत्त मूल राशि (व्यावसायिक गतिविधि के सामान्य क्रम में कोई भी राशि दिनों से अधिक समय तक देय नहीं होती है)	736.35	464.20
1ख. लेखा वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता की अप्रदत्त ब्याज	—	—
2. लेखांकन वर्ष के दौरान नियत दिन से अधिक आपूर्तिकर्ता को किये गये भुगतान की राशि के साथ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006, की धारा 16 के संदर्भ में खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि।	—	—
3. भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जिसे भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को बिना जोड़े जोड़ना।	—	—
4. लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज की राशि और शेष का भुगतान नहीं किया गया।	—	—
5. इसके बाद भी तथा आगे के वर्षों में भी देय व भुगतान योग्य शेष ब्याज, उस समय तक की तारीख तक जब उपयुक्ता अनुसार देय ब्याज का लघु उद्यमों को सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति व्यय के रूप में गैर भत्ता प्रयोजन से वास्तविक भुगतान किया गया।	—	—
कुल	736.35	464.20

iii) उपरोक्त वित्तीय देनदारियों के नियम और शर्तें :

- क) व्यापार देय अनुबंध गैर-ब्याज होते हैं और आम तौर पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार भुगतान के लिए सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को जमा करने के बाद व्यवस्थित किये जाता है।
- ख) अन्य भुगतान - अर्जित व्यय गैर-ब्याज देनदारियाँ हैं जिन्हें व्यवस्थित या चालान नहीं किये गये और आम तौर पर व्यवसाय के सामान्य अवधि में व्यवस्थित किये जाते हैं।
- ग) अन्य भुगतान - उपार्जित कुल वेतन भुगतान कर्मचारियों के लिए बकाया गैर-ब्याज राशि है और आम तौर पर व्यवसाय के सामान्य अवधि में व्यवस्थित किये जाते हैं।

iv) व्यापार प्राप्तियों की पुरानी अनुसूचि इस प्रकार है :

(₹ लाख में)

विवरण चालू वर्ष 2024-25	निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक		
i) — MSME	377.46	141.43	217.46	—		736.35
ii) — अन्य के लिए देय	93.99	26.26	0.04	7.42		127.71
iii) — विवादित बकाया - MSME	—	—	—	—		—
iv) — विवादित बकाया - अन्य केलिए देय	—	—	—	—		—
कुल	471.45	167.69	217.50	7.42		864.06
पिछला वर्ष 2023-24						
i) — MSME	221.37	217.46	0.19	25.18		464.20
ii) — अन्य के लिए देय	8.58	4.81	5.74	4.97		24.10
iii) — विवादित बकाया - MSME	—	—	—	—		—
iv) — विवादित बकाया - अन्य केलिए देय	—	—	—	—		—
कुल	229.95	222.27	5.93	30.15		488.30

Notes Forming Part of Financial Statements as at 31 March, 2025

17 ii) The Details of liabilities to Micro and small enterprises under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED Act, 2006) to the extent information available with the Corporation are given under. These liabilities are not due for payment as per the contractual term of payment.

₹ in Lakh

Due to MSME Enterprise	As at	As at
	31st March 2025	31st March 2024
1.a. The principal amount remaining unpaid to any supplier as at the end of the accounting year (No amount is due for more than 45 days in normal course of business).	736.35	464.20
1.b. The interest due thereon remaining unpaid to any supplier as at the end of the accounting year.	—	—
2. The amount of interest paid by the buyer in terms of Section 16 of the Micro Small and Medium Enterprise Development Act, 2006, along with the amounts of the payment made to the supplier beyond appointed day during the accounting year.	—	—
3. The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under Micro Small and Medium Enterprise Development Act, 2006.	—	—
4. The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of the accounting year	—	—
5. The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years. Until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise for the purpose of Disallowance as a deductible expenditure under Section 23 of the Micro Small and Medium Enterprise Development Act, 2006	—	—
Total	736.35	464.20

iii) Terms and conditions of above Financial Liabilities:

- a) Trade Payables are non interest bearing and generally settled after submission of all relevant documents for payment as per the terms of the contract.
- b) Other Payables - Accrued expenses are non interest bearing liabilities that have not been settled or invoiced and generally settled in normal course of business.
- c) Other Payables - Accrued payroll are non-interest bearing dues to employees and generally settled in normal course of business.

iv) Trade payables ageing schedule are as under:

₹ in Lakh

Particulars	Outstanding for following periods				Total
	Less than 1 Year	1 to 2 Years	2 to 3 Years	More than 3 Years	
Current Year 2024-25					
i) – MSME	377.46	141.43	217.46	–	736.35
ii) – Payable to Others	93.99	26.26	0.04	7.42	127.71
iii) – Disputed Dues – MSME	–	–	–	–	–
iv) – Disputed Dues – Payable to Others	–	–	–	–	–
Total	471.45	167.69	217.50	7.42	864.06
Previous Year 2023-24					
i) – MSME	221.37	217.46	0.19	25.18	464.20
ii) – Payable to Others	8.58	4.81	5.74	4.97	24.10
iii) – Disputed Dues – MSME	–	–	–	–	–
iv) – Disputed Dues – Payable to Others	–	–	–	–	–
Total	229.95	222.27	5.93	30.15	488.30





31 मार्च 2025 तक वित्तीय विवरणों का हिस्सा बननेवाली टिप्पणियाँ

18 वर्तमान वित्त देयताएँ - अन्य

i) वर्तमान वित्त देयताएँ - अन्य का विवरण निम्नानुसार है : (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
डिपोजिट कार्य के लिए देय - विवरण नोट देखें (ii)	785.08	785.08
अन्य देय - विवरण नोट देखें (iii)	462.20	160.25
कुल	1,247.28	945.33

ii) जमा कार्य के लिए देय विभिन्न सरकारी विभागों / प्राधिकरणों की ओर से किए जाने वाले विद्युत कार्यों के लिए एकत्रित राशि को दर्शाती है। संबंधित विभागों के साथ इन जमा कार्यों की बकाया राशि अंतिम निपटान के समय समाधान और पुष्टि के अधीन है।

iii) अन्य देय राशि मुख्य रूप से चालू पूँजीगत गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली ब्याज रहित देनदारियों को दर्शाती है। इन राशियों का अभी तक निपटान नहीं हुआ है और आम तौर पर इनका भुगतान संबंधित अनुबंधों की सहमत शर्तों के अनुसार व्यवसाय के सामान्य क्रम में किया जाता है।

19 वर्तमान देयताएँ - प्रावधान

i) वर्तमान देयताएँ - प्रावधान का विवरण निम्नानुसार है : (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
अर्जित छुट्टी का वेतन	124.94	15.30
पेंशन	38.05	36.55
चल रही CSR योजना के लिए प्रावधान - विवरण नोट देखें (ii)	784.12	653.12
कुल	947.11	704.97

कर्मचारियों के लिए लाभ दायित्व (अर्जित अवकाश वेतन) पद्धति के लिए सामग्री लेखांकन नीति सूचना संख्या 3(xix-b) देखें।

ii) चल रही CSR योजना में गति का प्रावधान निम्नानुसार है : (₹ लाख में)

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
प्रारंभिक शेष	653.12	363.32
ज़ोड़ें - वर्ष के दौरान प्रावधान बनाना	193.01	300.73
कम करें - वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय	62.01	10.93
अंतिम शेष	784.12	653.12

20 वर्तमान कर देयताएँ (शुद्ध):

(अ) i) वर्तमान कर देयताएँ का विवरण निम्नानुसार है : (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
कराधान का प्रावधान (भुगतान किये गये शुद्ध कर) - विवरण नोट देखें (अ) (ii)	(37.79)	(15.88)
कुल	(37.79)	(15.88)

ii) कराधान का प्रावधान का विवरण निम्नानुसार है : (₹ in Lakh)

Particulars	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
प्रावधान की सकल राशि	1,219.71	2,969.89
कम करें : अग्रिम कर का भुगतान TDS एवं TCS सहित		
₹ 124.50 लाख (पिछले वर्ष ₹ 228.77 लाख) का	1,257.51	2,985.77
आयकर भुगतान किया गया, जिसकी वसूली की जानी है		
कुल	(37.79)	(15.88)

Notes Forming Part of Financial Statements as at 31 March, 2025

18 Current Financial Liability- Others

i) Details of Current Financial Liability- Others are as under : ₹ in Lakh

Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
Payable towards Deposit Works See description Note (ii)	785.08	785.08
Other Payable See description Note (iii)	462.20	160.25
Total	1,247.28	945.33

ii) Payable towards Deposit Works represents amount collected from various Government Department/ Authorities on account of electrical works to be executed on their behalf. The balance amount of Deposit Works with respective Department is subject to reconciliation and confirmation at the time of settlement.

iii) Other Payable primarily represents non-interest bearing liabilities arising from ongoing capital activities. These amounts have not yet been settled and are generally paid in the normal course of business in accordance with the agreed terms of their respective contracts.

19 Current Liabilities- Provision

i) Details of Current Liabilities - Provisions are as under : ₹ in Lakh

Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
Earned leave salary	124.94	15.30
Pension	38.05	36.55
Provision for on-going CSR Projects See description Note (ii)	784.12	653.12
Total	947.11	704.97

For other employee benefit obligation (Earned Leave Salary) methodology refer material accounting policy information No. 3(xix-b).

ii) The movement in provision for CSR on-going projects are as under- ₹ in Lakh

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
Opening Balance	653.12	363.32
Add - Provision Creates during the year	193.01	300.73
Less - Actual Expenses Incurred during the year	62.01	10.93
Closing Balance	784.12	653.12

20 Current Tax Liabilities (Net)

(a) i) Details of Current Tax Liabilities are as under : ₹ in Lakh

Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
Provision for taxation (Net of tax paid) See description Note (a) (ii)	(37.79)	(15.88)
Total	(37.79)	(15.88)

ii) Details of Provision for taxation is as under: ₹ in Lakh

Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
Gross amount of provision	1,219.71	2,969.89
Less : Advance Tax paid Including TDS & TCS Recoverable of ₹ 124.50Lakh (PY ₹ 228.77 Lakh)	1,257.51	2,985.77
Total	(37.79)	(15.88)





31 मार्च 2025 तक वित्तीय विवरणों का हिस्सा बननेवाली टिप्पणियाँ

iii)	देश की कर दर से गुणा किए गए कर व्यय और लेखांकन लाभ का मिलान :	(₹ लाख में)	
	विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
	आय कर व्यय से पूर्व लाभ	4,845.78	10,919.36
	34.608% की भारतीय दर पर कर (पिछले वर्ष 34.608%)	-	-
	115BAA / 115JB के अंतर्गत कम कर पर प्रदान किया गया कर	1,219.71	2,984.00
	पूर्व अवधियों के वर्तमान कर के लिए समायोजन	44.62	-
	कर हानियाँ जिनके लिए कोई आस्थगित आयकर मान्यता प्राप्त नहीं है	-	-
	अपेक्षित आयकर व्ययों के समाधान हेतु कोई अन्य समायोजन	-	-
	आयकर व्यय	1,264.33	2,984.00

* चालू वित्त वर्ष के लिए आयकर देयताएँ स्व-मूल्यांकन पर आधारित हैं। यह अनंतिम हैं और आयकर अधिनियम, के अनुसार समाधान और अंतिम मूल्यांकन के अधीन हैं। इस प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले किसी भी अंतर को उस अवधि में संबंधित कर व्यय या परिसंपत्ति / देयता में समायोजन के रूप में हिसाब में लिखा जाएगा जिसमें वे निर्धारित किए गए हैं।

20 अन्य वर्तमान देयताएँ :

(ब) i)	अन्य वर्तमान देयताएँ का विवरण निम्नानुसार है :	(₹ लाख में)	
	विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
	सांविधिक प्राधिकरणों को देय	46.69	25.72
	EPF एवं GPF ट्रस्ट को देय	0.50	0.50
	कुल	47.19	26.22

21 संचालन से राजस्व

i)	संचालन से राजस्व का विवरण निम्नानुसार है :	(₹ लाख में)	
	विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2025 तक	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 तक
I)	पारेषण ऊर्जा से राजस्व	5,760.30	10,998.00
ii)	बिजली की बिक्री से राजस्व अ) नवीकरणीय ऊर्जा (सौर) की बिक्री	436.57	415.18
	कुल (i+ii)	6,196.87	11,413.18
	कम करें : उपभोक्ताओं के अनुमोदित छूट - विवरण नोट देखें (ii) & (iii)	(78.64)	(167.51)
	कम करें : उपभोक्ताओं के प्रति परिसंपत्तियों का अनुबंध - विवरण नोट देखें 8(ii)	(1,648.00)	1,648.00
	ऊर्जा पारेषण और बिजली की बिक्री से राजस्व	4,470.23	12,893.67
iii)	अन्य संचालित आय पर्यवेक्षण शुल्क	68.47	9.21
	अन्य संचालित आय	68.47	9.21
	कुल संचालन से राजस्व (i+ii+iii)	4,538.70	12,902.88

ii) वित्त वर्ष 2024 -25 में छूट राशि ₹ 78.64 लाख (पिछले वर्ष ₹ 167.51 लाख) की अनुमति दी गई है, जो कि प्रस्तुत करने के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर उपभोक्ता द्वारा शीघ्र भुगतान से संबंधित है। बिजली के ट्रांसमिशन से राजस्व पर छूट संबंधित CERC विनियमन के तहत दी जाती है और बिजली की बिक्री से राजस्व पर छूट बिजली खरीद समझौते की सहमत शर्तों के अनुसार दी जाती है।

Notes Forming Part of Financial Statements as at 31 March, 2025

iii)	Reconciliation of tax expenses and accounting profit multiplied by country's tax rate :	₹ in Lakh	
	Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
	Profit before income tax expenses	4,845.78	10,919.36
	Tax at the Indian tax rate of 34.608% (Previous Year 34.608%)	-	-
	Tax provided at lower tax rate under 115BAA / 115JB	1,219.71	2,984.00
	Adjustment for current tax of prior periods	44.62	-
	Tax losses for which no deferred income tax was recognised	-	-
	Any other adjustment to reconcile expected	-	-
	Income Tax Expenses	1,264.33	2,984.00

* Income tax liabilities for the current year are based on self-assessment. These are provisional and subject to reconciliation and final assessment as per the Income Tax Act, 1961. Any differences arising from this process will be accounted for as an adjustment to the relevant tax expense or asset/liability in the period in which they are determined.

20 Other Current Liabilities

(b) i)	Details of Other Current Liabilities are as under :	₹ in Lakh	
	Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
	Payable to Statutory Authorities	46.69	25.72
	Payable to EPF & GPF Trust	0.50	0.50
	Total	47.19	26.22

21. Revenue from Operations

i)	Details of Revenue from Operations are as under:-	₹ in Lakh	
	Particulars	For the year ended on 31st March 2025	For the year ended on 31st March 2024
i)	Revenue from Transmission of Power	5,760.30	10,998.00
ii)	Revenue from Sale of Power a) Sale of Renewable Power (Solar)	436.57	415.18
	Total (i+ii)	6,196.87	11,413.18
	Less: Rebate Allowed to Consumers See description Note (ii) & (iii)	(78.64)	(167.51)
	Less: Contract Assets towards consumers Refer description Note 8(ii)	(1,648.00)	1,648.00
	Revenue from Transmission and Sale of Power	4,470.23	12,893.67
iii)	Other Operating Income		
	Supervision Charges	68.47	9.21
	Other Operating Income	68.47	9.21
	Total Revenue from Operation (i+ii+iii)	4,538.70	12,902.88

ii) Rebate allowed for prompt payment to the consumers in FY 2024-25 Rs. 78.64 Lakh (Previous Year Rs. 167.51 Lakh) within the stipulated time frame following the bill presentation. The rebate on revenue derived from the transmission of power is granted in accordance with the relevant CERC regulations, while the rebate on revenue from the sale of power is extended as per the agreed terms of the Power Purchase Agreement.



31 मार्च 2025 तक वित्तीय विवरणों का हिस्सा बननेवाली टिप्पणियाँ

iii)	राजस्व-वार छूट विभाजन :	(₹ लाख में)	
	विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2025 तक	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 तक
i)	बिजली पारेषण पर छूट	71.02	159.22
ii)	बिजली की बिक्री पर छूट	7.62	8.29
	उपभोक्ता को दी जाने वाली कुल छूट	78.64	167.51

22 अन्य आय

i)	अन्य आय का विवरण निम्नानुसार है :	(₹ लाख में)	
	विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2025 तक	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 तक
	ब्याज आय – विवरण नोट देखें (ii)	4,682.26	4,097.39
	उपभोक्ताओं से देरी भुगतान शुल्क	46.41	292.94
	निविदा शुल्क	0.69	1.13
	वापस लिखित प्रावधान	62.78	108.21
	स्क्रैप की बिक्री	59.57	–
	विविध आय	9.99	27.95
	पट्टा आय – विवरण नोट देखें (iii)	77.47	77.47
	कुल	4,939.17	4,605.09

ii) वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, निगम ने ₹ 4,682.26 लाख (पिछले वर्ष ₹ 4,097.39 लाख) की ब्याज आय की पहचान की। यह आय मुख्य रूप से अधिशेष निधियों को बैंक जमाओं में रणनीतिक रूप से जमा करने से उत्पन्न होती है, जो आमतौर पर अल्पकालिक होती हैं और 12 महीनों के भीतर परिपक्व होती हैं, जिससे तरलता आवश्यकताओं और उपज अनुकूलन में संतुलन बना रहता है। इन निवेशों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संयुक्त विद्युत नियामक आयोग द्वारा अपने टैरिफ आदेशों में निर्धारित स्वीकृत इक्विटी पर प्रतिफल (i) को दर्शाने वाली निधियों से किया जाता है, जिससे निगम की समय वित्तीय स्थिति और परिचालन दक्षता में योगदान होता है।

iii) निगम ने अपने भवन और कार्यालय के उपयोग के लिए परिचालन पट्टा समझौता किया है। यह पट्टे मार्च 2023 में शुरू हुए और तीन साल की अवधि के लिए फरवरी 2006 में समाप्त होने वाले हैं। इन पथवस्थाओं के लिए पट्टा दर दादरा और नगर हवेली के लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित की गई है।

23 अन्य प्रत्यक्ष व्यय (बिजली की खरीद)

i)	अन्य अप्रत्यक्ष व्यय (बिजली की खरीद) का विवरण निम्नानुसार है :	(₹ लाख में)	
	विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2025 तक	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 तक
	बिजली की खरीद – विवरण नोट देखें (ii)	–	1,648.00
	कुल	–	1,648.00

ii) अन्य प्रत्यक्ष व्यय अर्थात बिजली की खरीद राशि ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ 1,648.00 लाख) मेसर्स GMR वरोरा एनर्जी लिमिटेड (GWEL) द्वारा कानून के दावों में बदलाव के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 20.04.2023 के निर्णय के कारण हुई देयता दर्शाती है। (नोट 28(ii)(c) संख्या देखें)

Notes Forming Part of Financial Statements as at 31 March, 2025

iii)	Revenue-wise Rebate bifurcation:-	₹ in Lakh	
	Particulars	For the year ended on 31st March 2025	For the year ended on 31st March 2024
i)	Rebate on Transmission Power	71.02	159.22
ii)	Rebate on Sale of Power	7.62	8.29
	Total Rebate allowed to Consumers	78.64	167.51

22 Other Income

i)	Details of Other Income are as under :	₹ in Lakh	
	Particulars	For the year ended on 31st March 2025	For the year ended on 31st March 2024
	Interest Income See description Note (ii)	4,682.26	4,097.39
	Delayed Payment Charges from consumers	46.41	292.94
	Tender Fees	0.69	1.13
	Provision Written Back	62.78	108.21
	Sale of Scrap	59.57	–
	Miscellaneous Income	9.99	27.95
	Lease Income See description Note (iii)	77.47	77.47
	Total	4,939.17	4,605.09

ii) For the financial year 2024-25, the Corporation recognised interest income of ₹ 4,682.26 Lakh (Previous Year ₹ 4,097.39 Lakh). This income primarily arises from the strategic parking of surplus funds in bank deposits, which are typically short-term with maturities within 12 months, balancing liquidity needs with yield optimization. A significant portion of these investments are made from funds representing the approved Return on Equity, as determined by the Joint Electricity Regulatory Commission in its tariff orders, thereby contributing to the overall financial health and operational efficiency of the Corporation.

iii) The Corporation has entered into operating lease agreement for the use of its buildings and offices. These lease commenced in March 2023 and are set to conclude in February 2026, spanning a period of three years. The lease rates for these arrangement has been determined by the Public Works Department of Dadra and Nagar Haveli.

23 Other Direct Expenses (Purchase of Power)

i)	Details of other Direct Expenses (Purchase of Power) are as under :	₹ in Lakh	
	Particulars	For the year ended on 31st March 2025	For the year ended on 31st March 2024
	Power Purchase See description Note (ii)	–	1,648.00
	Total	–	1,648.00

ii) The Other Direct Expenses i.e. Purchase of Power amount ₹ NIL (Previous Year ₹ 1,648.00 Lakh) represents liability incurred on account of the judgement dated 20.04.2023 passed by the Hon'ble Supreme Court in the matter of change in law claims of M/s GMR Warora Energy Limited (GWEL). [Refer note no. 28(ii)(c)].



31 मार्च 2025 तक वित्तीय विवरणों का हिस्सा बननेवाली टिप्पणियाँ

24 संचालन और रखरखाव व्यय

i) संचालन और रखरखाव व्यय का विवरण निम्नानुसार है : (₹ लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2025 तक	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 तक
भंडार एवं पूर्जा खपत	86.51	56.51
मरम्मत और रखरखाव		
(I) संयंत्र और मशीनरी	1,153.99	851.76
(ii) मरम्मत और रखरखाव व्यय – कार्यालय	44.74	61.59
(iii) अन्य संचालन व्यय	388.34	292.29
नियामक शुल्क – विवरण नोट देखें (ii)	73.58	95.20
कुल	1,747.16	1,357.35

ii) वित्तीय वर्ष के दौरान, निगम ने संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (JERC) को नियामक शुल्क के भुगतान के लिए ₹ 73.58 लाख (पिछले वर्ष ₹ 95.20 लाख) की राशि खर्च की है। इन शुल्कों में मुख्य रूप से पारेषण लाइसेंस शुल्क और याचिका दाखिल करने का शुल्क शामिल है, और JERC (व्यवसाय का संचालन) विनियमों के अनुसार भुगतान किया जाता है।

25 कर्मचारी लाभ व्यय

i) कर्मचारी लाभ व्यय का विवरण निम्नानुसार है (₹ लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2025तक	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 तक
वेतन और मजदूरी	472.06	448.19
भविष्य निधि योगदान	6.55	6.01
वेतन, पेंशन और ग्रेच्युइटी	173.43	60.31
कर्मचारी कल्याण व्यय	47.01	34.78
कुल	699.05	549.29

26 वित्त लागत

i) वित्त लागत का विवरण निम्नानुसार है (₹ लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2025तक	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 तक
ब्याज व्यय		
अन्य पर ब्याज – विवरण नोट देखें (ii)	–	16.35
कुल	–	16.35

ii) स्व-मूल्यांकन कर के अंतर्गत आयकर दायित्वों के भाग के रूप में, अग्रिम कर भुगतान में कमी के कारण आयकर विभाग को कुल ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ 16.35 लाख यानि ब्याज ₹ 12.09 लाख + दंड ₹ 4.26 लाख) के रूप में प्रेषित किए गए।

27 प्रशासनिक और अन्य व्यय

i) प्रशासनिक और अन्य व्यय का विवरण निम्नानुसार है : (₹ लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2025 तक	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 तक
लेखा परीक्षा व्यय – विवरण नोट देखें (ii)	9.23	9.23
मुद्रण और स्टेशनरी व्यय	26.19	6.08
यात्रा और आवास व्यय	24.77	11.42
विज्ञापन व्यय	0.13	0.09

Notes Forming Part of Financial Statements as at 31 March, 2025

24 Operation & Maintenance Expenses

i) Details of Operation & Maintenance Expenses are as under : ₹ in Lakh

Particulars	For the year ended on 31st March 2025	For the year ended on 31st March 2024
Stores & Spares Consumed	86.51	56.51
Repairs & Maintenance		
(i) Plant & Machinery	1,153.99	851.76
(ii) Repair & Maintenance Office	44.74	61.59
(iii) Other Operational Expenses	388.34	292.29
Regulatory Fees See description Note (ii)	73.58	95.20
Total	1,747.16	1,357.35

ii) During the financial year 2024-25, the Corporation has incurred an amount of ₹ 73.58 lakh (Previous Year ₹ 95.20 lakh) towards payment of regulatory fees to the Joint Electricity Regulatory Commission (JERC). These fees primarily consist of Transmission License Fees and Petition Filing Fees, and are paid in accordance with the JERC (Conduct of Business) Regulations.

25 Employee Benefit Expenses

i) Details of Employee Benefit Expenses are as under : ₹ in Lakh

Particulars	For the year ended on 31st March 2025	For the year ended on 31st March 2024
Salary & Wages	472.06	448.19
Provident Fund Contribution	6.55	6.01
Leave Salary, Pension and Gratuity	173.43	60.31
Staff Welfare Expenses	47.01	34.78
Total	699.05	549.29

26 Finance Costs

i) Details of Finance Costs are as under : ₹ in Lakh

Particulars	For the year ended on 31st March 2025	For the year ended on 31st March 2024
Interest Expenses		
Interest on Others See description Note (ii)	–	16.35
Total	–	16.35

ii) As part of income tax obligations under self-assessment tax, a total of ₹ NIL (Previous Year ₹ 16.35 Lakh i.e. interest ₹12.09 Lakh + penalty ₹ 4.26 Lakh) was remitted to the Income Tax Department due to shortfalls in advance tax payments.

27 Administrative & Other Expenses

i) Details of Administrative & Other Expenses are as under : ₹ in Lakh

Particulars	For the year ended on 31st March 2025	For the year ended on 31st March 2024
Fees to Auditors See description Note (ii)	9.23	9.23
Printing and Stationery Expenses	26.19	6.08
Travelling and Accommodation Expenses	24.77	11.42
Advertisement Expenses	0.13	0.09



31 मार्च 2025 तक वित्तीय विवरणों का हिस्सा बननेवाली टिप्पणियाँ

27 प्रशासनिक और अन्य व्यय (क्रमशः)

i) प्रशासनिक और अन्य व्यय का विवरण निम्नानुसार है : (₹ लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2025 तक	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 तक
निगमित सामाजिक दायित्व पर व्यय – विवरण नोट देखें (iv) एवं (v)		
– वास्तविक CSR खर्च	0.39	–
– चल रही CSR योजना का प्रावधान	193.01	300.73
दूरभाष व्यय	7.91	8.56
कानूनी और व्यावसायिक व्यय	90.96	63.75
बैंक प्रभार	–	0.66
शुल्क और सदस्यता व्यय	4.27	5.98
प्रोत्साहन व्यय – विवरण नोट देखें (iii)	15.66	93.03
अन्य खर्चों	476.49	650.20
खराब और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	179.01	542.65
कुल	1,028.02	1,692.38

ii) लेखा परीक्षक शुल्क सांविधिक लेखा परीक्षकों को दी गई राशि शामिल है : (₹ लाख में)

विवरण	समाप्त वर्षसमाप्त वर्ष 31 मार्च 2025 तक	समाप्त वर्षसमाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 तक
सांविधिक लेखा परीक्षक को भुगतान शुल्क	6.50	6.50
लेखा परीक्षक को भुगतान शुल्क	0.57	0.57
कर्मचारी द्वारा किया गया खर्चा	–	–
कुल	7.07	7.07

iii) निगम के वितरण व्यवसाय में ऊर्जा बिक्री से संबंधित पिछले बकाया की वसूली नवगठित इकाई, DNHDDPDCL द्वारा की जा रही है। नीति निर्देशों और 9 मार्च, 2022 की अधिसूचित हस्तांतरण योजना की अनुसूचि C (3c) के अनुसार, DNHDDPDCL द्वारा वसूली गई राशि, सहमत प्रोत्साहन राशि की कटौती के बाद, निगम को भेज दी जाती है।

iv) कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार, निगम को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (अर्थात CSR) गतिविधियों पर ₹ 193.40 लाख खर्च करने हैं (पिछले वर्ष ₹ 300.73 लाख)। कंपनी अधिनियम, CA 2013, की धारा 135(5) और (6) के अनुसार, निगम पर ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य) का दायित्व है। उक्त अधिनियम की अनुसूचि VII में निर्दिष्ट धनराशि को 31/03/2025 तक स्थानांतरित किया जाना था। हालांकि, चालू CSR परियोजना के अंतर्गत व्यय से संबंधित ₹ 784.11 लाख (पिछले वर्ष ₹ 653.11 लाख) की राशि निर्धारित समय के भीतर विशेष बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, निगम ने निम्नलिखित CSR गतिविधियों पर व्यय/ देयता।

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2025 तक			समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 तक		
	कुल राशि भुगतान	अभी तक भुगतान	कुल	कुल राशि भुगतान	अभी तक भुगतान	कुल
	अर्जित ब्याज सहित			अर्जित ब्याज सहित		
i) निगम के नाम पर संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	–	–	–	–	–	–
ii) उपर्युक्त (i) के अलावा अन्य प्रयोजनों पर – पशु कल्याण अर्थात – 2 मोबाइल पशु चिकित्सा वैन, डॉक्टरों, कर्मचारियों, उपकरणों और उपभोग्य सामग्रियों के साथ (चल रही CSR परियोजना – वित्त वर्ष 2021–22)	46.80	–	46.80	–	45.00	45.00

Notes Forming Part of Financial Statements as at 31 March, 2025

27 Administrative & Other Expenses (Continued)

i) Details of Administrative & Other Expenses are as under : ₹ in Lakh

Particulars	For the year ended on 31st March 2025	For the year ended on 31st March 2024
Corporate Social Responsibility Expenses See description Note (iv) & (v)		
– Actual CSR Expenses	0.39	–
– Provision for on-going CSR Project	193.01	300.73
Telephone Expenses	7.91	8.56
Legal and Professional Charges	90.96	63.75
Bank Charges	–	0.66
Fees and Subscription Expenses	4.27	5.98
Incentive Expenses See description Note (iii)	15.66	93.03
Other Expenses	476.49	650.20
Provision for Bad & Doubtful Debts	179.01	542.65
Total	1,028.02	1,692.38

ii) Fees to Auditors includes the amount paid to Statutory Auditors: ₹ in Lakh

Particulars	For the year ended on 31st March 2025	For the year ended on 31st March 2024
Fees paid for Statutory Audit	6.50	6.50
Fees paid for Tax Audit	0.57	0.57
Out of pocket expenses	–	–
Total	7.07	7.07

iii) The Corporation's past arrears pertaining to energy sales within its distribution business are being recovered by the newly formed entity, DNHDDPDCL. In accordance with the policy directions and Schedule C (3c) of the notified transfer scheme dated March 9, 2022, the amounts recovered by DNHDDPDCL is remitted to the Corporation, after deducting an agreed incentive.

iv) In terms of stipulation of Section – 135 of the Companies Act 2013, the Corporation is required to spend ₹ 193.40 Lakh during FY 2024-25 on Corporate Social Responsibility (i.e. CSR) activities (Previous Year ₹ 300.73 Lakh). In terms of Section -135(5) and (6) of the CA 2013, the Corporation has an obligation of ₹ NIL (Previous Year ₹ NIL) to transfer in funds as specified in schedule-VII of the said act as on 31/03/2025. However, an amount of ₹ 784.11 Lakh (Previous Year ₹ 653.11 Lakh) pertaining to spent under ongoing CSR project, which has been transferred to special bank account within the due course of prescribed time. During the FY 2024-25, the Corporation has incurred expenses / liability on the following CSR activities;
(₹ in Lakh)

Particulars	For Year ended on 31st March, 2025			For Year ended on 31st March, 2024		
	Amount Paid	Yet to be Paid	Total	Amount Paid	Yet to be Paid	Total
	(including earned interest)			(including earned interest)		
i) construction / acquisition of any asset	–	–	–	–	–	–
ii) On purposes other than (i) above – Animal Welfare i.e. 2 Mobile Veterinary Vans with Doctors, Staff, Equipments and Consumables (ongoing CSR project - FY 2021-22)	46.80	–	46.80	–	45.00	45.00



31 मार्च 2025 तक वित्तीय विवरणों का हिस्सा बननेवाली टिप्पणियाँ

27 प्रशासनिक और अन्य व्यय (क्रमशः)

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2025 तक			समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 तक		
	कुल राशि भुगतान	अभी तक भुगतान	कुल	कुल राशि भुगतान	अभी तक भुगतान	कुल
	अर्जित ब्याज सहित			अर्जित ब्याज सहित		
- शिक्षा को बढ़ावा देने की पहल - स्मार्ट क्लास रूम (चल रही CSR परियोजना - वित्त वर्ष 2021-22)	38.71	-	38.71	-	37.23	37.23
- कुपोषण और स्वास्थ्य को बढ़ावा - गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए बाल शक्ति और मातृ शक्ति (चल रही CSR परियोजना - वित्त वर्ष 2021-22)	-	-	-	24.93	-	24.93
- कुपोषण और स्वास्थ्य को बढ़ावा - नमो अस्पताल में मरीज़/परिचालकों के लिए भोजन और CSR के कुछ गैर-बजटीय निधि का उपयोग वित्त वर्ष 2025-26 में चल रही नई गतिविधियों के तहत किया जाएगा (चल रही CSR परियोजना - वित्त वर्ष 2022-23)	-	282.74	282.74	-	270.15	270.15
- पशु कल्याण अर्थात - 2 मोबाइल पशु चिकित्सा वैन, डॉक्टरों, कर्मचारियों, उपकरणों और उपभोग्य सामग्रियों के साथ (चल रही CSR परियोजना - वित्त वर्ष 2023-24)	0.73	308.36	309.09	-	300.73	300.73
- शिक्षा को बढ़ावा देने की पहल - स्मार्ट क्लास रूम (चल रही CSR परियोजना - वित्त वर्ष 2024-25)	0.39	193.01	193.40	-	-	-
कुल	86.63	784.11	870.74	24.93	653.11	678.04

v) CSR गतिविधियों से संबंधित अन्य जानकारी इस प्रकार है :

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
I वर्ष के दौरान खर्च करने के लिए आवश्यक राशि	193.40	300.73
ii) किये गये व्यय की राशि (वास्तविक)	0.39	-
iii) वर्ष के अंत में कमी	193.40	300.73
iv) पिछले वर्षों की कुल कमी	591.10	352.38
v) कमी का कारण	जैसा कि ऊपर दी गई तालिका कुपोषण और स्वास्थ्य को बढ़ावा परियोजना से संबंधित है	जैसा कि चल रही CSR से संबंधित है, उपर्युक्त तालिका के अनुसार परियोजना
vi) CSR गतिविधियों की प्रकृति	चल रही CSR परियोजना उपर्युक्त तालिका के अनुसार है	चल रही CSR परियोजना उपर्युक्त तालिका के अनुसार है
vii) संबंधित पार्टियों के लेन देन का विवरण जैसे कि प्रासंगिक लेखा मानक के अनुसार CSR व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट में योगदान	शून्य	शून्य
viii) जहां एक संविदात्मक दायित्व में प्रवेश करके उत्पन्न देयता के संबंध में प्रावधान किया जाता है, रहों फ6ावधानों का संचलन	हाँ {नोट - 19 (ii) देखें}	हाँ {नोट - 19 (ii) देखें}

Notes Forming Part of Financial Statements as at 31 March, 2025

27 Administrative & Other Expenses (Continued)

Particulars	For Year ended on 31st March, 2025			For Year ended on 31st March, 2024		
	Amount Paid	Yet to be Paid	Total	Amount Paid	Yet to be Paid	Total
	(including earned interest)			(including earned interest)		
- Promoting Education Initiatives- Smart Class Room (ongoing CSR project- FY 2021-22)	38.71	-	38.71	-	37.23	37.23
- Malnutrition and promoting health- Bal Shakti & Matru Shakti to pregnant woman and lactating woman (ongoing CSR project- FY 2021-22)	-	-	-	24.93	-	24.93
- Malnutrition and promoting health- food for patient / attendant in Namo Hospital and some of the CSR unbudgeted fund shall be utilised under CSR ongoing new activities in FY 2025-26 (ongoing CSR project- FY 2022-23)	-	282.74	282.74	-	270.15	270.15
- Animal Welfare i.e. 2 Mobile Veterinary Vans with Doctors, Staff, Equipments and Consumables (ongoing CSR project- FY 2023-24)	0.73	308.36	309.09	-	300.73	300.73
- Promoting Education Initiatives- Smart Class Room (ongoing CSR project- FY 2024-25)	0.39	193.01	193.40	-	-	-
Total	86.63	784.11	870.74	24.93	653.11	678.04

v) The other information related to CSR activities are as follows -

Particular	FY 2024-25	FY 2023-24
i) Amount required to be spent during the year	193.40	300.73
ii) Amount of expenditure incurred (Actual)	0.39	-
iii) Shortfall at the end of the year.	193.01	300.73
iv) Total of previous years shortfall	591.10	352.38
v) Reason for shortfall	As pertains to ongoing CSR projects as per above mentioned table	As pertains to on-going CSR projects as per above mentioned table
vi) Nature of CSR activities	Ongoing CSR projects as per above mentioned table	Ongoing CSR projects as per above mentioned table
vii) Detail of related parties transactions e.g. contribution to a trust controlled by the company in relation to CSR expenditure as per relevant Accounting Standard.	NIL	NIL
viii) Where a provision is made with respect to a liability incurred by entering into a to a contractual obligation, the movement of the provisions.	YES {Refer Note - 19 (ii)}	YES {Refer Note - 19 (ii)}





31 मार्च 2025 तक वित्तीय विवरणों का हिस्सा बननेवाली टिप्पणियाँ

28 आकस्मिक देयताएँ और प्रतिबद्धताएँ :

i) आकस्मिक देयताएँ प्रदान नहीं किया गया जिनमें निम्न शामिल है : (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
अ) निगम के खिलाफ दावा ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है	50,791.08	44,655.82
ब) निगम की ओर से असमाप्त मूल्य की बैंक गारंटी	-	-

ii) उपरोक्त तर्क (i) (अ) के तहत दावा में शामिल है :

अ) मेसर्स रत्नागिरि गैस एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड (RGPPL) द्वारा अक्टूबर 2013 से मार्च 2025 तक की अवधि के लिए किया गया ₹ 16,549.96 लाख (पिछले वर्ष ₹ 12,015.01 लाख) का दावा । अक्टूबर 2013 में बिजली का उत्पादन और आपूर्ति बंद कर दी थी, क्योंकि मुख्य लाभार्थी, महाराष्ट्र, जो सहमत विवाद क्षमता का 95% है, द्वारा बिजली की आपूर्ति निर्धारित नहीं की गई थी ।

निगम का कहना है कि बिजली की आपूर्ति न होना पूरी तरह से RGPPL की ओर से कारणों से है, और परिणामस्वरूप, निगम बिजली खरीद समझौते (PPA) की शर्तों के तहत किसी भी भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है । बैलेंस शीट की तिथि तक, RGPPL ने PPA में उल्लिखित सहमत विवाद समाधान तंत्र के अनुसार इस मामले में कोई मुकदमा शुरू नहीं किया है ।

यदि भविष्य में यह दावा वास्तविक देयता में परिवर्तित हो जाता है, तो निगम अपने उपभोक्ताओं से परिणामी दावों की वसूली करना चाहता है ।

ब) मेसर्स GMR वारोरा लिमिटेड (GWEL) द्वारा 26 मार्च 2020 से 30 जून 2020 तक की अवधि के लिए क्षमता शुल्क के संबंधित ₹ 20,683.12 लाख (पिछले वर्ष ₹ 19,082.81 लाख) का दावा किया गया । निगम ने यह दावा अप्रैल, 2013 में शुरू होकर 7 साल और 3 महीने की अवधि के लिए 200 मेगावॉट बिजली की खरीद प्रतिस्पर्धी बोली (यानी निविदा) के माध्यम से निष्पादित एक बिजली खरीद समझौता (PPA) से उत्पन्न होता है ।

दावे की अवधि गृह मंत्रालय द्वारा 24 मार्च, 2020 के आदेश संख्या 40-3/2020-DM-I(A) के माध्यम से देशव्यापी लॉकडाउन (COVID -19) आदेश के साथ मेल खाती है, वित्त मंत्रालय ने 19 फरवरी, 2020 के अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या F 18/4/2020-PPD के माध्यम से स्पष्ट किया कि कोरोना वायरस के प्रसार के कारण होने वाली बाधाएं प्राकृतिक आपदा के रूप में Force Majeure Clause के अंतर्गत आएंगी । नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भी 20 मार्च, 2020 के अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 283/18/2020-Grid Solar के माध्यम से इसी तरह विचार व्यक्त किया । इसके अलावा, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) ने अपनी स्वतः सज्ञान याचिका संख्या 6/SM/2020 दिनांक 03 अप्रैल, 2020 ने यह भी माना है कि जिन उत्पादक कंपनियों का टैरिफ विद्युत अधिनियम की धारा 63 के तहत (प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से) निर्धारित किया गया था, वे अपने संबंधित PPA के अप्रत्याशित घटना प्रावधानों के तहत 24 मार्च, 2020 की अवधि के दौरान 45 दिनों से अधिक विलंबित भुगतानों के लिए विलंबित भुगतान अधिभार पर राहत का दावा कर सकती है ।

COVID-19 वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू किये गये लॉकडाउन की उक्त अभूतपूर्व घटना ने 26/03/2020 से 30/06/2020 की अवधि के दौरान क्षेत्र में बिजली की मांग आपूर्ति श्रृंखला को काफी बाधित किया और 21% से 85% की सीमा में कमी दर्ज की गई । उक्त अवधि के दौरान निष्पादित PPA ने GWEL के साथ यह प्रदान करता है कि प्राप्त करने वाला खरीददार (यानी DNHPDCL) को प्रभावित करने वाली एक प्राकृतिक अप्रत्याशित घटना के मामले में, खरीददार द्वारा विक्रेता को ऐसी प्राकृतिक अप्रत्याशित घटना की अवधि के लिए कोई टैरिफ (क्षमता शुल्क सहित) का भुगतान नहीं किया जायेगा । तदनुसार, निगम सहमत PPA की शर्तों के अनुसार 26 मार्च, 2020 से 30 जून, 2020 की अवधि के लिए क्षमता शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है ।

हालांकि, CERC ने 20 जनवरी, 2022, की याचिका संख्या 259/MP/2020 में अपने आदेश के माध्यम से मामले का

Notes Forming Part of Financial Statements as at 31 March, 2025

28 Contingent Liabilities & Commitments :

i) Contingent Liabilities not provided for includes : (₹ in Lakh)

Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
a) Claims against the Corporation not acknowledged as debts	50,791.08	44,655.82
b) Unexpired value of Bank Guarantee on behalf of the Corporation	-	-

ii) Claims under point (i) (a) above includes :

a) A claim of ₹ 16,549.96 Lakh (Previous Year ₹ 12,015.01 Lakh) made by M/s Ratnagiri Gas & Power Private Limited (RGPPL) pertaining to the period from October 2013 to March 2025. RGPPL ceased generation and supply of power in October 2013 due to the non-scheduling of power by the principal beneficiary, Maharashtra, which constitutes 95% of the installed capacity.

The Corporation maintains that the non-supply of power is attributable to reasons solely on the part of RGPPL, and consequently, the Corporation is not liable for any payment under the terms of the Power Purchase Agreement (PPA). As of the balance sheet date, RGPPL has not initiated any litigation regarding this matter as per the agreed dispute resolution mechanism outlined in the PPA.

In the event that this claim materializes into an actual liability in the future, the Corporation intends to recover the resultant claim from its consumers.

b) A claim of ₹ 20,683.12 Lakh (Previous Year ₹ 19,082.81 Lakh) has been lodged by M/s GMR Warora Energy Limited (GWEL) pertaining to capacity charges for the period from March 26, 2020, to June 30, 2020. This claim arises from a Power Purchase Agreement (PPA) executed through a competitive bidding process for the procurement of 200 MW of power for a term of 7 years and 3 months commencing in April 2013.

The period of the claim coincided with a nationwide lock-down ordered by the Ministry of Home Affairs vide its order no. 40-3/2020-DM-I(A) dated March 24, 2020, to contain the spread of the COVID-19 pandemic, which had been declared a pandemic by the World Health Organisation. The Ministry of Finance, vide its OM No. F 18/4/2020-PPD dated February 19, 2020, clarified that disruptions due to the spread of the corona virus would be covered under the Force Majeure Clause as a natural calamity. The Ministry of New and Renewable Energy also conveyed a similar view vide its OM No. 283/18/2020-Grid Solar dated March 20, 2020. Further, the Central Electricity Regulatory Commission (CERC), in its suo-moto petition no. 6/SM/2020 dated April 3, 2020, upheld that generating companies whose tariff was determined under Section 63 of the Electricity Act, 2003 (through competitive bidding), could claim relief on Late Payment Surcharge for payments delayed beyond 45 days during the period from March 24, 2020, to June 30, 2020, under the force majeure provisions of their respective PPAs.

The unprecedented lock-down to contain COVID-19 significantly disrupted the power demand-supply chain, resulting in a reduction in demand ranging from 21% to 85% within the Corporation's territory during the period from March 26, 2020, to June 30, 2020. The executed PPA with GWEL stipulates that "in case of a Natural Force Majeure Event affecting the Procurer the (i.e. Corporation), no Tariff (including capacity charges) shall be paid by the Procurer to the Seller for duration of such Natural Force Majeure Event." Based on this clause, the Corporation contends that it is not liable for the payment of capacity charges for the period from March 26, 2020, to June 30, 2020.

However, the CERC, vide its order in petition no. 259/MP/2020 dated January 20, 2022, decided the matter in favour of GWEL. The CERC's decision was based on grounds such as the



फैसला GWEL के पक्ष में किया। CERC का निर्णय उपभोक्ताओं से निर्धारित शुल्क की वसूली, अन्य उत्पादकों पर अप्रत्याशित घटना के लागू होने, तथा लागू विनियमों के तहत लागत वसूली की सुरक्षा जैसे आधारों पर आधारित था, न कि केवल सहमत PPA की निष्पादित सविदात्मक शर्तों पर।

CERC के आदेश के मद्देनजर, निगम ने विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL) के समक्ष अपील दायर की है। यदि, दावा निपटान पर उक्त आकस्मिक देयता अंततः भविष्य में उत्पन्न होती है, तो इसे उपभोक्ताओं से बिजली खरीद लागत के रूप में वसूल किया जायेगा।

क) जून 2010 में GMR वरोरा एनर्जी लिमिटेड (GWEL) को यूनिट - 2 (DNHDDPCL PPA) के लिए कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा एक आश्वासन पत्र जारी किया गया था, जिसमें कोयले की 100% आपूर्ति को आश्वासन दिया गया था, इस शर्त के साथ कि आयातित कोयले के मानदंड कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्दिष्ट किये जायेंगे। इसके अलावा, GWEL के अधिकारियों ने DNHDDPCL के अधिकारियों साथ चर्चा बैठक में और दिनांक 27 जुलाई, 2012 के पत्र में पुष्टि की कि 200 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए उनके उद्धृत दरें प्रतिस्पर्धी थीं, घरेलू कोयले (यानी लिंकेज कोयला) की कमी को ध्यान में रखते हुए, जिसे बिजली उत्पादकों को नीलामी या आयातित कोयले के माध्यम से पूरा करना आवश्यक था।

इसके बावजूद, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) की याचिका क्रमांक 16 मई, 2019 के आदेश क्रमांक 284/MP/2018 के तहत, कोयला मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2007 में जारी नई कोयला वितरण नीति (NCDP) में बदलावों के कारण लिंकेज कोयला में कमी की भरपाई DNHDDPCL PPA और महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) दोनों के लिए की गई। MSEDCL का मामला DNHDDPCL PPA से अलग था, क्योंकि MSEDCL PPA के लिए कोल इंडिया द्वारा GWEL को दिया गया आश्वासन पत्र नवंबर, 2006 में जारी किया गया था, जो अक्टूबर 2007 में NCDP से पहले था।

GWEL का कुल कोयला कमी आपूर्ति से पहले कमी क्षतिपूर्ति दावा ₹ 12,406 लाख (कोयले की कमी के लिए ₹ 8,148 लाख और वहन लागत के लिए ₹ 4,258 लाख) था। निगम द्वारा दावे की गणना ₹ 2,393 Lakh लाख (कोयले की कमी के लिए ₹ 1,341 लाख और वहन लागत के लिए ₹ 1,052 लाख) है।

DNHDDPCL बिजली की आपूर्ति से पहले ईंधन आपूर्ति समझौते (FSA) के निष्पादन में देरी, भारित औसत लागत की गणना के लिए सस्ते कोयले पर विचार करने और खुले बाजार में आपूर्ति के लिए लिंकेज कोयले पर विचार करने और खुले बाजार में बिजली की आपूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले लिंकेज कोयले को शामिल करने जैसे कारकों के कारण GWEL का दावे को अत्यधिक मानता है। DNHDDPCL ने 25 जून, 2019 और 01 अगस्त, 2019 के पत्रों के माध्यम से GWEL से विस्तृत गणना पद्धति और सहायक दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। हालांकि, GWEL ने अनुरोधित जानकारी प्रदान नहीं की, जबकि CERC ने 16 मई, 2019 को याचिका संख्या 284/MP/2018 में आदेश दिया था। जिसमें GWEL को अपने दावे के साथ सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए स्पष्ट रूप से कहा गया था।

विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL) ने 13 अक्टूबर, 2020 को अपील संख्या 283/2019 में अपने आदेश में कोयले की कमी के मुआवजे के भुगतान पर CERC के विचार को कानून में बदलाव के रूप में बरकरार रखा।

APTEL के 13 अक्टूबर, 2020 के आदेश के विरुद्ध भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत अपील के मामले में, माननीय न्यायालय ने ₹ 2,393 लाख जमा करने की शर्त पर अंतरिम रोक लगा दी। निगम ने अपनी गणना के अनुरूप यह राशि 27 मार्च, 2021 को जमा कर दी, जिसे APTEL के समक्ष भी स्वीकार किया गया।

20 अप्रैल, 2023 के अपने निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कानून में बदलाव के कुछ दावों, विशेष रूप से लिंकेज कोयले में कमी और संबंधित वहन लागतों के संबंध में GWEL के अधिकार को स्वीकार किया। माननीय न्यायालय का निर्णय नीतिगत विचारों पर आधारित था। GWEL ने बाद में माननीय न्यायालय से ₹ 2,393 लाख की जमा राशि वसूल कर ली। DNHDDPCL, GWEL द्वारा जमा की गई राशि ₹ 2,393 लाख को सभी संबंधित दावों का पूर्ण और अंतिम निपटान मानता है। ₹ 2,393 द्वारा उठाए गये किसी भी अतिरिक्त दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और आगे की जाँच के अधीन रहेंगे।

यदि भविष्य में इस दावे से संबंधित कोई अतिरिक्त आकस्मिक देयता उत्पन्न होती है, तो परिणामी दावा उपभोक्ताओं से वसूल किया जाएगा।



recoverability of fixed charges from consumers, the application of force majeure to other generators, and the protection of cost recoverability under applicable regulations, rather than solely on the executed contractual terms of the agreed PPA.

In view of the CERC's order, the Corporation has preferred and filed an appeal before the Appellate Tribunal for Electricity (APTEL). Should this contingent liability on the claim settlement eventually materialize in the future, the resultant claim will be recovered from the consumers.

c) In June 2010, a letter of assurance was issued to M/s GMR Warora Energy Limited (GWEL) for Unit-2 (DNHDDPCL PPA) by Coal India Limited, assuring 100% coal supply, with the stipulation that the parameters of imported coal would be as specified by Coal India Limited. GWEL officials, in discussions with DNHDDPCL officials and in a letter dated July 27, 2012, confirmed that their quoted rates for 200 MW power supply were competitive, considering the shortfall in domestic coal (linkage coal), which power producers were required to meet through auction or imported coal.

Despite this, the Central Electricity Regulatory Commission (CERC), in its common order in petition no. 284/MP/2018 dated May 16, 2019, allowed compensation for the shortfall in linkage coal due to changes in the New Coal Distribution Policy (NCDP) issued by the Ministry of Coal in October 2007, for both DNHDDPCL and Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited (MSEDCL). The case of MSEDCL differed from that of DNHDDPCL, as Coal India Limited's letter of assurance to GWEL for the MSEDCL PPA was issued in November 2006, prior to the NCDP in October 2007.

GWEL's total coal shortage compensation claim amounted to ₹ 12,406 Lakh (comprising ₹ 8,148 Lakh for coal shortage and ₹ 4,258 Lakh for carrying costs). Corporation's computation of the claim is ₹ 2,393 Lakh (comprising ₹ 1,341 Lakh for coal shortage and ₹ 1,052 Lakh for carrying costs).

DNHDDPCL considers GWEL's claim excessive due to factors such as delays in the execution of the Fuel Supply Agreement (FSA) before power supply, the non-consideration of cheaper coal for calculating the weighted average cost, and the inclusion of linkage coal used for supplying power in the open market. DNHDDPCL, vide letters dated June 25, 2019, and August 1, 2019, requested GWEL to provide the detailed calculation methodology and supporting documentation. However, GWEL did not provide the requested information, despite the CERC's order in petition no. 284/MP/2018 dated May 16, 2019, explicitly requiring GWEL to submit all relevant documents with its claim.

The Appellate Tribunal for Electricity (APTEL), in its order in Appeal no. 283 of 2019 dated October 13, 2020, upheld the CERC's view on the payment of coal shortage compensation as a change in law.

In the matter of the appeal presented before the Supreme Court of India against the APTEL order dated October 13, 2020, the Hon'ble Court granted an interim stay, subject to the deposit of ₹ 2,393 Lakh. Corporation deposited this amount on March 27, 2021, consistent with its calculation, which was also acknowledged before the APTEL.

In its judgment dated April 20, 2023, the Hon'ble Supreme Court acknowledged GWEL's entitlement to certain change in law claims, specifically the shortfall in linkage coal and associated carrying costs. The Hon'ble Court's ruling was based on policy considerations. GWEL subsequently recovered the deposit of ₹ 2,393 Lakh from the Hon'ble Court. DNHDDPCL considers the deposit of ₹ 2,393 Lakh as full and final settlement of all related claims by GWEL. Any additional claims raised by GWEL are considered without merit and remain subject to further examination.

Should there any additional contingent liability related to this claim arise in the future, the resulting claim will be recovered from consumers.



31 मार्च 2025 तक वित्तीय विवरणों का हिस्सा बननेवाली टिप्पणियाँ

ड) अप्रैल, 2013 से जून, 2020 (PPA अवधि - 7 वर्ष 3 महीने) की अवधि के दौरान , GMR वरोरा ऊर्जा लिमिटेड (GWEL) ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) द्वारा अनुमत स्वच्छ ऊर्जा उपकर (GST क्षतिपूर्ति उपकर), सेवा कर (कोयला परिवहन पर GST), राष्ट्रीय विद्युत मिशन (NEMT), जिला खनिज फाउंडेशन (DMF), सीजी (CG) – पर्यावरण कर और विकास उपकर, और निकासी सुविधा शुल्क सहित विभिन्न कानून परिवर्तन क्षतिपूर्ति दावों के लिए पूरक ऊर्जा बिल जारी किए। विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL) ने इस मामले में GWEL के पक्ष में फैसला सुनाया।

GWEL ने कुल ₹ 16,478 लाख (पिछले वर्ष ₹ 16,478 लाख) का दावा किया है, जिसमें DNHDDPCL ₹ 12,933 लाख (पिछले वर्ष ₹ 12,933 लाख) का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3,545 लाख (पिछले वर्ष ₹ 3,545 लाख) का अंतर हुआ। DNHDDPCL ने इस अंतर को GWEL द्वारा अत्यधिक दावे में योगदान देने वाले कई कारकों का कारण मानता है, जिनमें शामिल है :

i) कानून में परिवर्तन के कार्यान्वयन की वास्तविक तिथि के बजाय अधिसूचना की तारीख से बिल बनाना, जिसमें मुआवजे की अनुमति केवल भुगतान के आधार पर दी गई। (₹ 305 लाख, ii) जुलाई, 2017 से जून, 2019 तक GST के कार्यान्वयन के बाद केंद्रीय बिक्री कर औरस्टोइंग उत्पाद शुल्क में कमी को पारित करने में विफलता (₹ 700 लाख), iii) अन्य माध्यमों से परिवहन किए गए कोयले के लिए मानक आधार पर / सेवा कर (परिवहन पर GST) का दावा करना, जबकि कानून में बदलाव के मुआवजे की अनुमति केवल रेलवे द्वारा परिवहन के लिए दी गई थी (₹ 1,243 लाख) और iv) CERC निर्देशों के अनुसार कोयले के सकल कैलोरी मान ((GCV) का गैर मापन, जिसके परिणामस्वरूप कोयला चालान से GCV मध्य मूल्य को अपनाया गया (₹ 1,297 लाख)।

विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL) द्वारा 14 अगस्त, 2018 को जारी आदेश के विरुद्ध भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) में अपील की गई थी। 20 अगस्त, 2023 के अपने निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने के कानून में बदलाव के कुछ दावों के अधिकार को स्वीकार किया, जिन्हें पहले CERC और GWEL द्वारा अनुमति दी गई थी। माननीय न्यायालय का निर्णय नीतिगत विचारों पर आधारित था। DNHDDPCL, GWEL द्वारा सभी संबंधित दावों के पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में भुगतान की गई वास्तविक दावा राशि पर विचार करता है। इसलिए, शेष अनसुलझे राशि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, को योग्यता के बिना माना जाता है और आगे की जाँच के अधीन है।

यदि भविष्य में इस दावे से संबंधित कोई अतिरिक्त आकस्मिक देयता उत्पन्न होती है, तो परिणामी दावा उपभोक्ताओं से वसूल किया जाएगा।

iii) निगम ने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त संपत्ति की खरीद/निर्माण के लिए कमशः 31 मार्च, 2025 और 2024 तक (अग्रिमों का शुद्ध) ₹ 7,236.36 लाख और ₹ 137.49 लाख) का अनुबंध किया है।

29 i) संबंधित पक्षों – मुख्य प्रबंधन कार्मिक जो नियंत्रण करते हैं :

नाम	पद
अ) श्री प्रफुल पटेल	अध्यक्ष
ब) श्री अरुण टी.	प्रबंध निदेशक

ii) उपर्युक्त (i) में उल्लिखित संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन ;

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पारिश्रमिक ₹ शून्य (पिछला वर्ष ₹ शून्य)

31 मार्च, 2025 को निगम को बकाया राशि ₹ शून्य (31 मार्च, 2024 तक ₹ शून्य)

iii) निगम अंततः भारत सरकार (GOI) द्वारा नियंत्रित किया जाता है और विभिन्न संस्थाएँ जिन्हें संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाता है या GOI द्वारा महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। उन्हें सरकारी संबंधित संस्था माना जाता है।

निगम व्यवसाय से संबंधित इकाईयों के साथ व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में विभिन्न लेन-देन में प्रवेश करता है जो इसकी बाहों की लंबाई में है और निविदा प्रक्रियाओं के आधार पर प्रवेश किया जाता है जिसमें अन्य संस्थाएं भी भाग लेती हैं। इसके अलावा, निगम कुछ लेन देन में भी प्रवेश करता है जो निविदा प्रक्रियाओं का विषय नहीं हैं, हालांकि, ये लेन देन दिन-प्रतिदिन व्यापार संचालन के बाहर नहीं हैं और गैर-बाजार शर्तों पर नहीं किये जाते हैं।

Notes Forming Part of Financial Statements as at 31 March, 2025

d) During the period from April 2013 to June 2020 (the PPA period of 7 years and 3 months), GMR Warora Energy Limited (GWEL) raised supplementary energy bills for various change in law compensation claims, including clean energy cess (GST compensation cess), service tax (GST on coal transportation), National Electricity Mission (NEMT), District Mineral Foundation (DMF), CG - Paryavaran Tax & Vikas Upkar Tax, and Evacuation Facility charges, as allowed by the Central Electricity Regulatory Commission (CERC). The Appellate Tribunal for Electricity (APTEL) also ruled in favor of GWEL in this matter.

GWEL raised a total claim of ₹ 16,478 Lakh (Previous Year ₹ 16,478 Lakh), of which DNHDDPCL paid ₹ 12,933 Lakh (Previous Year ₹ 12,933 Lakh), resulting in a difference of ₹ 3,545 Lakh (Previous Year ₹ 3,545 Lakh). DNHDDPCL considers this difference to be due to several factors contributing to an excessive claim by GWEL, including:

i) Raising bills from the date of notification instead of the actual date of implementation of the change in law, with compensation allowed only on a paid basis (₹ 305 Lakh), ii) Failure to pass on the reduction in Central Sales Tax and Stowing Excise Duty post-implementation of GST, from July 2017 to June 2019 (₹ 700 Lakh), iii) Claiming service tax (GST on transportation) on a normative basis/for coal transported by other means, whereas change in law compensation was allowed only for transportation by railway (₹ 1,243 Lakh) and iv) Non-measurement of the Gross Calorific Value (GCV) of coal as per CERC directives, resulting in the adoption of the mid-value of GCV from coal invoices (₹ 1,297 Lakh).

An appeal was filed before the Supreme Court of India against the order dated August 14, 2018, issued by the Appellate Tribunal for Electricity (APTEL). In its judgment dated April 20, 2023, the Hon'ble Supreme Court acknowledged GWEL's entitlement to certain change in law claims that were previously allowed by the CERC and APTEL. The Hon'ble Court's ruling was based on policy considerations. DNHDDPCL considers the actual claim amount paid as constituting full and final settlement of all related claims by GWEL. Therefore, the remaining unsettled amount, as detailed above, is considered without merit and remains subject to further examination.

Should there any additional contingent liability related to this claim arise in the future, the resulting claim will be recovered from consumers.

iii) The Corporation has contractually committed (net of advances) ₹ 7,236.36 Lakh and ₹ 137.49 Lakh as at March 31, 2025 and 2024 respectively for purchase / construction of Property, Plant & Equipment and Intangible Assets.

29 i) Related Parties – Key Management Personnel who exercise control :

Name	Designation
a) Shri Praful Patel	Chairman
b) Shri Arun T.	Managing Director

ii) Transaction with related parties mentioned in (I) above;

Remuneration for the FY 2024-25 ₹ NIL (Previous Year ₹ NIL)

Dues outstanding to the Corporation as at 31st March 2025 ₹ NIL (As at 31st March 2024 ₹ NIL)

iii) The Corporation is ultimately controlled by the Central Government of India (GOI). Entities which are controlled, jointly controlled, or significantly influenced by the GOI are considered government-related entities.

The Corporation enters into various transactions in the normal course of business with government-related entities. These include transactions entered into through tendering procedures, where other entities also participate, and other transactions not subject to tendering procedures. All such transactions are carried out at arm's length and are not on non-market terms, reflecting the Corporation's normal day-to-day business operations.





इन लेन-देनों की प्रकृति और सीमा निगम के सामान्य व्यावसायिक क्रम के अनुरूप हैं और इनमें मुख्य रूप से (अर्थात् विद्युत का संचरण, विद्युत की बिक्री और विद्युत कार्यों का पर्यवेक्षण) शामिल हैं। यद्यपि व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण लेन-देनों को अन्यत्र आवश्यकतानुसार अलग से खुलासा किया जाता है, लेकिन सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ अन्य लेन-देनों का सामुहिक प्रभाव व्यक्तिगत रूप से इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि इस गुणात्मक विवरण से आगे विस्तृत मात्रात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता हो।

30 प्रति शेयर अर्जन का विवरण :

i) प्रति शेयर प्राप्ति (EPS) बुनियादी और घटायी हुई (कर के बाद) की गणना निम्नानुसार है

वर्ष	अंश – लाभ और हानि के विवरण अनुसार लाभ (कर के बाद) (लाखों में)	विभाजक – शेष इक्विटी की संख्या का भारित औसत (प्रत्येक 100 रुपये का अंकित मूल्य)	प्रति शेयर अर्जन (राशि रुपये में)
दर विनियत गतिविधियों से पहले निरंतर संचालन के लिए बुनियादी EPS :			
2024-25	3,487.84	3,89,74,445	8.95
2023-24	7,956.47	3,89,74,445	20.41
दर विनियत गतिविधियों से पहले निरंतर संचालन के लिए घटायी हुई EPS :			
2024-25	3,487.84	3,89,74,445	8.95
2023-24	7,956.47	3,89,74,445	20.41
निरंतर और समाप्त संचालन के लिए बुनियादी EPS :			
2024-25	3,487.84	3,89,74,445	8.95
2023-24	7,956.47	3,89,74,445	20.41
निरंतर और समाप्त संचालन के लिए घटायी हुई EPS :			
2024-25	3,487.84	3,89,74,445	8.95
2023-24	7,956.47	3,89,74,445	20.41

* रिपोर्टिंग अवधि के दौरान निगम के पास कोई भी तनुकारी संभावित साधारण शेयर बकाया नहीं है। परिणामस्वरूप, भारतीय लेखा मानक 33, 'प्रति शेयर आय' के अनुसार, प्रति शेयर तनुकृत आय प्रस्तुत अवधि के लिए मूल प्रति शेयर आय के समान है।

ii) प्रति शेयर अर्जन (बुनियादी और घटायी हुई) की गणना के लिए उपयोग लाये गये इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या निम्नलिखित हैं :

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या प्रति शेयर अर्जन बुनियादी की गणना के लिए उपयोग	3,89,74,445	3,89,74,445
प्रति शेयर अर्जन घटायी हुई की गणना के लिए समायोजन :	—	—
शेयर आवेदन राशि	—	—
इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या प्रति शेयर अर्जन घटायी हुई की गणना के लिए उपयोग	3,89,74,445	3,89,74,445

31 Ind AS-36 "परिसंपत्ति के ह्रास" की आवश्यकताओं के अनुसार निगम ने यह आकलन किया है कि क्या किसी परिसंपत्ति या नकदी-उत्पादक इकाई के क्षतिग्रस्त होने का कोई संकेत है। इस आकलन में उसकी व्यावसायिक इकाइयों से भविष्य में आर्थिक लाभ की संभावना का मूल्यांकन भी शामिल था।

इस आकलन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि निगम के चालू व्यवसायों में नियोजित परिसंपत्तियाँ, सामान्य व्यावसायिक क्रम में अपने अनुमानित उपयोगी जीवन काल में पर्याप्त प्रतिफल उत्पन्न करने में सक्षम हैं। इसके विपरित ऐसा कोई संकेत नहीं है जिसे यह संकेत मिले कि इन परिसंपत्तियों की वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती।

तदनुसार, प्रबंधन ने निष्कर्ष निकाला है कि रिपोर्टिंग अवधि के लिए इन वित्तीय विवरणों में किसी क्षति प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

The nature and extent of these transactions are consistent with the Corporation's ordinary course of business and primarily involve [i.e. transmission of power, sale of power and supervision of electricity works]. While individually significant transactions are disclosed separately elsewhere required, the collective impact of other transactions with government-related entities is not individually material to warrant further disaggregated quantitative disclosure beyond this qualitative statement.

30 Details of Earnings per Share :

i) Earnings per Share (EPS) Basic and Diluted (after tax) is calculated as under: (₹ in Lakh)

Year	Numerator - Profit (after tax) as per the Statement of Profit & Loss	Denominator - Weighted Average number of equity shares outstanding (Face Value of ₹ 100/- each)	Earnings Per Share
Basic EPS for continuing operation :			
2024-25	3,487.84	3,89,74,445	8.95
2023-24	7,956.47	3,89,74,445	20.41
Diluted EPS for continuing operation :			
2024-25	3,487.84	3,89,74,445	8.95
2023-24	7,956.47	3,89,74,445	20.41
Basic EPS for continuing and discontinuing operation :			
2024-25	3,487.84	3,89,74,445	8.95
2023-24	7,956.47	3,89,74,445	20.41
Diluted EPS for continuing and discontinuing operation :			
2024-25	3,487.84	3,89,74,445	8.95
2023-24	7,956.47	3,89,74,445	20.41

*The Corporation does not have any dilutive potential ordinary shares outstanding during the reporting period. Consequently, in accordance with Ind AS 33, 'Earnings Per Share', the diluted earnings per share is the same as the basic earnings per share for the period presented.

ii) Weighted average no. of Equity Share used for calculation of Earnings per Share (Basic and Diluted) are as under:

Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
Weighted average no. of Equity Share used for calculation of Basic Earnings per Share	3,89,74,445	3,89,74,445
Adjustments for calculating Diluted Earnings per Share:	—	—
Share Application Money	—	—
Weighted average no. of Equity Share used for calculation of Diluted Earnings per Share	3,89,74,445	3,89,74,445

31 In accordance with the requirements of Ind AS 36, 'Impairment of Assets', the Corporation has assessed whether there is any indication that an asset or a cash-generating unit may be impaired. This assessment included evaluating the potential for future economic benefits from its business units.

Based on this assessment, the management is of the view that the assets employed in the Corporation's continuing businesses are capable of generating adequate returns over their estimated useful lives in the usual course of business. There is no indication to the contrary that would suggest the carrying amount of these assets may not be recoverable.

Accordingly, the management has concluded that no impairment provision is called for in these financial statements for the reporting period.



31 मार्च 2025 तक वित्तीय विवरणों का हिस्सा बननेवाली टिप्पणियाँ

32 विदेशी मुद्रा (भुगतान के आधार पर) में व्यय निम्नानुसार है : (₹ लाख में)

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
i) परियोजना से संबंधित भुगतान	शून्य	शून्य
ii) अन्य मामलों (यात्रा, पुस्तकों की सदस्यता, आवधिक, सदस्यता शुल्क आदि)	शून्य	शून्य

33 विदेशी मुद्रा में रसीदें निम्नानुसार है : (₹ लाख में)

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
-	शून्य	शून्य

34 गैर सुरक्षित विदेशी मुद्रा का विवरण इस प्रकार है : (₹ लाख में)

विवरण	मुद्राओं	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
विविध लेनदार / ज़मा / ऋण / प्रतिधारण राशि	-	शून्य	शून्य
	-	शून्य	शून्य

35 आयात का मूल्य : (₹ लाखों में)

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
आयात का मूल्य की गणना CIF के आधार पर	शून्य	शून्य

36 परिचालन खण्ड के संबंध में प्रकटीकरण :

i) परिचालन खंड :
भारतीय लेखा मानक : Ind AS 108 – परिचालन खण्ड’ के अनुसार, इन वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत खंड संबंधी जानकारी निगम के प्रबंधन द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाने वाली आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर पहचानी जाती है। इन रिपोर्टों का उपयोग खंडों के संसाधन आवंटित करने और उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए किया जाता है। निगम के निदेशक मंडल को सामूहिक रूप से मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (CODM) के रूप में पहचाना जाता है। निगम की गतिविधियाँ, मुख्य रूप से बिजली का पारेषण और बिक्री, एक एकल रिपोर्ट योग्य परिचालन खंड के भीतर, विशेष, रूप से भारत के भीतर किए जाते हैं। इसलिए, निगम के पास भारतीय लेखा मानक 108 के तहत अलग से प्रकटीकरण की आवश्यकता वाले परिचालन खंडों या भौगोलिक खंडों का कोई अन्य महत्वपूर्ण वर्ग नहीं है।

ii) प्रमुख उत्पादों के बारे में जानकारी के संबंध में, निगम मुख्यतः बिजली पारेषण के व्यवसाय में हैं।

iii) चालू वर्ष या पिछले वर्ष में ₹ 5,000 लाख से अधिक बिक्री मूल्य वाले ग्राहक का विवरण। (शिर्ष – 3)

(₹लाख में)

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
उपभोक्ता – अ	6,196.87	11,413.18
उपभोक्ता – ब	-	-
उपभोक्ता – क	-	-
कुल	6,196.87	11,413.18

37 सौर ऊर्जा संयंत्र का उत्पादन और वितरण के संबंध में मात्रात्मक जानकारी :

i) सौर ऊर्जा संयंत्र का उत्पादन :

बिजली	वित्तीय वर्ष	सौर ऊर्जा
उत्पादन (मिलियन Kwh में)	2024-25	6.47
	2023-24	6.09
बिक्री (मिलियन Kwh में)	2024-25	6.47
	2023-24	6.09

ii) संचरण क्षमता :

MW की क्षमता	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
संचरण क्षमता MW के संदर्भ में	789.03	789.03

Notes Forming Part of Financial Statements as at 31 March, 2025

32

Expenditure in foreign currency (on Payment Basis) are as under :

(₹ in Lakh)

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
i) Project related payments	NIL	NIL
ii) Other matters (travelling, subscription to books, periodicals, membership fee, etc.)	NIL	NIL

33

Receipts in foreign currency are as under :

(₹ in Lakh)

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
—	NIL	NIL

34

Foreign Currency Exposures not hedged are as under :

(₹ in Lakh)

Particulars	Currencies	FY 2024-25	FY 2023-24
Sundry Creditors / Deposits /	—	NIL	NIL
Loans / Retention Money	—	NIL	NIL

35

Value of imports :

(₹ in Lakh)

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
Value of imports calculated on CIF basis	NIL	NIL

36

Disclosure in respect of Operating Segments :

i) Operating Segments :-

In accordance with Ind AS 108, 'Operating Segments', the segment information presented in these financial statements is identified on the basis of internal reports regularly reviewed by the Corporation's management. These reports are utilized to allocate resources to the segments and assess their performance. The Board of Directors of the Corporation is collectively identified as the Chief Operating Decision Maker (CODM). The Corporation's activities, primarily the transmission and sale of electricity, constitute a single reportable operating segment. Furthermore, all operations are conducted within one geographical segment, specifically within India. Therefore, the Corporation does not have any other significant classes of operating segments or geographical segments requiring separate disclosure under Ind AS 108.

ii) With regard to information about major products – The Corporation is mainly in the business of Transmission of Power.

iii) Details of customers having sales value more than ₹ 5,000 lakh or more either in current year or previous year (Top-3)

(₹ in Lakh)

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
Consumer - A	6,196.87	11,413.18
Consumer - B	—	—
Consumer - C	—	—
Total	6,196.87	11,413.18

37

Quantitative information in respect of generation of solar energy and transmission capacity :

i) Generation of Solar Energy :

Electricity	Financial Year	Solar Energy
Generation (In Millions Kwh)	2024-25	6.47
	2023-24	6.09
Sales (In Millions Kwh)	2024-25	6.47
	2023-24	6.09

ii) Transmission Capacity :

Capacity in MW	FY 2024-25	FY 2023-24
Transmission Capacity in terms of MW	789.03	789.03



31 मार्च 2025 तक वित्तीय विवरणों का हिस्सा बननेवाली टिप्पणियाँ

38 अ. वित्तीय प्रपत्र – उचित मूल्य और जोखिम प्रबंधन :

निम्नलिखित तालिका उचित मूल्य पदानुक्रम में उनके स्तर सहित वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की ले जाने वाली धारण राशि और उचित मूल्य दिखाती है :

(लाखों में)

	नोट क्रम	अन्य वित्तीय संपत्ति परिशोधन किमत	अन्य वित्तीय देनदारियाँ	कुल धारण राशि	स्तर – 1 (निर्धारित लागत)	स्तर – 2 (महत्वपूर्ण आवश्यक निविष्ट)	स्तर – 3 (महत्वपूर्ण) अनावश्यक निविष्ट)	कुल	उचित मूल्य तकनीक एवं मुख्य निविष्ट
31 मार्च 2025 तक									
उचित मूल्य परपरिमाणित वित्तीय संपत्तियाँ		–	–	–	–	–	–	–	–
वित्तीय संपत्तियों को उचित मूल्य पर परिमाणित नहीं किया जाना		–	–	–	–	–	–	–	–
प्राप्तियों और अन्य*	4,6,7,8	67,412.71	–	67,412.71	–	–	–	–	–
कुल		67,412.71	–	67,412.71	–	–	–	–	–
वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पर परिमाणित नहीं किया जाना		–	–	–	–	–	–	–	–
देय और अन्य*	13,14,18,19	–	2,319.52	2,319.52	–	–	–	–	–
कुल		–	2,319.52	2,319.52	–	–	–	–	–
31 मार्च 2024 तक									
उचित मूल्य परपरिमाणित वित्तीय संपत्तियाँ		–	–	–	–	–	–	–	–
वित्तीय संपत्तियों को उचित मूल्य पर परिमाणित नहीं किया जाना		–	–	–	–	–	–	–	–
प्राप्तियों और अन्य*	4,6,7,8	64,447.73	–	64,447.73	–	–	–	–	–
कुल		64,447.73	–	64,447.73	–	–	–	–	–
वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पर परिमाणित नहीं किया जाना		–	–	–	–	–	–	–	–
देय और अन्य*	13,14,18,19	–	2,281.31	2,281.31	–	–	–	–	–
कुल		–	2,281.31	2,281.31	–	–	–	–	–

* निगम ने वित्तीय उपकरणों के लिए उचित मूल्यों का खुलासा नहीं किया है क्योंकि उनकी लाभित रकम उचित मूल्य का उचित अनुमान है ।

ब. पूँजी प्रबंधन :

निगम ने वित्तीय प्रपत्रों से उत्पन्न होने वाले निम्नलिखित जोखिमों का आकलन किया है :

जोखिम	जोखिम के कारक	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकद एवं नकद समकक्ष, बैंक शेष, व्यापार प्राप्तियाँ और परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय संपत्ति	आयुक्षय विश्लेषण और क्रेडिट रेटिंग	समय-समय पर वसूली सुनिश्चित करना और सभी प्राप्तियों की बारीकी से निगरानी करने के लिए नियमित अनुवर्ती
तरलता जोखिम	उधार और अन्य देनदारियाँ	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान	संचालन के माध्यम से नियमित नकदी प्रवाह की उपलब्धता

क. ऋण जोखिम प्रबंधन :

ऋण जोखिम एक ऐसे संकट को संदर्भित करता है कि एक प्रतिपक्षियों अपने संविदात्मक दायित्वों पर चूक करेगा जिसके परिणामस्वरूप निगम को वित्तीय नुकसान होगा । ऋण जोखिम नकद और नकद समकक्षों, परिशोधित लागत पर किए गए निवेश, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास जमा के साथ-साथ बकाया प्राप्य सहित ग्राहकों के लिए ऋण जोखिम से उत्पन्न होता है ।

वित्तीय परिसंपत्तियों की राशि का वहन करना अधिकतम ऋण जोखिम का प्रतिनिधित्व करता है ।

Notes Forming Part of Financial Statements as at 31 March, 2025

38 A Financial Instruments – Fair value and risk management

The following table shows the carrying amount and fair value of financial assets and financial liabilities including their levels in the fair value hierarchy :

(₹ in Lakh)

	Note No.	Other financial assets- Amortised cost	Other financial liabilities	Total Carrying Amount	Fair Value Level 1 (Quoted Prices)	Fair Value Level 2 (Significant observable inputs)	Fair Value Level 3 (Significant unobservable inputs)	Total	Valuation technique and key input
As at 31st March 2025									
Financial Assets measured at Fair value		–	–	–	–	–	–	–	–
Financial Assets not measured at Fair value		–	–	–	–	–	–	–	–
Receivables & Others*	4,6,7,8	67,412.71	–	67,412.71	–	–	–	–	–
Total		67,412.71	–	67,412.71	–	–	–	–	–
Financial Liabilities not measured at fair value		–	–	–	–	–	–	–	–
Payables & Others*	13,14,18,19	–	2,319.52	2,319.52	–	–	–	–	–
Total		–	2,319.52	2,319.52	–	–	–	–	–
As at 31st March 2024									
Financial Assets measured at Fair value		–	–	–	–	–	–	–	–
Financial Assets not measured at Fair value		–	–	–	–	–	–	–	–
Receivables & Others*	4,6,7,8	64,447.73	–	64,447.73	–	–	–	–	–
Total		64,447.73	–	64,447.73	–	–	–	–	–
Financial Liabilities not measured at fair value		–	–	–	–	–	–	–	–
Payables & Others*	13,14,18,19	–	2,281.31	2,281.31	–	–	–	–	–
Total		–	2,281.31	2,281.31	–	–	–	–	–

* The Corporation has not disclosed the fair values for financial instruments as their carrying amounts are reasonable approximation of fair value.

B. Financial risk management:

The Corporation has assessed followed risks arising from financial instruments:-

Risk	Exposure arising from	Measurement	Management
Credit risk	Cash & Cash equivalents, Bank Balance, Trade Receivables and financial assets measured at amortised cost.	Ageing analysis and credit ratings	Regular follow ups to ensure timely recovery and closely monitoring all receivables
Liquidity risk	Borrowings and other liabilities	Cash flow forecasts	Availability of regular cash flows through operations.

C. Credit risk management :

Credit risk refers to the risk that a counter-party will default on its contractual obligations resulting in financial loss to the Corporation. Credit risk arises from Cash and Cash equivalents, investments carried at amortised cost, deposits with banks and financial institutions as well as credit exposures to customers including outstanding receivables.

The carrying amounts of financial assets represent maximum credit exposure.





व्यापार प्राप्य और व्यापार देय :

निगम भी सभी ग्राहकों के लिए 45 दिनों की अधिकतम भुगतान अवधि स्थापित करके और निर्धारित समय अवधि के भीतर भुगतान किए जाने पर त्वरित निपटान छूट प्रदान करके व्यापार प्राप्य से ऋण जोखिम के प्रति अपने जोखिम को सीमित करता है। निगम का मुख्य उपभोक्ता 'डिस्कॉम' है जो 70% से अधिक योगदान देता है और काफी समय से निगम के साथ लेन-देन कर रहा है, और ग्राहक की शेष रिपोर्टिंग तिथि पर कभी भी ऋण-क्षतिग्रस्त नहीं होती है।

प्रतिपक्ष के प्रकार के अनुसार व्यापार प्राप्य के लिए निगम का ऋण जोखिम नोट 6 में दिया गया है। निगम अपने व्यापार प्राप्ति्यों से जुड़े ऋण जोखिम को कवर करने के लिए प्रासंगिक विद्युत विनियमों को ध्यान में रखते हुए, ऋण पत्र या बैंक गारंटी के रूप में सुरक्षा जमा एकत्र करता है।

बैंकों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के साथ शेष राशि :

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए, केवल उच्च रेटिंग वाले बैंक/संस्थाएँ ही स्वीकार की जाती हैं। निगम के पास बैंक और वित्तीय संस्थान प्रतिपक्षियों के पास नकदी और नकदी समकक्ष हैं, जिनकी विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित रेटिंग के आधार पर उच्चतम सुरक्षा रेटिंग है। निगम का मानना है कि प्रतिपक्षियों की बाहरी क्रेडिट रेटिंग के आधार पर इसकी नकदी और नकदी समकक्षों में कम क्रेडिट जोखिम है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, निगम उचित और सहायक भविष्य की जानकारी के आधार पर क्रेडिट जोखिम का आकलन और प्रबंधन करता है। निगम के पास इन मदों के लिए महत्वपूर्ण क्रेडिट जोखिम खुलासे नहीं हैं।

ड. तरलता जोखिम प्रबंधन :

तरलता जोखिम को उस जोखिम के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें निगम को अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में, या उन्हें उचित मूल्य पर निपटाने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

निगम का वित्त विभाग मुख्य रूप से तरलता, वित्तपोषण और निपटान कार्यों से प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। निगम पर्याप्त नकदी अधिशेष और आसानी से उपलब्ध बैंकिंग सुविधाओं को बनाए रखकर अपने तरलता जोखिम का प्रबंधन करता है। यह नकदी प्रवाह पूर्वानुमानों को निरंतर निगरानी और अल्पकालिक और दीर्घकालिक देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधनों को उपलब्धता सुनिश्चित करके प्राप्त किया जाता है।

ई. पूँजी प्रबंधन :

पूँजी प्रबंधन करते समय निगम का प्राथमिक उद्देश्य एक चालू व्यवस्था के रूप में अपनी क्षमता को बनाए रखना है। यह सुनिश्चित करता है कि निगम अपने शे. रधारकों को प्रतिफल प्रदान करता रहे और पूँजी के अन्य हितधारकों के लिए लाभ उत्पन्न करता है।

निलम का लक्ष्य अपनी व्यावसायिक गतिरिधियों का समर्थन करने, भविष्य के विकास को सुगम बनाने और अपने वित्तीय दायित्वों को कुशलतापूर्वक पूरा करने के लिए एव इषअङ्गथण फऊँजी संरचना बनाए रखना है। इसमें वित्तीय लचीलापन और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन बनाए रखते हुए पूँजी की लागत को अनुकूलित करने के लिए इक्विटी और ऋण को संतुलित करना शामिल है।

फ. चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम आदि :

प्रबंधन की राय में और उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, सामान्य व्यवसाय क्रम में चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों की प्राप्ति पर मूल्य पर मूल्य, वित्तीय विवरण में बताई गई राशि से कम नहीं होगा।

- 39 i) बेहतर प्रस्तुति प्राप्त करने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़े को पुनःसमूहीकृत/पुनवर्गीकृत किया गया है, जहाँ भी आवश्यक समझा गया हो।
- ii) वित्तीय विवरणों और संलग्न नोट्स में प्रस्तुत सभी मौद्रिक राशियाँ कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूचि III की आवश्यकताओं के अनुसार दो, दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित, लाख रुपये में दर्शाई गई हैं, जब तक कि अन्यथा स्पष्ट रूप से न कहा गया हो।
- iii) निगम टैली प्राइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। जिसमें एक अतर्निहित ऑडिट लॉग (लॉग संपादित करें) सुविधा शामिल है जो वित्तीय वर्ष की शुरुआत से लेखा पुस्तकों में किए गए सभी परिवर्तनों को रिकॉर्ड करती है। यह सुविधा पूरे वर्ष सक्षम और चागू रहती है, जिससे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल कार्यक्षमता के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित होता है।



Trade receivables & Trade payables :

The Corporation limits its exposure to credit risk from trade receivables by establishing a maximum payment period of 45 days for all customers and by offering prompt settlement discounts if payment done within the stipulated time period. The Corporation's main consumer is Discom contributing more than 70% and has been transacting with the Corporation for over significant period of time, and the customer's balances are never credit-impaired at the reporting date.

The Corporation's exposure to credit risk for trade receivables by type of counter-party is given in Note no. 6. The Corporation collects the security deposits in the form of Letter of Credit or Bank Guarantee, considering the relevant electricity regulations to cover its credit risks associated with its trade receivables.

Balances with Banks and other financial assets :

For banks and financial institutions, only high rated banks/institutions are accepted. The Corporation holds cash and cash equivalents with bank and financial institution counterparties, which are having highest safety ratings based on ratings published by various credit rating agencies. The Corporation considers that its cash and cash equivalents have low credit risk based on external credit ratings of the counterparties.

For other financial assets, the Corporation assesses and manages credit risk based on reasonable and supportive forward looking information. The Corporation does not have significant credit risk exposure for these items.

D. Liquidity risk management :

Liquidity risk is defined as the risk that the Corporation will encounter difficulty in meeting its financial obligations as they fall due, or in settling them at a reasonable price.

The Corporation's Finance Department is primarily responsible for the management of liquidity, funding, and settlement operations. The Corporation manages its liquidity risk by maintaining adequate cash surpluses and readily available banking facilities. This is achieved through continuous monitoring of cash flow forecasts and ensuring sufficient financial resources are accessible to meet short-term and long-term liabilities.

E Capital Management:

The Corporation's primary objective when managing capital is to safeguard its ability to continue as a going concern. This ensures that the Corporation can continue to provide returns to its shareholders and generate benefits for other stakeholders of capital.

The Corporation aims to maintain an optimal capital structure to support its business activities, facilitate future growth, and meet its financial obligations efficiently. This involves balancing equity and debt to optimize the cost of capital while maintaining financial flexibility and compliance with regulatory requirements.

F. Current Assets, Loans and Advances etc. :

In the opinion of the management and to the best of their knowledge and belief, the value on realization of current assets, loans and advances in the ordinary course of business would not be less than the amount at which there are stated in the Financial Statement.

- 39 i) Previous Year figures have been regrouped / reclassified to achieve the better presentation, requirement wherever found necessary.
- ii) All monetary amounts presented in these financial statements and accompanying notes have been stated in Rupees Lakh, rounded to two decimal places, in accordance with the requirements of Schedule III of the Companies Act, 2013, unless otherwise explicitly stated.
- iii) The Corporation utilises Tally Prime accounting software, which includes a built-in audit log (edit log) feature that records all changes made to the books of accounts from the beginning of the financial year. This feature is enabled and operational throughout the year, ensuring compliance with the Ministry of Corporate Affairs' requirements for audit trail functionality in accounting software.



40 हाल की घोषणाएँ या संशोधन

कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय ("MCA") कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत नए लेखा मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन जारी करता है, जिन्हें समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। 19 सितंबर, 2024 और 28 सितंबर, 2024 को, MCA ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2024 को, "अधिसूचित किया। यह संशोधन 01 अप्रैल, 2024 या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधियों के लिए प्रभावी है और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित निम्नलिखित भारतीय लेखा मानक (Ind AS) से संबंधित है ;

भारतीय लेखा मानक 117 – बीमा अनुबंध

भारतीय लेखा मानक 116– बिक्री और लीजबैक में पट्टा देयता

निगम ने इन संशोधन का मूल्यांकन किया है और यह निर्धारित किया है कि इन संशोधनों का पूर्व अवधियों के लिए उसके स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके अलावा, इस मूल्यांकन के आधार पर इन संशोधनों का वर्तमान या भविष्य को रिपोर्टिंग अवधियों के वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।

44 कंपनी अधिनियम, 2013 के डिवीजन – II की अनुसूची – III में निहित अतिरिक्त विनियमन जानकारी के मद्देनजर अन्य प्रकटीकरण

- i) बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 या उसके तहत बनाये गये नियमों के तहत निगम के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है / लंबित है और तदनुसार, संबंधित अनुसूची – III में निर्धारित संबंधित प्रकटीकरण लागू नहीं होगा।
- ii) निगम ने चालू वर्ष में परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से कोई फंड आधारित या गैर फंड आधारित ऋण सुविधा का लाभ नहीं उठाया है। इस प्रकार, इन मामलों पर प्रासंगिक प्रकटीकरण लागू नहीं होगा।
- iii) चूंकि निगम ने बैंक/वित्तीय संस्था से किसी भी प्रकार का वित्त पोषण नहीं लिया है। खुदराय बकाएदारों के रूप में निगम की घोषणा लागू नहीं होगी।
- iv) निगम ने वैधानिक अवधि के भीतर कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ जब भी आवश्यक हो, पंजीकरण/प्रभार की संतुष्टि दर्ज की है।
- v) निगम एक पारेषण उपयोगिता है और निगम ने किसी भी बंद कंपनी में कोई निवेश नहीं किया है। इसके अलावा सरकारी निगम होने के कारण, निगम का कोई भी शेयर किसी भी नाम से हटाई गई कंपनी के पास नहीं है। इसके अलावा, निगम व्यावसाय के सामान्य क्रम की तरह किसी अन्य कंपनी को बिजली संचारित करता है और इन उपभोक्ताओं को बिजली संचारित करने से पहले सुरक्षा जमा प्रदान करना आवश्यक होता है। इस प्रकार, यह देखा गया है कि किसी भी अन्य कंपनी पर कोई भौतिक राशि बकाया नहीं है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कंपनी रजिस्ट्रार, गुजरात द्वारा बंद की गई कंपनी के साथ प्राप्य (अर्थात पिछला बकाया) के रूप में कुछ लेनदेन होंगे। हालाँकि, चूंकि पिछले बकाया उपभोक्ताओं से कोई महत्वपूर्ण राशि बकाया नहीं है, इसलिए, हटाई गई कंपनी से बकाया प्राप्तियों का खुलासा नहीं किया गया है क्योंकि यह सारहीन, कठिन काम है और वर्तमान प्रणाली में अपेक्षित जानकारी का अभाव भी है।
- vi) निगम ने किसी अन्य व्यक्ति / संस्था को उक्त निधि का निपटान चिन्हित तरीके से निपटान करने की समझ के साथ अग्रिम / ऋण / निवेश निधि नहीं दी है। इसके अलावा, निगम को फंडिंग पार्टी के निर्देशों के साथ उक्त फंड का उपयोग करने की समझ के साथ किसी अन्य व्यक्ति / संस्था से कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार, इन मामलों पर प्रासंगिक प्रकटीकरण लागू नहीं होगा।
- vii) निगम के पास अधोषित आय सहित कोई अलिखित लेनदेन नहीं है, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अतिरिक्त रूप से प्रकट किया गया है।
- viii) निगम ने निर्धारित वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्राओं / अभासी मुद्राओं में व्यापार /निवेश नहीं किया है।
- ix) इक्विटी शेयरधारकों को वितरित किए जाने वाले लाभांश की कोई राशि प्रस्तावित नहीं है।
- x) निगम ने अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची– III, प्रभाग– II में अपेक्षित संबंधित जानकारी का खुलासा नहीं किया गया है।



40 Recent Pronouncements or Amendments :

The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") issues new accounting standards or amendments to existing standards under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, as periodically updated. On September 9, 2024, and September 28, 2024, the MCA notified the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2024. These amendments are effective for annual reporting periods commencing on or after April 1, 2024, and pertain to the following Ind AS as notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015:

Ind AS 117– Insurance Contracts

Ind AS 116– Lease Liability in Sale and Leaseback

The Corporation has assessed these amendments and determined that these amendments did not have any impact on the amounts recognized in its standalone financial statements for prior periods. Furthermore, based on this evaluation, these amendments are not anticipated to have a significant effect on the financial statements of the current or future reporting periods.

41 Other Disclosures in view of additional regulation information contained in Schedule-III of Division –II of the Companies Act, 2013.

- i) Any proceedings under Prohibition of Benami Property Transaction Act, 1988 or rules made thereunder has not been initiated / pending against the Corporation and accordingly, the related disclosures as prescribed in the respective Schedule-III would not be applicable.
- ii) The Corporation has not availed any fund based or non fund based credit facilities from any bank or financial institution on the basis of security of current assets in current year. As such, the relevant disclosure on these matters would not be applicable.
- iii) As the Corporation has not availed any sort of funding from Bank / financial institution. The declaration of the Corporation as willful defaulter would not be applicable.
- iv) The Corporation has registered the registration/ satisfaction of charge, whenever required with register of companies within the statutory period.
- v) The Corporation is a transmission utility and the Corporation has not made any investment in any struck off company. Further, being 100% Government Corporation, any shares of the Corporation is not held by any struck off company. Moreover, the Corporation transmit power to any other company as in the normal course of business and these consumers are required to provide security deposit before transmit of power. As such, it has been noticed that no material amount has been outstanding from any other company. In view of above, there would be some transactions in form of receivables (i.e. past arrear) with the struck off company by the Registrar of Companies, Gujarat. However, as no material amount is outstanding from past arrear consumers, hence, the receivables outstanding from struck off company is not disclosed being immaterial, tedious work and also absence of the requisite information in the present system.
- vi) The Corporation has not advanced/loaned/invested funds to any other person/entity with the understanding to have the disposal of said fund in identified manner. Further, the Corporation has not received any fund from any other person/ entity with the understanding to utilize the said fund with the instructions of the funding party. As such, the relevant disclosure on these matters would not be applicable.
- vii) The Corporation has no unrecorded transactions including undisclosed income which has been additionally disclosed under the Income Tax Act, 1961.
- viii) The Corporation has not traded/invested in crypto currencies / virtual currencies during the prescribed financial year.
- ix) There are no amounts of dividends proposed to be distributed to equity share holders.
- x) The Corporation has not revalued its property, plant & equipment and intangible assets. Hence, the related information as required in Schedule – III, Division – II of the Companies Act, 2013 has not been disclosed.



31 मार्च 2025 तक वित्तीय विवरणों का हिस्सा बननेवाली टिप्पणियाँ

- xi) निगम ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी तथा संबंधित पक्षों को अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम राशि नहीं दी है।
- xii) बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से प्रतिभूतियों के किसी भी निर्गम तथा दीर्घकालिक उधार के संबंध में कोई अप्रयुक्त राशि नहीं है।
- xiii) निगम के पास विकाधीन कोई अमूर्त परिसंपत्ति नहीं है।
- xiv) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूचि III के अनुसार अन्य मामलों के संबंध में जानकारी या तो शून्य है या लागू नहीं है या निगम को जहां भी आवश्यक हो, उसका अनुपालन / प्रकटीकरण किया गया है।
- xv) 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए विश्लेषणात्मक अनुपात :

विवरण	अंश-गणक	विभाजक	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	विवरण	कारण
चालू अनुपात	वर्तमान परिसंपत्तियाँ	वर्तमान देयताएँ	21.56	28.51	-24.38%	लागू नहीं
ऋण-इक्विटी अनुपात (1)	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	—	—	0.00%	लागू नहीं
ऋण सेवा आवरित अनुपात (2)	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय (3)	ऋण सेवा	—	—	0.00%	लागू नहीं
इक्विटी अनुपात पर वापसी	आय के बाद निवल लाभ	औसत शेयरधारकों की इक्विटी	4.48%	11.04%	-59.42%	देखें (6)
आविष्करण आवर्त अनुपात	बेचे गये माल की लागत/कुल व्यय	औसत वस्तु सूचि	16.70	35.36	-52.77%	देखें (7)
प्राप्य व्यापार कारोबार अनुपात	संचालन से राजस्व	औसत व्यापार प्राप्तियाँ	6.84	7.45	-8.19%	लागू नहीं
व्यापार देय कारोबार अनुपात	बिजली की खरीद	औसत व्यापार देय	—	—	0.00%	लागू नहीं
नियोजित पूंजी कारोबार अनुपात	संचालन से राजस्व (यानी निवल बिक्री)	कार्यशील पूंजी (यानी वर्तमान परिसंपत्तियाँ - वर्तमान देयताएँ)	0.07	0.21	-66.67%	देखें (6)
निवल लाभ अनुपात	कर के बाद निवल लाभ	संचालन से राजस्व (यानी निवल बिक्री)	76.85%	61.66%	24.64%	लागू नहीं
पूंजी नियोजित अनुपात पर राजस्व	ब्याज और करों से पहला आय	नियोजित पूंजी (4)	5.97%	14.09%	-57.63%	देखें (6)
निवेश अनुपात पर वापसी (5)	कर के पहले अर्जन	कुल इक्विटी	6.09%	14.35%	-57.56%	देखें (6)

- कोई दीर्घकालिक ऋण नहीं है, इसलिए, उक्त अनुपात की गणना नहीं की जाती है।
- कोई दीर्घकालिक ऋण नहीं है, इसलिए, उक्त अनुपात की गणना नहीं की जाती है।
- ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय = कर के बाद शुद्ध लाभ + गैर- नकद परिचालन व्यय + ब्याज + अन्य समायोजन जैसे अचल संपत्तियों की हानि बिक्री।

Notes Forming Part of Financial Statements as at 31 March, 2025

- xi) The Corporation has not granted any loans or advances in the nature of loans to promoters, directors, KMPs and the related parties either severally or jointly with any other person.
- xii) There are no unutilized amounts in respect of any issue of securities and long term borrowings from banks and financial institutions.
- xiii) The Corporation does not have any intangible asset under development.
- xiv) Information with regard to other matters as required by Schedule III of the Companies Act, 2013 are either NIL or Not Applicable or Complied / Disclosed wherever required to the Corporation.
- xv) Analytical Ratios for the year ended March 31, 2025 and March 31, 2024

Particulars	Numerator	De nominator	31st March 2024	31st March 2023	Variance	Reason
Current Ratio	Current Assets	Current Liabilities	21.56	28.51	-24.38%	Not Applicable
Debt- Equity Ratio (1)	Total Debt	Shareholder's Equity	—	—	0.00%	Not Applicable
Debt Service Coverage Ratio (2)	Earnings available for debt service (3)	Debt services	—	—	0.00%	Not Applicable
Return on Equity Ratio	Net profit after tax	Average Shareholder's Equity	4.48%	11.04%	-59.42%	Refer (6)
Inventory Turnover Ratio	Cost of Goods Sold / Total Expenses	Average Inventory	16.70	35.36	-52.77%	Refer (7)
Trade Receivables Turnover Ratio	Revenue from Operation	Average Trade Receivables	6.84	7.45	-8.19. %	Not Applicable
Trade Payables Turnover Ratio	Purchase of Power	Average Trade Payables	—	—	0.00%	Not Applicable
Net Capital Turnover Ratio	Revenue from operation (i.e. Net Sales)	Working Capital - (i.e. Current Assets - Current Liabilities)	0.07	0.21	-66.67%	Refer (6)
Net profit Ratio	Net profit after tax	Revenue from operation (i.e. Net Sales)	76.85%	61.66%	24.64%	Not Applicable
Return on Capital Employed Ratio	Earning before interest and taxes	Capital Employed (4)	5.97%	14.09%	-57.63%	Refer (6)
Return on Investment Ratio (5)	Earning before taxes	Total Equity	6.09%	14.35%	-57.56%	Refer (6)

- There is no long term debt, hence, the said ratio is not calculated.
- There is no long term debt, hence, the said ratio is not calculated.
- Earnings available for debt service = Net profit after tax + non-cash operating expenses + interest + other adjustments like loss sale of fixed assets.



31 मार्च 2025 तक वित्तीय विवरणों का हिस्सा बननेवाली टिप्पणियाँ

- 4 नियोजित पूंजी = मूर्त निवल मूल्य (यानी कुल इक्विटी - अमूर्त संपत्ति) + कुल दीर्घकालिक ऋण + आस्थगित कर देयता।
- 5 व्यापार में एक निवेशक है यानी इक्विटी शेयरधारक और इक्विटी शेयर पूंजी का बी बाजार में कारोबार नहीं होता है। तदनुसार, उक्त अनुपात की गणना मूल्य / कुल इक्विटी को ध्यान में रखते हुए की जाती है।
- 6 चालू वित्त वर्ष 2024-25 में, कंपनी एक दर विनियमित वातावरण में काम करती है जहां मूल्य निर्धारण और राजस्व का निर्धारण सम्मानित आयोग द्वारा किया जाता है। रिपोर्ट किए गए शुद्ध लाभ पर वार्षिक राजस्व की अनुमानित स्वीकृति से कम प्रभाव पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में कुछ प्रमुख वित्तीय अनुपातों में 25% से अधिक का अंतर आया है।
- 7 विद्युत पारेषण में, वस्तु सूचि में मुख्य रूप से भंडार और कलपूर्जें शामिल हैं, इसलिए, उक्त अनुपात बहुत अधिक है।

42 तुलन पत्रक की तारीख के बाद होने वाली घटनाएँ :

2020, में, दादरा एवं नगर हवेली (DNH) और दमण एवं दीव (DD) केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के विलय के बाद, विद्युत विभाग DNH और विद्युत विभाग DD, विद्युत पारेषण के संबंध में स्वतंत्र रूप से कार्य करते रहे। इसके परिणामस्वरूप, संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (JERC) के पास अलग-अलग टैरिफ दाखिल किए गए और परिणामस्वरूप, एकीकृत केंद्र शासित प्रदेश में तीन अलग-अलग टैरिफ (ED-DNH, ED-DD और DNH एवं DD पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए एक-एक) स्थापित किए गए। इस अव्यवस्था को दूर करने, संचालन को सुव्यवस्थित करने, संसाधनों के उपयोग में सुधार लाने और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में एक समान सेवा वितरण और टैरिफ सुनिश्चित करने के लिए, विद्युत पारेषण व्यवस्था के निगममीकरण का प्रस्ताव रखा गया।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 131, 133 और 134 के तहत प्रदत्त उपर्युक्त उद्देश्यों और शक्तियों के अनुरूप, दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव के केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने अधिसूचना संख्या DNHDDPCL/01/2022/HR&ADMIN/135 दिनांक 01 अप्रैल, 2025, से दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव विद्युत (पुनर्गठन एवं सुधार) हस्तांतरण योजना के अधिसूचित किया गया। यह विद्युत विभाग- DNH और विद्युत विभाग- DD दोनों के विद्युत पारेषण व्यवसाय का मौजूदा DNH और DD पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DNHDDPCL) में निगममीकरण करने का आदेश देती है। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य 220 KV और 66 KV सब-स्टेशनों और ट्रांसमिशन लाइनों के प्रबंधन सहित ट्रांसमिशन नेटवर्क पर नियंत्रण को केंद्रीकृत करना और JERC के समक्ष एकल टैरिफ याचिका दायर करने में सक्षम बनाना है।

स्थानांतरण योजना, 2025 के अनुसार, परिसंपत्तियों और देनदारियों का वहन मूल्य, 31 मार्च, 2023 तक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित था, जो नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत किया गया है। ये वहन मूल्य वास्तविक स्थानांतरण तिथि, अर्थात् 01 अप्रैल, 2025 को परिवर्तन के अधीन हैं, और यह ED-DD और ED-DNH के अंतिम विलयित बैलेंस शीट की एक अलग अधिसूचना में परिलक्षित होगा। उक्त स्थानांतरण के बाद, DNHDDPCL विलयित अंतिम बैलेंस शीट की अधिसूचना अलग अधिसूचना के अनुसार परिसंपत्तियों और देनदारियों को उनके शुद्ध वहन मूल्य पर समाहित करेगा और मौजूदा शेयरधारकों को संबंधित इक्विटी शेयर पूंजी जारी करेगा।

(₹ लाख में)

परिसंपत्तियाँ	ED – DNH विभाग	ED – DD विभाग	कुल
1. गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (PPE)	14,651.93	18,938.98	33,590.91
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	–	362.79	362.79
कुल गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ (1)	14,651.93	19,301.77	33,953.69
2. वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
i) भंडार	–	1,257.99	1,257.99
ii) वित्त परिसंपत्तियाँ			
अ) व्यापार प्राप्त	213.81	6,754.93	6,968.74
ब) नकद एवं नकद समकक्ष	281.51	1,578.52	1,860.03
क) ऋण एवं अग्रिम	–	59.31	59.31
कुल वर्तमान परिसंपत्तियाँ (2)	495.32	9,650.75	10,146.07
कुल परिसंपत्तियाँ (3=1+2)	15,147.25	28,952.52	44,099.77

Notes Forming Part of Financial Statements as at 31 March, 2025

- (4) Capital Employed = Tangible Net worth (i.e. Total Equity - Intangible Assets) + Total Long Term Debt + Deferred Tax Liability.
- (5) There is one investor in business i.e. equity shareholders and the equity share capital is also not traded in the market. Accordingly, the said ratio is computed considering the net worth / total equity.
- (6) In the current fiscal year 2024-25, the Company operates within a rate-regulated environment where pricing and revenue are determined by the respective Commission. The reported net profit was impacted by lower-than-anticipated approval of annual revenue, which has resulted in a variance exceeding 25% in certain key financial ratios compared to the previous year.
- (7) In Electricity Transmission, the inventory mainly includes stores and spares, hence, the said ratio is on higher side.

42 Events Occurring after Balance Sheet date :

After the merger of the Union Territories (UTs) of Dadra and Nagar Haveli (DNH) and Daman and Diu (DD) in 2020, the Electricity Department-DNH and Electricity Department-DD continued to operate independently concerning electricity transmission. This led to separate tariff filings with the Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) and consequently, three distinct tariffs across the unified UT (one each for ED-DNH, ED-DD, and the DNH and DD Power Corporation Limited). To address this disorganization, streamline operations, improve resource utilization, and ensure uniform service delivery and tariffs across the entire Union Territory, a proposal for the corporatization of the electricity transmission business was put forth.

In line with the aforementioned objectives and powers conferred to it under the Section 131, 133 and 134 of the Electricity Act, 2003, the UT Administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu, via notification no. DNHDDPCL/01/2022/HR&ADMIN/135 dated April 01, 2025, notified "THE DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU ELECTRICITY (REORGANISATION AND REFORMS) TRANSFER PLAN, 2025." This notification mandates the corporatization of the electricity transmission business of both Electricity Department-DD and Electricity Department-DNH into the existing DNH and DD Power Corporation Limited (DNHDDPCL) with effect from April 01, 2025. This strategic move aims to centralize control over the transmission network, including the management of 220 KV and 66 KV substations and transmission lines, and enable the filing of a single tariff petition before JERC.

The carrying values of the assets and liabilities as per the Transfer Plan, 2025, was based on the audited financial statements as of March 31, 2023 is presented in table below. These carrying values are subject to change on the actual transfer date i.e. April 1, 2025, and that will be reflected in a separate notification of the final merged balance sheet of the ED-DD and ED-DNH. Upon the said transfer, the DNHDDPCL will incorporate the assets and liabilities at their net carrying value as per the notified separate notification of the merged final balance sheet and issue corresponding equity share capital to the existing shareholders.

(₹ in Lakh)

ASSETS	ED – DNH Part	ED – DD Part	Total
1. Non-Current Assets			
Property, Plant and Equipment (PPE)	14,651.93	18,938.98	33,590.91
Intangible Assets	–	362.79	362.79
Total Non-Current Assets (1)	14,651.93	19,301.77	33,953.69
2. Current Assets			
i) Inventories	–	1,257.99	1,257.99
ii) Financial Assets			
a) Trade Receivables	213.81	6,754.93	6,968.74
b) Cash and Cash Equivalents	281.51	1,578.52	1,860.03
c) Loans and Advances	–	59.31	59.31
Total Current Assets (2)	495.32	9,650.75	10,146.07
TOTAL ASSETS (3=1+2)	15,147.25	28,952.52	44,099.77



31 मार्च 2025 तक वित्तीय विवरणों का हिस्सा बननेवाली टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

देयताएँ	ED – DNH विभाग	ED – DD विभाग	कुल
1. गैर-वर्तमान देयताएँ			
i) वित्तीय देयताएँ			
अ) अन्य वित्तीय देयताएँ	–	272.81	272.81
कुल गैर-वर्तमान देयताएँ (4)	–	272.81	272.81
2. वर्तमान देयताएँ			
i) वित्तीय देयताएँ			
अ) व्यापार एवं अन्य प्राप्य			
– माइक्रो और लघु उद्यमों की कुल देयता राशि	27.53	–	27.53
– माइक्रो और लघु उद्यमों के अलावा कुल देयता राशि	15.67	358.76	374.43
ii) अन्य वर्तमान देयताएँ	3.32	42.20	45.52
कुल वर्तमान देयताएँ (5)	46.52	400.96	447.48
कुल वर्तमान देयताएँ (6=4+5)	46.52	673.77	720.29
विल वहन मूल्य (7=3–6)	15,100.72	28,278.75	43,379.48

43 स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण दिनांक 27.06.2025 को निदेशक मंडल द्वारा जारी करने के लिए अनुमोदित है।
हमारी संलग्न सम दिनांक की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में के लिए एवं ओर से
कृते: मे. अग्रवाल एण्ड धंधानिया डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन. 125756W

हस्ता. हस्ता.
(हेमंत कुमार शाह) (अंजु चौधरी)
मुख्य वित्त अधिकारी कंपनी सचिव

हस्ता. हस्ता.
(अरुण टी.) (प्रियांक किशोर)
प्रबंध निदेशक निदेशक
(DIN-09584076) (DIN-10307243)

स्थान : सिलवासा
दिनांक : 27.06.2025
UDIN : 25158758BMGODV9863

Notes Forming Part of Financial Statements as at 31 March, 2025

(₹ in Lakh)

ASSETS	ED – DNH Part	ED – DD Part	Total
1. Non-Current Liabilities			
i) Financial Liabilities			
a) Other Financial Liabilities	–	272.81	272.81
Total Non-Current Liabilities (4)	–	272.81	272.81
2. Current liabilities			
i) Financial Liabilities			
a) Trade and Other Payables			
– Total Amount due of Micro & Small Enterprises	27.53	–	27.53
– Total Amount due other than Micro & Small Enterprises	15.67	358.76	374.43
ii) Other Current Liability	3.32	42.20	45.52
Total Current Liabilities (5)	46.52	400.96	447.48
TOTAL CURRENT LIABILITIES (6=4+5)	46.52	673.77	720.29
Net Carrying Value (7=3–6)	15,100.72	28,278.75	43,379.48

43 The standalone financial statements are approved for issue by the Board of Directors on 27.06.2025.

In terms of our Audit Report of even date attached For and On behalf of
For, M/s Agrawal & Dhandhaniah DNH and DD Power Corporation Limited
Chartered Accountants
FRN. 125756W

Sd/- Sd/-
(Tushar Vegad) (Hemant Kumar Shah) (Anju Chaudhary)
Partner Chief Financial Officer Company Secretary
M. No. 158758

Sd/- Sd/-
(Arun T.) (Priyank Kishore)
Managing Director Director
(DIN-09584076) (DIN-10307243)

Place : Silvassa
Date : 27.06.2025
UDIN : 25158758BMGODV9863



13 वीं सामान्य बैठक की सूचना

DNHPDCL/06/2012/608

दिनांक : 17.09.2025

प्रति,
सभी सदस्यों,
डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड,

13 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DNHDDPCL) के सदस्यों की 13 वीं वार्षिक सामान्य बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(1)(i) के तहत सभी सदस्यों से प्राप्त सहमति के अनुसार [कम समय की सूचना पर मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को सायं 5:30 बजे (51वीं बोर्ड बैठक के समापन के बाद)] मुख्य सभागृह, विद्युत भवन, दमण में निम्नलिखित कार्य करने हेतु आयोजित की जाएगी।

1. सामान्य कार्य :

- 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करने, विचार करने और उन्हें अपनाना, साथ ही निदेशकों की रिपोर्ट और उन पर लेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ संदर्भ में।
- निदेशक मंडल को निदेशकों की सिफारिश पर वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्ति के आदेशों और निर्देशों के अनुपालन में और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) और धारा 142 के प्रावधानों के अनुसार तय करने के लिए लेखा परीक्षा समिति को अधिकृत किया गया है।

2. विशेष व्यवसाय :

- 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की पुष्टि करने और निम्नलिखित सामान्य संकल्प को संशोधनों के साथ या बिना संशोधन से पारित करना :

“संकल्प किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और अन्य प्रावधानों के अनुसार कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (इसमें वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियम के साथ पठित, कंपनी की लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लागत लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक ₹ 68,440/- सभी करों सहित 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत अभिलेखों का लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है, जैसा कि इस बैठक के आयोजन की सूचना के साथ संलग्न विवरण में निर्धारित है, शेरधारकों द्वारा एतद् द्वारा अनुसमर्थित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी का निदेशक मंडल ऐसे सभी कार्य, विलेख और बातें करने के लिए अधिकृत है जो इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक, उचित या समीचीन समझे जाएँ।

- श्री अतुल मेहता की लगातार 5 वर्षों की अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के अनुसमर्थन से संबंधित निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन सहित या बिना संशोधन के, एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना :

संकल्प लिया गया कि श्री अतुल मेहता, (DIN: 00112451) जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूचि IV के साथ पठित धारा 149, 152 और 161(1) के प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त निदेशक (गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र) के रूप में नियुक्त किया गया था, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014, और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों के साथ पठित 27-12-2024 से इस वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पद धारण करने के लिए स्वतंत्र किया गया था और जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा प्रथम कार्यकाल के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए भी अनुशंसित किया गया है, को एतद् द्वारा कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया जाता है। लगातार पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए या निदेशक मंडल के अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

- श्री मुकेश गढ़वी की लगातार 5 वर्षों की अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के अनुसमर्थन से संबंधित निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझा जाए, तो संशोधन सहित या उसके बिना, एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना :

संकल्प लिया गया कि श्री मुकेश गढ़वी, (DIN: 10909307), जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूचि IV के साथ पठित धारा 149, 152 और 161(1) के प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त निदेशक (गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र) के रूप में नियुक्त किया गया था, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014, और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों के साथ

Notice to the 13th Annual General Meeting

DNHPDCL/06/2012/608

Date: 17/09/2025

To,
All Members,
DNH and DD Power Corporation Limited

NOTICE OF THE 13TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 13th Annual General Meeting of the members of DNH and DD Power Corporation Limited (DNHDDPCL) will be held [at a shorter notice under Section 101(1)(i) If the Companies Act, 2013, pursuant to the consents received from all the members] on Tuesday, September 30, 2025 at 5:30 PM (after conclusion of the 51st Board meeting) in the Main Conference Hall, Vidyut Bhavan, Daman to transact the following businesses:

I. ORDINARY BUSINESS:

- To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended on March 31, 2025, together with the Directors' Report and Auditors' report thereon along with Comments of the Comptroller & Auditor General of India, in terms of Section 143(6) of the Companies Act, 2013.
- To authorise the Board of Directors on recommendation of the Audit Committee to fix remuneration of Statutory Auditors of the Company for the Financial Year 2025-2026 in compliance with the orders and directions of appointment by the Comptroller and Auditor-General of India and in terms of the provisions of Section 139(5) and Section 142 of the Companies Act, 2013.

II. SPECIAL BUSINESS:

- To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as an Ordinary Resolution relating to ratification of remuneration of the Cost Auditors for the financial year ending March 31, 2026:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 148 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof, for the time being in force), the remuneration of the Cost Auditors of ₹ 68,440/- inclusive of all taxes appointed by the Board of Directors on recommendation of the Audit Committee of the Company to conduct the audit of the cost records of the Company for the Financial Year ending on March 31, 2026 as set out in the statement annexed to the Notice convening this Meeting, be and is hereby ratified by the shareholders of the Company.

RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to do all such acts, deeds and things as may be considered necessary, proper or expedient to give effect to this resolution."

- To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as an Ordinary Resolution relating to ratification of appointment of Shri Atul Mehta as Independent Director for the term of 5 consecutive years:

"RESOLVED THAT Shri Atul Mehta, (DIN: 00112451) who was appointed as an Additional Director (Non-Executive & Independent) pursuant to the provisions of Section 149, 152 and 161(1) read with schedule IV of the Companies Act, 2013 read with Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, and other applicable statutory provisions of the Companies Act, 2013 w.e.f. 27-12-2024 to hold Office upto the date of this Annual General Meeting and who has also been recommended by the Board of Directors for appointment as Independent Director for the first term, be and is hereby appointed as an Independent Director of the Company, not liable to retire by rotation, for the period of five (5) consecutive years or until further orders of the Board of Directors otherwise, whichever is earlier."

- To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as an Ordinary Resolution relating to ratification of appointment of Shri Mukesh Gadhvi as Independent Director for the term of 5 consecutive years:

"RESOLVED THAT Shri Mukesh Gadhvi, (DIN: 10909307) who was appointed as an Additional Director (Non-Executive & Independent) pursuant to the provisions of Section 149, 152 and 161(1) read with schedule IV of the Companies Act, 2013 read with Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, and other applicable statutory provisions of the Companies Act, 2013 w.e.f. 27-03-2025 to hold Office upto the



13th AGM NOTICE 2024-25



डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

CIN: U40100DN2012GOI000405 (सरकार का उपक्रम)

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

13 वीं सामान्य बैठक की सूचना

पठित, 27-12-2024 से इस वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पद धारण करने के लिए नियुक्त किया गया था और जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा प्रथम कार्यकाल के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए भी अनुशंसित किया गया है, एतद् द्वारा कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जायेगी, न कि लगातार पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए निदेशक मंडल के अगले आदेश तक, जो पहले हो, रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हूँ।

6. श्री हेमांशु कपाडिया की व्यावसायिक निदेशक के रूप में नियुक्ति के अनुसमर्थन से संबंधित निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन सहित या बिना संशोधन के इसे एक साधारण संकल्प के रूप में परित करना ;

“**संकल्प लिया गया कि** श्री हेमांशु कपाडिया (DIN: 06482858) जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुसार व्यावसायिक श्रेणी (गैर-कार्यकारी) में अतिरिक्त निदेशक के रूप में 27-12-2024 से नियुक्त किया गया था, इस वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पद धारण करेंगे और जिनकी निदेशक मंडल द्वारा भी अनुशंसा की गई है, उन्हें एतद् द्वारा कंपनी का व्यवसायिक निदेशक नियुक्त किया जाता है और वे अगले आदेश तक चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगे।”

7. श्री पेन्टैया पोलागना की व्यावसायिक निदेशक के रूप में नियुक्ति के अनुसमर्थन से संबंधित निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन सहित या बिना संशोधन के इसे एक साधारण संकल्प के रूप में परित करना ;

“**संकल्प लिया गया कि** श्री पेन्टैया पोलागनी (DIN: 06943298) जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुसार व्यावसायिक श्रेणी (गैर-कार्यकारी) में अतिरिक्त निदेशक के रूप में 27-12-2024 से नियुक्त किया गया था, इस वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पद धारण करेंगे और जिनकी निदेशक मंडल द्वारा भी अनुशंसा की गई है, उन्हें एतद् द्वारा कंपनी का व्यवसायिक निदेशक नियुक्त किया जाता है और वे अगले आदेश तक चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगे।”

निदेशक मण्डल की ओर से,

दिनांक : 17.09.2025

स्थान : सिलवासा

हस्तां.

कंपनी सचिव
DNHDDPCL

नकल रवाना :

- माननीय प्रशासक, DNH एवं DD/ अध्यक्ष, DNHDDPCL/सदस्य DNHDDPCL के निजी सचिव को माननीय अध्यक्ष महोदय की कृपापूर्वक सूचनार्थ एवं बैठक में उपस्थित रहने के अनुरोध के साथ।
- माननीय प्रशासक, DNHI एवं DD के माननीय सलाहकार/निदेशक DNHDDPCL/सदस्य DNHDDPCL के निजी सचिव को बैठक में उपस्थित रहने के अनुरोध के साथ।
- वित्त सचिव एवं सचिव (विद्युत), DNH एवं DD/प्रबंध निदेशक, DNHDDPCL/सदस्य DNHDDPCL के निजी सचिव को बैठक में उपस्थित रहने के अनुरोध के साथ।
- कलेक्टर, डीएनएच/निदेशक DNHDDPCL सदस्य DNHDDPCL के निजी सचिव को बैठक में उपस्थित रहने के अनुरोध के साथ।
- सचिव पीडब्ल्यूडी, DNHI एवं DD/निदेशक, DNHDDPCL/सदस्य, DNHDDPCL के निजी सचिव, बैठक में उपस्थित रहने के अनुरोध सहित।
- संयुक्त सचिव (वित्त), DNHI एवं DD/सदस्य, DNHDDPCL, बैठक में उपस्थित रहने के अनुरोध सहित।
- डिप्टी कलेक्टर (सामान्य)-सह-एसडीएम, दमन/महिला निदेशक, DNHDDPCL के निजी सचिव, सूचनार्थ।
- मुख्य अभियंता, DNHDDPCL/सदस्य, DNHDDPCL, बैठक में उपस्थित रहने के अनुरोध सहित।
- श्री अतुल मेहता, स्वतंत्र निदेशक, DNHDDPCL, सूचनार्थ।
- श्री मुकेश गढ़वी, स्वतंत्र निदेशक, DNHDDPCL, सूचनार्थ।
- श्री हेमांशु कपाडिया, व्यावसायिक निदेशक, DNHDDPCL, सूचनार्थ।
- श्री पी. पेंटय्या, व्यावसायिक निदेशक, DNHDDPCL, सूचनार्थ।
- मुख्य वित्तीय अधिकारी, DNHDDPCL, सूचनार्थ।
- अधीक्षण अभियंता (विद्युत), DNHDDPCL को सूचनार्थ।
- प्रबंध निदेशक, DNHDDPCL के निजी सहायक को उपर्युक्त तिथि और समय पर आम बैठक के आयोजन हेतु हॉल की व्यवस्था करने हेतु।
- सांविधिक लेखा परीक्षकों और सचिवीय लेखा परीक्षकों को वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने के अनुरोध सहित।
- आईटी इंजीनियर, DNHDDPCL को कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसर्ण में ICSI द्वारा जारी एसएस-2-खंड 1.2.3 1.2.3 के अनुसार आम बैठक में DNHDDPCL की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने हेतु।

2024-25 Annual Report

DNH and DD Power Corporation Limited

(A Govt. Undertaking) CIN: U40100DN2012GOI000405

Notice to the 13th Annual General Meeting

date of this Annual General Meeting and who has also been recommended by the Board of Directors for appointment as Independent Director for the first term, be and is hereby appointed as an Independent Director of the Company, not liable to retire by rotation, for the period of five (5) consecutive years or until further orders of the Board of Directors otherwise, whichever is earlier."

6. To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as an Ordinary Resolution relating to ratification of appointment of Shri Hemanshu Kapadia as Professional Director:

"RESOLVED THAT Shri Hemanshu Kapadia, (DIN: 06482858) who was appointed as an Additional Director in Professional category (Non-Executive) pursuant to the provisions of Section 161 of the Companies Act, 2013 and other applicable statutory provisions of the Companies Act, 2013 w.e.f. 27-12-2024 to hold Office upto the date of this Annual General Meeting and who has also been recommended by the Board of Directors, be and is hereby appointed as Professional Director of the Company, not liable to retire by rotation, until further orders of the Board of Directors."

7. To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as an Ordinary Resolution relating to ratification of appointment of Shri Pentayya Polagani as Professional Director:

"RESOLVED THAT Shri Pentayya Polagani, (DIN: 06943298) who was appointed as an Additional Director in Professional category (Non-Executive) pursuant to the provisions of Section 161 of the Companies Act, 2013 and other applicable statutory provisions of the Companies Act, 2013 w.e.f. 27-12-2024 to hold Office upto the date of this Annual General Meeting and who has also been recommended by the Board of Directors, be and is hereby appointed as Professional Director of the Company, not liable to retire by rotation, until further orders of the Board of Directors."

By order of the Board of Directors,

Sd/-

Company Secretary
DNHDDPCL

Date: 17/09/2025

Place: Silvassa

Copy to:

- PS to the Hon'ble Administrator, DNH & DD/ Chairman, DNHDDPCL/ Member DNHDDPCL for kind information of the Hon'ble Chairman and with a request to attend the meeting.
- PS to the Hon'ble Advisor to the Hon'ble Administrator DNH & DD/ Director DNHDDPCL/ Member DNHDDPCL with a request to attend the meeting.
- PS to Finance Secretary & Secretary (Power), DNH & DD/ Managing Director, DNHDDPCL/Member DNHDDPCL with a request to attend the meeting.
- PS to Collector, DNH/ Director DNHDDPCL/ Member DNHDDPCL with a request to attend the meeting.
- PS to Secretary PWD, DNH & DD/ Director, DNHDDPCL/ Member, DNHDDPCL with request to attend the meeting
- Joint Secretary (Finance), DNH & DD/ Member, DNHDDPCL with request to attend the meeting.
- PS to Deputy collector (General)-cum-SDM, Daman/ Woman Director, DNHDDPCL for information.
- Chief Engineer, DNHDDPCL/ Member, DNHDDPCL with a request to attend the meeting.
- Shri Atul Mehta, Independent Director, DNHDDPCL for kind information.
- Shri Mukesh Gadhvi, Independent Director, DNHDDPCL for kind information
- Shri Hemanshu Kapadia, Professional Director, DNHDDPCL for kind information.
- Shri P. Pentayya, Professional Director, DNHDDPCL for kind information.
- Chief Financial Officer, DNHDDPCL for kind information.
- Superintending Engineer (Ele), DNHDDPCL for kind information.
- PA to the Managing Director, DNHDDPCL for arranging of hall for facilitating of the General Meeting on the above mentioned date and time.
- Statutory Auditors and Secretarial Auditors with request to attend the AGM.
- IT Engineer, DNHDDPCL for hosting on website of DNHDDPCL in terms of Clause 1.2.3 of SS-2- General Meetings issued by ICSI in pursuance of the Companies Act, 2013

Energy is life..... Conserve it

205

13 वीं सूचना - 2024-25

13th AGM NOTICE 2024-25



204

ऊर्जा जीवन है इसे संरक्षित रखें



डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

CIN: U40100DN2012GOI000405 (सरकार का उपक्रम)

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

13 वीं सामान्य बैठक की सूचना

टिप्पणियाँ:

- वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने का अधिकार प्राप्त सदस्य, स्वयं के स्थान पर मतदान में भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार है और प्रतिनिधि का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। हालाँकि, प्रतिनिधि नियुक्त करने वाला दस्तावेज़, बैठक शुरू होने से कम से कम अड़तालीस घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

कोई भी व्यक्ति अधिकतम पचास सदस्यों की संख्या वाले और कंपनी की कुल शेयर पूँजी के दस प्रतिशत से अधिक शेयरधारक, जिनके पास मताधिकार है, की ओर से प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है। कंपनी की कुल शेयर पूँजी के दस प्रतिशत से अधिक शेयरधारक, जिनके पास मताधिकार है, किसी एक व्यक्ति को प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है और ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं करेगा।
- बैठक में किए जाने वाले विशेष व्यवसाय से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण संलग्न है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कंपनी द्वारा लागू और अनुरक्षित वैधानिक रजिस्टर तथा सूचना एवं व्याख्यात्मक विवरण में संदर्भित अन्य सभी दस्तावेज़, वार्षिक आम बैठक की तिथि तक कार्य दिवसों के कार्य समय के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे और वार्षिक आम बैठक के दौरान भी उपलब्ध रहेंगे।
- बैठक प्रारंभ होने के लिए निर्धारित समय से 24 घंटे पहले से शुरू होकर बैठक के समापन तक की अवधि के दौरान, कोई भी सदस्य कार्य दिवस के कार्य समय के दौरान किसी भी समय जमा किए गए प्रॉक्सी का निरीक्षण करने का हकदार होगा।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसार, सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा की जाएगी और कंपनी अधिनियम 2013 में निहित प्रावधानों के अनुसार, उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा आम बैठक में या कंपनी द्वारा आम बैठक में निर्धारित तरीके से तय किया जाएगा।

सूचना का अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 102(1) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

कार्यसूची मद संख्या 3 :

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों और कंपनी (लागत अभिलेख एवं लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के अनुसार, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने लेखा परीक्षा समिति की अनुशंसा पर 27-06-2025 को आयोजित अपनी बैठक में मेसर्स बी. एफ. मोदी एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार, वापी को लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति कंपनी द्वारा अनुरक्षित लागत खातों/अभिलेखों (अनुलग्नकों सहित) का लेखा-परीक्षण करने के लिए की जाएगी। पारिश्रमिक ₹ 68,440/- लागू जीएसटी सहित होगा। हालाँकि, उनका पारिश्रमिक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार सदस्यों द्वारा अनुसमर्थन के अधीन होगा।

अतः, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के प्रावधानों के अनुसार, लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन आवश्यक है।

तदनुसार, 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखा परीक्षक को देय पारिश्रमिक के अनुमोदन हेतु नोटिस के मद संख्या 3 में दिए गए अनुसार एक साधारण प्रस्ताव पारित करने हेतु सदस्यों की सहमति अपेक्षित है।

कंपनी के किसी भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी/उनके रिश्तेदार, किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, नोटिस के मद संख्या 3 में दिए गए प्रस्ताव से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

बोर्ड, सदस्यों द्वारा अनुमोदन हेतु नोटिस के मद संख्या 3 में दिए गए साधारण प्रस्ताव का प्रस्ताव करता है।

कार्यसूची मद संख्या 4:

श्री अतुल मेहता की लगातार 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति

कंपनी के दो स्वतंत्र निदेशकों, श्री हेमांशु कपाड़िया और श्री पेंटय्या पोलागानी का दूसरा कार्यकाल 12वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) अर्थात् 30-09-2024 को समाप्त हो गया। निगम के AOA के अनुच्छेद 55(ए) के अनुसार, प्रशासक कॉर्पोरेट प्रशासन के एक भाग के रूप में निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों के रूप में संबंधित क्षेत्रों में योग्य पेशेवरों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई को नियुक्त करेगा।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4(1) के अंतर्गत निर्धारित किया है कि निर्दिष्ट सीमाओं वाली सार्वजनिक कंपनियों में कम से कम 2 निदेशक स्वतंत्र निदेशक के रूप में होंगे:

10 करोड़ रुपये या उससे अधिक की चुकता शेयर पूंजी; या 20 करोड़ रुपये का कारोबार। 100 करोड़ या अधिक; या कुल मिलाकर, बकाया ऋण/उधार/डिबेंचर/जमा/50 करोड़ रुपये या अधिक।

2024-25 Annual Report

DNH and DD Power Corporation Limited

(A Govt. Undertaking) CIN: U40100DN2012GOI000405

Notice to the 13th Annual General Meeting

NOTES:

- A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE ON A POLL INSTEAD OF HIMSELF AND THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY. THE INSTRUMENT APPOINTING THE PROXY SHOULD, HOWEVER, BE DEPOSITED AT THE REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY NOT LESS THAN FORTY-EIGHT HOURS BEFORE THE COMMENCEMENT OF THE MEETING.

A person can act as a proxy on behalf of Members not exceeding fifty and holding in the aggregate not more than ten percent of the total share capital of the Company carrying voting rights. A Member holding more than ten percent of the total share capital of the Company carrying voting rights may appoint a single person as proxy and such person shall not act as a proxy for any other person or shareholder.
- Explanatory Statement pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013, relating to the Special Business to be transacted at the meeting is annexed hereto.
- The Statutory Registers as applicable and maintained by the Company under the Companies Act, 2013 and all other documents referred to in the notice and explanatory statement, will be available for inspection by the Members of the Company at Registered office of the Company during business hours of working days up to the date of Annual General Meeting and will also be available during the Annual General Meeting.
- During the period beginning 24 hours before the time fixed for the commencement of the meeting and ending with the conclusion of the meeting, a Member would be entitled to inspect the proxies lodged at any time during the business hours of the working day.
- Pursuant to Section 139 of Companies Act, 2013, the Auditors of a Government Company are to be appointed/reappointed by the Comptroller and Auditor General (C&AG) of India and, in terms of provisions contained in Companies Act 2013, their remuneration shall be fixed by the company in a General Meeting or in such manner as the company in a General Meeting may determine.

ANNEXURE TO THE NOTICE

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102(1) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ("THE ACT")

AGENDA ITEM NO. 3

Ratification of remuneration of the Cost Auditor for the Financial Year 2025-26

As per the provisions of Section 148 of the Companies Act, 2013 and as required under the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014, the Board of Directors of your Company on the recommendation of Audit Committee has at its Meeting held on 27-06-2025 approved the proposal for appointment of M/s B. F. Modi & Associates, Cost Accountant, Vapi as Cost Auditor to conduct the audit of the Cost Accounts / Records including annexures maintained by the Company at the remuneration of ₹ 68,440/- including applicable GST, however that their remuneration shall be subject to the ratification by the Members as required under the provisions of sub-section (3) of Section 148 of the Companies Act, 2013.

Hence, as per the provisions of Section 148(3) of the Companies Act, 2013, the remuneration of the Cost Auditor is required to be ratified by the Members of the Company.

Accordingly, consent of the members is sought for passing an Ordinary Resolution as set out at Item No. 3 of the Notice for ratification of the remuneration payable to the Cost Auditor for the financial year ending March 31, 2026.

None of the Directors / Key Managerial Personnel of the Company / their relatives are, in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at Item No. 3 of the Notice.

The Board proposes the Ordinary Resolution set out at Item No. 3 of the Notice for approval by the members.

AGENDA ITEM NO. 4

Appointment of Shri Atul Mehta as Independent Director for the term of 5 consecutive years

The Second term of Shri. Hemanshu Kapadia and Shri Pentayya Polagani, the two Independent Directors of the Company expired in the 12th AGM i.e. 30-09-2024. As per Article 55(a) of AOA of the Corporation, the Administrator shall also appoint at least one third of the total strength of the Directors who are qualified professionals in the respective areas as Independent Directors on the Board as part of the Corporate Governance.

Also, as per Section 149(4) of the Companies Act, 2013, the Central Government has prescribed under rule 4(1) of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, public companies with specified limits shall have at least 2 directors as Independent Directors:

"paid up share capital of ₹ 10 crore or more; or turnover of ₹ 100 crore or more; or in aggregate, outstanding loans/borrowings/ debentures/ deposits/ exceeding ₹ 50 crore or more.



13th AGM NOTICE 2024-25



डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

CIN: U40100DN2012GOI000405 (सरकार का उपक्रम)

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

13 वीं सामान्य बैठक की सूचना

चूँकि निगम उपर्युक्त शर्तों को पूरा करता है, इसलिए निगम के लिए कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति अनिवार्य है। अतः, बोर्ड को सुदृढ़ बनाने, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि बोर्ड में कौशल, अनुभव और ज्ञान का उचित संतुलन हो ताकि बोर्ड अपने कार्यों और कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सके और बोर्ड द्वारा निर्णय लेने में मूल्यवर्धन सुनिश्चित हो सके, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के प्रावधानों और कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 55(ए) के अनुसार, बोर्ड ने श्री अतुल मेहता (डीआईएन: 00112451)को 27-12-2024 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है और साथ ही उन्हें शेयरधारकों द्वारा साधारण प्रस्ताव द्वारा अनुमोदन की तिथि से पाँच वर्ष के पहले कार्यकाल के लिए या निदेशक मंडल के अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की अनुशंसा की है।

इसके अलावा, निदेशक मंडल ने स्वतंत्र निदेशकों के लिए बैठक शुल्क की सिफारिश की है, जैसा कि निदेशक मंडल ने अपनी 17वीं बैठक में पहले ही अनुमोदित कर दिया है, जो 15,000/- रुपये प्रति बैठक है तथा वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति है।

तदनुसार, श्री अतुल मेहता ने कंपनी के निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए निर्धारित प्रपत्र DIR-2 में अपनी सहमति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी बताया है कि उन्होंने भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान (IICA) द्वारा संधारित डेटाबैंक पर स्वयं को आजीवन स्वतंत्र निदेशक के रूप में पंजीकृत करा लिया है और उन्होंने स्वतंत्र निदेशक डेटाबैंक हेतु ऑनलाइन दक्षता स्व-मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।

केंद्र सरकार की अधिसूचना संख्या G.S.R. 163 (E)दिनांक 05-06-2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए, उक्त धारा के अंतर्गत किसी सूचना की आवश्यकता नहीं है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6)/(7) और संबंधित नियमों के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को श्री अतुल मेहता से आवश्यक घोषणा प्राप्त हुई है, जिसमें पुष्टि की गई है कि वे अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

श्री अतुल मेहता का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है:

58 वर्षीय श्री अतुल मेहता, मेहता एंड मेहता, कंपनी सेक्रेटरीज, मुंबई के संस्थापक भागीदार हैं। वे एफसीएस और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) के सदस्य हैं, उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से बी. कॉम, बैचलर ऑफ जनरल लॉ और इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने शुरुआत में विभिन्न उद्योगों में कंपनी सेक्रेटरी के रूप में 8 वर्षों तक सेवा की है। सचिवीय विभाग के साथ-साथ, उन्होंने कानूनी, अनुपालन, मानव संसाधन जैसे विभिन्न विभागों का भी नेतृत्व किया है। इसके बाद, उन्होंने परामर्श और प्रैक्टिस के क्षेत्र में अग्रणी कदम रखा और मेहता एंड मेहता नामक फर्म की स्थापना की। पिछले 25 वर्षों से, वे मेहता एंड मेहता के भागीदार के रूप में कंपनी सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत हैं।

वे बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड और आर्ट हाउसिंग फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड सहित कई कंपनियों में निदेशक हैं। उन्हें कॉर्पोरेट कानूनी परामर्श, कंपनी अधिनियम, कॉर्पोरेट कानून, प्रतिभूति कानून, सचिवीय लेखा परीक्षा, कारखाना लेखा परीक्षा, क्षेत्र विशेष लेखा परीक्षा, विलय और समामेलन, फेमा, सेबी विनियम, लिस्टिंग समझौते, ईएसओपी, बायबैक, पुनर्गठन, उचित परिश्रम, व्यवसाय को बंद करना या बंद करना, मानव संसाधन लेखा परीक्षा, श्रम कानून, और ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, उचित परिश्रम, निजी इक्विटी, आईपीओ सहित बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में अनुभव है।

श्री अतुल मेहता स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के लिए लाभकारी आधार पर कंपनी में कोई शेयर नहीं रखते हैं।

श्री अतुल मेहता, यदि स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, तो उन्हें चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त नहीं होना पड़ेगा।

श्री अतुल मेहता अपनी नियुक्ति के संबंध में सूचना के मद संख्या 04 में दिए गए प्रस्ताव में रुचि रखते हैं।

उपरोक्त के अलावा, कंपनी के अन्य निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, इस विशेष प्रस्ताव से संबंधित या इच्छुक नहीं है।

बोर्ड सूचना के मद संख्या 04 में दिए गए साधारण प्रस्ताव को सदस्यों के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता है।

कार्यसूची मद संख्या 5:

श्री मुकेश गढ़वी की लगातार 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति

कंपनी के दो स्वतंत्र निदेशकों, श्री हेमांशु कपाड़िया और श्री पेंटय्या पोलागानी का दूसरा कार्यकाल 12वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) अर्थात 30-09-2024 को समाप्त हो गया। निगम के एओए के अनुच्छेद 55(ए) के अनुसार, प्रशासक कॉर्पोरेट प्रशासन के एक भाग के रूप में निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों के रूप में संबंधित क्षेत्रों में योग्य पेशेवरों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई को नियुक्त करेगा।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4(1) के अंतर्गत निर्धारित किया है कि निर्दिष्ट सीमाओं वाली सार्वजनिक कंपनियों में कम से कम 2 निदेशक स्वतंत्र निदेशक के रूप में होंगे:

10 करोड़ रुपये या उससे अधिक की चुकता शेयर पूंजी; या 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक का कारोबार; या कुल मिलाकर, बकाया ऋण/उधार/डिबेंचर/जमा/50 करोड़ रुपये या उससे अधिक।

चूँकि निगम उपर्युक्त शर्तों को पूरा करता है, इसलिए निगम के लिए कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति अनिवार्य है। इसलिए, बोर्ड को मजबूत करने के उद्देश्य से यह सुनिश्चित करने के लिए कि बोर्ड में कौशल, अनुभव और ज्ञान का उचित संतुलन है ताकि बोर्ड को अपने कार्यों और कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम बनाया जा सके और बोर्ड द्वारा निर्णय लेने में मूल्यवर्धन सुनिश्चित किया जा सके, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के प्रावधानों

2024-25 Annual Report

DNH and DD Power Corporation Limited

(A Govt. Undertaking) CIN: U40100DN2012GOI000405

Notice to the 13th Annual General Meeting

As the Corporation, fulfils the above-mentioned conditions, the appointment of at least two Independent Director is mandatory for the Corporation. Hence, with a view to strengthening the Board to ensure that there is appropriate balance of skills, experience and knowledge in the Board so as to enable the Board to discharge its functions and duties effectively and to ensure value addition in the decision making by the Board, in accordance with the provisions of Section 161 of the Companies Act, 2013 and in terms of the Article 55(a) of the Articles of Association of the Company, the Board has appointed Shri Atul Mehta (DIN: 00112451) as an Additional Director with effect from 27-12-2024 and also recommended to be appointed as an Independent Director for a first term of five years or until further orders of the Board of Directors otherwise, whichever is earlier, with effect from the date of approval of Shareholders by Ordinary Resolution. Further, the Board of Director recommended the sitting fees to Independent Directors, as already approved by the Board of Directors in its 17th meeting is ₹ 15,000/- per meeting and reimbursement of expenses at actuals.

Accordingly, Shri Atul Mehta has given his consent in the prescribed form DIR-2 to act as Director of the Company. Further, he has stated that he has got himself registered for lifetime as Independent Director on the data bank maintained by the Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) and that he has qualified the Online Proficiency Self-Assessment Test for Independent Director's Data Bank.

Pursuant to the Notification No. G.S.R. 163 (E) dated 05-06-2015 of the Central Government, the provisions of Section 160 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Company and therefore, no notice under the said Section is required.

Pursuant to the provisions of Section 149(6)/(7) of the Companies Act, 2013 and the relevant Rules, the Company has received necessary declaration from Shri Atul Mehta confirming that he meets the criteria of independence as prescribed under the Act.

The brief profile of Shri Atul Mehta is as under:

Shri Atul Mehta, aged 58 years, is Founder Partner of MEHTA & MEHTA, Company Secretaries, Mumbai. He is a FCS and a Member of Institute of Company Secretaries of India (ICSI), B. Com from University of Mumbai, Bachelor of General Law and Insolvency Professional. He has, initially, served the industry for 8 years as Company Secretary, in various industries. Along with Secretarial Department, also headed various departments like, Legal, Compliance, HR. Thereafter, laid pioneering step in consultancy and practice and set up the firm Mehta & Mehta. Since, past 25 years, practicing as company secretary, partner Mehta & Mehta.

He is Director in many of the Companies including but not limited to Bajaj Hindusthan Sugar Limited and Art Housing Finance (India) Limited. He is having experience in the field of corporate legal consultancy, Companies Act, Corporate Law, Securities Law, Secretarial Audit, Factory Audit, Sector Specific Audit, Merger and Amalgamation, FEMA, SEBI Regulations, Listing Agreement, ESOP, Buyback, Restructuring, due diligence, winding up or closure of business, HR Audit, Labor laws, and also Intellectual Property rights including Trade Mark, Patent, Copy rights, Due diligence, Private equity, IPO.

He was also Chairman of WIRC of ICSI in the year, 2009. Speaker at seminars organized by other institutions like IMC, SME Chambers, etc.

Shri Atul Mehta does not hold by himself or for any other person on a beneficial basis, any shares in the Company.

Shri Atul Mehta, if appointed as an Independent Director, shall not be liable to retire by rotation.

Shri Atul Mehta is interested in the resolution set out at Item Nos. 04 of the Notice with regard to his appointment.

Save and except the above, none of the other Directors and Key Managerial Personnel of the Company and their relatives are, in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in this Special Resolution.

The Board commends the Ordinary Resolution set out in Item No. 04 of the Notice for approval of the Members.

AGENDA ITEM NO. 5

Appointment of Shri Mukesh Gadhi as Independent Director for the term of 5 consecutive years

The Second term of Shri. Hemanshu Kapadia and Shri Pentayya Polagani, the two Independent Directors of the Company expired in the 12th AGM i.e. 30-09-2024. As per Article 55(a) of AOA of the Corporation, the Administrator shall also appoint at least one third of the total strength of the Directors who are qualified professionals in the respective areas as Independent Directors on the Board as part of the Corporate Governance.

Also, as per Section 149(4) of the Companies Act, 2013, the Central Government has prescribed under rule 4(1) of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, public companies with specified limits shall have at least 2 directors as Independent Directors:

paid up share capital of ₹ 10 crore or more; or turnover of ₹ 100 crore or more; or in aggregate, outstanding loans/borrowings/ debentures/ deposits/ exceeding ₹ 50 crore or more.

As the Corporation, fulfils the above-mentioned conditions, the appointment of at least two Independent Director is mandatory for the Corporation. Hence, with a view to strengthening the Board to ensure that there is appropriate balance of



13th AGM NOTICE 2024-25



डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

CIN: U40100DN2012GOI000405 (सरकार का उपक्रम)

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

13 वीं सामान्य बैठक की सूचना

और कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 55 (ए) के अनुसार, बोर्ड ने श्री मुकेश गढ़वी, (डीआईएन: 10909307) को 27-12-2024 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है और साथ ही पांच साल की पहली अवधि के लिए या निदेशक मंडल के अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, साधारण संकल्प द्वारा शेयरधारकों के अनुमोदन की तारीख से प्रभावी होने के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। इसके अलावा, निदेशक मंडल ने स्वतंत्र निदेशकों को बैठने की फीस की सिफारिश की, जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा अपनी 17 वीं बैठक में पहले ही अनुमोदित किया गया।

तदनुसार, श्री मुकेश गढ़वी ने कंपनी के निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए निर्धारित प्रपत्र DIR-2 में अपनी सहमति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी बताया है कि उन्होंने भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान (IICA) द्वारा संधारित डेटाबैंक में स्वयं को स्वतंत्र निदेशक के रूप में पंजीकृत करा लिया है और उन्होंने स्वतंत्र निदेशक डेटाबैंक हेतु ऑनलाइन दक्षता स्व-मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।

केंद्र सरकार की अधिसूचना संख्या G.S.R. 163 (E) दिनांक 05-06-2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए, उक्त धारा के अंतर्गत किसी सूचना की आवश्यकता नहीं है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6)/(7) और संबंधित नियमों के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को श्री मुकेश गढ़वी से आवश्यक घोषणा प्राप्त हुई है, जिसमें पुष्टि की गई है कि वे अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

श्री मुकेश गढ़वी का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है:

श्री मुकेश गढ़वी, 59 वर्ष, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली में वरिष्ठ सलाहकार/परामर्शदाता के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने GETCO और पूर्व GEB में अतिरिक्त मुख्य अभियंता और विभिन्न पदों पर कार्य किया है।

उन्हें नियामक मामलों में विशेषज्ञता प्राप्त है और वाइड एरिया मॉनिटरिंग सिस्टम (WAMS), एडवांस्ड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम (ADMS) जैसी बड़े पैमाने की जटिल परियोजनाओं के प्रबंधन का व्यापक अनुभव है। उन्होंने गुजरात के स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (SLDC) का प्रबंधन किया है और महत्वपूर्ण ऊर्जा अवसंरचना के लिए SCADA, WAMS, और साइबर सुरक्षा की देखरेख की है।

शैक्षणिक रूप से, उनके पास MBA (HR) (स्वर्ण पदक विजेता) और BE (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार) की डिग्री है। वे विद्युत प्रबंधन और विद्युत कानूनों में भी प्रमाणित हैं। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शोधपत्र भी प्रस्तुत किए हैं और विद्युत अनुसंधान एवं विकास संघ (ERDA) की अनुसंधान सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे हैं।

श्री मुकेश गढ़वी स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के लिए लाभकारी आधार पर कंपनी में कोई शेयर नहीं रखते हैं।

श्री मुकेश गढ़वी, यदि स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, तो उन्हें चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त नहीं होना पड़ेगा।

श्री मुकेश गढ़वी अपनी नियुक्ति के संबंध में सूचना के मद संख्या 05 में दिए गए प्रस्ताव में रुचि रखते हैं।

उपरोक्त के अलावा, कंपनी के अन्य निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, इस विशेष प्रस्ताव से संबंधित या इच्छुक नहीं है।

बोर्ड सूचना के मद संख्या 05 में दिए गए साधारण प्रस्ताव को सदस्यों के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता है।

कार्यसूची मद संख्या 6:

निगम में व्यावसायिक निदेशक के रूप में श्री हेमांशु कपाड़िया की नियुक्ति

चूँकि श्री हेमांशु कपाड़िया निगम के स्वतंत्र निदेशक थे और उनका दूसरा कार्यकाल 12वीं वार्षिक आम बैठक (30-09-2024) में समाप्त हो रहा था।

तदनुसार, बोर्ड को सुदृढ़ बनाने, उनकी विशेषज्ञता के संबंधित क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञ सलाह प्राप्त करने तथा बोर्ड द्वारा निर्णय लेने में मूल्यवर्धन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के प्रावधानों और कंपनी के संस्थापन के अनुच्छेद 55(क) के अनुसार, बोर्ड ने श्री हेमांशु कपाड़िया (डीआईएन: 06482858) को व्यावसायिक श्रेणी (गैर-कार्यकारी) में अतिरिक्त निदेशक के रूप में दिनांक 27-12-2024 से नियुक्त किया है। और उनकी नियुक्ति की सिफारिश की और साधारण संकल्प द्वारा शेयरधारकों के अनुमोदन की तिथि से निदेशक मंडल के अगले आदेश तक कंपनी के व्यावसायिक निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की भी सिफारिश की।

इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल ने व्यावसायिक निदेशकों के लिए प्रति बैठक 15,000/- रुपये की बैठक शुल्क और वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की सिफारिश की।

तदनुसार, श्री हेमांशु कपाड़िया ने कंपनी के निदेशक के रूप में कार्य करने हेतु निर्धारित प्रपत्र डीआईआर-2 में अपनी सहमति प्रदान की है। केंद्र सरकार की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 163 (ई) दिनांक 05-06-2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए, उक्त धारा के अंतर्गत किसी अधिसूचना की आवश्यकता नहीं है।

श्री हेमांशु कपाड़िया का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है:

श्री हेमांशु कपाड़िया, आयु 61 वर्ष और विभिन्न उद्योगों जैसे ऊर्जा एवं विद्युत, रत्न एवं आभूषण, प्रसारण, सॉफ्टवेयर, रसायन, ब्रुअरीज, रियल एस्टेट, एनबीएफसी, खाद्य रंग, धातु आदि में फैले ग्राहकों के कंपनी कानून और सचिवीय मामलों को संभालने में 28 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव रखते हैं। योग्य

2024-25 Annual Report

DNH and DD Power Corporation Limited

(A Govt. Undertaking) CIN: U40100DN2012GOI000405

Notice to the 13th Annual General Meeting

skills, experience and knowledge in the Board so as to enable the Board to discharge its functions and duties effectively and to ensure value addition in the decision making by the Board, in accordance with the provisions of Section 161 of the Companies Act, 2013 and in terms of the Article 55(a) of the Articles of Association of the Company, the Board has appointed Shri Mukesh Gadhvi, (DIN: 10909307) as an Additional Director with effect from 27-12-2024 and also recommended to be appointed as an Independent Director for a first term of five years or until further orders of the Board of Directors otherwise, whichever is earlier, with effect from the date of approval of Shareholders by Ordinary Resolution. Further, the Board of Director recommended the sitting fees to Independent Directors, as already approved by the Board of Directors in its 17th meeting is Rs. 15,000/- per meeting and reimbursement of expenses at actuals.

Accordingly, Shri Mukesh Gadhvi has given his consent in the prescribed form DIR-2 to act as Director of the Company. Further, he has stated that he has got himself registered as Independent Director on the data bank maintained by the Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) and that he has qualified the Online Proficiency Self-Assessment Test for Independent Director's Data Bank.

Pursuant to the Notification No. G.S.R. 163 (E) dated 05-06-2015 of the Central Government, the provisions of Section 160 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Company and therefore, no notice under the said Section is required.

Pursuant to the provisions of Section 149(6)/(7) of the Companies Act, 2013 and the relevant Rules, the Company has received necessary declaration from Shri Mukesh Gadhvi confirming that he meets the criteria of independence as prescribed under the Act.

The brief profile of Shri Mukesh Gadhvi is as under:

Shri Mukesh Gadhvi, aged 59 years, is working as Sr. Advisor/Consultant with Central Electricity Regulatory Commission, New Delhi. He has worked as Additional Chief Engineer, and various position in GETCO and erst-while GEB.

He has expertise in regulatory affairs, and has extensive experience encompasses managing large-scale, complex projects such as Wide Area Monitoring Systems (WAMS), Advanced Distribution Management Systems (ADMS). He has managed Gujarat's State Load Despatch Centre (SLDC), overseeing SCADA, WAMS, and cyber security for critical energy infrastructure.

Academically, he hold an MBA (HR) (Gold Medalist) and a BE (Electronics and Communication). He is further certified in Power Management and Electricity Laws. He has also Presented papers in National & International conferences and was a Member of Research Advisory Committee at Electrical Research and Development Association (ERDA)

Shri Mukesh Gadhvi does not hold by himself or for any other person on a beneficial basis, any shares in the Company.

Shri Mukesh Gadhvi, if appointed as an Independent Director, shall not be liable to retire by rotation.

Shri Mukesh Gadhvi is interested in the resolution set out at Item Nos. 05 of the Notice with regard to his appointment.

Save and except the above, none of the other Directors and Key Managerial Personnel of the Company and their relatives are, in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in this Special Resolution.

The Board commends the Ordinary Resolution set out in Item No. 05 of the Notice for approval of the Members.

AGENDA ITEM NO. 6

Appointment of Shri. Hemanshu Kapadia as Professional Director in the Corporation

As Shri. Hemanshu Kapadia was Independent Directors of the Corporation and his second term expired in the 12th AGM i.e. 30-09-2024.

Accordingly, with a view to strengthening the Board and continue to gain their expert advice in their respective areas of expertise and to ensure value addition in the decision making by the Board, in accordance with the provisions of Section 161 of the Companies Act, 2013 and in terms of the Article 55(a) of the Articles of Association of the Company, the Board has appointed Shri Hemanshu Kapadia, (DIN: 06482858) as an Additional Director in Professional category (Non-Executive) w.e.f. 27-12-2024 and also recommended his appointment as Professional Director of the Company, until further orders of the Board of Directors with effect from the date of approval of Shareholders by Ordinary Resolution.

Further, the Board of Director recommended the sitting fees to Professional Directors of Rs. 15,000/- per meeting and reimbursement of expenses at actuals.

Accordingly, Shri. Hemanshu Kapadia has given his consent in the prescribed form DIR-2 to act as Director of the Company. Pursuant to the Notification No. G.S.R. 163 (E) dated 05-06-2015 of the Central Government, the provisions of Section 160 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Company and therefore, no notice under the said Section is required.



13th AGM NOTICE 2024-25



डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

CIN: U40100DN2012GOI000405 (सरकार का उपक्रम)

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

13 वीं सामान्य बैठक की सूचना

कंपनी सचिवों, लेखाकार और सहायक कर्मचारियों की एक टीम का नेतृत्व। वर्तमान में सूचीबद्ध, गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक, निजी और धारा 8 एवं सरकारी कंपनियों सहित 100 से अधिक कंपनियों में कंपनी कानून के सलाहकार/परामर्शदाता।

वे दिवाला पेशेवर (आईपी) के रूप में पंजीकृत हैं और 2017 से इस पेशे में शुरुआती दौर से ही शामिल हैं। वे बैंकों के साथ एक आईपी और नामित भागीदार के रूप में सूचीबद्ध हैं और आईबीबीआई के साथ पंजीकृत आईपीई भी हैं। उन्होंने विभिन्न स्वैच्छिक परिसमापनों में परिसमापक और सीआईआरपी में समाधान पेशेवर के रूप में कार्य किया है। वे भारतीय मध्यस्थता परिषद के सदस्य भी हैं। वे श्रेणी IV मर्चेंट बैंकर कंपनी में पूर्व प्रवर्तक निदेशक थे।

श्री हेमांशु कपाड़िया, यदि पेशेवर निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, तो उन्हें चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त नहीं होना पड़ेगा।

श्री हेमांशु कपाड़िया अपनी नियुक्ति के संबंध में सूचना के मद संख्या 06 में दिए गए समाधान में रुचि रखते हैं।

उपरोक्त के अलावा, कंपनी के अन्य निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, इस विशेष समाधान से संबंधित या इच्छुक नहीं है।

बोर्ड नोटिस के मद संख्या 06 में दिए गए साधारण संकल्प को सदस्यों के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करता है।

कार्यसूची मद संख्या 7:

श्री पेंटय्या पोलागानी की निगम में व्यावसायिक निदेशक के रूप में नियुक्ति

चूँकि श्री पेंटय्या पोलागानी निगम के स्वतंत्र निदेशक थे और उनका दूसरा कार्यकाल 12वीं वार्षिक आम बैठक (30-09-2024) में समाप्त हो रहा था।

तदनुसार, बोर्ड को सुदृढ़ बनाने, उनकी विशेषज्ञता के संबंधित क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञ सलाह प्राप्त करने तथा बोर्ड द्वारा निर्णय लेने में मूल्यवर्धन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के प्रावधानों और कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 55(ए) के अनुसार, बोर्ड ने श्री हेमांशु कपाड़िया, (डीआईएन: 06482858) को व्यावसायिक श्रेणी (गैर-कार्यकारी) में अतिरिक्त निदेशक के रूप में दिनांक 01.03.2020 से नियुक्त किया है। 27-12-2024 को उनकी नियुक्ति की सिफारिश की और साधारण संकल्प द्वारा शेयरधारकों के अनुमोदन की तिथि से निदेशक मंडल के अगले आदेश तक कंपनी के व्यावसायिक निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की भी सिफारिश की।

इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल ने व्यावसायिक निदेशकों के लिए प्रति बैठक 15,000/- रुपये की बैठक शुल्क और वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की सिफारिश की।

तदनुसार, श्री पेंटय्या पोलागानी ने कंपनी के निदेशक के रूप में कार्य करने हेतु निर्धारित प्रपत्र डीआईआर-2 में अपनी सहमति प्रदान की है। केंद्र सरकार की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 163 (ई) दिनांक 05-06-2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए, उक्त धारा के अंतर्गत किसी सूचना की आवश्यकता नहीं है।

श्री पेंटय्या पोलागानी का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है:

श्री पेंटय्या पोलागानी, 70 वर्ष के हैं और सीईए और आरएलडीसी जैसे प्रतिष्ठित संगठनों के साथ पावर सेक्टर में 44 वर्षों का व्यापक अनुभव रखते हैं और फरवरी, 2014 में POSOCO से सेवानिवृत्त हुए हैं। WRLDC और ERLDC के प्रमुख के रूप में व्यापक प्रबंधकीय अनुभव, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE), VJIT, मुंबई के सलाहकार और जुलाई 2023 से DNHDDPDCL (टोरेंट पावर की एक सहायक कंपनी) में स्वतंत्र निदेशक हैं।

शैक्षणिक रूप से, उनके पास M.E. (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) की डिग्री है। उन्होंने भारतीय विद्युत प्रणाली पर विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों और सम्मेलनों में आमंत्रित व्याख्यान दिए हैं। VESCI के संकाय सदस्य रहे हैं, प्रशिक्षण आदि का संचालन किया है और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय पत्रिकाओं आदि में 130 से अधिक शोधपत्र प्रकाशित किए हैं।

श्री पेंटय्या पोलागानी, यदि व्यावसायिक निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, तो उन्हें चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त नहीं होना पड़ेगा।

श्री पेंटय्या पोलागानी अपनी नियुक्ति के संबंध में सूचना के मद संख्या 07 में दिए गए प्रस्ताव में रुचि रखते हैं।

उपरोक्त के अलावा, कंपनी के अन्य निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, इस विशेष प्रस्ताव से संबंधित या इच्छुक नहीं है।

बोर्ड सूचना के मद संख्या 07 में दिए गए साधारण प्रस्ताव को सदस्यों के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार,

कंपनी सचिव

DNHDDPCL

2024-25 Annual Report

DNH and DD Power Corporation Limited

(A Govt. Undertaking) CIN: U40100DN2012GOI000405

Notice to the 13th Annual General Meeting

The brief profile of Shri. Hemanshu Kapadia is as under:

Shri. Hemanshu Kapadia, aged 61 years and More than 28 years of vast experience in handling Company Law and Secretarial matters of clients spread over various industries viz Energy and Power, Gems and Jewelry. Broadcasting, Software, Chemicals, Breweries, Real Estate, NBFC, Food Colors, Metals. Leading a team of qualified company secretaries, articles and support staff. Currently advisor/ consultant for company law in more than 100 companies, including listed, unlisted public, private and Section 8 and Government companies.

He is Registered as Insolvency Professional (IP) and early entrant in the profession since 2017. He is also empaneled with Banks as an IP and Designated Partner and IPE registered with IBBI. Acted as Liquidator in various voluntary liquidations & Resolution Professional in CIRP. He is also a member of the Indian Council of Arbitration. He was Former Promoter Director in Category IV Merchant Banker Company.

Shri. Hemanshu Kapadia, if appointed as an Professional Director, shall not be liable to retire by rotation.

Shri. Hemanshu Kapadia is interested in the resolution set out at Item Nos. 06 of the Notice with regard to his appointment.

Save and except the above, none of the other Directors and Key Managerial Personnel of the Company and their relatives are, in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in this Special Resolution.

The Board commends the Ordinary Resolution set out in Item No. 06 of the Notice for approval of the Members.

AGENDA ITEM NO. 7

Appointment of Shri. Pentayya Polagani as Professional Director in the Corporation

As Shri. Pentayya Polagani was Independent Directors of the Corporation and his second term expired in the 12th AGM i.e. 30-09-2024.

Accordingly, with a view to strengthening the Board and continue to gain their expert advice in their respective areas of expertise and to ensure value addition in the decision making by the Board, in accordance with the provisions of Section 161 of the Companies Act, 2013 and in terms of the Article 55(a) of the Articles of Association of the Company, the Board has appointed Shri Hemanshu Kapadia, (DIN: 06482858) as an Additional Director in Professional category (Non-Executive) w.e.f. 27-12-2024 and also recommended his appointment as Professional Director of the Company, until further orders of the Board of Directors with effect from the date of approval of Shareholders by Ordinary Resolution.

Further, the Board of Director recommended the sitting fees to Professional Directors of Rs. 15,000/- per meeting and reimbursement of expenses at actuals.

Accordingly, Shri. Pentayya Polagani has given his consent in the prescribed form DIR-2 to act as Director of the Company. Pursuant to the Notification No. G.S.R. 163 (E) dated 05-06-2015 of the Central Government, the provisions of Section 160 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Company and therefore, no notice under the said Section is required.

The brief profile of Shri. Pentayya Polagani is as under:

Shri. Pentayya Polagani, aged 70 years and with 44 years of vast experience in Power Sector with prestigious organizations like CEA and RLDCs and retired from POSOCO in Feb, 2014. Vast managerial experience as head of WRLDC and ERLDC, a Consultant to Center of Excellence (COE), VJIT, MUMBAI and Independent Director in DNHDDPDCL (a subsidiary of Torrent Power) since July 2023.

Academically, he hold M.E. (Electrical Engineering) degree. He has given Invited lectures at Various National/international Seminars and Conferences on Indian power system. Faculty for ESCI, conducted training etc. and he has published more than 130 papers in international/National Journals etc.

Shri. Pentayya Polagani, if appointed as an Professional Director, shall not be liable to retire by rotation.

Shri. Pentayya Polagani is interested in the resolution set out at Item Nos. 07 of the Notice with regard to his appointment.

Save and except the above, none of the other Directors and Key Managerial Personnel of the Company and their relatives are, in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in this Special Resolution.

The Board commends the Ordinary Resolution set out in Item No. 07 of the Notice for approval of the Members.

By order of the Board of Directors,

Company Secretary
DNHDDPCL

Energy is life..... Conserve it



डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

CIN: U40100DN2012GOI000405 (सरकार का उपक्रम)

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

प्रतिनिधि प्रपत्र

प्रतिनिधि प्रपत्र
(प्रपत्र सं. एम.जी.टी. - 11)

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 105(6) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में)

सी.आई.एन. : U40100DN2012GOI000405

कंपनी का नाम : **डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटे (DNHDDPCL)**

पंजीकृत कार्यालय: विद्युत भवन, 66 KV मार्ग, सचिवालय के बाजू में, आमली, सिलवासा-396230

सदस्यों का नाम : _____

पंजीकृत पता : _____

ई-मेल पता : _____ फोलिया सं./उपभोक्ता आई.डी. : _____ डी. पी. आई.डी. : _____

मैं/हम, उपर्युक्त कंपनी के _____ शेयरधारक सदस्य(यों) एतद् द्वारा नियुक्त करते हैं

1.

नाम: _____

पता: _____

ई-मेल पता: _____

हस्ताक्षर: _____

इनके नहीं होने पर
2.

नाम: _____

पता: _____

ई-मेल पता: _____

हस्ताक्षर: _____

इनके नहीं होने पर
3.

नाम: _____

पता: _____

ई-मेल पता: _____

हस्ताक्षर: _____

इनके नहीं होने पर

मंगलवार, दिनांक सितंबर 30, 2025 को सायं 5:30 बजे मुख्य सभागृह, विद्युत भवन, दमण में आयोजित **13 वीं वार्षिक सामान्य सभा** में यह मेरी / हमारी ओर से **प्रतिनिधि प्रपत्र** में भाग लेने और मतदान (एक मतदान पर) करने के लिए मेरे / हमारी हमारी ओर से प्रतिनिधि के रूप में, और इस तरह के प्रस्तावों के संबंध में किसी भी स्थान पर अंतराल नीचे संकेत दिया गया है ।

क्रमांक	प्रस्ताव	हा के लिए	ना के लिए
1.	समाप्त वित्तीय वर्ष दिनांक 31 मार्च , 2025 के लेखा-परीक्षा वित्तीय विवरण, साथ में बोर्ड की रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षा की रिपोर्ट, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के अनुसार उस पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक का टिप्पणियों के साथ प्राप्त कर, विचार करने एवं स्वीकार करने के लिए ।(सामान्य संकल्प)		
2.	निदेशक मंडल को निदेशकों की सिफारिश पर वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्ति के आदेशों और निर्देशों के अनुपालन में और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) और धारा 142 के प्रावधानों के अनुसार तय करने के लिए लेखा परीक्षा समिति को नियुक्त किया गया है । (सामान्य संकल्प)		
3.	सामाजिक व्यवसाय 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखा-परीक्षकों के पारिश्रमिक की औपचारिक पुष्टि करने के लिए । (सामान्य संकल्प)		
4	श्री अतुल मेहत की स्वतंत्र निदेशक के रूप में लगातार पाँच (5) वर्षों की अवधि के लिए नियुक्ति का अनुसमर्थन। (साधारण संकल्प)		
5	श्री मुकेश गढ़वी की स्वतंत्र निदेशक के रूप में लगातार पाँच (5) वर्षों की अवधि के लिए नियुक्ति का अनुसमर्थन। (साधारण संकल्प)		
6	श्री हेमांशु कपाड़िया की व्यावसायिक निदेशक के रूप में नियुक्ति का अनुसमर्थन (साधारण संकल्प)		
7	श्री पेंटय्या पोलागानी की व्यावसायिक निदेशक के रूप में नियुक्ति का अनुसमर्थन (साधारण संकल्प)		

2024-25 Annual Report

DNH and DD Power Corporation Limited

(A Govt. Undertaking) CIN: U40100DN2012GOI000405

Proxy Form

Proxy Form
(Form No. MGT-11)

[Pursuant to section 105(6) of the Companies Act, 2013 and rule 19(3) of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014]

CIN: U40100DN2012GOI000405

Name of the Company: **DNH and DD Power Corporation Ltd (DNHDDPCL)**

Registered Office: Vidyut Bhavan, 66 KV Road, Near Secretariat, Amli, Silvassa-396230

Name of the member(s) _____:

Registered Address _____:

E-mail ID : _____ Folio No/Client ID: _____ DP ID: _____

I/We, being the member (s) of _____ shares of the above named company, hereby appoint

1.

Name: _____

Address: _____

Email-id: _____

Signature: _____

, or failing him
2.

Name: _____

Address: _____

Email-id: _____

Signature: _____

, or failing him
3.

Name: _____

Address: _____

Email-id: _____

Signature: _____

, or failing him

as my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me/us and on my/our behalf at the 13th Annual General Meeting to be held on shorter notice on Tuesday, September 30, 2025 at 05:30 PM (after conclusion of the 51st Board meeting) in the Main Conference Hall, Vidyut Bhavan, Daman and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below:

Sr. No.	Resolution	For	Against
1.	To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended 31st March, 2025, together with the Directors Report and Auditors report thereon along with Comments of the Comptroller & Auditor General of India, in terms of Section 143(6) of the Companies Act, 2013. (Ordinary Resolution)		
2	To authorise the Board of Directors on recommendation of the Audit Committee to fix remuneration of Statutory Auditors of the Company for the Financial Year 2025-2026 in compliance with the orders and directions of appointment by the Comptroller and Auditor-General of India and in terms of the provisions of Section 139(5) and Section 142 of the Companies Act, 2013. (Ordinary Resolution).		
3.	To ratify the remuneration of the Cost Auditors for the financial year ending 31st March, 2026. (Ordinary Resolution)		
4.	To ratify the appointment of Shri Atul Mehat as Independent Director for the term of five (5) consecutive years. (Ordinary Resolution)		
5.	To ratify the appointment of Shri Mukesh Gadhvi as Independent Director for the term of five (5) consecutive years. (Ordinary Resolution)		
6.	To ratify the appointment of Shri Hemanshu Kapadia as Professional Director (Ordinary Resolution)		
7.	To ratify the appointment of Shri Pentayya Polagani as Professional Director (Ordinary Resolution)		





डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

CIN: U40100DN2012GOI000405 (सरकार का उपक्रम)

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

प्रतिनिधि प्रपत्र

प्रतिनिधि प्रपत्र

वर्ष 2025 के दिन का हस्ताक्षरित ।

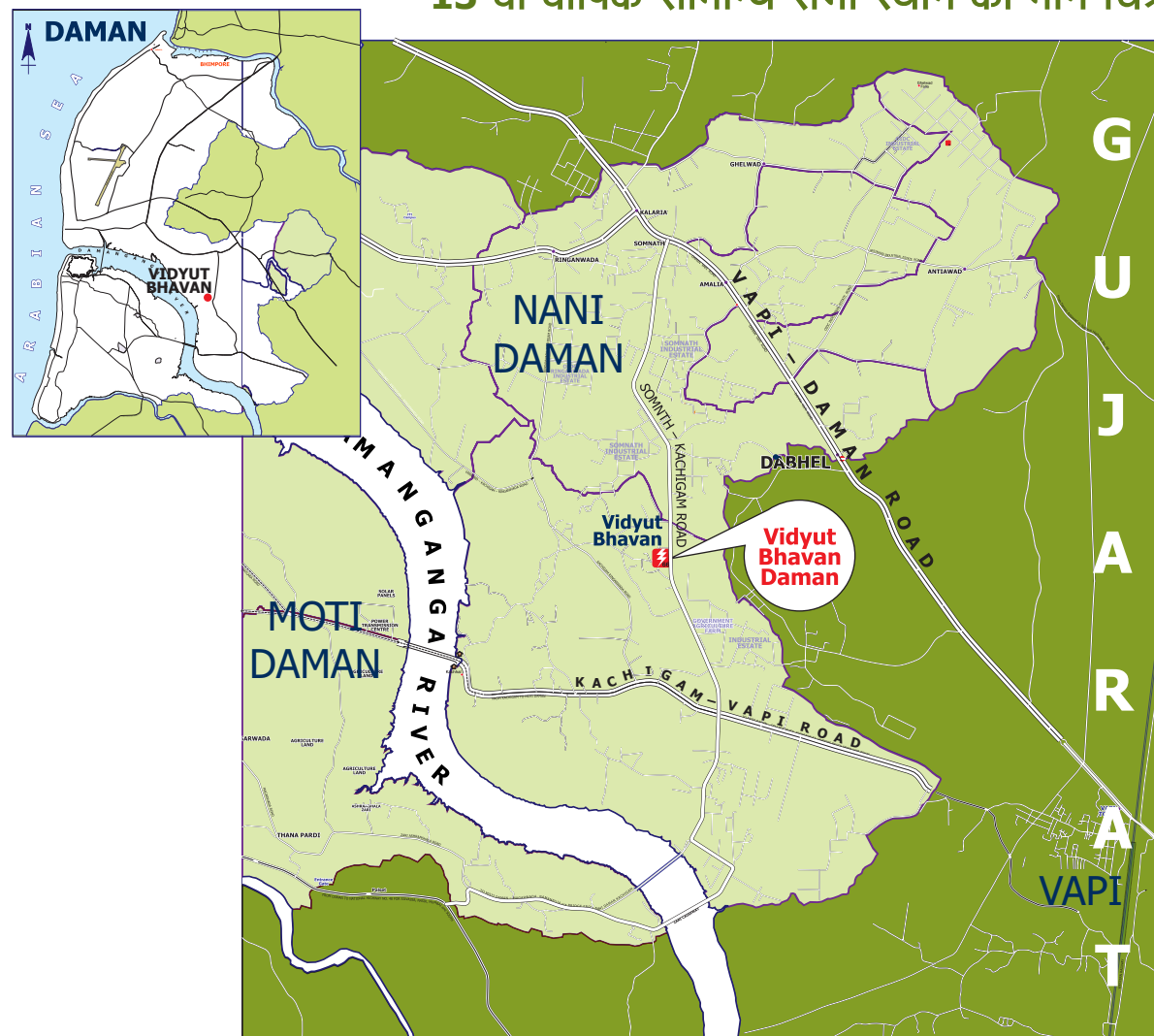
राजस्व
टिकट
लगायें

शेयरधारक का हस्ताक्षर

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

नोट : इस प्रतिनिधि प्रपत्र को प्रभावी बनाने के लिए, बैठक शुरू होने के 48 घंटे की अवधि से कम समय में इसे पूर्ण रूप से भरकर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करना आवश्यक है ।

13 वीं वार्षिक सामान्य सभा स्थान का मान चित्र



2024-25 Annual Report

DNH and DD Power Corporation Limited

(A Govt. Undertaking) CIN: U40100DN2012GOI000405

Proxy Form

Proxy Form

Signed this day of 2025.

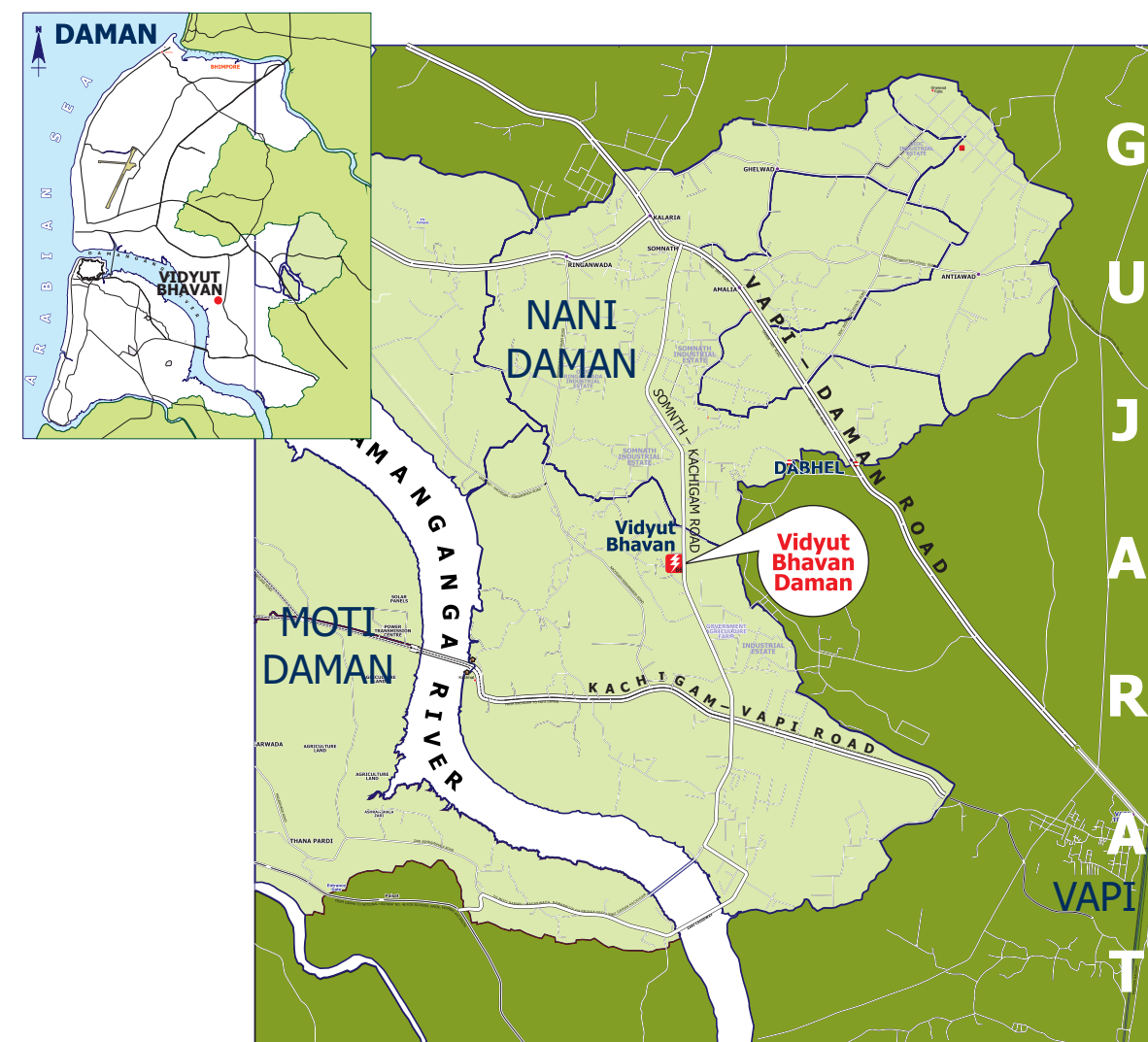
Signature of shareholder

Signature of Proxy holder(s)

Affix
Revenue
Stamp

Note: This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the registered office of the Company, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.

Road Map to 13th Annual General Meeting





66/11 KV GIS Sub-Station, Zanda Chowk, Silvassa



Two Mobile Veterinary Ambulance under CSR Initiative

